ध्येयIAS®
most trusted since 2003

परफेक्ट 7

मासिक करेंट अफेयर्स पत्रिका

मई 2026
वर्ष : 08 | अंक : 05

dhyeyaias.com

इस अंक में ...

- भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क
- सीएपीएफ (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026
- दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति की भारत यात्रा
- जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2026
- ऑनलाइन गेमिंग के संवर्धन और विनियमन नियम, 2026
- ऑस्ट्रिया के चांसलर की भारत यात्रा
- भारत–रूस पारस्परिक लॉजिस्टिक्स विनिमय समझौता
- उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन की श्रीलंका यात्रा
- भारत–न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (FTA)
- यूएई का ओपेक से बाहर होने का निर्णय
- नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में तीसरे स्थान पर भारत
- जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के तहत दो नए नामित भंडार
- भवसागरः भारत का पहला गहरे समुद्र के जीवों का राष्ट्रीय भंडार
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2026
- शेखा झील रामसर साइट घोषित
- भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्टिंग फैसिलिटी
- मित्र मिशन
- इंडिया डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट 2026
- आरबीआई मौद्रिक नीति समीक्षा 2026
- आईएनएस तारागिरी
- आईएनएस अरिदमन
- नीति आयोग का पुनर्गठन

और भी महत्वपूर्ण विषय ...

भारत की परमाणु ऊर्जा यात्रा
सीमित संसाधनों से तकनीकी आत्मनिर्भरता तक

मुख्य विशेषताएं पावर पैक्ड न्यूज | प्री बेस्ड एमसीक्यूस | संपादकीय लेख

पहला पन्ना

एक सही अभिक्षमता वाला सिविल सेवक ही वह सेवक है जिसकी देश अपेक्षा करता है। सही अभिक्षमता का अभिप्राय यह नहीं कि व्यक्ति के पास व्यापक ज्ञान हो, बल्कि उचित ज्ञान, संतुलित दृष्टिकोण और ज्ञान के प्रभावी क्रियान्वयन करने की क्षमता हो।

बात जब यूपीएससी या पीसीएस परीक्षा की हो तो सिर्फ ज्ञान का संचय नहीं, बल्कि उसकी प्रभावी अभिव्यक्ति महत्त्वपूर्ण होती है। यह अभ्यर्थी की विश्लेषणात्मक क्षमता, अभिव्यक्ति कौशल और समसामयिक मुद्दों के प्रति उसकी संतुलित समझ का भी मूल्यांकन करती हैं। तैयारी की यह प्रक्रिया केवल परीक्षा तक सीमित नहीं रहती, बल्कि व्यक्ति को राष्ट्र और समाज के महत्त्वपूर्ण विषयों पर सार्थक दृष्टिकोण विकसित करने की दिशा में भी प्रेरित करती है। निस्संदेह यह यात्रा चुनौतीपूर्ण है, किन्तु उतनी ही प्रेरणादायी और उद्देश्यपूर्ण भी।

परफेक्ट 7 पत्रिका कई चयनित सिविल सेवकों की समसामयिकी स्तर पर समझ विकसित करने का अभिन्न माध्यम रही है। बदलते परीक्षा पैटर्न, पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं तथा समकालीन विषयों की प्रकृति के अनुरूप यह पत्रिका निरंतर स्वयं को परिष्कृत करती रही है।

मैं आशा करता हूँ कि यह आपकी तैयारी की एक परफेक्ट साथी बनकर, सिविल सेवा परीक्षा की यात्रा में आपका निरंतर मार्गदर्शन करती रहेगी।

शुभकामनाओं के साथ,

विनय सिंह
संस्थापक
ध्येय IAS

टीम परफेक्ट 7

संस्थापक	:	विनय सिंह
प्रबंध संपादक	:	विजय सिंह
संपादक	:	आशुतोष मिश्र
उप-संपादक	:	भानू प्रताप
डिजाइनिंग	:	अरूण मिश्र
आवरण सज्जा	:	सोनल तिवारी

-: साभार :-

PIB, PRS, AIR, ORF, प्रसार भारती, योजना, कुरूक्षेत्र, द हिन्दू, डाउन टू अर्थ, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, WION, BBC, Deccan Herald, हिन्दुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, दैनिक भाष्कर, जनसत्ता व अन्य

-: For any feedback Contact us :-
+91 9369227134
perfect7magazine@gmail.com

ध्येयIAS
most trusted since 2003

परफेक्ट 7

मासिक समसामायिकी पत्रिका

इस अंक में ...

1. भारतीय समाज व कला एवं संस्कृति 05-14

➢ **ट्रांसजेंडर व्यक्ति के अधिकारों पर विधायी पुनर्संरचना: संवैधानिकता, स्वायत्तता और राज्य की भूमिका का विश्लेषण**
- भारत में मातृ मृत्यु दर
- भारत में ग्रामीण भूमि असमानता
- सीबीएसई त्रि-भाषा सूत्र 2026
- भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क
- गुंटूर नगर निगम को मिला प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र 'GEM' पुरस्कार

2. राजव्यवस्था एवं शासन 15-30

➢ **जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2026: भारत की नियामक व्यवस्था में संरचनात्मक सुधार**
- सत्तनकुलम कस्टोडियल डेथ
- संसद ने सीएपीएफ (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026 पारित किया
- अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल की शक्ति
- आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी के रूप में अमरावती
- तेलंगाना गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स (रजिस्ट्रेशन, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण) बिल, 2026
- मतदान और चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं
- कर्नाटक ऑनर किलिंग कानून 2026
- 131वां संविधान (संशोधन) विधेयक, 2026
- ऑनलाइन गेमिंग के संवर्धन और विनियमन नियम, 2026
- दल-बदल विरोधी कानून और राज्यसभा सभापति का निर्णय

3. अन्तर्राष्ट्रीय संबंध 31-45

➢ **भारत–दक्षिण कोरिया संबंधों में नया अध्याय: रणनीतिक साझेदारी से सह-नवाचार तक**
- हंगरी में ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन और भारत-हंगरी संबंध
- पश्चिम एशिया संघर्ष और भारत में बढ़ती गरीबी
- भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना चीन
- ऑस्ट्रिया चांसलर की भारत यात्रा
- उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन की श्रीलंका यात्रा
- भारत–रूस पारस्परिक लॉजिस्टिक्स विनिमय समझौता
- ब्रिक्स-एमईएनए संवाद
- भारत–न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (FTA)
- यूएई का ओपेक से बाहर निकलने का निर्णय

4. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 46-65

➢ **भारत की हरित ऊर्जा क्रांति: नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में नई वैश्विक उपलब्धि**
- जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के तहत दो नए नामित भंडार अधिसूचित
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2026
- वन्यजीव प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन
- भवसागर: भारत का पहला गहरे समुद्र के जीवों का राष्ट्रीय भंडार

- भारत में जल संकट: सूखती नदियाँ और घटते जलाशय
- भारत में 2027 के बाद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFC) के उत्पादन पर प्रतिबंध
- चंबल नदी के प्रवाह में कमी और डॉल्फिन का यमुना की ओर स्थानांतरण
- भारत में चमगादड़ों की स्थिति रिपोर्ट
- ओडिशा बना समुद्री स्थानिक योजना लागू करने वाला पहला राज्य
- नई सर्प प्रजाति कैलामरिया गारोएन्सिस की खोज
- शेखा झील रामसर साइट घोषित
- चरम मौसम घटनाओं पर अध्ययन
- तमिलनाडु और मेघालय में जैव विविधता शासन को मजबूत करने के लिए पाँच वर्षीय परियोजना

5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 66-76

➢ **भारत का परमाणु विज्ञान: सीमित संसाधन से तकनीकी आत्मनिर्भरता तक**
- मित्र मिशन: गगनयान के लिए इसरो का अंतरिक्ष एनालॉग अध्ययन
- आर्टेमिस 2 मिशन
- युवावस्था में ल्यूकेमिया पर अध्ययन
- पल्सर आधारित दूरी मापन की नई विधि
- राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि
- अमरावती में भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्टिंग फैसिलिटी

6. आर्थिकी 77-91

➢ **औद्योगिक अशांति: विकास और श्रम संकट के मध्य संरचनात्मक चुनौतियाँ और सुधार की आवश्यकता**
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) मौद्रिक नीति समीक्षा
- तेलंगाना, आरबीआई की नई ऋण रणनीति में शामिल
- सोलहवीं वित्त आयोग और इसका राजकोषीय संघवाद पर प्रभाव
- इंडिया डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट 2026
- भारत में पेटेंट वृद्धि 2026
- विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट
- भारत में MLFF टोलिंग प्रणाली
- आईएमएफ रैंकिंग में भारत की गिरावट
- आरबीआई का प्रस्तावित "यूनिवर्सल किल स्विच"
- भारत में डिज़ाइनर चावल विकसित

7. रक्षा और आंतरिक सुरक्षा 92-98

➢ **भारत का बढ़ता रक्षा निर्यात: आर्थिक उपलब्धि से रणनीतिक परिवर्तन तक**
- आईएनएस अरिदमन: भारत की परमाणु पनडुब्बी और द्वितीय-प्रहार क्षमता
- आईएनएस तारागिरी की कमीशनिंग
- भारतीय नौसेना की समुद्री शक्ति में नया विस्तार: ASW SWC 'मालवन'

प्रमुख चर्चित स्थल 99-101

पावर पैक्ड न्यूज 102-114

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न 115-123

1 भारतीय समाज व कला एवं संस्कृति

ट्रांसजेंडर व्यक्ति के अधिकारों पर विधायी पुनर्संरचना: संवैधानिकता, स्वायत्तता और राज्य की भूमिका का विश्लेषण

संदर्भ:

भारतीय लोकतंत्र की मूल आत्मा समानता, गरिमा और स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित है, जो संविधान के मौलिक अधिकारों में निहित है। हाल ही में संसद द्वारा पारित ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2026 की संवैधानिकता को केरल और दिल्ली उच्च न्यायालयों में चार अलग-अलग याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई है। जहाँ सरकार इसे ट्रांसजेंडर समुदाय के भीतर हो रहे 'पहचान के दुरुपयोग' को रोकने और वास्तविक लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुँचाने के लिए एक 'ऐतिहासिक सुधार' मान रही है, वहीं मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के एक बड़े वर्ग ने इसे 'पीछे की ओर ले जाने वाला कदम' (Regressive step) बताया है।

ऐतिहासिक एवं न्यायिक पृष्ठभूमि:

- भारत में ट्रांसजेंडर अधिकारों की आधुनिक संवैधानिक नींव नालसा बनाम भारत संघ (2014) के ऐतिहासिक निर्णय से स्थापित हुई। यह निर्णय केवल एक अधिकार प्रदान करने तक सीमित नहीं था, बल्कि इसने भारतीय संविधान की व्याख्या को समावेशी (inclusive) और प्रगतिशील (progressive) दिशा में विस्तारित किया। न्यायालय ने स्पष्ट किया "लैंगिक पहचान का निर्धारण बाहरी संस्थाओं द्वारा नहीं, बल्कि व्यक्ति के आंतरिक अनुभव द्वारा होना चाहिए।" यह सिद्धांत मानव गरिमा (human dignity) और व्यक्तिगत स्वायत्तता (personal autonomy) के आधार पर था।
- इस ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने:
  - » ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता प्रदान की।
  - » स्व-पहचान (Self-identification) को मौलिक अधिकार घोषित किया।
  - » इसे संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 से जोड़ा।
- इसके अतिरिक्त, के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) में न्यायालय ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित करते हुए यह स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत पहचान, जिसमें लैंगिक पहचान भी सम्मिलित है, व्यक्ति की स्वायत्तता और गरिमा का अभिन्न अंग है।
- ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 को नालसा बनाम भारत संघ (2014) के सिद्धांतों को विधायी रूप देने के प्रयास के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इसमें ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भेदभाव के निषेध के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्रों में अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई थी।
- इस अधिनियम का उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामाजिक समावेशन और संस्थागत संरक्षण को सुनिश्चित करना था, ताकि उन्हें मुख्यधारा में सम्मानजनक स्थान मिल सके। यद्यपि इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक सीमा भी निहित थी क्योंकि

इसमें पहचान के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणन की व्यवस्था रखी गई थी।

संशोधन अधिनियम, 2026 के प्रमुख प्रावधान:

- 2026 का यह संशोधन विधेयक मुख्य रूप से 2019 के मूल अधिनियम में चार बड़े बदलाव प्रस्तावित करता है:
  - » संशोधन अधिनियम 2026 ने 'ट्रांसजेंडर व्यक्ति' की व्यापक परिभाषा को सीमित कर दिया है। अब इसमें मुख्य रूप से सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान (जैसे हिजड़ा, किन्नर, अरावनी, जोगता) और विशिष्ट जैविक विविधताओं वाले व्यक्तियों को ही शामिल किया गया है।
  - » यह विधेयक 2019 के अधिनियम की धारा 4(2) को समाप्त करता है, जो व्यक्ति को आत्म-घोषणा पर आधारित या 'स्व-अनुभूत लिंग पहचान' (Self-perceived gender identity) का अधिकार देती थी। ट्रांसजेंडर की परिभाषा को जैविक एवं शारीरिक मानकों से जोड़ा गया।
  - » अब पहचान प्रमाण पत्र (Certificate of Identity) प्राप्त करने के लिए जिलाधिकारी (DM) द्वारा नियुक्त एक मेडिकल बोर्ड की सिफारिश अनिवार्य होगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) करेंगे।
  - » जबरन लिंग परिवर्तन, अपहरण या किसी को धोखे से ट्रांसजेंडर पहचान अपनाने के लिए मजबूर करने जैसे अपराधों के लिए 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।

संवैधानिक विश्लेषण:

- **अनुच्छेद 21:** जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता: अनुच्छेद 21 का दायरा समय के साथ विस्तृत हुआ है, जिसमें गरिमा, स्वायत्तता और व्यक्तिगत पहचान सम्मिलित हैं। लैंगिक पहचान व्यक्ति की अस्तित्वगत पहचान है। इसे राज्य के प्रमाणीकरण के अधीन करना, व्यक्तिगत गरिमा का उल्लंघन माना जा सकता है।
- **अनुच्छेद 19(1)(a):** अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: लैंगिक पहचान, वस्त्र, व्यवहार और सामाजिक प्रस्तुति के माध्यम से अभिव्यक्त होती

है। यदि राज्य इस पहचान को नियंत्रित करता है, तो यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

- **अनुच्छेद 14:** समानता का अधिकार: अनुच्छेद 14 समानता सुनिश्चित करता है परन्तु ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अधिक कठोर प्रमाणन प्रक्रिया उन्हें अन्य नागरिकों की तुलना में अतिरिक्त बोझ देती है, जिससे समान स्थिति में भी असमान व्यवहार होता है और समानता के सिद्धांत का उल्लंघन होता है।
- संशोधित अधिनियम का सबसे गंभीर पहलू यह है कि यह नालसा निर्णय के "स्व-पहचान" सिद्धांत के विपरीत है और पुट्टस्वामी निर्णय में स्थापित निजता और स्वायत्तता के अधिकार को सीमित करता है। इस प्रकार, यह विधायी हस्तक्षेप न्यायपालिका द्वारा विकसित संवैधानिक नैतिकता (constitutional morality) के सिद्धांत से विचलित प्रतीत होता है।

चुनौतियां:

- **दंड के प्रावधानों में असमानता:** अधिनियम के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ यौन शोषण या शारीरिक हिंसा करने पर अधिकतम 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है। तुलनात्मक रूप से, महिलाओं के खिलाफ समान अपराधों के लिए सजा कहीं अधिक कठोर है। यह विसंगति कानून की नजर में 'समान सुरक्षा' के सिद्धांत पर सवाल खड़ा करती है।
- **परिवार और निवास का अधिकार:** अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को उनके जैविक परिवार के साथ रहने का अधिकार देता है। हालांकि, कड़वी सच्चाई यह है कि इस समुदाय को सबसे अधिक हिंसा और तिरस्कार अपने ही परिवारों से झेलना पड़ता है। उन्हें जबरन सुधार गृहों (Rehabilitation Centres) में भेजने का प्रावधान उनकी स्वतंत्रता को बाधित कर सकता है।
- **आरक्षण का अभाव:** समुदाय की मुख्य मांग शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 'क्षैतिज आरक्षण' (Horizontal Reservation) की रही है। अधिनियम इस महत्वपूर्ण पहलू पर मौन है, जिसके बिना केवल 'भेदभाव निषेध' के कागजी प्रावधानों से वास्तविक सामाजिक सुधार कठिन है।
- **संस्थागत अवसंरचना का अभाव:** संस्थागत अवसंरचना का अभाव होना एक प्रमुख चुनौती है, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि प्रत्येक जिले में सक्षम और प्रशिक्षित मेडिकल बोर्ड उपलब्ध होंगे या नहीं। विशेषज्ञता तथा संसाधनों की कमी इस प्रक्रिया को धीमा और जटिल बना सकती है।
- **भ्रष्टाचार और देरी की संभावना:** भ्रष्टाचार और देरी की संभावना भी बढ़ जाती है, क्योंकि बहु-स्तरीय अनुमोदन प्रणाली अनावश्यक नौकरशाही को जन्म देती है, जिससे "रेंट-सीकिंग" व्यवहार और अनौपचारिक लेन-देन को बढ़ावा मिल सकता है।
- **ग्रामीण-शहरी असमानता:** यह व्यवस्था ग्रामीण-शहरी असमानता को और गहरा कर सकती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता, संस्थागत पहुँच और प्रशासनिक सुविधाओं का अभाव होता है, जिसके परिणामस्वरूप ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपने अधिकारों तक समान रूप से पहुँच प्राप्त नहीं हो पाएगी।

आगे की राह:

- ट्रांसजेंडर अधिकारों के प्रभावी संरक्षण हेतु स्व-पहचान के सिद्धांत को NALSA बनाम भारत संघ (2014) के अनुरूप पुनर्स्थापित करना आवश्यक है, जिससे व्यक्ति की गरिमा और स्वायत्तता सुरक्षित रहे।
- साथ ही, स्व-घोषणा आधारित सरल एवं सम्मानजनक प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, जिसमें न्यूनतम प्रशासनिक हस्तक्षेप हो। अधिकारियों के लिए जेंडर-सेंसिटाइजेशन प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाना चाहिए।
- शिक्षा और मीडिया के माध्यम से सामाजिक जागरूकता एवं समावेशन को बढ़ावा देना भी आवश्यक है। अंततः, न्यायालयों द्वारा निरंतर समीक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि विधायी प्रावधान संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप बने रहें।

निष्कर्ष:

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों पर 2026 का संशोधन अधिनियम भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षण प्रस्तुत करता है। यह केवल एक विधायी परिवर्तन नहीं, बल्कि अधिकार और नियंत्रण, स्वायत्तता और नियमन, तथा गरिमा और प्रशासनिक सुविधा के बीच संतुलन का प्रश्न है। यदि राज्य, अधिकारों को प्रमाणन और नियंत्रण के माध्यम से सीमित करता है, तो यह न केवल ट्रांसजेंडर समुदाय, बल्कि संपूर्ण लोकतांत्रिक ढांचे के लिए चिंताजनक संकेत होगा। अतः आवश्यक है कि भारतीय संविधान की मौलिक भावना को बनाए रखते हुए एक ऐसा ढांचा विकसित करे जो व्यक्ति की गरिमा, सामाजिक समावेशन और प्रशासनिक दक्षता के बीच संतुलन स्थापित कर सके।

भारत में मातृ मृत्यु दर

संदर्भ:

हाल ही में 'द लैंसेट ऑब्सटेट्रिक्स, गायनेकोलॉजी एंड विमेंस हेल्थ' जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन ने भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र के समक्ष एक गंभीर चिंता व्यक्त की है। अध्ययन के अनुसार, भारत के लिए वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्य (SDG 3.1) के तहत मातृ मृत्यु दर (MMR) को प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 70 से नीचे लाना एक कठिन चुनौती बनता जा रहा है।

अध्ययन के मुख्य बिंदु:

- **वर्तमान स्थिति:**
  - » अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2023 में भारत की मातृ मृत्यु दर (MMR) लगभग 116 दर्ज की गई। यद्यपि भारत ने 1990 के 508 के स्तर की तुलना में लगभग 80% की उल्लेखनीय गिरावट हासिल की है, परंतु 2015 के बाद इस गिरावट की गति में स्पष्ट कमी देखी गई है।
  - » वर्तमान में, विश्व भर में होने वाली कुल मातृ मृत्यु का लगभग 10% (करीब 24,700 मौतें) भारत में होता है।
- **क्षेत्रीय असमानता:** भारत की प्रगति में राज्यों के बीच व्यापक असमानता एक प्रमुख बाधा है:
  - » **अग्रणी राज्य:** केरल (20), महाराष्ट्र (38) और तेलंगाना (45) सहित 8 राज्यों ने पहले ही SDG लक्ष्य (70 से कम) प्राप्त कर लिया है।
  - » **पिछड़े राज्य:** असम (205), उत्तर प्रदेश (167) और मध्य प्रदेश (163) जैसे राज्यों में स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। इन राज्यों में स्वास्थ्य अवसंरचना की कमी तथा सामाजिक-आर्थिक कारण मृत्यु दर को उच्च बनाए रखते हैं।

मृत्यु के मुख्य कारण:

- अध्ययन के अनुसार, 40% से अधिक मातृ मृत्यु रोकी जा सकती हैं। इनके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:
  - » **प्रसवोत्तर रक्तस्राव (Postpartum Haemorrhage):** प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव।
  - » **उच्च रक्तचाप विकार:** प्री-एक्लेम्प्सिया एवं एक्लेम्प्सिया।
  - » **संक्रमण (Sepsis):** अस्वच्छ प्रसव परिस्थितियों के कारण उत्पन्न संक्रमण।
  - » **एनीमिया:** भारतीय महिलाओं में कुपोषण एक दीर्घकालिक समस्या बनी हुई है।

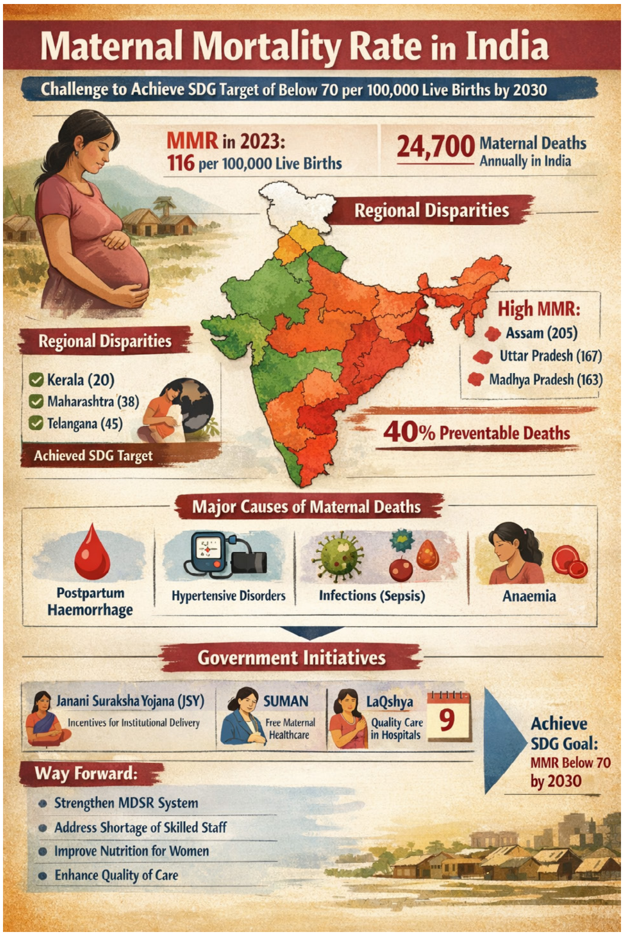

सरकारी पहल:

- भारत सरकार ने 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन' (NHM) के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण योजनाएँ लागू की हैं:
  - » **जननी सुरक्षा योजना (JSY):** संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने हेतु नकद प्रोत्साहन।
  - » **सुमन (SUMAN):** सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, जो निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ सुनिश्चित करती है।
  - » **लक्ष्य (LaQshya):** लेबर रूम एवं ऑपरेशन थिएटर में देखभाल की गुणवत्ता सुधारने हेतु।
  - » **प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA):** प्रत्येक माह की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क प्रसवपूर्व जाँच।

आगे की राह:

- **निगरानी तंत्र:** उच्च मातृ मृत्यु दर वाले जिलों में 'मैटरनल डेथ सर्विलांस एंड रिस्पांस' (MDSR) प्रणाली को सुदृढ़ करना, ताकि प्रत्येक मृत्यु के कारणों का वैज्ञानिक विश्लेषण हो सके।
- **मानव संसाधन:** ग्रामीण क्षेत्रों में कुशल प्रसव सहायकों (Skilled Birth Attendants) एवं एनेस्थेटिस्ट्स की कमी को दूर करना।
- **पोषण पर ध्यान:** केवल प्रसव नहीं, बल्कि किशोरियों एवं गर्भवती महिलाओं के पोषण (जैसे 'एनीमिया मुक्त भारत') पर निवेश बढ़ाना आवश्यक है।
- **गुणवत्तापूर्ण देखभाल:** संस्थागत प्रसव में वृद्धि के साथ अब ध्यान 'देखभाल की गुणवत्ता' पर केंद्रित करना होगा, ताकि अस्पताल पहुँचने के बाद किसी भी महिला की मृत्यु न हो।

निष्कर्ष:

भारत ने मातृ स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, किन्तु 'द लैंसेट' की रिपोर्ट एक गंभीर चेतावनी प्रस्तुत करती है। यदि वर्ष 2030 तक 70 के लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो नीतिगत प्रयासों को विशेष रूप से 'पिछड़े राज्यों' तथा 'अंतिम पंक्ति की महिला' की स्वास्थ्य सुरक्षा पर केंद्रित करना होगा।

भारत में ग्रामीण भूमि असमानता

सदर्भ:

हाल ही में 'वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब' (World Inequality Lab-WIL) द्वारा जारी एक शोध पत्र, "भारत में भूमि असमानता: प्रकृति, इतिहास और बाजार", ने ग्रामीण भारत में भूमि स्वामित्व में असमानता के आंकड़ों को उजागर किया है। यह रिपोर्ट न केवल आर्थिक असमानता को दर्शाती है, बल्कि भारत के सामाजिक-राजनीतिक ढांचे पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

रिपोर्ट के अनुसार, भारत में ग्रामीण भूमि का वितरण अत्यधिक विषम है:

- **केंद्रीकरण:** शीर्ष 10% ग्रामीण परिवारों के पास कुल भूमि का 44% हिस्सा है। वहीं, शीर्ष 1% के पास 18% और शीर्ष 5% के पास 32% भूमि है।
- **भूमिहीनता की स्थिति:** भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 46% परिवार भूमिहीन हैं। पंजाब जैसे कृषि-समृद्ध राज्य में भूमिहीनता की दर सबसे अधिक (73%) है।
- **गाँव स्तर का विश्लेषण:** औसतन, एक गाँव के सबसे बड़े भूस्वामी के पास गाँव की कुल भूमि का 12.4% हिस्सा होता है। कुछ मामलों (3.8% गाँवों) में, एक ही व्यक्ति आधी से अधिक भूमि का स्वामी है।

: Land inequality: Top 10% shares, all households

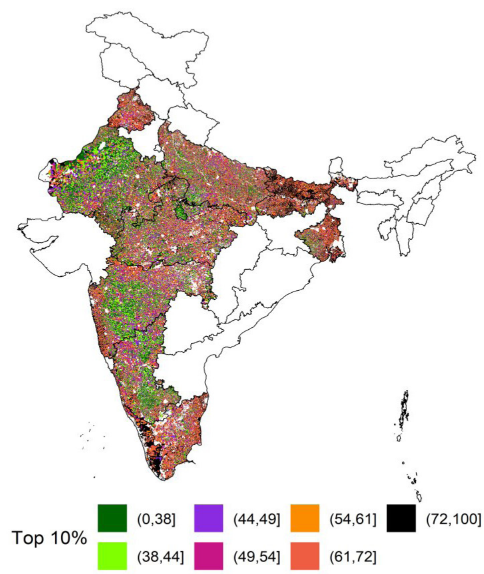

Notes: The figure plots the distribution of agricultural land: top 10% shares in full population in Indian villages.

असमानता के ऐतिहासिक और संरचनात्मक कारक:

रिपोर्ट इस असमानता के पीछे तीन मुख्य कारणों को रेखांकित करती है:

- **औपनिवेशिक विरासत (Colonial Legacy):** अध्ययन से पता चलता है कि जिन क्षेत्रों में ब्रिटिश काल के दौरान 'ज़मींदारी व्यवस्था' (जहाँ ज़मींदार कर वसूलते थे और भूमि के मालिक थे) लागू थी, वहाँ आज भी उन क्षेत्रों की तुलना में अधिक असमानता है जहाँ 'रैयतवाड़ी' या 'रियासतें' थीं। ऐतिहासिक संस्थागत व्यवस्थाओं का प्रभाव आज भी भूमि वितरण पर हावी है।
- **जाति और सामाजिक पदानुक्रम:** भूमि स्वामित्व और सामाजिक स्थिति के बीच गहरा संबंध है। जिन गाँवों में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की आबादी अधिक है, वहाँ भूमिहीनता और भूमि के छोटे आकार की समस्या अधिक गंभीर है। उच्च जातियों का भूमि पर ऐतिहासिक वर्चस्व आज भी कायम है।
- **कृषि-पारिस्थितिकी (Agro-ecology):** उपजाऊ और संसाधनों से संपन्न क्षेत्रों में भूमि का संकेंद्रण अधिक देखा गया है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से शक्तिशाली समूहों ने लाभप्रद संपत्तियों पर अपना नियंत्रण मजबूत किया।

राज्य-वार प्रदर्शन:

भूमि असमानता के मामले में भारत के राज्यों में भारी विविधता है:

- **उच्च असमानता वाले राज्य:** केरल (गिनी गुणांक 90), बिहार, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भूमि वितरण सबसे अधिक असमान है।
- **कम असमानता वाले राज्य:** कर्नाटक और राजस्थान जैसे राज्यों में भूमि वितरण तुलनात्मक रूप से अधिक संतुलित है (गिनी गुणांक 65 से कम)।

भूमि सुधारों की समीक्षा:

- स्वतंत्रता के बाद भारत ने मध्यस्थों के उन्मूलन, जोत की सीमा (Land Ceiling) और चकबंदी जैसे भूमि सुधार लागू किए। हालाँकि, यह रिपोर्ट उनकी सीमाओं को उजागर करती है:
  - » **क्रियान्वयन में कमी:** 'सीलिंग एक्ट' को बेनामी संपत्ति हस्तांतरण और कानूनी खामियों के कारण प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा सका।
  - » **बाजार की भूमिका:** आधुनिक बुनियादी ढांचे और सिंचाई सुविधाओं के विकास ने भूमि के मूल्य को बढ़ाया है, जिससे बड़े भूस्वामियों की संपत्ति में और वृद्धि हुई है, जबकि सीमांत किसान बाजार की प्रतिस्पर्धा में पिछड़ गए हैं।
  - » **डिजिटलीकरण की चुनौती:** भूमि रिकॉर्ड के आधुनिकीकरण के बावजूद, वास्तविक स्वामित्व और कब्जे (possession) के बीच का अंतर अभी भी एक बड़ी बाधा है।

आगे की राह:

- भूमि केवल एक आर्थिक संसाधन नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और गरिमा का साधन है। इस असमानता को दूर करने के लिए निम्नलिखित कदम आवश्यक हैं:
  - » **प्रभावी भूमि सीमा कानून:** राज्य सरकारों को भूमि सीमा कानूनों की समीक्षा करनी चाहिए और अधिशेष भूमि को वास्तव में भूमिहीनों में वितरित करना चाहिए।
  - » **सहकारी खेती (Cooperative Farming):** छोटे और सीमांत किसानों को सामूहिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे संसाधनों और बाजार का बेहतर लाभ उठा सकें।
  - » **सामाजिक समावेशन:** भूमि आवंटन नीतियों में हाशिए पर रहने वाले समुदायों (SC/ST) को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
  - » **पारदर्शी डेटा:** 'डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम' (DILRMP) को और अधिक पारदर्शी और समावेशी बनाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

भूमि असमानता भारत में केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के लिए एक चुनौती है। यदि भारत को "समावेशी विकास" के लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो उसे भूमि सुधारों को नए सिरे से परिभाषित करना होगा।

सीबीएसई त्रि-भाषा सूत्र 2026

संदर्भ:

हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा 6 के लिए 'त्रि-भाषा सूत्र' को अनिवार्य रूप से लागू करने की घोषणा की है।

त्रि-भाषा सूत्र क्या है?

- त्रि-भाषा सूत्र की अवधारणा सर्वप्रथम 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पेश की गई थी। वर्तमान में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत इसे पुनर्जीवित किया गया है। इसके मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं:
  - » **कक्षा 6 से 10 तक:** छात्रों को तीन भाषाएँ पढ़नी होंगी।
  - » **भारतीय भाषाओं को प्रधानता:** इन तीन में से कम से कम दो भाषाएँ भारतीय मूल की होनी चाहिए।
  - » **विकल्प:** राज्यों और छात्रों को भाषा चुनने की स्वतंत्रता है, बशर्ते वे दो भारतीय भाषाओं के नियम का पालन करें।

त्रि-भाषा सूत्र को लेकर विवाद क्यों है?

दक्षिण भारतीय राज्यों, विशेषकर तमिलनाडु और कर्नाटक, ने इस नीति का कड़ा विरोध किया है। उनके तर्क निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित हैं:

- **द्वि-भाषा बनाम त्रि-भाषा नीति:** तमिलनाडु 1968 से 'द्वि-भाषा नीति' (तमिल और अंग्रेजी) का पालन कर रहा है। उनके अनुसार, तीसरी भाषा का बोझ छात्रों पर अतिरिक्त मानसिक दबाव डालता है और यह उनकी क्षेत्रीय पहचान (भाषाई गौरव) के विरुद्ध है।
- **पारस्परिकता का अभाव (Lack of Reciprocity):** विवाद का एक बड़ा कारण यह है कि जहाँ गैर-हिंदी भाषी राज्यों के छात्रों को अक्सर तीसरी भाषा के रूप में हिंदी सीखने के लिए प्रोत्साहित

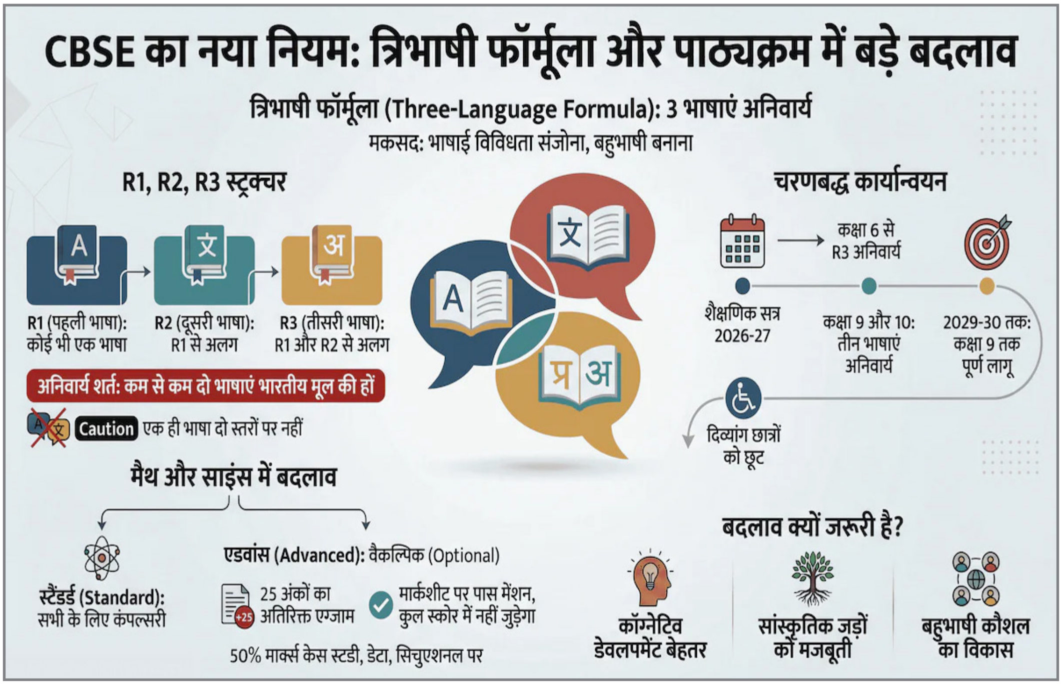

किया जाता है, वहीं हिंदी भाषी राज्यों (जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार) में दक्षिण भारतीय भाषाओं (जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़) को शायद ही कभी अनिवार्य किया जाता हो। उत्तर भारत के अधिकांश स्कूल तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत को चुनते हैं, जिससे सांस्कृतिक आदान-प्रदान का मूल उद्देश्य विफल हो जाता है।

- **संरचनात्मक लाभ:** आलोचकों का तर्क है कि यह नीति हिंदी भाषियों को अनुचित लाभ देती है। उन्हें केवल दो मुख्य भाषाएँ (हिंदी और अंग्रेजी) सीखनी पड़ती हैं, जबकि गैर-हिंदी भाषियों को अपनी मातृभाषा और अंग्रेजी के अलावा एक तीसरी भाषा (अक्सर हिंदी) सीखने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
- **संसाधनों की कमी:** कई राज्यों का तर्क है कि स्कूलों में दक्षिण भारतीय या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को पढ़ाने के लिए शिक्षकों और बुनियादी ढांचे की भारी कमी है, जिससे अंततः छात्रों के पास 'हिंदी' को ही चुनने का एकमात्र विकल्प बचता है।

संवैधानिक और संघीय ढांचा:

- **अनुच्छेद 343:** संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी (देवनागरी लिपि) होगी।
- **अनुच्छेद 351:** केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा दे ताकि यह भारत की मिश्रित संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।
- **शिक्षा का अधिकार:** शिक्षा 'समवर्ती सूची' (Concurrent List) का विषय है, जिससे केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। हालांकि, राज्यों का मानना है कि केंद्र वित्तीय लाभों (जैसे समग्र शिक्षा निधि) का उपयोग कर अपनी भाषाई नीतियों को जबरन लागू कर रहा है।

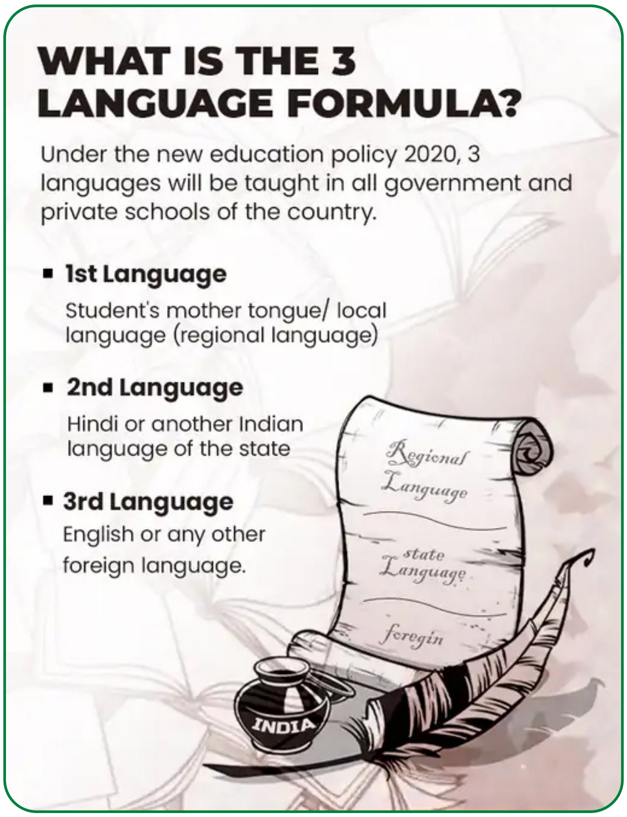

आगे की राह:

- त्रि-भाषा सूत्र का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और बहुभाषावाद को बढ़ावा देना है, किंतु इसकी सफलता के लिए संतुलित और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है।
- बहुभाषावाद को बढ़ावा देने हेतु हिंदी भाषी राज्यों में भी दक्षिण भारतीय भाषाओं को पढ़ाने के ठोस प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि पारस्परिकता और सांस्कृतिक आदान-प्रदान की भावना विकसित हो सके।
- राज्यों की स्वायत्तता का सम्मान करते हुए केंद्र को 'एक ही नियम सबके लिए' की नीति के बजाय विभिन्न राज्यों की भाषाई विविधता और संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखना चाहिए।
- भाषा शिक्षण को अनिवार्यता के रूप में प्रस्तुत करने के बजाय इसे एक उपयोगी कौशल और अवसर के रूप में बढ़ावा देना चाहिए, जिससे छात्र स्वेच्छा और रुचि के साथ विभिन्न भाषाओं को सीखने के लिए प्रेरित हों।

निष्कर्ष:

भारत जैसे विविधता वाले देश में भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं बल्कि पहचान का प्रतीक है। भाषाई नीति को लागू करते समय 'सहकारी संघवाद' की भावना सर्वोपरि होनी चाहिए।

भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क

सन्दर्भ:

हाल ही में प्रागैतिहासिक सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत, लद्दाख में अपना पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क स्थापित कर रहा है, जिसका उद्घाटन विश्व धरोहर दिवस (18 अप्रैल, 2026) पर किया गया। यह पार्क, सिंधु नदी के किनारे स्थित है जिसका उद्देश्य विकास, पर्यटन तथा प्राकृतिक क्षरण से खतरे में पड़े प्रागैतिहासिक शैल-उत्कीर्णनों के संरक्षण का है, जो हजारों वर्ष पुरानी विरासत को दर्शाते हैं।

पेट्रोग्लिफ के बारे में:

- पेट्रोग्लिफ प्रागैतिहासिक शैल-उत्कीर्णन होते हैं, जिन्हें चट्टानों की सतह पर प्रतीकों, आकृतियों या अभिलेखों को उकेरकर बनाया जाता है। ये प्रारंभिक मानव जीवन और सांस्कृतिक विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं।
- लद्दाख में ये नक्काशियां शिकार के दृश्य, आइबेक्स जैसे जानवर, बौद्ध स्तूप जैसे धार्मिक प्रतीक तथा संस्कृत और चीनी जैसी भाषाओं में अभिलेख दर्शाती हैं, जो इस क्षेत्र की सांस्कृतिक संगम के रूप में ऐतिहासिक भूमिका को उजागर करती हैं।

पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क के बारे में:

- यह पार्क एक वैज्ञानिक रूप से प्रबंधित संरक्षण-सह-व्याख्या (interpretation) केंद्र के रूप में कार्य करेगा। इसमें संवेदनशील क्षेत्रों से स्थानांतरित किए गए पेट्रोग्लिफ्स को रखा जाएगा और उन्हें सुव्यवस्थित व शैक्षिक रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।
- इसे एक ओपन-एयर म्यूज़ियम के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो संरक्षण सुनिश्चित करते हुए शोध, जागरूकता और पर्यटन को बढ़ावा देगा।

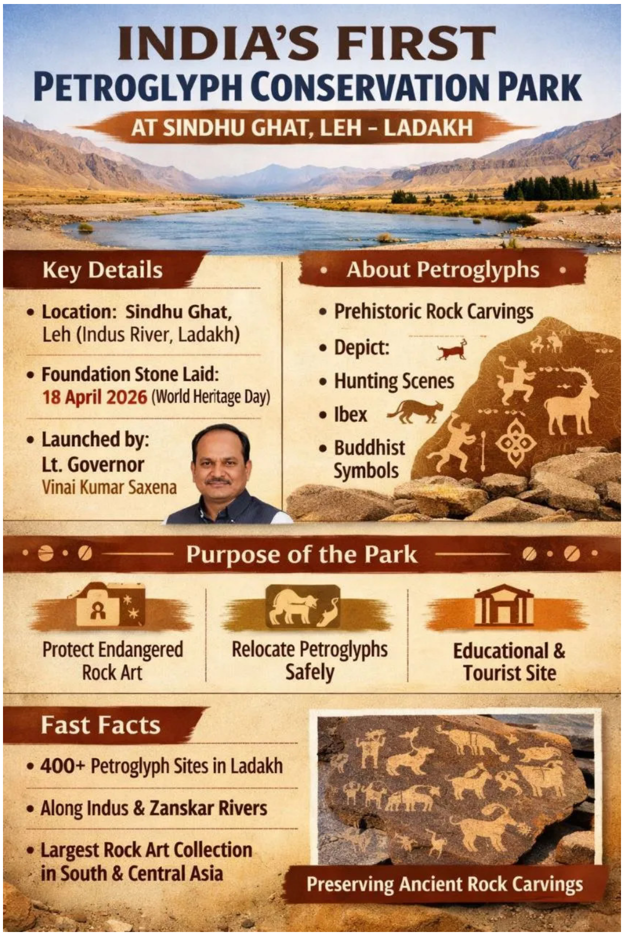

संरक्षण की आवश्यकता:

- भारत के अन्य शैल कला स्थलों (जैसे भीमबेटका शैलाश्रय) की तरह, लद्दाख भी वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण है। लद्दाख में लगभग 400 पेट्रोग्लिफ स्थलों का समूह है, जो इसे शैल-कला का एक

महत्वपूर्ण भंडार बनाता है।

- हालांकि, ये अनियंत्रित पर्यटन, अवसंरचना विकास, जलवायु परिस्थितियों और जागरूकता की कमी के कारण खतरे में हैं। सिंधु और ज़ांस्कर घाटियों के किनारे स्थित कई नक्काशियां विशेष रूप से जोखिम में हैं। यह पार्क ऐसे अवशेषों की सुरक्षा करेगा और मूल स्थलों पर दबाव कम करेगा।

संस्थागत ढांचा:

- यह परियोजना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और लद्दाख प्रशासन के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) के माध्यम से सहयोग पर आधारित है।
- इससे समन्वित प्रयासों द्वारा वैज्ञानिक संरक्षण, प्रलेखन (documentation) और दीर्घकालिक संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।

पहल का महत्व:

- **सांस्कृतिक महत्व:** यह प्रागैतिहासिक सभ्यता के साक्ष्यों का संरक्षण करता है।
- **सतत पर्यटन:** यह जिम्मेदार पर्यटन और स्थानीय आजीविका को बढ़ावा देता है।
- **शैक्षिक मूल्य:** यह अनुसंधान और सीखने के केंद्र के रूप में कार्य करता है।
- **रणनीतिक महत्व:** यह लद्दाख की वैश्विक धरोहर गंतव्य के रूप में पहचान को मजबूत करता है।

चुनौतियाँ:

- **स्थानांतरण से जुड़े जोखिम:** पेट्रोग्लिफ को मूल स्थान से हटाने पर उनके ऐतिहासिक संदर्भ (context) और प्रामाणिकता (authenticity) प्रभावित हो सकती है।
- **वित्तीय सीमाएँ:** उच्च हिमालयी क्षेत्र में संरक्षण, परिवहन और रखरखाव की लागत अधिक होने के कारण परियोजना पर वित्तीय दबाव पड़ सकता है।
- **समुदाय की भागीदारी की आवश्यकता:** स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी के बिना संरक्षण प्रयासों की दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करना कठिन होता है।
- **विकास और संरक्षण के बीच संतुलन:** अवसंरचना विकास और पर्यटन विस्तार के चलते विरासत स्थलों पर दबाव बढ़ता है, जिससे संरक्षण प्रयास चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं।

निष्कर्ष:

पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क भारत की प्राचीन धरोहर को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह संरक्षण को शिक्षा और पर्यटन के साथ जोड़ता है, जिससे विकास और सांस्कृतिक संरक्षण के बीच संतुलन बनता है तथा भारत के दीर्घकालिक धरोहर संरक्षण लक्ष्यों को मजबूती मिलती है।

गुंटूर नगर निगम को मिला प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र 'GEM' पुरस्कार

सन्दर्भ:

हाल ही में, आंध्र प्रदेश के गुंटूर नगर निगम (GMC) ने वियना में संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO) द्वारा प्रस्तुत चौथा जेंडर इक्वैलिटी मोबिलाइजेशन (GEM) पुरस्कार जीतकर वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आयोजित एक समारोह में गुंटूर नगर निगम को यह सम्मान उसके द्वारा किए गए समावेशी और स्थायी विकास कार्यों के लिए दिया गया। यह उपलब्धि सतत विकास लक्ष्यों (SDGs), विशेष रूप से SDG 5 (लैंगिक समानता) और SDG 11 (सतत शहर और समुदाय) के सफल कार्यान्वयन का एक जीवंत उदाहरण पेश करती है।

मुख्य बिंदु:

- **सस्टेनेबल सिटीज इंटीग्रेटेड अप्रोच पायलट (SCIAP):** गुंटूर की सफलता का मुख्य आधार 'सस्टेनेबल सिटीज इंटीग्रेटेड अप्रोच पायलट' (SCIAP) परियोजना है। यह परियोजना, वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) द्वारा वित्तपोषित है और UNIDO तथा UN-Habitat द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।
  - » **उद्देश्य:** शहरी नियोजन में स्थिरता को एकीकृत करना और हरित बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा देना।
  - » **पायलट शहर:** भारत में इस परियोजना के तहत गुंटूर के साथ भोपाल, जयपुर, मैसूर और विजयवाड़ा को चुना गया है।
- **जेंडर-इन्क्लूसिव वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल:** पुरस्कार का मुख्य कारण GMC का वह मॉडल है जहाँ कचरा प्रबंधन को महिला सशक्तिकरण से जोड़ा गया है।
  - » **ई-ऑटो पहल:** निगम ने 200 से अधिक महिलाओं को इलेक्ट्रिक ऑटो चालक के रूप में प्रशिक्षित किया और उन्हें घर-घर से कचरा संग्रहण (Door-to-door collection) के लिए नियुक्त किया।

» **औपचारिक रोजगार:** इस कार्यक्रम ने अनौपचारिक कचरा बीनने वाली महिलाओं की पहचान की और उन्हें कौशल प्रशिक्षण देकर गरिमापूर्ण एवं औपचारिक रोजगार प्रदान किया।

» **ग्रीन इकोनॉमी:** डीजल वाहनों के स्थान पर ई-वाहनों का उपयोग करके निगम ने शून्य-उत्सर्जन (Zero-emission) के लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाए हैं, जो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में सहायक है।

UNIDO और भारत:

- **UNIDO:** यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसका मुख्यालय वियना में है। इसका मिशन समावेशी और सतत औद्योगिक विकास (ISID) को बढ़ावा देना है।
- **भारत की भूमिका:** भारत UNIDO का संस्थापक सदस्य है और इसके कार्यक्रमों में प्राप्तकर्ता एवं योगदानकर्ता दोनों रूपों में सक्रिय है।

निष्कर्ष:

गुंटूर का यह मॉडल 'नीचे से ऊपर' (Bottom-up) दृष्टिकोण का अनुसरण करता है, जहाँ स्थानीय स्तर पर किए गए नवाचारों का वैश्विक प्रभाव पड़ता है। यह दर्शाता है कि कैसे शहरी स्थानीय निकाय (ULBs) आधुनिक तकनीक (EVs) और सामाजिक समावेश को मिलाकर एक 'आत्मनिर्भर' और 'पर्यावरण-अनुकूल' पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर सकते हैं।

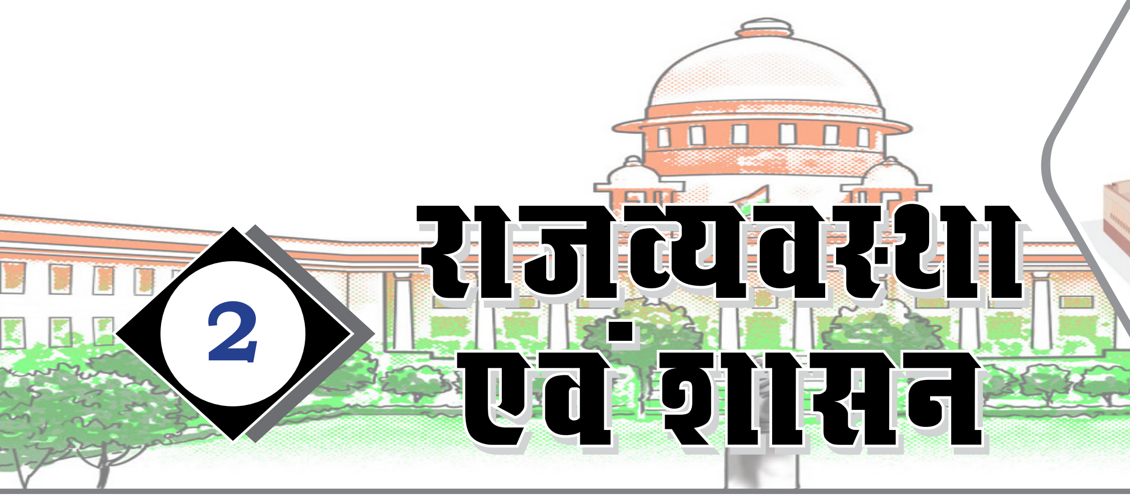

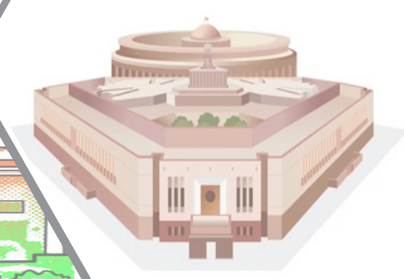

2 राजव्यवस्था एवं शासन

जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2026: भारत की नियामक व्यवस्था में संरचनात्मक सुधार

सन्दर्भ:

हाल ही में संसद के दोनों सदनों से "जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2026" पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गयी है। "जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2026" विधेयक का उद्देश्य भारत की नियामक और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक नागरिक-अनुकूल, पारदर्शी तथा विश्वास-आधारित बनाना है। यह अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि से लागू होगा और विभिन्न अधिनियमों से संबंधित संशोधनों के लिए अलग-अलग तिथियां निर्धारित की जाएंगी। जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2026" विधेयक उन अनेक छोटे प्रक्रियात्मक उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर निकालने का प्रयास करता है, जिनके कारण नागरिकों, छोटे व्यापारियों तथा उद्यमियों को अनावश्यक आपराधिक मुकदमों और प्रशासनिक जटिलताओं का सामना करना पड़ता था।

वर्तमान समय में भारत "ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस", "ईज़ ऑफ लिविंग" तथा "न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन" की अवधारणा को सुदृढ़ करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। ऐसे में यह विधेयक भारतीय शासन-व्यवस्था में दंडात्मक दृष्टिकोण के स्थान पर "विश्वास-आधारित अनुपालन" (Trust-based Compliance) को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। यह विधेयक केवल कानूनी सुधार नहीं है, बल्कि भारत की प्रशासनिक सोच में परिवर्तन का संकेत भी है, जिसमें नागरिक को संभावित अपराधी नहीं, बल्कि विकास प्रक्रिया का सहभागी माना गया है।

पृष्ठभूमि:

- भारत में लंबे समय से अनेक ऐसे कानून लागू रहे हैं जिनमें छोटे प्रक्रियात्मक उल्लंघनों के लिए भी कारावास का प्रावधान था। कई बार दस्तावेजों में त्रुटि, लाइसेंस नवीनीकरण में देरी, तकनीकी अनुपालन की कमी या प्रशासनिक भूल जैसी स्थितियों में भी नागरिकों और व्यवसायों को आपराधिक मुकदमों का सामना करना पड़ता था। इस व्यवस्था के कारण कई समस्याएँ उत्पन्न हुईं:
  - » न्यायालयों पर मुकदमों का अत्यधिक बोझ
  - » व्यापारिक गतिविधियों में अनिश्चितता
  - » निवेशकों में भय और अविश्वास
  - » छोटे व्यवसायों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र पर अनुपालन का दबाव
  - » प्रशासनिक भ्रष्टाचार की संभावनाएँ
  - » उद्यमशीलता एवं नवाचार पर प्रतिकूल प्रभाव
- विश्व बैंक तथा विभिन्न आर्थिक संस्थानों ने भी समय-समय पर संकेत किया कि अत्यधिक अपराधीकरण भारत में व्यवसायिक वातावरण को प्रभावित करता है। इसी संदर्भ में सरकार ने पहले "जन विश्वास अधिनियम, 2023" के माध्यम से कई प्रावधानों को अपराधमुक्त किया था। अब 2026 का संशोधन विधेयक उसी प्रक्रिया का विस्तारित और अधिक व्यापक रूप है।

जन विश्वास विधेयक, 2026 : प्रमुख विशेषताएँ

- **अनेक केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन:** यह विधेयक 23 मंत्रालयों के अंतर्गत आने वाले 79 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन का प्रस्ताव करता है। इससे स्पष्ट है कि यह सुधार किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं, बल्कि व्यापक प्रशासनिक परिवर्तन का प्रयास है।
- **अपराधमुक्ति (Decriminalisation):** विधेयक के अंतर्गत कुल 784 प्रावधानों में परिवर्तन प्रस्तावित हैं, जिनमें 717 प्रावधान अपराधमुक्ति से संबंधित हैं। इसका अर्थ यह है कि:
  - » छोटे प्रक्रियात्मक उल्लंघनों पर जेल की सजा समाप्त होगी।
  - » कारावास के स्थान पर आर्थिक दंड या प्रशासनिक दंड लगाए जाएंगे।
  - » पहली बार हुई छोटी त्रुटि पर चेतावनी देने की व्यवस्था होगी।
  - » यह परिवर्तन भारतीय नियामक प्रणाली को अधिक व्यवहारिक बनाता है।
- **अनुपातिक दंड व्यवस्था:** पहले अनेक कानूनों में उल्लंघन की गंभीरता की परवाह किए बिना कठोर दंड का प्रावधान था। नया विधेयक अनुपातिक दंड व्यवस्था (Proportionate Penalty System) को बढ़ावा देता है, अर्थात् दंड उल्लंघन की प्रकृति और गंभीरता के अनुरूप होगा। यह न्याय के "समानता और तर्कसंगत" (Fairness and Reasonableness) मूल सिद्धांत के अनुरूप है।
- **नागरिक-अनुकूल सुधार:** विधेयक में नागरिकों के दैनिक जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुधार शामिल किए गए हैं:
  - » ड्राइविंग लाइसेंस समाप्त होने के बाद अतिरिक्त वैधता अवधि
  - » मोटर दुर्घटना मुआवजा दावों के लिए अधिक समय
  - » सार्वजनिक स्थलों पर छोटे उल्लंघनों का अपराधीकरण समाप्त करना
- इन प्रावधानों से सामान्य नागरिकों को प्रशासनिक राहत मिलने की संभावना है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और स्टार्टअप क्षेत्र को राहत:

- भारत की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। किंतु जटिल अनुपालन प्रणाली के कारण ये इकाइयाँ अक्सर कानूनी दबाव में रहती थीं।
- विधेयक के संभावित लाभ:
  - » अनुपालन लागत में कमी
  - » व्यापार करने में सरलता
  - » स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहन
  - » उद्यमियों में विश्वास की वृद्धि
  - » निवेश आकर्षण में सुधार
- यह विशेष रूप से उस समय महत्वपूर्ण है जब भारत स्वयं को वैश्विक विनिर्माण केंद्र (Global Manufacturing Hub) के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहा है।

विधेयक का महत्व:

- **वैश्विक निवेश प्रतिस्पर्धा:** वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में कंपनियाँ चाइना-प्लस-वन रणनीति के तहत नए निवेश गंतव्य तलाश रही हैं। भारत इस अवसर का लाभ उठाना चाहता है। ऐसे में सरल नियामक व्यवस्था विदेशी निवेशकों के लिए सकारात्मक संकेत देती है।
- **डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार:** भारत तेजी से डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। स्टार्टअप, फिनटेक, ई-कॉमर्स तथा

डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में नए उद्यम लगातार उभर रहे हैं। यदि छोटे तकनीकी या प्रक्रियात्मक उल्लंघनों पर कठोर आपराधिक कार्रवाई होगी, तो नवाचार बाधित हो सकता है। इसलिए विश्वास-आधारित अनुपालन प्रणाली आधुनिक अर्थव्यवस्था की आवश्यकता बन गई है।

- **न्यायपालिका का भार कम करने की आवश्यकता:** भारत में करोड़ों मामले लंबित हैं। इनमें बड़ी संख्या ऐसे मामलों की भी है जो प्रक्रियात्मक या छोटे आर्थिक उल्लंघनों से जुड़े हैं। अपराध मुक्ति से:
  - » न्यायालयों का बोझ कम होगा
  - » गंभीर अपराधों पर अधिक ध्यान दिया जा सकेगा
  - » न्याय वितरण प्रणाली अधिक प्रभावी बन सकेगी
- **'विकसित भारत 2047' की परिकल्पना:** भारत ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए प्रशासनिक सुधार, निवेश वृद्धि और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना आवश्यक है। जन विश्वास विधेयक इसी व्यापक सुधारवादी दृष्टिकोण का हिस्सा माना जा सकता है।

विधेयक से संभावित लाभ:

- **ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में सुधार:** हालाँकि विश्व बैंक की पुरानी रैंकिंग प्रणाली समाप्त हो चुकी है, फिर भी वैश्विक निवेशकों के लिए नियामक वातावरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरल और कम दंडात्मक व्यवस्था भारत को अधिक प्रतिस्पर्धी बना सकती है।
- **प्रशासनिक भ्रष्टाचार में कमी:** जब छोटे उल्लंघनों पर जेल का भय होता है, तब प्रशासनिक विवेकाधिकार बढ़ता है, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना भी बढ़ सकती है। यदि प्रक्रियात्मक मामलों को नागरिक दंड तक सीमित किया जाए, तो मनमानी की संभावना कम हो सकती है।
- **उद्यमशीलता को प्रोत्साहन:** युवा उद्यमी और स्टार्टअप संस्थापक अक्सर जटिल कानूनी प्रक्रियाओं से भयभीत रहते हैं। विश्वास-आधारित व्यवस्था:
  - » नवाचार को बढ़ावा दे सकती है।
  - » जोखिम लेने की क्षमता बढ़ा सकती है।
  - » आर्थिक गतिविधियों में तेजी ला सकती है।
- **नागरिकों और राज्य के बीच विश्वास निर्माण:** यह विधेयक शासन की उस सोच को दर्शाता है जिसमें राज्य नागरिक को "सहयोगी" के रूप में देखता है। यह लोकतांत्रिक प्रशासन की आधुनिक अवधारणा के अनुरूप है।

चुनौतियाँ:

- **अत्यधिक उदारीकरण का जोखिम:** यदि अपराधमुक्ति अत्यधिक व्यापक हो जाएगी, तो कंपनियाँ नियमों के पालन को गंभीरता से नहीं लेंगी।
- **कॉर्पोरेट जवाबदेही पर प्रभाव:** यदि आर्थिक दंड बहुत कम होंगे, तो बड़ी कंपनियाँ उन्हें "व्यापार लागत" के रूप में स्वीकार कर सकती हैं। इससे नियामक अनुपालन कमजोर पड़ सकता है।
- **प्रशासनिक क्षमता की कमी:** नागरिक दंड प्रणाली तभी प्रभावी होगी जब प्रशासनिक संस्थाएँ:
  - » पारदर्शी हों,
  - » तकनीकी रूप से सक्षम हों,
  - » और जवाबदेह हों।
  - » राज्यों के कानूनों का प्रश्न
- **यह विधेयक मुख्यतः** केंद्रीय अधिनियमों तक सीमित है। जबकि अनेक अनुपालन संबंधी समस्याएँ राज्य कानूनों से भी जुड़ी हैं। यदि राज्यों में समान सुधार नहीं किए गए, तो व्यापक प्रभाव सीमित रह सकता है।

अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य:

- विश्व के कई विकसित देशों में छोटे आर्थिक या प्रक्रियात्मक उल्लंघनों को आपराधिक अपराध नहीं माना जाता।
  - » अमेरिका और यूरोप में अनेक मामलों में नागरिक दंड प्रणाली (Civil Penalty System) लागू है।
  - » सिंगापुर और यूएई जैसे देशों ने व्यापार-अनुकूल नियामक ढाँचे विकसित किए हैं।
  - » आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) देशों में नियामक गिलोटिन (Regulatory Guillotine) मॉडल अपनाया गया है, जिसमें अनावश्यक नियमों को समाप्त किया जाता है।

भारत का यह कदम वैश्विक प्रवृत्तियों के अनुरूप है।

आगे की राह:

- जन विश्वास विधेयक की सफलता केवल कानून पारित करने से सुनिश्चित नहीं होगी। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कुछ आवश्यक कदम हैं:

» ऑनलाइन पोर्टल, सिंगल-विंडो सिस्टम और स्वचालित अनुपालन तंत्र विकसित किए जाने चाहिए।
» दंड निर्धारण की स्पष्ट और सार्वजनिक व्यवस्था होनी चाहिए ताकि मनमानी न हो।
» केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर समान सुधार लागू करने चाहिए।
» व्यवसायों और नागरिकों को नए प्रावधानों की जानकारी दी जानी चाहिए ताकि वे सुधारों का लाभ उठा सकें।

निष्कर्ष:

"जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2026" भारत की प्रशासनिक और नियामक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार का प्रतिनिधित्व करता है। यह विधेयक दंडात्मक शासन प्रणाली से विश्वास-आधारित प्रशासन की ओर संक्रमण का संकेत देता है। यह सुधार केवल ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नागरिकों और राज्य के बीच संबंधों को अधिक सहयोगात्मक बनाने का प्रयास भी है। यदि इसे प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शी प्रशासन और संस्थागत जवाबदेही के साथ लागू किया जाता है, तो यह भारत की आर्थिक प्रगति, निवेश आकर्षण और प्रशासनिक दक्षता को नई दिशा दे सकता है। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को साकार करने के लिए ऐसे सुधार अत्यंत आवश्यक हैं, जो कानून के शासन को बनाए रखते हुए नागरिकों और उद्यमियों को अनावश्यक भय और जटिलताओं से मुक्त करें।

संक्षिप्त मुद्दे

सत्तनकुलम कस्टोडियल डेथ

संदर्भ:

6 अप्रैल 2026 को मदुराई की एक विशेष अदालत ने सत्तनकुलम, तमिलनाडु में 2020 में पी. जयराज (58) और उनके पुत्र जे. बेनिक्स (31) के बेरहमी से हिरासत में यातनाओं और हत्या के लिए नौ पुलिस कर्मियों को फाँसी की सजा सुनाई।

पृष्ठभूमि और जांच:

- यह घटना 19 जून 2020 को हुई थी, जब आरोपियों को कोविड-19 कर्फ्यू के उल्लंघन के कारण हिरासत में लिया गया था। जांच में पाया गया कि आरोप झूठे थे, उन्हें रात में कठोर यातनाएं दी गई, जिससे कुछ ही दिनों बाद उनकी मौत हो गई।
- प्रारंभिक रूप से स्थानीय स्तर पर यह मामला संभाला गया था, लेकिन मद्रास उच्च न्यायालय ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया और बाद इसे केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को स्थानांतरित कर दिया गया। सीसीटीवी और अन्य सबूतों के मूल्यांकन के बाद, CBI ने चार्जशीट दायर की, जिससे सभी नौ कर्मियों को सजा सुनाई गई।

फैसले का महत्व:

- कस्टोडियल मौतों के लिए मृत्युदंड का यह दुर्लभ फैसला दर्शाता है कि कानून प्रवर्तन अधिकारी कानून से ऊपर नहीं हैं।
- यह निर्णय अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) को मजबूत करता है और डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997) के दिशानिर्देशों के अनुरूप है, जिसने कस्टोडियल यातना को रोकने के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा स्थापित की।
- यह न्यायिक प्रणाली की पुलिस के प्रति कठोर रुख को दर्शाता है और अनुच्छेद 21 का संरक्षण सुनिश्चित करता है।

कस्टोडियल मौत क्या है?

- कस्टोडियल मौत उसे कहा जाता है जब किसी व्यक्ति की मौत पुलिस या जेल हिरासत में होती है, चाहे वह यातना, अत्यधिक बल, चिकित्सकीय उपेक्षा या खराब रहने की स्थिति के कारण हो।
- NHRC और NCRB के अनुसार, अप्रैल 2021 से फरवरी 2022 के बीच भारत में 125 पुलिस हिरासत में और 1,606 न्यायिक हिरासत में मौतें हुईं। 2020–22 के दौरान संसद के आंकड़ों के अनुसार 4,484 कस्टोडियल मौतें हुईं, जिनमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में उच्च संख्या दर्ज की गई।

संवैधानिक सुरक्षा:

- अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करता है और यातना तथा कस्टोडियल हिंसा को निषिद्ध करता है।
- अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के समय अधिकार देता है कि गिरफ्तारी

के कारण की सूचना, वकील से सलाह लेने का अधिकार और 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश करने का अधिकार। रोकथामात्मक हिरासत के लिए अतिरिक्त सुरक्षा जैसे परामर्श बोर्ड और सीमित अवधि तय है।

हिरासत के प्रकार:

- **दंडात्मक हिरासत:** अपराध के बाद न्यायालय द्वारा दी गई सजा।
- **रोकथामात्मक हिरासत:** अपराध से पहले रोकने के उद्देश्य से हिरासत; दंडात्मक नहीं बल्कि रोकथामात्मक होती है, अनुच्छेद 22 के तहत।

न्यायिक दिशा-निर्देश:

- **डी.के. बासु (1997):** अधिकारियों की पहचान, गिरफ्तारी मेमो, परिवार को सूचना, न्यायालय में पेशी, चिकित्सा परीक्षण, वकील से सलाह, और रजिस्टर रखरखाव।
- **नीलाबती बेहरा बनाम ओडिशा राज्य (1993):** कस्टोडियल मौत अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है; राज्य को मुआवजा देना होगा, सुप्रीम कोर्ट की अनुच्छेद 32/226 की शक्ति की पुष्टि।

निष्कर्ष:

यह फैसला भारत में संवैधानिक सुरक्षा को मजबूत करता है, कानून प्रवर्तन की जवाबदेही को उजागर करता है और न्यायपालिका की मानव गरिमा और कानून के शासन को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह फैसला सख्त निवारक संदेश देता है कि भविष्य में कस्टोडियल मौतों को रोकने के लिए पुलिस सुधार और प्रक्रियात्मक सुरक्षा का पालन आवश्यक है।

संसद ने सीएपीएफ (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026 पारित किया

संदर्भ:

हाल ही में, भारतीय संसद ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026 को दोनों सदनों में वॉइस वोट के माध्यम से पारित किया।

CAPFs के बारे में:

- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFs) गृह मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सुरक्षा बलों का समूह हैं, जो आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, और आतंकवाद/विद्रोह नियंत्रण संचालन के लिए जिम्मेदार हैं। इनमें CRPF, BSF, CISF, ITBP, और SSB जैसी अर्द्ध सैनिक बल शामिल हैं।

विधेयक की मुख्य विशेषताएँ:

- **एकीकृत प्रशासनिक ढांचा:** विधेयक CAPFs के ग्रुप A अधिकारियों की भर्ती, पदोन्नति, वरिष्ठता और सेवा शर्तों के लिए एक समान कानूनी और प्रशासनिक ढांचा स्थापित करता है।
- **आईपीएस अधिकारियों की डिप्यूटेशन:**
  - 50% इंस्पेक्टर जनरल (IG) पद
  - कम से कम 67% अतिरिक्त निदेशक जनरल (ADG) पद
  - 100% महानिदेशक (DG) और विशेष DG पद
  - ये पद भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों की डिप्यूटेशन के माध्यम से भरे जाएंगे।
- **नियम बनाने की शक्तियाँ:** केंद्र सरकार को भर्ती, पदोन्नति और सेवा शर्तों पर नियम बनाने का अधिकार है, जिससे समानता और स्पष्टता सुनिश्चित हो।
- **अधिकारात्मक प्रभाव:** इस अधिनियम के प्रावधान किसी भी असंगत कानून, न्यायालय के निर्णय या प्रशासनिक आदेशों पर प्रभुत्व रखेंगे।

उद्देश्य:

- सरकार ने कहा है कि यह विधेयक भारत की आंतरिक सुरक्षा ढांचा को मजबूत करने, असंगतियों को दूर करने और CAPFs और राज्य पुलिस बलों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए है।

विधेयक का महत्व:

- **प्रशासनिक सुधार:** समान सेवा शर्तें लागू करना, बलों में विभाजन कम करना।
- **संचालन दक्षता:** आंतरिक सुरक्षा अभियानों में समन्वय और कमांड संरचना को सुदृढ़ करना।
- **कानूनी स्पष्टता:** कई नियमों और कार्यकारी आदेशों को बदलकर वैधानिक ढांचा प्रदान करना।
- **सुरक्षा संरचना को मजबूत करना:** विकसित हो रहे खतरों के अनुरूप CAPFs के शासन को आधुनिक बनाना।

चिंताएँ और आलोचना:

- **प्रेरणा स्थिति पर प्रभाव:** वरिष्ठ पदों को IPS अधिकारियों के लिए आरक्षित करना CAPF अधिकारियों की प्रेरणा कम कर सकता है और करियर प्रगति सीमित कर सकता है।

- **पदोन्नति में ठहराव:** देरी और सीमित उन्नति की संभावनाओं को लेकर चिंता व्यक्त की गई है।
- **संघीय चिंताएँ:** नियुक्तियों और सेवा नियमों पर केंद्रीकृत नियंत्रण सहकारी संघवाद की भावना को कमजोर कर सकता है।
- **विधायी निगरानी:** विपक्ष ने कहा कि विधेयक को संसदीय समिति को भेजा जाना चाहिए, क्योंकि पर्याप्त परामर्श नहीं लिया गया।

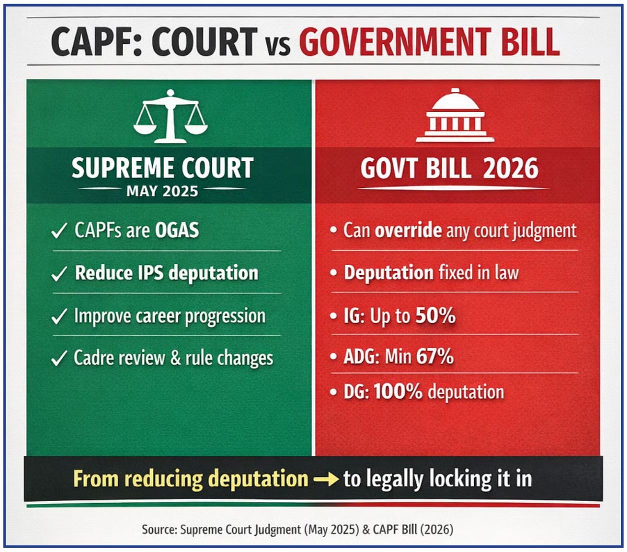

आगे की राह:

- CAPF (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि CAPF अधिकारियों और IPS डिप्यूटेशन अधिकारियों के बीच संतुलित कैडर प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए, ताकि करियर प्रगति और मानसिक स्थिति से जुड़ी चिंताओं को दूर किया जा सके।
- पदोन्नति नीतियाँ पारदर्शी और स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे CAPF कर्मियों में प्रेरणा और निष्पक्षता का भाव पैदा हो। बल प्रतिनिधियों, राज्य सरकारों और विशेषज्ञों सहित हितधारकों के साथ परामर्श तंत्र को मजबूत करना प्रशासनिक और संचालन संबंधी चुनौतियों को सहयोगपूर्ण रूप से हल करने में मदद करेगा।

निष्कर्ष:

CAPF (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026 का पारित होना भारत की आंतरिक सुरक्षा शासन में एक महत्वपूर्ण सुधार को दर्शाता है। यह समानता, स्पष्टता और दक्षता लाने का प्रयास करता है, लेकिन कैडर प्रबंधन और मानसिक स्थिति से जुड़ी चिंताओं को सावधानीपूर्वक संबोधित करना आवश्यक है। इस कानून की सफलता इसके संतुलित कार्यान्वयन पर निर्भर करेगी, जिससे बलों में प्रशासनिक दक्षता और निष्पक्षता दोनों सुनिश्चित हों।

अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल की शक्ति

सन्दर्भ:

हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय में व्याख्या दी कि शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल, विशेषकर दोषियों को दंड में रियायत (remission) और समयपूर्व रिहाई के मामलों में मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे होते हैं।

यह निर्णय विभिन्न व्याख्याओं को समाप्त करता है और भारत की संवैधानिक व्यवस्था में कार्यपालिका की जवाबदेही के सिद्धांत को मजबूत करता है।

मामले की पृष्ठभूमि:

- 2024 में राज्यपाल के विवेकाधीन अधिकारों को लेकर विरोधाभासी निर्णय आए थे। मद्रास उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण फैसलों, मारू राम बनाम भारत संघ (1980), शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974) और ए.जी. पेरारिवलन मामला (2022) का सन्दर्भ लिया, जिन्होंने इस मुद्दे पर संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट किया है।

न्यायालय का मुख्य निर्णय:

- न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्यपाल अनुच्छेद 161 के तहत स्वतंत्र विवेक का प्रयोग नहीं कर सकते और वे संवैधानिक रूप से राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हैं। ऐसी सलाह से कोई भी विचलन संसदीय शासन प्रणाली का उल्लंघन होगा।
- न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट केस (2003) पर निर्भरता गलत थी, क्योंकि वह मामला वैधानिक विवेक से संबंधित था, न कि संवैधानिक क्षमादान शक्तियों से।
- मध्य प्रदेश स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट (2003) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि मंत्रिपरिषद का निर्णय पक्षपातपूर्ण लगता है, तो राज्यपाल अपने विवेक का उपयोग कर अभियोजन की मंजूरी दे सकते हैं।

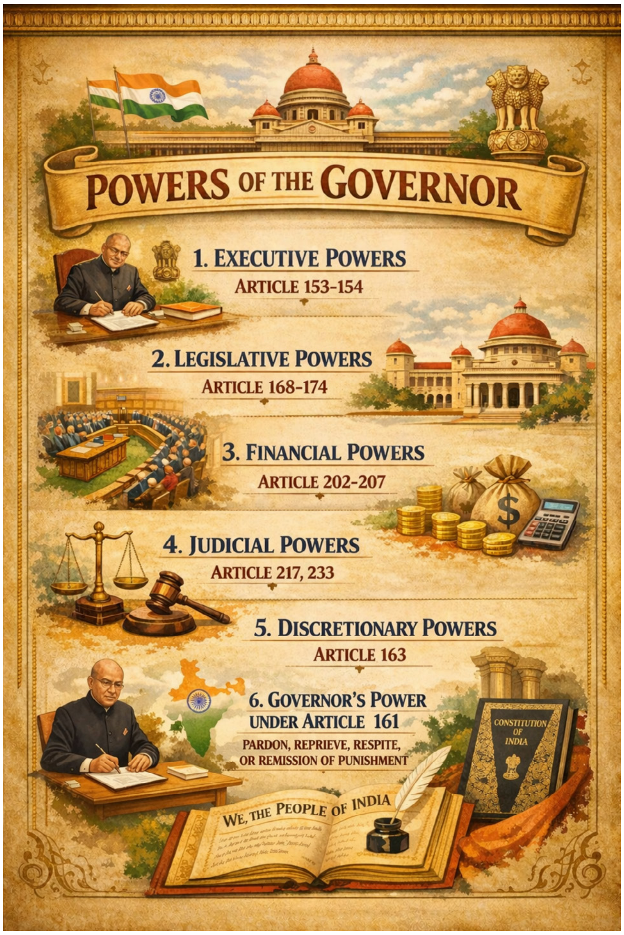

अनुच्छेद 161 के बारे में:

- अनुच्छेद 161 राज्यपाल को क्षमादान (pardon), दंड स्थगन (reprieve), राहत (respite) या दंड में कमी (remission) देने तथा राज्य के कार्यकारी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अपराधों के लिए सजा को निलंबित (suspend), कम (remit) या परिवर्तित (commute) करने की शक्ति देता है।
    - रियायत (Remission) का अर्थ है सजा की अवधि को कम करना, बिना उसकी प्रकृति बदले।
    - राज्यपाल मृत्यु दंड को माफ (pardon) नहीं कर सकते, यह शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास होती है लेकिन वे उसे कम (commute) या घटा (remit) सकते हैं।
    - यह शक्ति CrPC की धारा 433A जैसी वैधानिक सीमाओं से ऊपर होती है, जैसा कि मारू राम मामले में कहा गया।
    - हालांकि, शमशेर सिंह मामले के अनुसार, राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करना होता है।
    - यदि इस शक्ति का प्रयोग मनमाने, दुर्भावनापूर्ण या भेदभावपूर्ण तरीके से किया जाता है, तो यह न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है।
    - यह शक्ति कोर्ट-मार्शल मामलों पर लागू नहीं होती।
    - क्षमादान (Pardon) दोषसिद्धि को समाप्त कर देता है, जबकि रियायत (remission) केवल सजा को कम करता है।

निर्णय का महत्व:

- यह निर्णय संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करता है, यह स्पष्ट करते हुए कि वास्तविक कार्यकारी शक्ति निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास होती है। यह उच्च न्यायालयों की विरोधाभासी व्याख्याओं को समाप्त कर संवैधानिक अस्पष्टता को दूर करता है और कानून में एकरूपता सुनिश्चित करता है।
- राज्यपाल के विवेक को सीमित करके, यह क्षमादान शक्तियों के दुरुपयोग या राजनीतिकरण को रोकता है। साथ ही, यह राज्यों के अधिकारों को बनाए रखते हुए संघीय संतुलन को भी सुदृढ़ करता है।

निष्कर्ष:

मद्रास उच्च न्यायालय का यह निर्णय संवैधानिक नैतिकता और लोकतांत्रिक शासन की एक महत्वपूर्ण पुष्टि है। राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने की आवश्यकता पर जोर देकर, यह संविधान की भावना को सुरक्षित रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि क्षमादान शक्तियों का प्रयोग निष्पक्ष, जवाबदेह और गैर-मनमाने तरीके से हो, जिससे भारत की संसदीय प्रणाली और मजबूत होती है।

आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी के रूप में अमरावती

सन्दर्भ:

हाल ही में लोकसभा में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया गया, जिसके तहत अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी के रूप में कानूनी मान्यता प्रदान की गई है। इस निर्णय को कई वर्षों से जारी अनिश्चितता को समाप्त करने वाला एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।

पृष्ठभूमि:

2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत राज्य के विभाजन के बाद हैदराबाद को अस्थायी साझा राजधानी बनाया गया था। इसके बाद

अमरावती को नई राजधानी के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई। हालांकि, बाद के वर्षों में नीतिगत बदलावों के कारण तीन राजधानी (विधायी, कार्यकारी और न्यायिक) की अवधारणा सामने आई, जिससे प्रशासनिक असमंजस और निवेशकों में अनिश्चितता पैदा हुई। हालिया संशोधन ने फिर से एकल राजधानी की मूल अवधारणा को बहाल कर दिया है।

संशोधन की मुख्य विशेषताएँ:

- यह संशोधन अमरावती को राज्य की एकमात्र राजधानी के रूप में कानूनी मान्यता देता है। इससे लंबे समय से चली आ रही अनिश्चितता समाप्त होगी, जो प्रशासन और बुनियादी ढांचे के विकास को प्रभावित कर रही थी।
- यह कदम राज्य पुनर्गठन के मूल ढांचे को मजबूत करता है और एक स्थिर प्रशासनिक एवं संस्थागत व्यवस्था सुनिश्चित करता है।

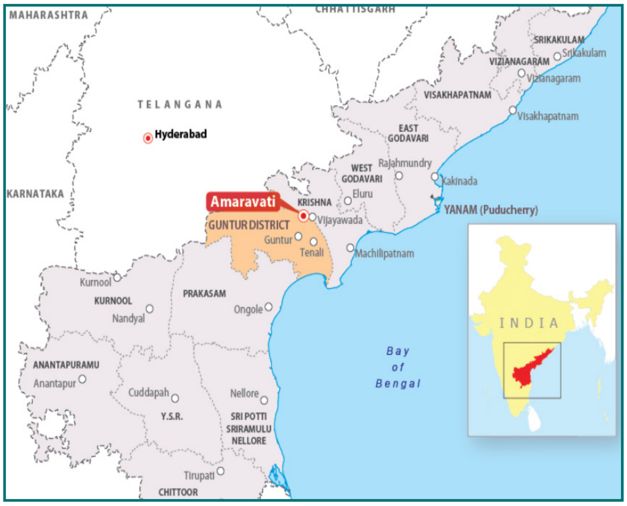

महत्त्वः

- इस संशोधन से निवेशकों का विश्वास पुनः स्थापित होने की उम्मीद है और ₹56,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी।
- अमरावती को एक वैश्विक स्तर की राजधानी और आर्थिक विकास के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की परिकल्पना की गई है। नीतिगत स्पष्टता से प्रशासनिक दक्षता में सुधार होगा, निवेश आकर्षित होंगे और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे।

जनभागीदारी और लोगों की भूमिका:

- अमरावती के विकास की एक विशेषता भूमि पूलिंग मॉडल है। इसमें 29,000 से अधिक किसानों ने स्वेच्छा से 34,000 एकड़ से अधिक भूमि दी।
- किसानों और महिलाओं द्वारा 1,600 दिनों से अधिक समय तक किए गए शांतिपूर्ण विरोध ने लोकतांत्रिक मजबूती और नागरिक भागीदारी को दर्शाया है। यह विधेयक उनके योगदान और बलिदान की मान्यता के रूप में भी देखा जा रहा है।

संवैधानिक और कानूनी पहलू :

- भारतीय संविधान में राज्य की राजधानी चयन की प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख नहीं है।
- अनुच्छेद 3 और 4 संसद को राज्यों के पुनर्गठन और उससे संबंधित प्रावधान करने का अधिकार देते हैं, जिसमें राजधानी का निर्धारण भी शामिल है।
- राज्य अपनी राजधानी का निर्णय विधायी या कार्यकारी कार्रवाई के माध्यम से कर सकते हैं।
- पुनर्गठन के मामलों में संसद की भूमिका निर्णायक होती है, जैसा कि 2014 के अधिनियम में देखा गया।

आगे की राह:

कानूनी स्पष्टता मिलने के बाद अब अमरावती को शासन, व्यापार और नवाचार के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को समय पर पूरा करना और समावेशी शहरी विकास सुनिश्चित करना आवश्यक होगा। यह संशोधन आंध्र प्रदेश में प्रशासनिक स्थिरता, आर्थिक प्रगति और दीर्घकालिक योजना के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

तेलंगाना गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स (रजिस्ट्रेशन, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण) बिल, 2026

सन्दर्भ:

हाल ही में तेलंगाना सरकार ने 'तेलंगाना गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स (पंजीकरण और कल्याण) विधेयक, 2026' पेश किया है। राजस्थान के बाद ऐसा कानून लाने वाला तेलंगाना देश का दूसरा राज्य है। यह विधेयक तेजी से बढ़ती 'गिग इकोनॉमी' में श्रमिकों के अधिकारों को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

विधेयक के मुख्य प्रावधान:

'तेलंगाना गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स (पंजीकरण और कल्याण) विधेयक,

2026' में श्रमिकों की सुरक्षा और एग्रीगेटर्स की जवाबदेही तय करने के लिए कई विस्तृत प्रावधान किए गए हैं:

- **पंजीकरण और पहचान:**
  - » **अनिवार्य पंजीकरण:** सभी गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए राज्य सरकार के साथ पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
  - » **यूनिट आईडी:** पंजीकरण के बाद प्रत्येक श्रमिक को एक यूनिक आईडी दी जाएगी, जो सभी प्लेटफॉर्म्स पर मान्य होगी और इसके जरिए वे सीधे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।
  - » **एग्रीगेटर का दायित्व:** एग्रीगेटर्स को कानून लागू होने के 60 दिनों के भीतर अपने मौजूदा श्रमिकों का डेटाबेस बोर्ड को सौंपना होगा।
- **सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कोष:**
  - » **कल्याण शुल्क:** एग्रीगेटर्स को प्रत्येक ट्रांजैक्शन (भुगतान) पर 1% से 2% के बीच शुल्क देना होगा।
  - » **कोष का उपयोग:** इस राशि का उपयोग श्रमिकों के लिए दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन, विवाह सहायता और मातृत्व लाभ जैसे कल्याणकारी कार्यों में किया जाएगा।
  - » **फंडिंग के अन्य स्रोत:** इस कोष में सरकारी अनुदान, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड और दान भी शामिल किए जा सकते हैं।
- **कार्य शर्तें और पारदर्शिता:**
  - » **एल्गोरिदम पारदर्शिता:** कंपनियों को यह स्पष्ट करना होगा कि उनका ऑटोमेटेड सिस्टम काम का आवंटन, रेटिंग और भुगतान कैसे तय करता है।
  - » **अनुचित निष्कासन पर रोक:** किसी भी श्रमिक को बिना उचित कारण और 7 दिनों के नोटिस के काम से नहीं हटाया जा सकता।
  - » **सुरक्षित कार्य वातावरण:** एग्रीगेटर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्यस्थल सुरक्षित हो और किसी भी प्रकार का भेदभाव (जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर) न हो।
- **शिकायत निवारण तंत्र:**
  - » **आंतरिक समिति:** जिन प्लेटफॉर्म्स पर 100 से अधिक श्रमिक हैं, उन्हें एक आंतरिक विवाद समाधान समिति बनानी होगी।
  - » **त्रि-स्तरीय प्रणाली:** जिला स्तर पर शिकायत अधिकारी से लेकर राज्य स्तर पर अपीलीय प्राधिकरण (Appellate Authority) तक की व्यवस्था की गई है।
- **उल्लंघन पर दंड:**
  - » **वित्तीय जुर्माना:** नियमों के उल्लंघन पर ₹50,000 से ₹2 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
  - » **कठोर प्रावधान:** कल्याण शुल्क न चुकाने पर 1 वर्ष तक की कैद या जुर्माना, अथवा दोनों का प्रावधान है।

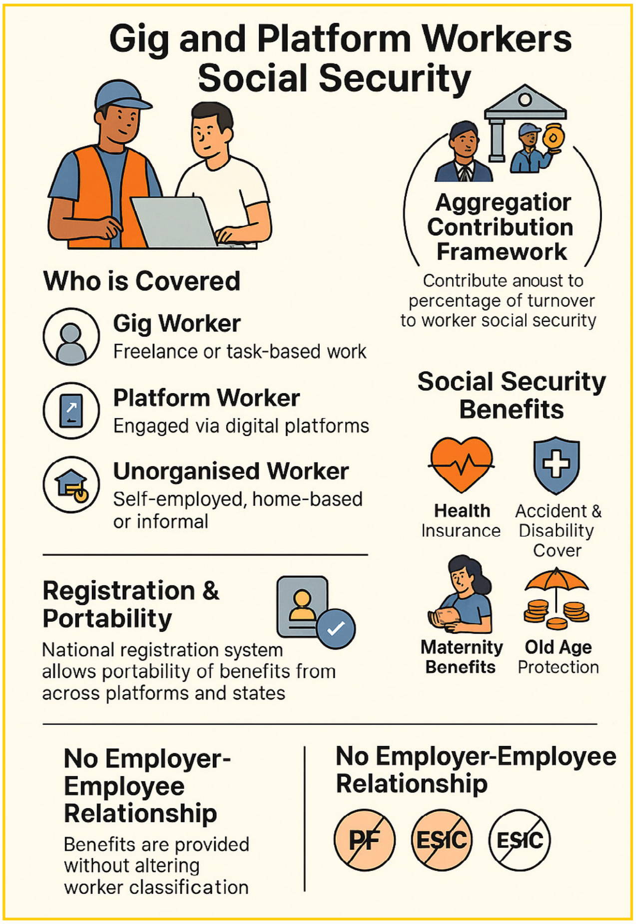

चुनौतियाँ:

- **नौकरी की असुरक्षा:** गिग वर्कर्स के पास कोई स्थायी अनुबंध (Contract) नहीं होता। कंपनियों के पास 'हायर एंड फायर' की शक्ति होती है, जिससे उन्हें कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के प्लेटफॉर्म से हटाया जा सकता है।
- **सामाजिक सुरक्षा का अभाव:** इन्हें 'कर्मचारी' के बजाय 'स्वतंत्र ठेकेदार' माना जाता है। इस कारण इन्हें पीएफ (PF), पेंशन, ग्रेच्युटी, सवैतनिक अवकाश (Paid Leaves) और स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएं नहीं मिलतीं।
- **आय की अनिश्चितता:** इनकी कमाई पूरी तरह से ऑर्डर या

टास्क की संख्या पर निर्भर करती है। ईंधन की बढ़ती कीमतों और कंपनियों द्वारा घटाए जा रहे कमीशन के कारण इनकी वास्तविक आय कम होती जा रही है।

- **एल्गोरिदम का नियंत्रण:** काम का आवंटन और रेटिंग पूरी तरह से 'अदृश्य' एल्गोरिदम द्वारा तय होती है। कम रेटिंग मिलने पर या कुछ समय लॉग-इन न रहने पर आईडी ब्लॉक होने का डर बना रहता है।
- **कानूनी पहचान की कमी:** वर्तमान श्रम कानूनों में गिग वर्कर्स की परिभाषा स्पष्ट नहीं है, जिससे वे अपनी शिकायतों के लिए लेबर कोर्ट या अन्य कानूनी मंचों का लाभ नहीं उठा पाते।

निष्कर्ष:

तेलंगाना का यह विधेयक गिग श्रमिकों के लिए 'सम्मानजनक कार्य' सुनिश्चित करने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। हालांकि, इसका प्रभावी कार्यान्वयन इस बात पर निर्भर करेगा कि कल्याण बोर्ड कितनी स्वायत्तता से काम करता है और एग्रीगेटर्स इस कानून का कितनी पारदर्शिता से पालन करते हैं। अन्य राज्यों के लिए भी यह एक मॉडल के रूप में कार्य कर सकता है, जिससे भारत की विशाल गिग वर्कफोर्स को शोषण से बचाया जा सके।

मतदान और चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं

संदर्भ:

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान उच्च न्यायालय के एक निर्णय को रद्द करते हुए यह स्पष्ट किया है कि मतदान का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं हैं, बल्कि ये कानून द्वारा निर्मित और नियंत्रित वैधानिक अधिकार (Statutory Rights) हैं। यह मामला राजस्थान में जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के चुनावों से संबंधित था, जहाँ उम्मीदवारों की पात्रता शर्तों को चुनौती दी गई थी।

पृष्ठभूमि:

- यह विवाद राजस्थान सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2001 के तहत उत्पन्न हुआ, जिसमें चुनाव लड़ने के लिए जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के उपनियमों में निम्नलिखित शर्तें निर्धारित थीं:
  - सदस्यों द्वारा न्यूनतम दूध आपूर्ति
  - निरंतर संचालन में भागीदारी
  - ऑडिट और प्रदर्शन मानक
- इन पात्रता शर्तों को राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जिसने 2015 और 2022 में इन्हें प्रतिबंधात्मक मानते हुए निरस्त कर दिया। बाद में यह मामला अपील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट पहुँचा।

सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख अवलोकन:

- निर्वाचन अधिकार वैधानिक, मौलिक नहीं
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि:
  - मतदान का अधिकार संविधान के भाग III के अंतर्गत मौलिक अधिकार नहीं है
  - चुनाव लड़ने का अधिकार भी संवैधानिक अधिकार नहीं है
  - ये दोनों अधिकार केवल कानून द्वारा प्रदान किए जाने पर ही अस्तित्व में आते हैं
  - इसलिए ये अधिकार नियंत्रणीय (regulable), शर्तों से युक्त और विधायी नियंत्रण के अधीन हैं।

पात्रता बनाम अयोग्यता:

- सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट किया:
  - **पात्रता शर्तें (Eligibility conditions):** सक्षम भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु सकारात्मक आवश्यकताएँ
  - **अयोग्यता (Disqualification):** नकारात्मक कारणों से लगाए गए कानूनी प्रतिबंध
- विवादित प्रावधान (न्यूनतम दूध आपूर्ति, निरंतरता) को न्यायालय ने वैध पात्रता शर्तें माना, न कि असंवैधानिक अयोग्यता।

न्यायिक समीक्षा का दायरा:

- उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हस्तक्षेप को अमान्य माना क्योंकि:
  - सहकारी समितियाँ सामान्यतः अनुच्छेद 12 के तहत "राज्य" नहीं हैं।
  - वे सामान्यतः सार्वजनिक कार्य नहीं करतीं।
  - आंतरिक चुनाव विवादों का समाधान वैधानिक प्रक्रियाओं से होना चाहिए।

वैकल्पिक उपाय का सिद्धांत:

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि:
  - पहले सहकारी समिति अधिनियम के तहत उपलब्ध उपाय अपनाए जाने चाहिए।
  - रजिस्ट्रार और अपीलीय प्राधिकरणों के पास समाधान मौजूद

है।

» जब प्रभावी वैधानिक उपाय उपलब्ध हों, तो न्यायिक हस्तक्षेप सीमित होना चाहिए।

संवैधानिक और कानूनी महत्व:

- **अनुच्छेद 19(1)(c) और लोकतांत्रिक भागीदारी:** नागरिकों को संघ बनाने का अधिकार है, लेकिन सहकारी सदस्यता स्वतः मौलिक निर्वाचन अधिकार प्रदान नहीं करती।
- **अनुच्छेद 12 की व्याख्या:** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सहकारी समितियाँ सामान्यतः "राज्य" नहीं हैं, इसलिए उन पर मौलिक अधिकारों की सीधी लागूता सीमित है।
- **पूर्व निर्णयों की पुष्टि:** यह निर्णय पहले के सिद्धांतों के अनुरूप है कि:
  » मतदान का अधिकार वैधानिक है (जनप्रतिनिधित्व ढांचा)।
  » चुनाव लड़ने का अधिकार स्वाभाविक संवैधानिक अधिकार नहीं है।

प्रभाव:

- **सहकारी शासन को मजबूती**
  » केवल सक्रिय और योगदान देने वाले सदस्य ही चुनाव लड़ सकेंगे।
  » जवाबदेही और दक्षता में सुधार होगा।
- **न्यायिक संयम**
  » सहकारी संस्थाओं के आंतरिक मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप सीमित होगा।
  » स्व-नियमन की अवधारणा मजबूत होगी।
- **निर्वाचन अधिकारों में स्पष्टता**
  » मौलिक और वैधानिक अधिकारों के बीच स्पष्ट अंतर स्थापित होगा।
  » संवैधानिक दावों के अनियंत्रित विस्तार पर रोक लगेगी।

निष्कर्ष:

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के एक मूल सिद्धांत को पुनः स्थापित करता है कि चुनावी भागीदारी अधिकार संविधान द्वारा स्वतः प्रदत्त नहीं, बल्कि कानून द्वारा नियंत्रित वैधानिक अधिकार है। यह निर्णय सहकारी शासन को सुदृढ़ करता है और न्यायिक हस्तक्षेप को सीमित रखते हुए संतुलित शासन व्यवस्था को बढ़ावा देता है।

कर्नाटक ऑनर किलिंग कानून 2026

संदर्भ:

हाल ही में कर्नाटक सरकार ने सम्मान आधारित हिंसा (honour-based violence) की बढ़ती घटनाओं के कारण, फ्रीडम ऑफ चॉइस इन मैरिज एंड प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन ऑफ क्राइम्स इन द नेम ऑफ ऑनर एंड ट्रेडिशन बिल, 2026 पेश किया है। यह विधेयक सहमति से विवाह करने वाले वयस्कों के अधिकारों की रक्षा करता है और समाज के हस्तक्षेप को रोकता है।

सम्मान आधारित हिंसा के बारे में:

- सम्मान आधारित हिंसा (Honour-based violence) वह हिंसक कृत्य या दुर्व्यवहार है, जो परिवार या समुदाय की कथित प्रतिष्ठा (सम्मान) की रक्षा के नाम पर किया जाता है।
- यह अक्सर तब होता है जब कोई व्यक्ति (विशेषकर महिलाएं) परिवार की सामाजिक या सांस्कृतिक मान्यताओं के विरुद्ध कार्य करता है। इसमें शारीरिक हिंसा, उत्पीड़न, जबरन शादी और ऑनर किलिंग जैसी गंभीर घटनाएँ शामिल हैं।

विधेयक की प्रमुख विशेषताएँ:

- **चयन की पूर्ण स्वतंत्रता**
  » सहमति के साथ विवाह को दो वयस्कों का व्यक्तिगत निर्णय माना गया है।
  » परिवार, जाति या समुदाय की अनुमति की आवश्यकता नहीं।
- **सम्मान-आधारित अपराधों का अपराधीकरण**
  » हिंसा, धमकी, उत्पीड़न और सामाजिक बहिष्कार को दंडनीय बनाया गया है।
  » कम से कम 5 वर्ष की अतिरिक्त सजा का प्रावधान।
  » अपराध को संज्ञेय (cognizable) और गैर-जमानती (non-bailable) बनाया गया है।
- **संस्थागत व्यवस्था**
  » **एवा नम्मवा वेदिके:**
    ➢ जिला स्तरीय सहायता संस्था
    ➢ परामर्श और विवाह में सहायता
  » **फास्ट-ट्रैक अदालतें:**
    ➢ त्वरित न्याय सुनिश्चित करना
  » **निगरानी समितियाँ:**
    ➢ कानून के क्रियान्वयन की निगरानी

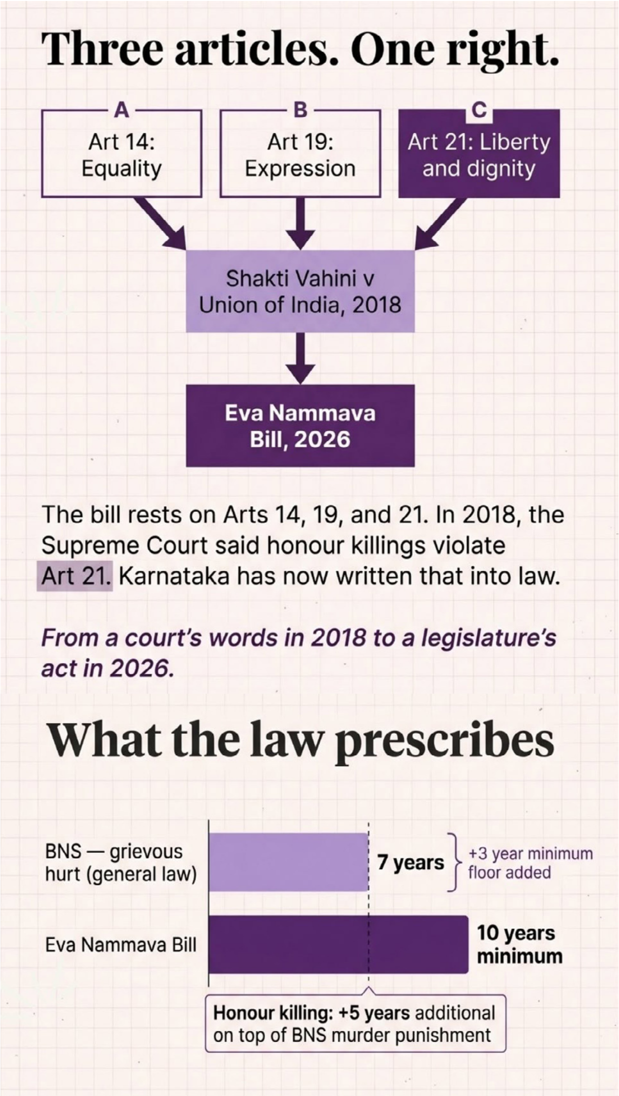

विधेयक का महत्व:

- यह कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह विवाह को पूरी तरह से व्यक्तिगत पसंद के रूप में स्थापित करता है।
- यह सामाजिक सुधार को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि यह जाति-आधारित प्रतिबंधों को चुनौती देता है और अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करता है।
- साथ ही, यह लैंगिक न्याय को मजबूत करता है, क्योंकि यह उन महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करता है जो अक्सर सम्मान आधारित अपराधों की शिकार होती हैं।
- इसके अलावा, यह कानून के शासन (Rule of Law) को सुदृढ़ करता है, क्योंकि यह केवल प्रतिक्रियात्मक नहीं बल्कि निवारक (preventive) शासन व्यवस्था को बढ़ावा देता है।

संवैधानिक पहलू:

- यह कानून भारतीय संविधान के मूल्यों के अनुरूप है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त गरिमा, स्वायत्तता और अपने साथी को चुनने के अधिकार की रक्षा करता है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति और चयन की स्वतंत्रता को भी सुनिश्चित करता है।
- इसके अतिरिक्त, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप जाति या सामाजिक भेदभाव के निषेध को मजबूत करता है।
- यह कानून "संवैधानिक नैतिकता" (constitutional morality) के सिद्धांत को भी दर्शाता है, जिसमें व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रताओं को सामाजिक दबावों और परंपरागत बंधनों से ऊपर रखा जाता है।

निष्कर्ष:

कर्नाटक का यह कानून सम्मान के नाम पर होने वाली हिंसा को समाप्त करने और वयस्कों के अपने साथी चुनने के पूर्ण अधिकार को स्थापित करने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। यद्यपि यह कानून संवैधानिक अधिकारों को मजबूत करता है, इसकी सफलता प्रभावी क्रियान्वयन और सामाजिक परिवर्तन पर निर्भर करेगी। अंततः यह परंपरागत मान्यताओं से अधिकार-आधारित व्यवस्था की ओर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत है, जो स्वतंत्रता, समानता और गरिमा पर आधारित है।

131वां संशोधन (संविधान) विधेयक, 2026

संदर्भ:

हाल ही में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 जो परिसीमन और चुनावी सुधारों के बड़े पैकेज का हिस्सा था, लोकसभा में पारित नहीं हो सका। इस विधेयक का उद्देश्य 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों का पुनर्वितरण करना और विधानसभाओं एवं संसद में महिला आरक्षण के कार्यान्वयन को सुगम बनाना था।

पृष्ठभूमि और उद्देश्य:

- इस विधायी पैकेज के दो प्रमुख उद्देश्य थे:
  - » संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण लागू

करना (2029 चुनावों को लक्ष्य मानकर)

» अद्यतन जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर परिसीमन के माध्यम से "एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य" के सिद्धांत को लागू करना

प्रमुख प्रस्ताव:

- 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा क्षेत्रों का पुनर्वितरण
- लोकसभा सीटों की संख्या वर्तमान स्तर से बढ़ाकर लगभग 850 तक करना
- सभी राज्यों में प्रतिनिधित्व में समान वृद्धि सुनिश्चित करना

विधेयक की अस्वीकृति के परिणाम:

- विधेयक लोकसभा में आवश्यक दो-तिहाई बहुमत प्राप्त नहीं कर सका और अस्वीकृत हो गया।
- इसके परिणामस्वरूप पूरा परिसीमन पैकेज भी रुक गया।
- महिला आरक्षण और सीटों के विस्तार की योजना फिलहाल लंबित है।

विवाद के प्रमुख मुद्दे:

- **संघीय चिंता:** विपक्ष ने कहा कि जनसंख्या आधारित परिसीमन से कुछ राज्यों, विशेषकर दक्षिण भारत, का प्रतिनिधित्व घट सकता है।
- **उत्तर-दक्षिण विभाजन का आरोप:** सरकार ने इस आरोप को खारिज करते हुए सभी राज्यों के समान प्रतिनिधित्व की बात कही।
- **महिला आरक्षण से जोड़ना:** विपक्ष ने महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने पर आपत्ति जताई।
- **"एक व्यक्ति, एक वोट" सिद्धांत:** सरकार ने 1971 की जनगणना के आधार पर लगी रोक से उत्पन्न असंतुलन का हवाला दिया।

प्रभाव:

- परिसीमन प्रक्रिया में देरी
- महिला आरक्षण के क्रियान्वयन को लेकर अनिश्चितता
- संघीय संबंधों में तनाव
- चुनावी सुधारों की नीति में अस्थिरता

संवैधानिक संशोधन विधेयक के बारे में:

- संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत, संविधान संशोधन विधेयक एक विशेष और कठोर प्रक्रिया से गुजरता है। इसे संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और इसके लिए विशेष बहुमत आवश्यक होता है, अर्थात सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत।
- मतभेद की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता। संसद से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है तथा कुछ मामलों में, कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की पुष्टि भी जरूरी होती है।
- भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया में कठोरता और लचीलापन

दोनों का संतुलन रखता है ताकि मूल संरचना की रक्षा हो सके और शासन की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन भी किए जा सकें।

- परिसीमन से जुड़े संशोधन विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व और संघीय संतुलन को प्रभावित करते हैं। अनुच्छेद 81 और 82 के तहत हर जनगणना के बाद परिसीमन किया जाता है।

निष्कर्ष:

131वें संविधान संशोधन विधेयक, 2026 की अस्वीकृति यह दर्शाती है कि संघीय ढांचे, प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय से जुड़े संवैधानिक संशोधन अत्यंत जटिल होते हैं। यह अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया, विशेष बहुमत की आवश्यकता और राजनीतिक सहमति के महत्व को भी रेखांकित करता है, जो भारत में बड़े संवैधानिक सुधारों के लिए अनिवार्य हैं।

ऑनलाइन गेमिंग के संवर्धन और विनियमन नियम, 2026

संदर्भ:

हाल ही में, भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से ऑनलाइन गेमिंग के संवर्धन और विनियमन (PROG) अधिनियम, 2025 के अंतर्गत ऑनलाइन गेमिंग के संवर्धन और विनियमन नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं। ये नियम 1 मई 2026 से प्रभावी होंगे।

पृष्ठभूमि:

- ऑनलाइन गेमिंग के संवर्धन और विनियमन (PROG) अधिनियम, 2025 को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए लागू किया गया था:
  - » ऑनलाइन मनी गेमिंग (RMG) पर प्रतिबंध लगाना।
  - » ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सामाजिक गेमिंग को बढ़ावा देना।
  - » उपयोगकर्ताओं को वित्तीय, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक नुकसान से बचाना।
- यह भारत की एक वैश्विक गेमिंग हब बनने की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है, साथ ही उपयोगकर्ता सुरक्षा और नियामक निगरानी सुनिश्चित करना भी इसका उद्देश्य है।

नियमों का उद्देश्य:

- 2026 के नियम, अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए बनाए गए हैं, जिनका उद्देश्य है:
  - » खेलों को वर्गीकृत करने के लिए एक स्पष्ट तंत्र निर्धारित करना
  - » एक केंद्रीय नियामक प्राधिकरण की स्थापना करना
  - » पंजीकरण व्यवस्था (registration regime) शुरू करना
  - » उपयोगकर्ता सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करना
  - » दंड और अपील से संबंधित तंत्र प्रदान करना

ऑनलाइन गेमिंग के संवर्धन और विनियमन नियम, 2026 की प्रमुख विशेषताएँ:

- **भारत का ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण (OGAI):** MeitY के अंतर्गत स्थापित; मुख्यालय दिल्ली में; प्रमुख विभागों के बहु-मंत्रालयी प्रतिनिधित्व के साथ।
- **OGAI के कार्य:** खेलों का वर्गीकरण करना; सार्वजनिक रजिस्ट्री बनाए रखना; शिकायतों और अपीलों का निपटान करना; बैंकों और एजेंसियों के साथ प्रवर्तन का समन्वय करना।
- **ऑनलाइन खेलों का वर्गीकरण:** दांव (stake) भुगतान, जीत की अपेक्षा, राजस्व मॉडल, और इन-गेम संपत्तियों के मुद्रीकरण के आधार पर।
- **निर्धारण की समयसीमा:** वर्गीकरण का निर्णय 90 दिनों के भीतर पूरा करना अनिवार्य होगा।

- **पंजीकरण ढांचा:** ई-स्पोर्ट्स और अधिसूचित सामाजिक खेलों के लिए अनिवार्य; पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता अधिकतम 10 वर्ष तक होगी।
- **ई-स्पोर्ट्स पर प्रतिबंध:** ऑनलाइन मनी गेम्स को स्पष्ट रूप से ई-स्पोर्ट्स के रूप में मान्यता देने से प्रतिबंधित किया गया है।
- **उपयोगकर्ता सुरक्षा उपाय:** आयु सत्यापन, पैरेंटल कंट्रोल, समय सीमा, रिपोर्टिंग सिस्टम, परामर्श सहायता और निष्पक्ष खेल निगरानी शामिल हैं।
- **शिकायत निवारण प्रणाली:** दो-स्तरीय प्रणाली: (1) प्लेटफॉर्म स्तर, (2) OGAI; अंतिम अपील MeitY के सचिव के पास।
- **प्रवर्तन तंत्र:** डिजिटल प्रक्रिया; 90 दिनों के भीतर समयबद्ध निपटान; दंड की गंभीरता, पुनरावृत्ति, उपयोगकर्ता को नुकसान और उल्लंघन से प्राप्त लाभ के आधार पर तय किया जाएगा।

महत्व:

- ऑनलाइन गेमिंग के संवर्धन और विनियमन नियम, 2026 महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करते हैं और लत, वित्तीय नुकसान तथा भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाते हैं।
- ये स्पष्ट नियमों और समयबद्ध निर्णयों के माध्यम से नियामक निश्चितता प्रदान करते हैं, साथ ही एक वैध गेमिंग उद्योग को बढ़ावा देते हैं और अवैध प्लेटफॉर्म्स को हतोत्साहित करते हैं। इसके अलावा, ये जुए की लत और युवाओं के शोषण को कम करने में मदद करते हैं तथा जिम्मेदार गेमिंग को प्रोत्साहित करते हैं।

चुनौतियाँ:

- कौशल (skill) और संयोग (chance) के बीच अंतर करना अभी भी जटिल है।
- विदेशी (offshore) प्लेटफॉर्म्स पर प्रवर्तन लागू करना कठिन है।
- अत्यधिक नियमन से स्टार्टअप्स पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने का जोखिम।
- राज्यों के साथ समन्वय की आवश्यकता (सार्वजनिक व्यवस्था, सट्टेबाजी कानून)।

आगे की राह:

- तकनीकी प्रवर्तन को मजबूत करना (AI आधारित निगरानी)
- डिजिटल साक्षरता और जागरूकता बढ़ाना
- सीमा-पार (cross-border) गेमिंग पर वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना
- नियमन और नवाचार के बीच संतुलन बनाए रखना

निष्कर्ष:

ऑनलाइन गेमिंग नियम, 2026 भारत के डिजिटल शासन में एक निर्णायक परिवर्तन को दर्शाते हैं। मनी गेमिंग पर कड़े प्रतिबंध और ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के माध्यम से यह ढांचा एक सुरक्षित, पारदर्शी और नवाचार-आधारित गेमिंग पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का लक्ष्य रखता है।

दल-बदल विरोधी कानून और राज्यसभा सभापति का निर्णय

संदर्भ:

राज्यसभा के सभापति सी. पी. राधाकृष्णन द्वारा आम आदमी पार्टी (AAP) के सात सांसदों के भारतीय जनता पार्टी (BJP) में विलय को स्वीकार किए जाने के हालिया फैसले ने 10वीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) की प्रभावशीलता पर फिर से बहस छेड़ दी है। यद्यपि यह कदम संवैधानिक रूप से वैध है, फिर भी यह लोकतांत्रिक नैतिकता और संस्थागत निष्पक्षता से जुड़े गहरे प्रश्न उठाता है।

10वीं अनुसूची के बारे में:

- भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे आमतौर पर दल-बदल विरोधी कानून कहा जाता है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 के माध्यम से लागू की गई थी और बाद में 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा इसे और मजबूत किया गया।
- इसका उद्देश्य उन विधायकों को अयोग्य घोषित करके राजनीतिक दल-बदल को रोकना है, जो चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी बदलते हैं, ताकि सरकारों में स्थिरता बनी रहे और राजनीतिक नैतिकता को बढ़ावा मिले।
- हालांकि, अनुच्छेद 4 (विलय प्रावधान) के तहत:
  - » यदि दो-तिहाई सदस्य विलय के लिए सहमत हों, तो इसे वैध विलय माना जाता है।
  - » ऐसे सदस्यों को अयोग्यता से संरक्षण मिलता है
  - » राज्यसभा में दल-बदल मामलों में सभापति को ही निर्णायक प्राधिकारी के रूप में कार्य करने का अधिकार होता है।

निर्णय को लेकर समस्याएँ और चिंताएँ:

- **कानून की भावना बनाम उसका शाब्दिक अर्थ:** हालाँकि यह निर्णय कानूनी रूप से वैध है, लेकिन यह दल-बदल विरोधी कानून की उस मूल भावना पर प्रश्न उठाता है जिसका उद्देश्य अवसरवादी

राजनीतिक बदलावों को रोकना है। विलय प्रावधान (merger clause) व्यवहार में सामूहिक दल-बदल के लिए एक प्रकार का "लूपहोल" बन गया है।

- **संस्थागत निष्पक्षता:** सभापति के इस निर्णय पर निष्पक्षता को लेकर आलोचना की गई है, जैसे:
  - » संभावित पक्षपात की आशंका
  - » यह स्पष्ट न करना कि विलय वास्तविक था या सुनियोजित
  - » यह उस व्यापक चिंता को दर्शाता है जिसमें राजनीतिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को निर्णयात्मक अधिकार देने पर सवाल उठते हैं।

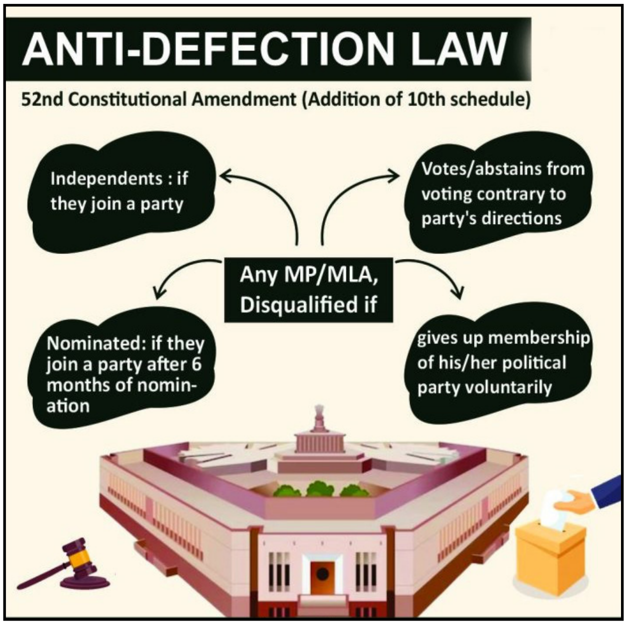

- **संसदीय लोकतंत्र पर प्रभाव:** इस विलय से उच्च सदन में सत्तारूढ़ दल की स्थिति मजबूत हुई है, जबकि विपक्ष की प्रतिनिधित्व क्षमता कमजोर हुई है। इससे:
  - » विधायी बहस की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।
  - » मतदाताओं के प्रतिनिधित्व का मूल उद्देश्य कमजोर हो सकता है।
- **प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का अभाव:** न्यायिक प्रक्रियाओं के विपरीत, 10वीं अनुसूची के तहत निर्णयों में अक्सर:
  - » पारदर्शी सुनवाई का अभाव होता है।
  - » समयबद्ध प्रक्रिया नहीं होती।
  - » स्वतंत्र निगरानी तंत्र की कमी रहती है।
- **व्यापक निहितार्थ:** यह घटना एक संरचनात्मक विरोधाभास को उजागर करती है:
  - » दल-बदल विरोधी कानून एक ओर सरकारों को स्थिरता प्रदान करता है, लेकिन दूसरी ओर यह बड़े पैमाने पर राजनीतिक पुनर्संरेखण को भी संभव बना देता है, जिससे चुनावी जनादेश की भावना प्रभावित हो सकती है।
  - » यह स्थिति दो मूलभूत सिद्धांतों के बीच तनाव को दर्शाती है:
    - ➢ विधायी स्थिरता
    - ➢ लोकतांत्रिक जवाबदेही
- **न्यायिक संदर्भ:** सुप्रीम कोर्ट ने किहोतो होलोहन (1992) में यह माना कि:
  - » सभापति/अध्यक्ष की भूमिका वैध है।
  - » लेकिन उनके निर्णय पर न्यायिक समीक्षा संभव है।
- हालांकि व्यवहार में अदालतें सभापति के निर्णय के बाद ही हस्तक्षेप करती हैं। इसलिए उनका निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक बन जाता है।

आगे की राह:

- इन चिंताओं को दूर करने के लिए कुछ सुधारों पर विचार किया जा सकता है:
  - » विलय प्रावधान (merger clause) पर पुनर्विचार, संभवतः नए चुनावों की आवश्यकता तय करना
  - » सभापति/अध्यक्ष के बजाय एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण (independent tribunal) की स्थापना
  - » समयबद्ध निर्णय प्रक्रिया को लागू करना
  - » दलों के भीतर लोकतंत्र को मजबूत करना ताकि दल-बदल की प्रवृत्ति कम हो

निष्कर्ष:

सांसदों के विलय मामले में राज्यसभा सभापति का निर्णय संवैधानिक रूप से वैध है, लेकिन नैतिक और वैचारिक रूप से विवादास्पद है। यह वर्तमान दल-बदल विरोधी ढांचे की सीमाओं को उजागर करता है, विशेषकर विलय अपवाद के संदर्भ में। 10वीं अनुसूची में सुधार आवश्यक है ताकि यह केवल कानूनी रूप से सही ही नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक अखंडता और जवाबदेही की भावना को भी प्रभावी रूप से बनाए रख सके।

3 अन्तर्राष्ट्रीय संबंध

भारत–दक्षिण कोरिया संबंधों में नया अध्याय: रणनीतिक साझेदारी से सह-नवाचार तक

संदर्भ:

हाल ही में 19–21 अप्रैल, 2026 को दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति ली जे म्युंग भारत की राजकीय यात्रा पर थे। इस दौरान दक्षिण कोरिया और भारत के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए 16 समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौतों का मुख्य उद्देश्य "विशेष रणनीतिक साझेदारी" को और मजबूत करना था, जिसमें ई-मोबिलिटी, हरित ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में डिजिटल सहयोग पर विशेष जोर दिया गया।

यह यात्रा ऐसे समय में हुई जब वैश्विक अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति के जोखिम, ऊर्जा असुरक्षा और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है। इन समझौतों में सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, हरित ऊर्जा, जहाज निर्माण और उन्नत विनिर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया गया, साथ ही 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डॉलर तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया।

भारत–दक्षिण कोरिया संबंध की पृष्ठभूमि:

- भारत और दक्षिण कोरिया के बीच संबंधों का इतिहास लगभग दो हजार वर्षों से भी अधिक पुराना है। रानी हियो ह्वांग-ओक की कथा और भारत से कोरिया में बौद्ध धर्म के प्रसार जैसे सांस्कृतिक प्रतीक इन प्राचीन संबंधों को दर्शाते हैं, जो आज भी जन-संपर्क और आपसी सद्भाव को मजबूत करते हैं।
- आधुनिक राजनयिक संबंधों की स्थापना औपचारिक रूप से वर्ष 1973 में हुई और समय के साथ ये संबंध लगातार विकसित होते गए। वर्ष 2010 में इन्हें "रणनीतिक साझेदारी" का दर्जा मिला और 2015 में इसे "विशेष रणनीतिक साझेदारी" तक उन्नत किया गया। यह राजनीतिक विश्वास, उच्च-स्तरीय संवाद और बहुआयामी सहयोग के विस्तार को दर्शाता है।
- आर्थिक संबंधों को 2010 में व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) के हस्ताक्षर के बाद विशेष गति मिली। दक्षिण कोरिया भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक भागीदार बन गया है, जिसने ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाज निर्माण, इस्पात और उपभोक्ता वस्तुओं जैसे क्षेत्रों में निवेश किया है।
- सैमसंग, हुंडई, पोस्को, एलजी जैसी कंपनियों ने भारत के औद्योगिक और विनिर्माण विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, हालांकि व्यापार असंतुलन को लेकर दोनों देश अभी भी समाधान की दिशा में प्रयासरत हैं।
- रणनीतिक दृष्टि से, दोनों देश एक स्वतंत्र, खुला और स्थिर हिंद-प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने के साझा हित रखते हैं। भारत की "एक्ट ईस्ट पालिसी" और दक्षिण कोरिया की "न्यू सदर्न पॉलिसी) (New Southern Policy) ने व्यापार, सुरक्षा और संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत किया है। हाल के वर्षों में यह साझेदारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, हरित ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे उभरते क्षेत्रों तक विस्तारित हुई है, जो एक भविष्य-उन्मुख और प्रौद्योगिकी-आधारित संबंध को दर्शाती है।

यात्रा के मुख्य बिंदु:

- दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की यह यात्रा भारत–दक्षिण कोरिया विशेष रणनीतिक साझेदारी को और सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। दोनों देशों ने राजनीतिक, संस्थागत और रणनीतिक सहयोग को व्यापक रूप से बढ़ाने पर सहमति

जताई। वार्षिक शिखर सम्मेलनों को संस्थागत रूप देने का निर्णय लिया गया, जिससे उच्च-स्तरीय राजनीतिक मार्गदर्शन निरंतर बना रहेगा।

- साथ ही विदेश, रक्षा, वित्त, व्यापार और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में मंत्री-स्तरीय संवाद को बढ़ाने पर सहमति बनी। एक महत्वपूर्ण संस्थागत पहल के रूप में "भारत–कोरिया औद्योगिक सहयोग समिति" की स्थापना की गई, जो औद्योगिक नीति, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग के समन्वय के लिए केंद्रीय मंच का कार्य करेगी।
- आर्थिक क्षेत्र में, दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा। इसके लिए CEPA 2.0 के उन्नयन हेतु वार्ताओं को तेज करने पर सहमति हुई, जिससे शुल्क एवं गैर-शुल्क बाधाओं को कम किया जा सके और बाजार तक पहुंच बेहतर हो सके।
- "भारत–कोरिया वित्तीय सहयोग मंच" और "आर्थिक सुरक्षा संवाद" जैसे नए तंत्र भी स्थापित किए गए, जिनका उद्देश्य वित्तीय संपर्क को मजबूत करना, आपूर्ति श्रृंखला जोखिमों को कम करना और अधिक सुदृढ़ व्यापार संरचना विकसित करना है। जहाज निर्माण, ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी, इस्पात और महत्वपूर्ण खनिज जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई, जिनमें जहाज निर्माण प्रमुख सहयोग क्षेत्र के रूप में उभरा।
- प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में "भारत–कोरिया डिजिटल ब्रिज" की शुरुआत की गई, जो AI, सेमीकंडक्टर, डेटा गवर्नेंस और डिजिटल अवसंरचना में सहयोग को बढ़ावा देगा। इसके अलावा, डिजिटल भुगतान प्रणाली के एकीकरण और फिनटेक सहयोग को भी प्रोत्साहित किया गया।
- रक्षा और रणनीतिक सहयोग के क्षेत्र में "KIND-X रक्षा नवाचार त्वरक" (KIND-X Defence Innovation Accelerator) की शुरुआत की गई, जो स्टार्टअप्स, अनुसंधान संस्थानों और रक्षा उद्योगों को जोड़ने का कार्य करेगा। साथ ही K9 वज्र तोप प्रणाली जैसे मौजूदा सहयोग को और आगे बढ़ाया जाएगा।
- अंतरिक्ष सहयोग में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और कोरिया एयरोस्पेस प्रशासन (Korea AeroSpace Administration) के बीच साझेदारी को और मजबूत किया गया।
- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में दक्षिण कोरिया की भागीदारी और 2+2 संवाद तंत्र की शुरुआत से रणनीतिक सामंजस्य और मजबूत हुआ। इसके साथ ही सतत विकास, जलवायु परिवर्तन, और महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग बढ़ाने के साथ-साथ सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान-प्रदान को भी विस्तार दिया गया। 2028–29 को "भारत–कोरिया मैत्री वर्ष" घोषित किया गया।

भारत के लिए रणनीतिक महत्व:

- भारत–दक्षिण कोरिया संबंधों की मजबूती भारत की आर्थिक और औद्योगिक वृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे चीन-आधारित आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भरता कम करने में मदद मिलती है और अधिक लचीली विनिर्माण व्यवस्था विकसित होती है।
- यह साझेदारी भारत को सेमीकंडक्टर, उन्नत विनिर्माण और रक्षा नवाचार जैसी अत्याधुनिक तकनीकों तक पहुंच प्रदान करती है, जो "मेक इन इंडिया" पहल को मजबूती देती है। इससे व्यापार, निर्यात और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी बढ़ती है।
- रणनीतिक रूप से, यह साझेदारी हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की स्थिति को मजबूत करती है और क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान देती है। साथ ही, यह अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धा जैसे वैश्विक तनावों के बीच भारत को संतुलित विदेश नीति बनाए रखने में मदद करती है।

आगे की राह:

- **सह-उत्पादन और सह-नवाचार को बढ़ावा:** दोनों देशों को केवल व्यापारिक संबंधों तक सीमित न रहकर सह-उत्पादक (co-production) और सह-नवप्रवर्तनकर्ता (Co-innovators) के मॉडल को अपनाना चाहिए। सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बैटरी टेक्नोलॉजी और रक्षा विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान एवं विकास (R&D) को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- **कोरियाई टाउनशिप:** भारत में प्रस्तावित 'विशेष कोरियाई औद्योगिक टाउनशिप' को तेजी से विकसित करने की आवश्यकता है ताकि अधिक निवेश आकर्षित हो सके।
- **एमएसएमई सहयोग:** हालिया समझौते के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) और स्टार्टअप्स के बीच साझेदारी को बढ़ावा देकर नवाचार-संचालित विकास (innovation-driven growth) को मजबूत किया जा सकता है। इसके लिए संयुक्त फंडिंग, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज और बाज़ार तक पहुँच जरूरी होंगे।
- **जन-से-जन संबंधों को सुदृढ़ करना:** 2028–29 के 'भारत–कोरिया मैत्री वर्ष' को एक अवसर के रूप में उपयोग करते हुए शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना चाहिए।

निष्कर्ष:

वर्ष 2026 का भारत–दक्षिण कोरिया शिखर सम्मेलन द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ है, जिसने इस साझेदारी को बहुआयामी रणनीतिक गठबंधन में बदल दिया है। स्पष्ट पांच-वर्षीय रोडमैप, गहन आर्थिक एकीकरण और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते सामंजस्य के साथ, भारत–दक्षिण कोरिया संबंध एशिया की उभरती भू-राजनीतिक और आर्थिक संरचना का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनने की दिशा में अग्रसर हैं। आने वाले समय में इन प्रतिबद्धताओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर ही यह निर्भर करेगा कि यह साझेदारी बहुध्रुवीय विश्व में मध्यम शक्तियों के सहयोग का एक आदर्श मॉडल बन पाती है या नहीं।

हंगरी में ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन और भारत-हंगरी संबंध

सन्दर्भ:

हाल ही में संपन्न हुए हंगरी के संसदीय चुनावों में पीटर मग्यार (Péter Magyar) के नेतृत्व वाली 'तिस्ज़ा पार्टी' (Tisza Party) ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इन्होंने पिछले 16 वर्षों से चले आ रहे विक्टर ओर्बन और उनकी फिडेज़ (Fidesz) पार्टी को हराया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीटर मग्यार को इस विजय पर बधाई देते हुए दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की प्रतिबद्धता दोहराई है।

राजनीतिक बदलाव की पृष्ठभूमि:

- पीटर मग्यार, जो कभी ओर्बन प्रशासन के करीबी सहयोगी थे, एक प्रखर आलोचक के रूप में उभरे। उनके अभियान का मुख्य केंद्र सरकारी भ्रष्टाचार को समाप्त करना, कानून के शासन (Rule of Law) को बहाल करना और यूरोपीय संघ (EU) के साथ हंगरी के तनावपूर्ण संबंधों को सुधारना था।
- चुनावों में तिस्ज़ा पार्टी को 199 में से 138 सीटें प्राप्त हुईं, जो हंगरी की राजनीति में एक बड़े वैचारिक और संरचनात्मक बदलाव का संकेत है।

भारत-हंगरी द्विपक्षीय संबंध:

- भारत और हंगरी के संबंध ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ, मैत्रीपूर्ण और बहुआयामी रहे हैं, जो साझा मूल्यों, आपसी सम्मान और सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर आधारित हैं।
- 1948 में राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से दोनों देशों ने मजबूत राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक सहयोग विकसित किया है, जिसमें भारतीय निवेश और व्यापार निरंतर बढ़ रहा है।
- ऐतिहासिक रूप से, हंगरी 1956 के विद्रोह के दौरान भारत की भूमिका को याद करता है, जब भारत ने हस्तक्षेप कर डॉ. अर्पाद गोंज़ की जान बचाने में सहायता की थी।

- आर्थिक दृष्टि से, 2024 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 1.3 से 1.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि भारत ने हंगरी में लगभग 3.3 अरब डॉलर का निवेश किया है, विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोटिव और आईटी क्षेत्रों में।
- हंगरी, यूरोपीय संघ के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण भागीदार होने के साथ-साथ मध्य यूरोप में एक रणनीतिक सेतु का कार्य करता है।
- रणनीतिक स्तर पर, दोनों देश संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन जैसे वैश्विक मंचों पर एक-दूसरे का समर्थन करते हैं और हंगरी भारत–यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

भारत के लिए 2026 के नेतृत्व परिवर्तन का महत्व:

- **आर्थिक सहयोग:** हंगरी मध्य यूरोप में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश गंतव्य है। सूचना प्रौद्योगिकी (IT), फार्मास्यूटिकल्स और

ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारतीय कंपनियों की वहाँ मजबूत उपस्थिति है।

- **रणनीतिक साझेदारी:** भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की वार्ताओं में हंगरी एक प्रभावशाली आवाज हो सकता है। नए नेतृत्व के साथ भारत अपनी 'एक्ट वेस्ट' (Act West) नीति को और मजबूती दे सकता है।
- **बहुपक्षीय मंच:** दोनों देश बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग करते आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का संदेश यह स्पष्ट करता है कि भारत हंगरी के आंतरिक राजनीतिक बदलावों के बावजूद निरंतरता और सहयोग की नीति पर अडिग है।

चुनौती:

- हंगरी में सत्ता परिवर्तन भारत के लिए कुछ चुनौतियाँ भी पेश कर सकता है। यदि नई सरकार अपनी विदेश नीति को पूरी तरह से यूरोपीय संघ के मानकों के अनुरूप ढालती है तो भारत को रूस-यूक्रेन संघर्ष जैसे संवेदनशील मुद्दों पर हंगरी के साथ तालमेल बिठाने के लिए नए कूटनीतिक प्रयास करने होंगे।

निष्कर्ष:

हंगरी में हुआ यह सत्ता परिवर्तन लोकतंत्र की बदलती लहर का प्रतीक है। भारत के लिए, एक स्थिर और लोकतांत्रिक हंगरी न केवल एक विश्वसनीय आर्थिक भागीदार है, बल्कि यूरोपीय महाद्वीप में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक मित्र भी है। भविष्य में दोनों देशों के बीच उच्च-स्तरीय यात्राएं और द्विपक्षीय कार्यदल की बैठकें इन संबंधों को नई दिशा देंगी।

पश्चिम एशिया संघर्ष और भारत में बढ़ती गरीबी

संदर्भ:

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की एक रिपोर्ट के अनुसार, लम्बा पश्चिम एशिया संघर्ष भारत में लगभग 25 लाख लोगों को गरीबी में ला सकता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की यह रिपोर्ट एशिया-प्रशांत अर्थव्यवस्थाओं पर मध्य पूर्व में सैन्य वृद्धि के व्यापक मानव विकास प्रभावों को रेखांकित करती है, जिसमें बढ़ती महंगाई, खाद्य असुरक्षा और कमजोर होती आजीविकाएँ शामिल हैं।

UNDP रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

- वैश्विक स्तर पर लगभग 88 लाख लोग गरीबी में जाने के जोखिम में हैं।
- एशिया-प्रशांत को 299 अरब डॉलर तक का आर्थिक नुकसान हो सकता है।
- उच्च जनसंख्या और मूल्य झटकों के प्रति संवेदनशीलता के कारण दक्षिण एशिया सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है।
- भारत की गरीबी दर 23.9% से बढ़कर 24.2% हो सकती है।
- भारत में लगभग 24.6 लाख लोग गरीबी में जा सकते हैं।

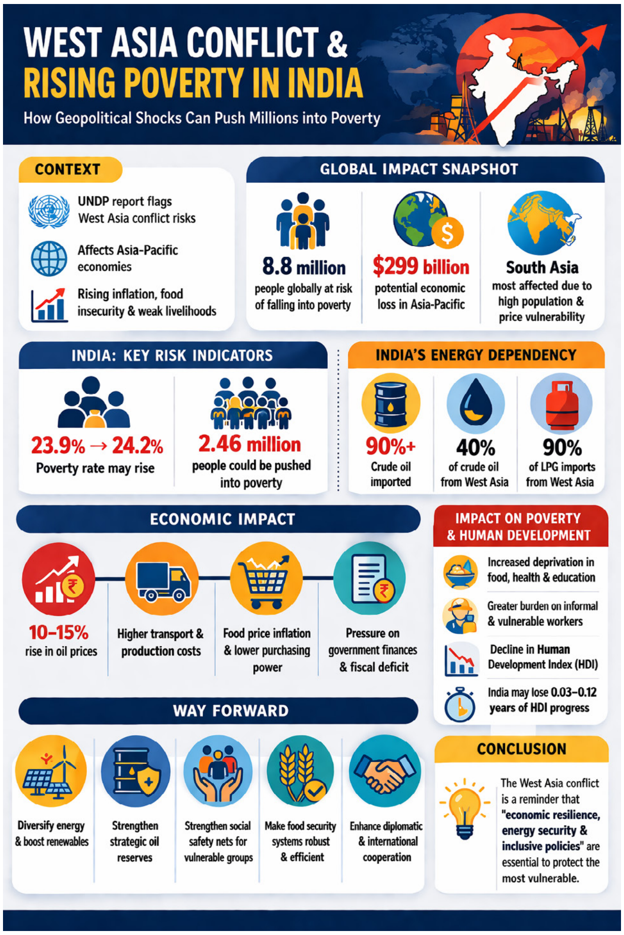

भारत पर प्रभाव:

- भारत पश्चिम एशियाई ऊर्जा आयात पर भारी निर्भरता के कारण विशेष रूप से संवेदनशील है:
  - » 90% से अधिक कच्चा तेल आयात किया जाता है।
  - » 40% से अधिक कच्चा तेल और 90% LPG आयात पश्चिम एशिया से आता है।

आर्थिक प्रभाव:

- तेल की कीमतों में वृद्धि (10–15%) से महंगाई बढ़ना
- परिवहन और इनपुट लागत में वृद्धि से उद्योग प्रभावित
- खाद्य कीमतों में वृद्धि और घरेलू क्रय शक्ति में कमी
- सरकारी वित्त और राजकोषीय घाटे पर दबाव

गरीबी और मानव विकास पर प्रभाव:

रिपोर्ट के अनुसार यह संकट बहुआयामी गरीबी को और बढ़ाएगा:

- भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा में अभाव बढ़ेगा
- कमजोर और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर अधिक बोझ
- मानव विकास सूचकांक (HDI) में गिरावट
- भारत को लगभग 0.03–0.12 वर्षों के HDI प्रगति के नुकसान का अनुमान है, जो विकास उपलब्धियों में झटका दर्शाता है।

आगे की राह:

- भारत के लिए इस संकट से निपटने हेतु बहुआयामी रणनीति अपनाना आवश्यक है। ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण किया जाना चाहिए, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ रणनीतिक तेल भंडार को सुदृढ़ करना शामिल है, ताकि बाहरी झटकों का प्रभाव कम किया जा सके।
- कमजोर और संवेदनशील वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल को मजबूत करना जरूरी है, जिससे महंगाई और आर्थिक दबाव के समय उनकी आजीविका सुरक्षित रह सके।
- खाद्य सुरक्षा तंत्र को भी अधिक प्रभावी और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है, ताकि बढ़ती कीमतों के बावजूद आम लोगों को आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।
- महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार को राजकोषीय अनुशासन बनाए रखना होगा और विवेकपूर्ण आर्थिक नीतियों का पालन करना होगा।
- अंततः, इस प्रकार के वैश्विक संकटों के समाधान के लिए क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक प्रयासों को बढ़ावा देना आवश्यक है, ताकि शांति स्थापित हो और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।

निष्कर्ष:

पश्चिम एशिया संघर्ष यह दर्शाता है कि बाहरी भू-राजनीतिक झटके किस प्रकार घरेलू विकास को पटरी से उतार सकते हैं। भारत के लिए यह संकट आर्थिक लचीलापन, ऊर्जा सुरक्षा और समावेशी नीतियों की आवश्यकता की याद दिलाता है, ताकि समाज के सबसे कमजोर वर्गों की रक्षा की जा सके।

भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना चीन

संदर्भ:

हाल ही में चीन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वित्त वर्ष 2025–26 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है, जहाँ द्विपक्षीय व्यापार 151.1 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया। यह स्थिति पिछले चार वर्षों (FY22–FY25) के बाद बदली है, इसके पहले अमेरिका शीर्ष स्थान पर था।

भारत–चीन व्यापार के मुख्य बिंदु:

- वित्त वर्ष 2025–26 में भारत–चीन का द्विपक्षीय व्यापार 151.1 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जो दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों के महत्वपूर्ण विस्तार को दर्शाता है।
- इसी अवधि में भारत का चीन को निर्यात 19.47 अरब डॉलर रहा, जिसमें हर वर्ष 36.66% की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, जबकि चीन से आयात बढ़कर 131.63 अरब डॉलर हो गया, जो 16% की वृद्धि है।
- इसके परिणामस्वरूप भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़कर लगभग 112.6 अरब डॉलर हो गया, जो अब तक का सबसे अधिक स्तर है।
- यह व्यापार संबंधों में एक संरचनात्मक असंतुलन को दर्शाता है, जहाँ निर्यात में वृद्धि के बावजूद भारत चीन से आयात पर अत्यधिक निर्भर बना हुआ है, जिससे व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है।

भारत–अमेरिका व्यापार प्रदर्शन:

- हालाँकि संयुक्त राज्य अमेरिका अब भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार नहीं रहा, फिर भी यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य बना हुआ है। भारत का अमेरिका को निर्यात 87.3 अरब डॉलर रहा, जिसमें 0.92% की मामूली वृद्धि हुई, जबकि अमेरिका से आयात 15.95% बढ़कर 52.9 अरब डॉलर हो गया।
- इसके परिणामस्वरूप भारत का अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष (surplus) घटकर 34.4 अरब डॉलर रह गया, जो पिछले वर्ष 40.89 अरब डॉलर था।

भारत की समग्र व्यापार स्थिति:

- भारत के बाह्य क्षेत्र (external sector) में घाटा बढ़ रहा है। कुल निर्यात 860.09 अरब डॉलर (+4.22%) तक पहुँचा, जबकि

आयात 979.40 अरब डॉलर (+6.47%) तक बढ़ गया, जिसके परिणामस्वरूप 119.3 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हुआ।

- वस्तु व्यापार (merchandise) में निर्यात 441.78 अरब डॉलर रहा, जबकि आयात 774.98 अरब डॉलर रहा, जिससे बड़ा घाटा उत्पन्न हुआ। हालांकि सेवा क्षेत्र (services) के निर्यात 418.31 अरब डॉलर रहे, जिससे 213.89 अरब डॉलर का मजबूत अधिशेष (surplus) बना, जिसने इस अंतर को आंशिक रूप से संतुलित किया।

चीन के पुनः शीर्ष पर आने के कारण:

- चीन का भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनना इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, रसायन और मध्यवर्ती उत्पादों (intermediates) के आयात पर निर्भरता के कारण है, साथ ही आयात-प्रधान विनिर्माण वृद्धि भी इसका एक प्रमुख कारण है। इसके विपरीत, भारत–अमेरिका व्यापार वृद्धि अपेक्षाकृत धीमी रही है।
- 112 अरब डॉलर के व्यापार घाटे में वृद्धि बाहरी निर्भरता, आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता और विविधीकरण की आवश्यकता को दर्शाती है। नीति स्तर पर घरेलू विनिर्माण (PLI), निर्यात विविधीकरण और "चाइना+1" रणनीति के माध्यम से आयात निर्भरता कम करने पर ध्यान देना आवश्यक है।

निष्कर्ष:

वित्त-वर्ष 26 में चीन का भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनना वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के गहरे एकीकरण को दर्शाता है, न कि किसी अचानक भू-राजनीतिक बदलाव को। हालांकि बढ़ता व्यापार घाटा यह दिखाता है कि भारत अभी भी आयातित मध्यवर्ती वस्तुओं पर निर्भर है। दीर्घकालिक व्यापार स्थिरता घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने, निर्यात विविधीकरण और रणनीतिक आयात निर्भरता को कम करने पर निर्भर करेगी।

ऑस्ट्रिया चांसलर की भारत यात्रा

संदर्भ:

हाल ही में ऑस्ट्रिया के चांसलर डॉ. क्रिश्चियन स्टॉकर भारत की चार दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर थे जो पिछले चार दशकों में किसी ऑस्ट्रियाई चांसलर की पहली ऐसी यात्रा थी। यह यात्रा भारत और ऑस्ट्रिया के बीच नवीनीकृत कूटनीतिक जुड़ाव को दर्शाती है और रक्षा, प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा नवाचार जैसे प्रमुख रणनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का लक्ष्य रखती है।

यात्रा के प्रमुख परिणाम:

- इस यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समझौतों पर सहमति बनी। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों ने सैन्य और रक्षा उद्योग सहयोग को बढ़ाने के लिए एक आशय पत्र (Letter of Intent) पर हस्ताक्षर किए और आतंकवाद-रोधी सहयोग के लिए एक संयुक्त कार्य समूह (Joint Working Group) स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की।
- आर्थिक क्षेत्र में निवेश से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने और व्यापारिक माहौल सुधारने के लिए एक फास्ट-ट्रैक तंत्र (Fast-Track Mechanism) शुरू किया गया।
- प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्वांटम तकनीक, मशीन लर्निंग, लेज़र और सामग्री विज्ञान जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत किया गया।
- अंतरिक्ष सहयोग को भी बढ़ाते हुए 2026 में वियना में एक संयुक्त अंतरिक्ष उद्योग संगोष्ठी आयोजित करने की योजना बनाई गई।
- इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, अवसंरचना और व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में भी समझौते किए गए। वर्किंग हॉलिडे प्रोग्राम और स्टार्टअप सहयोग ढांचे जैसी पहलें दोनों देशों के बीच युवा गतिशीलता और नवाचार के आदान-प्रदान को बढ़ावा देती हैं।

भारत–ऑस्ट्रिया द्विपक्षीय संबंध:

- भारत और ऑस्ट्रिया के बीच मजबूत और लगातार विकसित होते द्विपक्षीय संबंध जो व्यापार, निवेश और संस्थागत समझौतों से समर्थन प्राप्त है।
- द्विपक्षीय व्यापार 2019–20 में 1.08 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2023–24 में 2.06 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है, जिसमें भारत को व्यापार अधिशेष प्राप्त हुआ है। भारत के प्रमुख निर्यात में इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र और मशीनरी शामिल हैं, जबकि ऑस्ट्रिया से आयात मुख्य रूप से भारी मशीनरी और स्टील के रूप में होता है।
- ऑस्ट्रिया ने भारत में महत्वपूर्ण निवेश किया है, जिसका संचयी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) लगभग 663 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है।
- दोहरा कराधान बचाव समझौता (Double Taxation Avoidance Agreement) और निवेश संरक्षण समझौता (Investment Protection Agreement) जैसे प्रमुख समझौते एक मजबूत कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं।
- व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी (Comprehensive Migration and Mobility Partnership, 2023) ने कौशल विकास और छात्र आदान-प्रदान में सहयोग को और मजबूत किया है।

ऑस्ट्रिया की भौगोलिक स्थिति:

- ऑस्ट्रिया मध्य यूरोप में स्थित एक स्थलरुद्ध (landlocked) और पर्वतीय देश है, जिसकी सीमाएँ कई यूरोपीय देशों से लगती हैं। यह 1955 से स्थायी तटस्थता (permanent neutrality) की नीति का पालन करता है, लेकिन 1995 से यह यूरोपीय संघ (European Union) का सदस्य है।
- यूरोप के केंद्र में स्थित होने के कारण ऑस्ट्रिया एक महत्वपूर्ण पारगमन केंद्र (transit hub) है, जो डेन्यूब कॉरिडोर और आल्प्स मार्गों के माध्यम से पूर्वी और पश्चिमी यूरोप को जोड़ता है।
- इसकी स्थिर राजनीतिक व्यवस्था, उन्नत अर्थव्यवस्था और नवाचार पर ध्यान इसे भारत के यूरोप के साथ संबंधों में एक महत्वपूर्ण साझेदार बनाते हैं। ऑस्ट्रिया वैश्विक शांति स्थापना और बहुपक्षीय कूटनीति में भी भूमिका निभाता है।

निष्कर्ष:

ऑस्ट्रिया चांसलर की यह यात्रा भारत-ऑस्ट्रिया संबंधों में एक नए चरण का संकेत देती है, जो रक्षा, प्रौद्योगिकी, व्यापार और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करती है। यह नवाचार, सतत विकास और वैश्विक सुरक्षा में आपसी विश्वास और साझा हितों को दर्शाती है। कुल मिलाकर, यह सहभागिता दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को गहरा करने और दीर्घकालिक साझेदारी के नए अवसर खोलने की संभावना रखती है।

उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन की श्रीलंका यात्रा

संदर्भ:

हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन, श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा पर रहे। कोलंबो में उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ वार्ता की। इन चर्चाओं का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, विकास सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता पर रहा।

यात्रा की मुख्य विशेषताएँ:

- यह किसी भारतीय उपराष्ट्रपति की श्रीलंका की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी, जो भारत द्वारा अपने पड़ोसी देश को दिए जाने वाले महत्व को दर्शाती है। दोनों नेताओं ने व्यापक मुद्दों पर चर्चा करते हुए बहुआयामी संबंधों को और गहरा करने पर जोर दिया। भारत

ने अपनी 'पड़ोसी पहले' नीति को दोहराया और सहयोग तथा पारस्परिक विकास पर बल दिया।

- चर्चा किए गए प्रमुख मुद्दों में तमिल समुदायों के लिए भारतीय आवास परियोजना, चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता पैकेज, और पाक जलडमरूमध्य में लंबे समय से चले आ रहे मछुआरों के विवाद शामिल थे।
- इस यात्रा के दौरान भारतीय मूल के तमिल समुदाय और प्रवासी भारतीयों से भी संवाद किया गया।

भारत-श्रीलंका संबंध की पृष्ठभूमि:

- भारत और श्रीलंका के बीच 2,500 वर्षों से भी अधिक पुराने गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं, जिनकी जड़ें व्यापार, प्रवासन और अशोक के दूतों के माध्यम से बौद्ध धर्म के प्रसार में मिलती हैं। विशेष रूप से तमिल समुदायों के बीच मजबूत संबंध आज भी बने हुए हैं।
- राजनीतिक रूप से, श्रीलंका भारत की 'पड़ोसी पहले' नीति और उसकी समुद्री दृष्टि 'महासागर (MAHASAGAR)' में एक महत्वपूर्ण साझेदार है, जो इसके रणनीतिक महत्व को दर्शाता है।

सहयोग के प्रमुख क्षेत्र:

- भारत श्रीलंका का एक प्रमुख विकास साझेदार है, जिसमें भारतीय आवास परियोजना जैसी प्रमुख योजनाएँ शामिल हैं, जिसके तहत तमिल समुदायों के लिए 50,000 से अधिक घर बनाए गए हैं। यह सहयोग बुनियादी ढांचे, रेलवे, ऊर्जा और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों तक फैला हुआ है।
- आर्थिक रूप से, भारत श्रीलंका के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जो उसे ऋण (लाइन ऑफ क्रेडिट) और अनुदान के माध्यम से बुनियादी ढांचे और संकट के बाद पुनर्निर्माण में सहायता प्रदान करता है।
- भारत ने मानवीय सहायता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता देना और 2022 के आर्थिक संकट के दौरान पहले प्रतिक्रिया देने वाले देश के रूप में कार्य करना शामिल है।
- समुद्री और सुरक्षा सहयोग भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें दोनों देश हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, समुद्री डकैती-रोधी उपायों और तटीय निगरानी पर मिलकर काम कर रहे हैं।

प्रमुख मुद्दे:

- मजबूत संबंधों के बावजूद कुछ चुनौतियाँ बनी हुई हैं। पाक जलडमरूमध्य में मछुआरों का विवाद अब भी तनाव का कारण है, क्योंकि अक्सर गिरफ्तारियाँ होती रहती हैं।
- तमिल मुद्दा, जिसमें पुनर्वास और राजनीतिक सुलह शामिल है, अभी भी संवेदनशील बना हुआ है। इसके अलावा, श्रीलंका की रणनीतिक स्थिति ने बाहरी देशों, विशेषकर चीन, का ध्यान आकर्षित किया है, जिससे भारत की चिंताएँ बढ़ी हैं।

महत्व:

- यह यात्रा दक्षिण एशिया में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका को और मजबूत करती है तथा बाहरी रणनीतिक प्रभाव को संतुलित करने में मदद करती है। यह लोगों-केंद्रित पहलों के माध्यम से भारत की विकास कूटनीति को दर्शाती है और उच्च स्तरीय सहभागिता की निरंतरता को उजागर करती है, जिससे आपसी विश्वास और मजबूत होता है।

निष्कर्ष:

कुल मिलाकर, यह यात्रा भारत और श्रीलंका के बीच गहरी और बहुआयामी साझेदारी को दर्शाती है। साझा इतिहास, सांस्कृतिक समानता और रणनीतिक हितों के आधार पर, निरंतर सहयोग, विकास साझेदारी और आपसी विश्वास के माध्यम से द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होने की संभावना है।

भारत–रूस पारस्परिक लॉजिस्टिक्स विनिमय समझौता

संदर्भ:

हाल ही में भारत और रूस ने पारस्परिक लॉजिस्टिक्स विनिमय समझौता (RELOS) को क्रियान्वित किया, जिसे फरवरी 2025 में हस्ताक्षरित किया गया था और बाद में रूस द्वारा इसका अनुमोदन किया गया। यह समझौता द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के विकास में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, जो पारंपरिक हथियारों के आदान-प्रदान से आगे बढ़कर गहन परिचालन सहयोग की ओर जाता है।

RELOS के प्रमुख प्रावधान:

- भारत और रूस के बीच पारस्परिक लॉजिस्टिक्स विनिमय समझौता (RELOS) एक-दूसरे के क्षेत्र में अधिकतम 3,000 सैनिकों की तैनाती की अनुमति देता है, साथ ही एक साथ अधिकतम पाँच युद्धपोत और दस विमानों की तैनाती भी शामिल है।

- यह समझौता प्रारंभिक रूप से पाँच वर्षों के लिए मान्य है और आपसी सहमति से इसे पाँच और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। यह नौसैनिक जहाजों के लिए बंदरगाह पहुँच, मरम्मत सेवाएँ और आवश्यक आपूर्ति सहित व्यापक लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करता है, साथ ही विमानों के लिए हवाई यातायात नियंत्रण, नेविगेशन सहायता और रखरखाव सुविधाएँ भी उपलब्ध कराता है।
- इसके अतिरिक्त, यह समझौता संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण पहल तथा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों के प्रावधानों को भी शामिल करता है, जिससे दोनों देशों के बीच परिचालन सहयोग और अधिक मजबूत होता है।

समझौते का दायरा:

- संयुक्त सैन्य अभ्यास
- प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण
- मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR)
- सैन्य बलों की तैनाती
- नौसैनिक अड्डों और हवाई अड्डों तक पहुँच, जिसमें आर्कटिक क्षेत्र भी शामिल हैं

रणनीतिक महत्व:

- **सैन्य लॉजिस्टिक्स में सुधार:** भारत और रूस के बीच यह समझौता लॉजिस्टिक्स सहायता तक सुनिश्चित पहुँच प्रदान करके दीर्घकालिक सैन्य तैनाती को संभव बनाता है, साथ ही भारत द्वारा उपयोग किए जाने वाले रूसी मूल के उपकरणों के समय पर रखरखाव और सर्विसिंग को भी सुनिश्चित करता है।
- **आर्कटिक तक पहुँच:** यह भारत को आर्कटिक क्षेत्र में स्थित रूसी सुविधाओं तक रणनीतिक पहुँच प्रदान करता है, जिससे वह ऐसे क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ा सकता है जो बढ़ते भू-राजनीतिक और आर्थिक महत्व का है।
- **परिचालन तत्परता:** यह समझौता दोनों देशों की सेनाओं के बीच अंतर-संचालन क्षमता (interoperability) को बेहतर बनाता है और मिशनों तथा आपात स्थितियों में तेज़ तैनाती की क्षमता को मजबूत करता है।
- **रणनीतिक स्वायत्तता:** तीसरे पक्ष पर लॉजिस्टिक्स और सहायता के लिए निर्भरता को कम करके यह समझौता बढ़ते वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच भारत की स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने की क्षमता को मजबूत करता है।

भारत–रूस रक्षा संबंध:

- भारत और रूस के मध्य "विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी" है, जिसमें रक्षा सहयोग एक प्रमुख स्तंभ है।
- सैन्य-तकनीकी सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के लगभग 60–70% सैन्य उपकरण रूसी/सोवियत मूल के हैं, जिनमें S-400 ट्रायम्फ, T-90 टैंक और Su-30MKI जैसे सिस्टम शामिल हैं।
- यह साझेदारी अब संयुक्त विकास और उत्पादन की ओर विकसित हो चुकी है, जिसका उदाहरण ब्रह्मोस और AK-203 जैसी परियोजनाएँ हैं।
- रक्षा संबंध भारत-रूस सैन्य और सैन्य-तकनीकी सहयोग पर अंतर-सरकारी आयोग (Intergovernmental Commission) के संस्थागत ढांचे द्वारा संचालित होते हैं।
- नियमित संयुक्त अभ्यास जैसे INDRA अभ्यास दोनों देशों के बीच अंतर-संचालन क्षमता और परिचालन समन्वय को मजबूत करते हैं।

निष्कर्ष:

RELOS समझौता भारत–रूस रक्षा संबंधों को खरीदार–विक्रेता मॉडल से आगे बढ़ाकर गहन परिचालन और लॉजिस्टिक सहयोग की ओर ले जाता है। भू-राजनीतिक चुनौतियों और भारत के विविधीकरण प्रयासों के बावजूद, यह आपसी विश्वास और अंतर-संचालन क्षमता को मजबूत

करता है। भारत के लिए यह सैन्य तैयारी, रणनीतिक पहुँच को बढ़ाता है और बहुध्रुवीय विश्व में उसकी रणनीतिक स्वायत्तता के लक्ष्य को सुदृढ़ करता है।

ब्रिक्स-एमईएनए संवाद

संदर्भ:

हाल ही में नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों और MENA (मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका) देशों के उप विदेश मंत्रियों और विशेष दूतों की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा की गई। बैठक का मुख्य विषय पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष था, जिसमें अमेरिका, इज़राइल और ईरान शामिल हैं। सभी देशों ने इस स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की और क्षेत्रीय स्थिरता पर इसके प्रभाव को लेकर चर्चा की।

चर्चा के प्रमुख बिंदु:

- बैठक में पश्चिम एशिया से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया, जिनमें शामिल हैं:
  - क्षेत्र में जारी संघर्ष
  - फिलिस्तीन और गाजा की स्थिति
  - प्रभावित लोगों के लिए मानवीय सहायता की आवश्यकता
  - राहत कार्यों में संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (UNRWA) की भूमिका
  - आतंकवाद के प्रति शून्य-सहिष्णुता (zero-tolerance) का साझा दृष्टिकोण
- हालांकि, चर्चा में यह भी सामने आया कि सभी देशों की राय एक समान नहीं थी। संघर्ष के कारणों और समाधान को लेकर विभिन्न देशों के अलग-अलग दृष्टिकोण थे।

BRICS–MENA के बारे में:

- BRICS–MENA से तात्पर्य BRICS देशों और मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका (MENA) क्षेत्र के बीच सहयोग और संवाद से है, जो विस्तारित BRICS+ ढांचे के अंतर्गत आता है।
- यह एक ऐसा मंच है जहाँ विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाएँ मिलकर वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करती हैं और सहयोग बढ़ाती हैं।

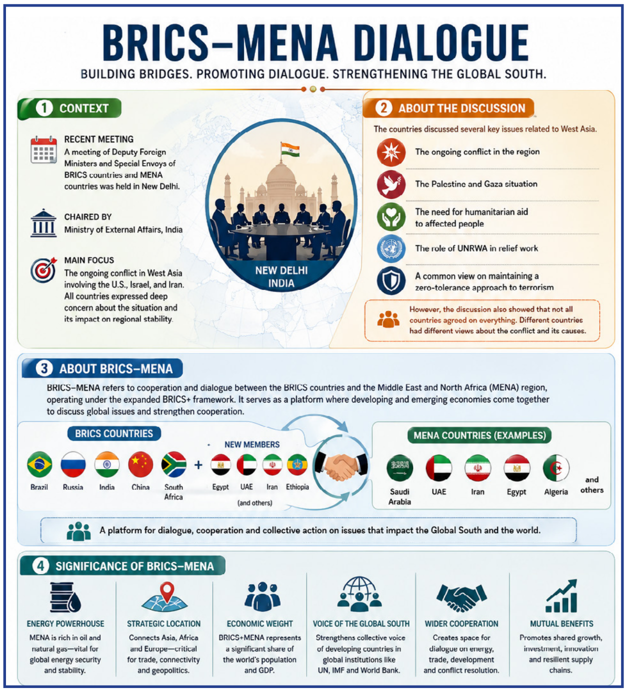

BRICS–MENA का महत्व:

- यह समूह कई कारणों से महत्वपूर्ण है। MENA क्षेत्र तेल और प्राकृतिक गैस जैसे ऊर्जा संसाधनों से समृद्ध है, जिससे यह वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत अहम बनता है। यह क्षेत्र एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच स्थित होने के कारण भू-राजनीतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- BRICS और MENA देशों की संयुक्त जनसंख्या और GDP का बड़ा हिस्सा होने के कारण इनकी वैश्विक आर्थिक शक्ति भी काफी अधिक है।
- यह मंच ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करता है और संयुक्त राष्ट्र, IMF तथा विश्व बैंक जैसे वैश्विक संस्थानों में विकासशील देशों के हितों को उठाने में मदद करता है। साथ ही यह ऊर्जा, व्यापार, विकास और संघर्ष जैसे वैश्विक मुद्दों पर संवाद का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है।

भारत की भूमिका:

- भारत ने इस बैठक की अध्यक्षता की और विभिन्न देशों के बीच एक "सेतु (bridge)" की भूमिका निभाई। भारत का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि उसके पश्चिम एशिया के कई देशों के साथ अच्छे संबंध हैं।
- भारत हमेशा संघर्ष के बजाय संवाद और कूटनीति (diplomacy)

का समर्थन करता है और विभिन्न देशों को एक साझा मंच पर लाने में मदद करता है। यह भारत की बढ़ती वैश्विक कूटनीतिक भूमिका को दर्शाता है।

मुख्य चुनौती:

- हालांकि इस मंच पर देशों को एक साथ लाया गया, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि विभिन्न देशों के हित और दृष्टिकोण अलग-अलग हैं। उदाहरण के लिए, ईरान, यूएई और अन्य देशों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद हैं।
- इसी कारण सभी देशों के लिए एक साझा और एकमत स्थिति बनाना कठिन है। वर्तमान में BRICS–MENA अधिकतर एक चर्चा मंच (dialogue platform) है, न कि निर्णय लेने वाला संगठन।

निष्कर्ष:

BRICS–MENA सहयोग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं और ऊर्जा-संपन्न देशों को एक साथ लाता है। इसका विकास यह दर्शाता है कि दुनिया एक बहुध्रुवीय (multipolar) व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, जहाँ ग्लोबल साउथ के देश वैश्विक निर्णय-प्रक्रिया में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

भारत–न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (FTA)

संदर्भ:

हाल ही में भारत और न्यूज़ीलैंड ने नई दिल्ली में औपचारिक रूप से एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता कई वर्षों की वार्ताओं के बाद संपन्न हुआ है और इसका उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को महत्वपूर्ण रूप से गहरा करना तथा व्यापारिक अवसरों का विस्तार करना है।

FTA की प्रमुख विशेषताएँ:

- **व्यापार विस्तार लक्ष्य:** अगले पाँच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार 5 अरब अमेरिकी डॉलर तक दोगुना होने की उम्मीद है।
- **शुल्क-मुक्त पहुंच:** न्यूज़ीलैंड को भारत के निर्यात पर 100% टैरिफ (शुल्क) समाप्त किया जाएगा।
- **निवेश प्रतिबद्धता:** अगले 15 वर्षों में न्यूज़ीलैंड द्वारा 20 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया जाएगा।
- **संतुलित दृष्टिकोण:** डेयरी और कुछ चयनित कृषि उत्पादों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को संरक्षण दिया गया है।
- **त्वरित समझौता:** यह भारत के सबसे तेज़ FTAs में से एक है, जिसकी वार्ता मार्च से दिसंबर 2025 के बीच पूरी हुई।

भारत–न्यूज़ीलैंड आर्थिक संबंध:

- न्यूज़ीलैंड ओशिनिया में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
  - **वस्तु व्यापार (Merchandise Trade):** 2023–24 में 873 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2024–25 में 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
  - **सेवा व्यापार (Services Trade):** 2024 में 634 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा, जो आईटी, यात्रा और व्यावसायिक सेवाओं से प्रेरित है।
  - **व्यापार संतुलन:** भारत का व्यापार संतुलन सकारात्मक (प्लस में) बना हुआ है।
  - **प्रवासी संबंध:** न्यूज़ीलैंड में लगभग 3 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जो सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करते हैं।

समझौते की प्रमुख विशेषताएँ:

- **बाजार पहुंच और टैरिफ:**

- » न्यूज़ीलैंड द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 100% टैरिफ समाप्त किया जाएगा।
- » भारत 70% टैरिफ लाइनों पर चरणबद्ध तरीके से बाजार पहुंच प्रदान करेगा।
- » **अपवर्जित क्षेत्र:** डेयरी, कुछ चयनित फसलें और रणनीतिक औद्योगिक वस्तुएं।

- **प्रमुख क्षेत्रों को बढ़ावा:**
  - » **श्रम-प्रधान क्षेत्र:** वस्त्र, चमड़ा, जूते, रत्न एवं आभूषण।
  - » **उन्नत क्षेत्र:** फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स।
  - » **कृषि क्षेत्र:** फल, मसाले, अनाज, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ।
- **कृषि एवं ग्रामीण विकास (Agriculture & Rural Development):**
  - » कृषि उत्पादन में सुधार के लिए "एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पार्टनरशिप"
  - » सेब, कीवीफ्रूट और शहद के लिए संयुक्त पहल
  - » "सेंटर ऑफ एक्सीलेंस" की स्थापना और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण
  - » आयात और घरेलू संरक्षण के बीच संतुलन के लिए टैरिफ रेट कोटा (TRQs)
- **सेवाएँ और गतिशीलता के अवसर:**
  - » **सेवाएँ (Services):**
    - ➢ न्यूज़ीलैंड द्वारा 118 क्षेत्रों में बाजार खोलना और 139 क्षेत्रों में MFN (Most Favoured Nation) प्रतिबद्धताएँ
    - ➢ भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों (AYUSH) को मान्यता
  - » **गतिशीलता (Mobility):**
    - ➢ भारतीय पेशेवरों के लिए 5,000 कुशल श्रमिक वीज़ा
    - ➢ **छात्र लाभ**:
      - प्रति सप्ताह 20 घंटे तक कार्य की अनुमति
      - पढ़ाई पूरी करने के बाद 4 वर्ष तक पोस्ट-स्टडी वर्क वीज़ा
      - **वर्किंग हॉलिडे वीज़ा:** हर वर्ष 1,000 युवाओं के लिए अवसर
- **निवेश एवं संस्थागत सहयोग:**
  - » 20 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रतिबद्धता
  - » संस्थागत सहयोग के माध्यम से MSME (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) को समर्थन
  - » ऑर्गेनिक प्रमाणन की पारस्परिक मान्यता
  - » कस्टम्स क्लियरेंस में तेजी (24–48 घंटे में)

रणनीतिक महत्व:

- ओशिनिया और प्रशांत क्षेत्र में भारत की पहुंच को मजबूत करता है।
- भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (Global Value Chains) में और एकीकृत करता है।
- रोजगार सृजन और निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है।
- आयुष और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से भारत की सॉफ्ट पावर को सुदृढ़ करता है।

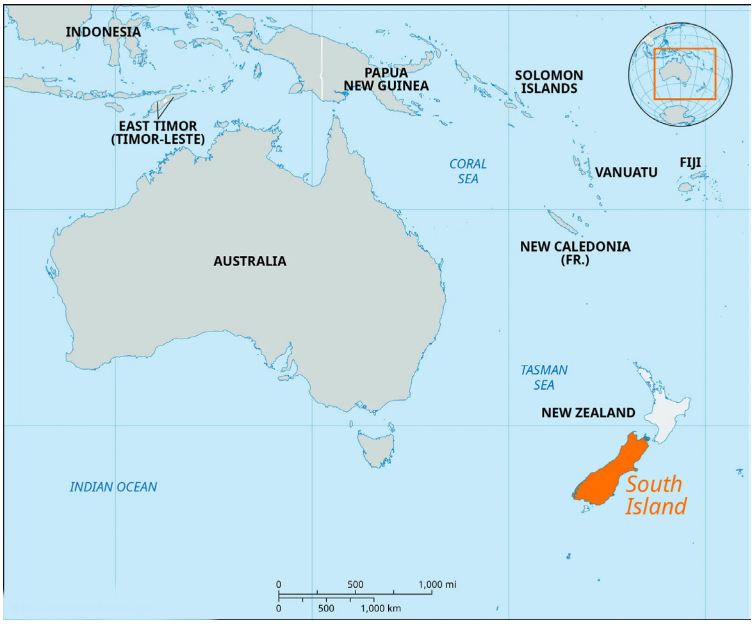

भारत का बढ़ता मुक्त व्यापार समझौता (FTA) नेटवर्क:

- भारत ने वैश्विक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से व्यापार समझौतों का प्रयास किया है:
  - » भारत–यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता-CEPA (2022)
  - » भारत–ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता-ECTA (2022)
  - » भारत–EFTA व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता-TEPA (2024)

» भारत–यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता-CETA (2025)
» भारत–ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता-CEPA (2025)

चुनौतियाँ:

- घरेलू उद्योगों की चिंताओं का प्रबंधन (विशेषकर कृषि क्षेत्र में)
- टैरिफ रियायतों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना
- गैर-टैरिफ बाधाओं (Non-Tariff Barriers) को संबोधित करना
- व्यापार उदारीकरण और आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाए रखना।

निष्कर्ष:

भारत–न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौता भारत की व्यापार कूटनीति (Trade Diplomacy) में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह समझौता बाजार पहुंच, निवेश, गतिशीलता और तकनीकी सहयोग को एक साथ जोड़कर विभिन्न क्षेत्रों को व्यापक लाभ प्रदान करने की क्षमता रखता है। यह भारत के उस दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसमें वह एक वैश्विक रूप से एकीकृत अर्थव्यवस्था बनने और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रहा है।

यूएई का ओपेक से बाहर निकलने का निर्णय

सन्दर्भ:

हाल ही में, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने 1 मई 2026 से प्रभावी होने वाले अपने निर्णय के तहत पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (OPEC) से बाहर निकलने की घोषणा की है। यह कदम संगठन के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक के बाहर होने को दर्शाता है और इससे वैश्विक तेल आपूर्ति व कीमतों पर ओपेक के प्रभाव के कमजोर होने की आशंका बढ़ गई है।

ओपेक के बारे में:

- पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (OPEC) एक स्थायी अंतर-सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 1960 में बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य तेल उत्पादक देशों की नीतियों का समन्वय करना है।
- इसका मुख्यालय वियना में स्थित है और वर्तमान में इसमें लगभग 12 विकासशील तेल निर्यातक देश शामिल हैं, जो वैश्विक तेल उत्पादन का लगभग 30–40% और विश्व के सिद्ध तेल भंडार का लगभग 80% नियंत्रित करते हैं।
- ओपेक का मुख्य उद्देश्य पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय, वैश्विक तेल बाजारों को स्थिर रखना, उत्पादकों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना तथा उपभोक्ताओं को निरंतर आपूर्ति उपलब्ध कराना है। वर्ष 2016 में ओपेक+ गठबंधन का गठन किया गया, जिसमें रूस जैसे गैर-ओपेक देश भी शामिल हैं, ताकि मिलकर तेल उत्पादन का प्रबंधन किया जा सके और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को प्रभावित किया जा सके।

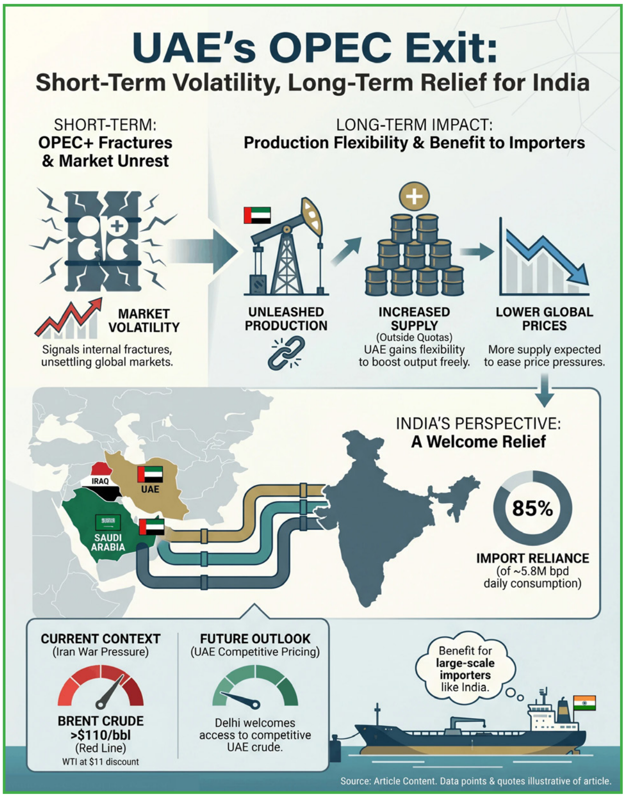

यूएई के ओपेक से बाहर होने के कारण:

- **उत्पादन कोटा से असंतोष**
  » यूएई लंबे समय से ओपेक द्वारा लगाए गए तेल उत्पादन सीमाओं का विरोध करता रहा है।
  » उत्पादन क्षमता (लगभग 5 मिलियन बैरल/दिन तक) बढ़ाने में भारी निवेश के कारण अधिक उत्पादन का दबाव बना।
- **रणनीतिक आर्थिक दृष्टि**

- » राजस्व को अधिकतम करने और बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता का लाभ उठाने की दिशा में बदलाव।
- » ऊर्जा नीति में अधिक स्वायत्तता की इच्छा।

- **ओपेक के आंतरिक गतिशीलता में बदलाव**
  - » 2019 में कतर के बाहर निकलने से संगठन की एकजुटता कमजोर होने के संकेत मिले।
  - » सदस्य देशों के बीच बढ़ते मतभेद।
- **भूराजनीतिक तनाव**
  - » ओपेक के प्रमुख देश सऊदी अरब के साथ संबंधों में तनाव।
  - » क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता और नीतिगत मतभेद।

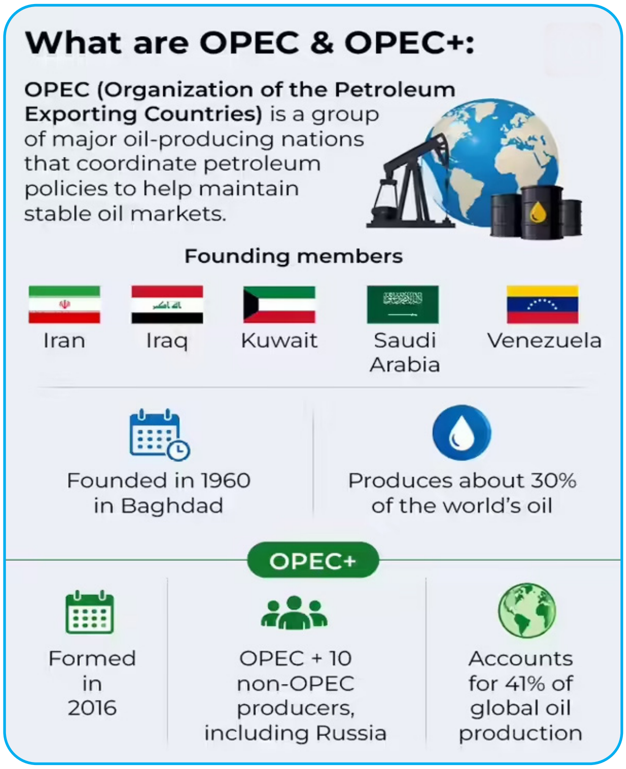

यूएई के बाहर होने के प्रभाव:

- **ओपेक की कार्टेल शक्ति में कमी**
  - » एक बड़े उत्पादक के बाहर होने से आपूर्ति नियंत्रित करने की क्षमता घटेगी।
  - » समूह के भीतर अतिरिक्त उत्पादन क्षमता में कमी आएगी।
- **बाजार में अधिक अस्थिरता**
  - » समन्वय में कमी से कीमतों में उतार-चढ़ाव बढ़ सकता है।
  - » वैश्विक तेल बाजार को स्थिर रखना कठिन हो सकता है।
- **प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादन में वृद्धि**
  - » देश सामूहिक समझौतों के बजाय अपने राष्ट्रीय उत्पादन को प्राथमिकता दे सकते हैं।
  - » तेल उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।
- **ओपेक+ पर प्रभाव**
  - » ओपेक+ से बाहर निकलने से व्यापक सहयोग तंत्र कमजोर होगा।
  - » समन्वित उत्पादन कटौती की प्रभावशीलता कम हो सकती है।

भारत के लिए प्रभाव:

- **ऊर्जा सुरक्षा**
  - » भारत, जो एक प्रमुख तेल आयातक है, ओपेक देशों पर काफी निर्भर करता है।
  - » संगठन में विखंडन से आपूर्ति में अनिश्चितता उत्पन्न हो सकती है।
- **मूल्य अस्थिरता**
  - » कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव से महंगाई और राजकोषीय स्थिरता प्रभावित हो सकती है।
- **रणनीतिक अवसर**
  - » तेल आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाने और बेहतर सौदेबाजी शक्ति प्राप्त करने की संभावना।
  - » गैर-ओपेक उत्पादक देशों के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर।

निष्कर्ष:

यूएई का ओपेक से बाहर होना वैश्विक ऊर्जा भू-राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, जो कार्टेल की कमजोर होती एकजुटता और देशों की बढ़ती राष्ट्रीय ऊर्जा प्राथमिकताओं को उजागर करता है। यह विकास एक अधिक विखंडित और प्रतिस्पर्धी वैश्विक तेल बाजार की दिशा में बदलाव को तेज कर सकता है, जिसके ऊर्जा सुरक्षा, कीमतों और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं।

4 पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

भारत की हरित ऊर्जा क्रांतिः नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में नई वैश्विक उपलब्धि

संदर्भः

भारत ने स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व में तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (IRENA) के आंकड़ों पर आधारित रिपोर्ट में यह उपलब्धि वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है, जहाँ भारत ने ब्राज़ील को पीछे छोड़ते हुए अग्रणी नवीकरणीय ऊर्जा देशों में अपनी स्थिति मजबूत की है। रिपोर्ट में भारत द्वारा सौर, पवन, जलविद्युत और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में तेज़ी से विस्तार को रेखांकित किया गया है। इस उपलब्धि की औपचारिक घोषणा अप्रैल 2026 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी द्वारा की गई, जिन्होंने इसे मजबूत नीतिगत समर्थन, बढ़ते निवेश और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण पर सरकार के निरंतर ध्यान का परिणाम बताया।

विकास की प्रमुख उपलब्धियां:

- पिछले एक दशक में भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता अब 250 गीगावाट (GW) से अधिक हो चुकी है, जबकि कुल गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता मार्च 2026 तक 283.46 गीगावाट तक पहुँच गई है।
- इस वृद्धि का एक प्रमुख कारण वित्त वर्ष 2025–26 में हुआ रिकॉर्ड विस्तार है, जिसमें भारत ने 55.3 गीगावाट नई नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दोगुनी है। यह वृद्धि देशभर में स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना के तेज़ी से विस्तार को दर्शाती है।
- एक और ऐतिहासिक उपलब्धि जून 2025 में प्राप्त हुई, जब भारत ने अपनी कुल स्थापित विद्युत क्षमता का 50% से अधिक हिस्सा गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से हासिल कर लिया, जो पेरिस समझौते के लक्ष्य से पाँच वर्ष पहले है। यह भारत की सक्रिय जलवायु रणनीति और जीवाश्म ईंधनों से तेजी से दूर होने की दिशा को दर्शाता है।

वैश्विक परिदृश्य और भारत की स्थिति:

रैंक	देश	क्षमता (GW)	विशेष टिप्पणी
1	चीन	2258.02	वैश्विक विनिर्माण केंद्र
2	यूएसए	467.92	उन्नत तकनीकी नेतृत्व
3	भारत	250.52	सबसे तेज़ वृद्धि दर
4	ब्राज़ील	228.20	जलविद्युत पर अधिक निर्भरता
5	जर्मनी	199.92	यूरोपीय ऊर्जा का आधार

विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी:

- भारत ने विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा के योगदान का अब तक का सर्वोच्च स्तर भी दर्ज किया है। जुलाई 2025 में, चरम समय के दौरान नवीकरणीय स्रोतों ने बिजली की मांग का 51.5% पूरा किया, जो दैनिक ऊर्जा आपूर्ति में उनकी बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।
- हालांकि, पूरे वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों का कुल बिजली उत्पादन में योगदान 29.2% रहा। यह अंतर एक महत्वपूर्ण चुनौती को उजागर करता है, जहाँ स्थापित

क्षमता तेज़ी से बढ़ रही है, वहीं वास्तविक उत्पादन अनियमितता (intermittency) और अवसंरचनात्मक सीमाओं के कारण सीमित रहता है।

- सौर और पवन ऊर्जा मौसम की परिस्थितियों पर काफी निर्भर करती हैं, जिससे उनका उत्पादन परिवर्तनीय (variable) होता है। बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडारण प्रणालियों की कमी और ग्रिड की सीमित लचीलापन भी नवीकरणीय क्षमता के पूर्ण उपयोग में बाधा बनते हैं। इसलिए, दक्षता बढ़ाने के लिए ऊर्जा भंडारण तकनीकों को सुदृढ़ करना और ग्रिड अवसंरचना का आधुनिकीकरण अत्यंत आवश्यक होगा।

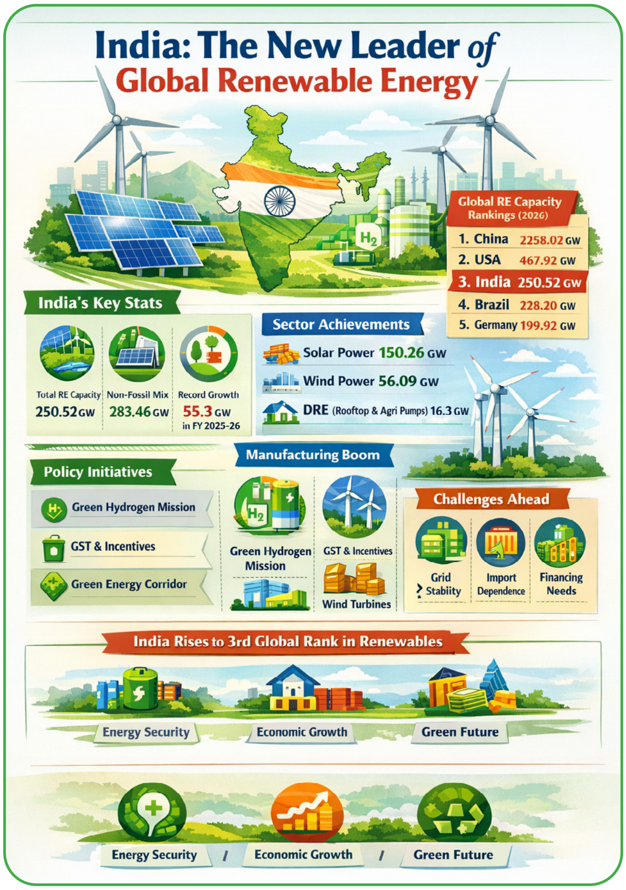

क्षेत्रवार वृद्धि प्रवृत्तियाँ:

- **सौर ऊर्जा:**
  - » सौर ऊर्जा भारत के नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार की रीढ़ बन गई बनी हुई है। स्थापित सौर क्षमता 2014 में 2.82 गीगावाट (GW) से बढ़कर 2026 में 150 गीगावाट से अधिक हो गई है।
  - » वित्त वर्ष 2025–26 में ही भारत ने रिकॉर्ड 44.6 गीगावाट सौर क्षमता जोड़ी, जो अब तक की सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि है। इसके प्रमुख कारणों में रूफटॉप सोलर का विस्तार, बड़े पैमाने पर सोलर पार्क, और ग्रामीण विद्युतीकरण पहल शामिल हैं।
  - » प्रधानमंत्री कुसुम योजना (PM-KUSUM) जैसी सरकारी योजनाओं ने किसानों को सिंचाई और अतिरिक्त आय के लिए सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। इसके साथ ही, वितरित नवीकरणीय ऊर्जा (Distributed Renewable Energy - DRE) प्रणालियों ने विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ऊर्जा उत्पादन का विकेंद्रीकरण किया है।
- **पवन ऊर्जा का विस्तार:**
  - » पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भी मजबूत वृद्धि दर्ज हुई है। भारत ने वित्त वर्ष 2025–26 में 6.05 गीगावाट पवन क्षमता जोड़ी, जो इसके इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी वार्षिक वृद्धि है, जिससे कुल स्थापित क्षमता 56 गीगावाट से अधिक हो गई है।
  - » भारत अब वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा उत्पादन में चौथे स्थान पर है। यह वृद्धि बेहतर टरबाइन दक्षता, परियोजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और सहायक नीतिगत ढांचे के कारण संभव हुई है। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा के पूरक के रूप में कार्य करती है क्योंकि यह अलग-अलग मौसम और समय चक्रों में बिजली उत्पन्न करती है, जिससे समग्र ऊर्जा संतुलन बेहतर होता है।
- **जैव ऊर्जा और लघु जलविद्युत परियोजना:**
  - » जैव ऊर्जा और लघु जलविद्युत परियोजनाएँ धीरे-धीरे विस्तार कर रही हैं और ऊर्जा विविधीकरण में योगदान दे रही हैं। अपशिष्ट-से-ऊर्जा (Waste-to-Energy) पहलें कृषि अवशेषों और शहरी कचरे को उपयोगी बिजली में बदल रही हैं, जिससे प्रदूषण कम होने के साथ-साथ ऊर्जा उत्पादन भी हो रहा है।
  - » लघु जलविद्युत परियोजनाएँ, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में, न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव के साथ स्थानीय स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करती हैं। यद्यपि ये स्रोत पैमाने में छोटे हैं, फिर भी क्षेत्रीय ऊर्जा पहुंच और सततता सुनिश्चित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

सरकारी पहल और नीतिगत उपाय:

- भारत की नवीकरणीय ऊर्जा वृद्धि को नीतिगत सुधारों और वित्तीय प्रोत्साहनों का मजबूत समर्थन प्राप्त है। प्रमुख पहलें निम्नलिखित हैं:
  - » नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों पर जीएसटी (GST) को 12% से घटाकर 5% करना, जिससे परियोजनाओं की लागत में कमी आई है।
  - » बैटरी भंडारण और लिथियम-आयन निर्माण के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना।
  - » कॉर्पोरेट स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा खरीद को बढ़ावा देने हेतु वर्चुअल पावर परचेज एग्रीमेंट्स (VPPAs) की शुरुआत।
  - » ट्रांसमिशन अवसंरचना को सुधारने के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का विकास।
  - » नवीकरणीय ऊर्जा आयात में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए निगरानी प्रणाली की शुरुआत।
- इन उपायों ने निवेशकों का विश्वास बढ़ाया है, वित्तीय बाधाओं को कम किया है और नवीकरणीय ऊर्जा-समृद्ध क्षेत्रों में ग्रिड कनेक्टिविटी को मजबूत किया है।

निर्माण और आत्मनिर्भर भारत:

- भारत की ऊर्जा रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ आत्मनिर्भर भारत के तहत घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है।
- भारत की सौर मॉड्यूल निर्माण क्षमता 172 गीगावाट तक पहुँच चुकी है, जबकि पवन टरबाइन निर्माण क्षमता 24 गीगावाट है। ये उपलब्धियाँ आयात पर निर्भरता कम करती हैं और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाती हैं।
- उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLI Scheme) ने सौर पैनल, बैटरी और संबंधित घटकों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आयात निगरानी प्रणाली आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता को और मजबूत करती है।
- यह औद्योगिक विस्तार रोजगार सृजन कर रहा है, निर्यात को बढ़ावा दे रहा है और भारत को नवीकरणीय ऊर्जा निर्माण का संभावित वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में अग्रसर कर रहा है।

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन: भविष्य की दिशा

- भारत का स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में अगला बड़ा कदम राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्रतिवर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है।
- इस मिशन से अपेक्षित है कि यह:
  - » लगभग 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ेगा
  - » ₹8 लाख करोड़ के निवेश को आकर्षित करेगा
  - » 6 लाख से अधिक रोजगार सृजित करेगा
  - » इस्पात, रिफाइनिंग और परिवहन क्षेत्रों में उत्सर्जन में कमी लाएगा
- हरित हाइड्रोजन को एक परिवर्तनकारी ऊर्जा वाहक (energy carrier) माना जाता है, जो कठिन-से-कम-कार्बन बनने वाले उद्योगों (hard-to-abate industries) को डीकार्बोनाइज़ कर सकता है और भारत के दीर्घकालिक नेट-ज़ीरो लक्ष्यों को समर्थन दे सकता है।

चुनौतियाँ:

तेज़ प्रगति के बावजूद कई चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं:

- नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की अनियमितता के कारण ग्रिड एकीकरण (grid integration) की समस्याएँ
- ऊर्जा भंडारण प्रणालियों की कमी
- वितरण कंपनियों (DISCOMs) पर वित्तीय दबाव
- भूमि अधिग्रहण और नियामकीय (regulatory) देरी
- कोयले पर निरंतर निर्भरता, जो अभी भी लगभग 70% बिजली उत्पादन में योगदान देता है

ये चुनौतियाँ भारत की ऊर्जा प्रणाली के संक्रमणकालीन (transitional) स्वरूप को दर्शाती हैं। इनका समाधान ऊर्जा भंडारण तकनीकों में निवेश, नीतिगत सुधारों और मजबूत संस्थागत समन्वय के माध्यम से करना आवश्यक होगा।

भारत की उपलब्धि का वैश्विक महत्व:

- भारत का तीसरा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक बनना वैश्विक स्तर पर अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि बड़े विकासशील देश आर्थिक विकास और पर्यावरणीय सततता (sustainability) को एक साथ आगे बढ़ा सकते हैं।
- कई विकसित देशों के विपरीत, जिन्होंने औद्योगिकीकरण के बाद स्वच्छ ऊर्जा की ओर कदम बढ़ाया, भारत अपने विकास चरण के दौरान ही स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह मॉडल अन्य विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक बनता है।
- भारत की यह प्रगति अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं में उसकी भूमिका को भी मजबूत करती है और पेरिस समझौते (Paris Agreement)

के तहत उसकी प्रतिबद्धताओं को सुदृढ़ करती है, जिससे वह विकसित और विकासशील देशों के बीच एक सेतु (bridge) के रूप में स्थापित होता है।

आगे की राह:

- वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत को निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना होगा:
  - ऊर्जा भंडारण अवसंरचना का विस्तार
  - स्मार्ट ग्रिड प्रणालियों का विकास
  - हाइब्रिड नवीकरणीय परियोजनाओं (सौर + पवन) को बढ़ावा
  - DISCOMs की वित्तीय स्थिति में सुधार
  - नियामकीय अनुमोदनों की प्रक्रिया को सरल बनाना
  - केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना

ये कदम नवीकरणीय ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता, दक्षता और विस्तार क्षमता सुनिश्चित करेंगे।

निष्कर्ष:

भारत का तीसरा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक बनना उसकी ऊर्जा परिवर्तन यात्रा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह मजबूत नीतिगत दिशा, तकनीकी प्रगति और स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना में बड़े पैमाने पर निवेश को दर्शाता है। हालांकि, अगला चरण अधिक जटिल होगा, जिसमें प्रणाली एकीकरण (system integration), ऊर्जा भंडारण समाधान और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता होगी। यदि इन चुनौतियों का प्रभावी समाधान किया जाता है, तो भारत न केवल अपने जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेगा, बल्कि सतत और समावेशी ऊर्जा विकास में एक वैश्विक नेता भी बन सकता है।

जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के तहत दो नए नामित भंडार अधिसूचित

सन्दर्भ:

हाल ही में, भारत सरकार ने जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 39 के तहत दो प्रमुख संस्थानों को 'नामित रिपॉजिटरी' (Designated Repositories) के रूप में अधिसूचित किया है। यह कदम भारत की समृद्ध जैविक विरासत के वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण, संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ाएगा। इन नई नियुक्तियों के साथ, देश में राष्ट्रीय रिपॉजिटरी नेटवर्क की संख्या बढ़कर 18 हो गई है, जो जैव संसाधनों के अध्ययन और सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करेंगे।

नामित रिपॉजिटरी क्या होते है?

- जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के तहत नामित रिपॉजिटरी (Designated Repository) वे संस्थाएं हैं जिन्हें सरकार द्वारा जैविक संसाधनों और उनसे संबंधित जानकारी को संरक्षित करने के लिए मान्यता प्राप्त है।
- ये संस्थान (जैसे- केंद्रीय या राज्य प्रयोगशालाएं, विश्वविद्यालय) शोध, अकादमिक या व्यावसायिक उपयोग के लिए जमा किए गए नमूनों को सुरक्षित रखते हैं और एक केंद्रीय नेटवर्क के रूप में कार्य करते हैं।

नए नामित रिपॉजिटरी के बारे में:

- भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने निम्नलिखित दो संस्थानों को अधिसूचित किया है:
  - **रेफरल सेंटर 'भवसागर' (Referral Centre Bhavasagara-CMLRE, कोच्चि):** पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत समुद्री सजीव संसाधन और पारिस्थितिकी केंद्र (CMLRE), कोच्चि में स्थित इस केंद्र को 'गहरे समुद्र के जीवजंतुओं' (Deep-Sea Fauna) के लिए राष्ट्रीय रिपॉजिटरी के रूप में मान्यता दी गई है। यह केंद्र विशेष रूप से दुर्लभ अकशेरुकी (invertebrates) और गहरे समुद्र की मछलियों सहित 3,500 से अधिक टैक्सोनॉमिक रूप से पहचाने गए नमूनों को संरक्षित करता है। यह हिंद महासागर के गहरे समुद्र में अनुसंधान और जैव-संसाधनों की सूची बनाने में अग्रणी भूमिका निभाएगा।
  - **सूक्ष्मजीवों का MACS संग्रह (MACS Collection of Microorganisms - ARI, पुणे):** अगरकर अनुसंधान संस्थान (ARI), पुणे में स्थित यह केंद्र विशेष सूक्ष्मजीव संस्कृतियों (microbial cultures) पर ध्यान केंद्रित करता है। यह विशेष रूप से 'कठिन-से-विकसित' (difficult-to-grow) और एनारोबिक/एक्सट्रीमोफिलिक प्रजातियों के लिए जाना जाता है, जो औद्योगिक और स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण हैं।

जैविक विविधता अधिनियम, 2002:

- यह अधिनियम 1992 के सीबीडी (CBD) के दायित्वों को पूरा करने के लिए बनाया गया था, जिसका उद्देश्य है:
  - जैव विविधता का संरक्षण।
  - इसके घटकों का सतत उपयोग।
  - जैविक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों का उचित और न्यायसंगत साझाकरण (Access and Benefit Sharing - ABS)।

तीन-स्तरीय संरचना:

- **राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA):** विदेशी संस्थाओं के लिए अनुमोदन और शोध स्थानांतरण को विनियमित करता है।
- **राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBB):** राज्य-स्तरीय नियमन।
- **जैव विविधता प्रबंधन समितियां (BMCs):** स्थानीय स्तर पर पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (PBRs) के माध्यम से संरक्षण और ज्ञान का दस्तावेजीकरण।

हालिया संशोधन (2023):

- जैविक विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 ने छोटे अपराधों को गैर-अपराधिक (decriminalize) बनाने, आयुष चिकित्सकों को बढ़ावा देने और अनुसंधान व वाणिज्यिक उपयोग को आसान बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। यह संशोधन 'व्यवसाय करने में आसानी' (Ease of Doing Business) के साथ-साथ संरक्षण के बीच संतुलन बनाता है।

निष्कर्ष:

कोच्चि और पुणे में नए रिपॉजिटरी का शामिल होना भारत की जैव-अर्थव्यवस्था और संरक्षण रणनीतियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह न केवल हमारी अनूठी समुद्री और सूक्ष्मजीव विविधता को सुरक्षित रखेगा, बल्कि भविष्य की वैज्ञानिक खोजों के लिए एक मजबूत आधार भी प्रदान करेगा, जो देश के सतत विकास में सहायक होगा।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2026

सन्दर्भ:

हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने 'प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2026' को अधिसूचित किया है। 31 मार्च, 2026 को लागू किए गए ये नियम भारत के 2021 और 2022 के मूल नियमों में महत्वपूर्ण सुधार करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना और भारत को 'चक्रीय अर्थव्यवस्था' (Circular Economy) की ओर तेजी से अग्रसर करना है।

प्रमुख संशोधन और विशेषताएं:

- **अनिवार्य पुनर्चक्रित सामग्री:** नए नियमों के तहत, उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों (PIBOs) के लिए प्लास्टिक पैकेजिंग में एक निश्चित प्रतिशत पुनर्चक्रित (Recycled) प्लास्टिक का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है।
  - **श्रेणी I (कठोर प्लास्टिक):** वर्ष 2025-26 के लिए 30% का लक्ष्य रखा गया है, जिसे 2028-29 तक बढ़ाकर 60% किया जाएगा।
  - **श्रेणी II और III (लचीली और बहुस्तरीय पैकेजिंग):** इनके लिए भी चरणबद्ध तरीके से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।
- **पुन: उपयोग (Reuse) के कड़े नियम:** पहली बार कठोर प्लास्टिक पैकेजिंग (जैसे 5 लीटर से बड़ी पानी की बोतलें) के लिए 'पुन: उपयोग' के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। वर्ष 2025-26 के लिए यह लक्ष्य 70% है, जो भविष्य में 85% तक जाएगा। यह 'उपयोग करो और फेंको' (Use and Throw) की संस्कृति को कम करता है।
- **'रीसाइक्लिंग' की नई परिभाषा:** संशोधन के तहत अब 'पुनर्चक्रण' (Recycling) में न केवल नए उत्पाद बनाना शामिल है, बल्कि प्लास्टिक कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करना (Waste-to-Energy) भी शामिल है। इसमें सीमेंट/स्टील उद्योगों में को-प्रोसेसिंग और सड़क निर्माण जैसी प्रक्रियाओं को 'एंड-ऑफ-लाइफ डिस्पोजल' के रूप में मान्यता दी गई है।
- **विकेंद्रीकृत प्रवर्तन (Decentralized Enforcement):** प्रभावी कार्यान्वयन के लिए स्थानीय निकायों (नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों) को अधिक शक्तियां दी गई हैं। अब जमीनी स्तर पर प्लास्टिक कचरे के पृथक्करण और प्रबंधन की जिम्मेदारी इन निकायों की होगी।
- **सत्यापन और ऑडिट:** विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) के अनुपालन की जांच अब पंजीकृत 'पर्यावरण ऑडिटर्स' द्वारा की जा सकेगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और डेटा की सटीकता सुनिश्चित होगी।

चुनौतियां और लाभ:

- **लाभ:**
  - **पर्यावरणीय प्रभाव:** यह संशोधन लैंडफिल में जाने वाले प्लास्टिक कचरे को कम करेगा और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करेगा।
  - **आर्थिक अवसर:** पुनर्चक्रण उद्योग में निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
  - **सतत विकास लक्ष्य (SDG):** यह नियम SDG 12 (जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन) और SDG 13 (जलवायु कार्रवाई) को प्राप्त करने में सहायक है।
- **चुनौतियां:**
  - **संग्रहण और पृथक्करण:** भारत में अभी भी स्रोत पर कचरे

का पृथक्करण एक बड़ी चुनौती है।

» **तकनीकी बाधाएं:** खाद्य सामग्री और दवाओं की पैकेजिंग में पुनर्चक्रित प्लास्टिक का उपयोग स्वास्थ्य मानकों (FSSAI नियमों) के कारण जटिल है।

» **लघु उद्योगों पर प्रभाव:** छोटे उत्पादकों के लिए नई तकनीक और अनुपालन की लागत एक वित्तीय बोझ बन सकती है।

निष्कर्ष:

2026 की यह उपलब्धि प्लास्टिक प्रदूषण पर संयुक्त राष्ट्र संधि (UN Treaty on Plastic Pollution) के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। एक विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए, औद्योगिक विकास को इतने कड़े पर्यावरणीय आदेशों के साथ संतुलित करना एक कठिन कार्य है, लेकिन सतत विकास लक्ष्य (SDG) 12: जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन की दिशा में यह एक आवश्यक कदम है।

वन्यजीव प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन

संदर्भ:

हाल ही में ब्राजील के कैम्पो ग्रांडे में वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन (CMS) के 15वें पक्षकारों के सम्मेलन (COP15) का आयोजन संपन्न हुआ। इस शिखर सम्मेलन का विषय "प्रकृति को जोड़ना, जीवन को बनाए रखना" (Connecting Nature to Sustain Life) था। इस शिखर सम्मेलन में प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, जिनमें 40 नई प्रजातियों को सुरक्षा सूची में शामिल करना प्रमुख है।

प्रमुख निष्कर्ष:

- **सुरक्षा सूची (Appendices) का विस्तार:** COP15 में कुल 40 नई प्रजातियों, उप-प्रजातियों और आबादी को CMS के परिशिष्टों (Appendices) में जोड़ा गया है:
  » **परिशिष्ट I (Appendix I):** इसमें उन लुप्तप्राय प्रजातियों को रखा गया है जिन्हें सख्त सुरक्षा की आवश्यकता है। इस बार बर्फीला उल्लू (Snowy Owl) और विशाल ऊदबिलाव (Giant Otter) जैसी प्रजातियों को इसमें शामिल किया गया है।
  » **परिशिष्ट II (Appendix II):** इसमें उन प्रजातियों को रखा गया है जिनके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। इसमें धारीदार लकड़बग्घा (Striped Hyena) और थ्रेशर शार्क की विभिन्न प्रजातियों को स्थान मिला है।
- **समुद्री फ्लाईवे (Marine Flyways) की मान्यता:** सम्मेलन में पहली बार वैश्विक 'समुद्री फ्लाईवे' (Marine Flyways) को औपचारिक रूप से मान्यता दी गई। यह समुद्री पक्षियों और अन्य समुद्री जीवों के प्रवास मार्गों को संरक्षित करने के लिए सदस्य देशों के बीच समन्वय को बढ़ावा देगा।

- **अवैध शिकार पर वैश्विक पहल:** प्रवासी प्रजातियों के अवैध और असुरक्षित शिकार (Illegal Taking) को रोकने के लिए एक नई वैश्विक पहल शुरू की गई है। यह पहल विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर केंद्रित है जहाँ प्रवासी पक्षियों और स्तनधारियों का बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता है।
- **पारिस्थितिक कनेक्टिविटी:** COP15 का मुख्य उद्देश्य 'पारिस्थितिक कनेक्टिविटी' पर है। इसका अर्थ है कि केवल प्रजातियों को बचाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके प्रवास के मार्गों (जैसे गलियारे और वेटलैंड्स) को भी निर्बाध और सुरक्षित रखना आवश्यक है।

भारत और वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण:

- भारत वर्ष 1983 से प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण (CMS) का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है। भारत ने फरवरी 2020 में गांधीनगर में COP13 की मेजबानी की थी। भारत वर्तमान में 'सेंट्रल एशियन फ्लाईवे' (CAF) के संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से हिंद महासागर तक फैला हुआ है।
- **वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण (CMS):** इसे 'बॉन कन्वेंशन' के नाम से भी जाना जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के तत्वावधान में एकमात्र वैश्विक संधि है जो प्रवासी प्रजातियों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए काम करती है।
  - **सचिवालय:** बॉन, जर्मनी।
  - **अगला सम्मेलन (COP16):** वर्ष 2029 में जर्मनी में आयोजित होगा, जो CMS की 50वीं वर्षगांठ भी होगी।
  - **शामिल नई प्रजातियां:** धारीदार लकड़बग्घा, विशाल ऊदबिलाव, जिम्बाब्वे की चीता आबादी, और अमेज़ॅन की प्रवासी कैटफ़िश।

जीवों की प्रवासी प्रजातियों का महत्त्व:

- प्रवासी प्रजातियां पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य की सूचक होती हैं। वे परागण, बीज प्रसार और कीट नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हालांकि, जलवायु परिवर्तन, आवास का विखंडन (Habitat Fragmentation) और रैखिक बुनियादी ढांचा (जैसे सड़कें और विद्युत की लाइनें) उनके अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं। CMS COP15 के निर्णय 'कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे' (GBF) के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं।

निष्कर्ष:

प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण (CMS) COP15 ने यह स्पष्ट किया है कि प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण सीमाओं से परे एक साझा वैश्विक दायित्व है। 40 नई प्रजातियों का शामिल होना वैश्विक जैव विविधता संकट की गंभीरता को दर्शाता है, साथ ही उन्हें बचाने के सामूहिक संकल्प को भी दृढ़ करता है।

भवसागर: भारत का पहला गहरे समुद्र के जीवों का राष्ट्रीय भंडार

संदर्भ:

हाल ही में, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने कोच्चि स्थित 'भवसागर' (Bhavasagara) रेफरल सेंटर को गहरे समुद्र के जीवों (Deep-Sea Fauna) के लिए राष्ट्रीय भंडार के रूप में मान्यता दी है। यह कदम भारत के समुद्री जैव विविधता संरक्षण ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

कानूनी एवं संस्थागत ढांचा:

- 'भवसागर' को यह मान्यता जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 39 के अंतर्गत प्रदान की गई है। यह केंद्र 'समुद्री सजीव संसाधन एवं पारिस्थितिकी केंद्र' (CMLRE), कोच्चि के अंतर्गत संचालित होता है।
- **इस मान्यता के साथ:**
  - केंद्र को समुद्री जैविक संसाधनों के संग्रह, प्रलेखन एवं संरक्षण का विधिक अधिकार प्राप्त हो गया है।
  - यह राष्ट्रीय स्तर पर गहरे समुद्र के जीवों का आधिकारिक भंडार एवं संदर्भ केंद्र बन गया है।

'भवसागर' की प्रमुख विशेषताएं:

- **विशाल संग्रह:** वर्तमान में इस केंद्र में 3,500 से अधिक वर्गीकृत और जियो-रेफरेंस वाले नमूने मौजूद हैं। इनमें गहरे समुद्र के अकशेरुकी जीव (जैसे मोलस्क और आर्थ्रोपोड) और कशेरुकी जीव (जैसे शार्क और किरणें) शामिल हैं।
- **नमूनों (Specimens) का संरक्षक:** यह केंद्र उन विशिष्ट नमूनों का आधिकारिक संरक्षक होगा जिनके आधार पर नई प्रजातियों का वर्णन किया जाता है। यह टैक्सोनोमिक शोध के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- **डिजिटल और आनुवंशिक डेटा:** शारीरिक नमूनों के अलावा, यह भंडार भविष्य के शोध के लिए DNA अनुक्रमों और संबंधित जैविक डेटा को भी सुरक्षित रखेगा।

प्रजातियों का सांख्यिकीय विवरण (2021 तक):

- **कुल दर्ज प्रजातियां:** 4,371
- **प्रोटिस्टा (Protista):** 1,032 प्रजातियां (इसमें मुख्य रूप से एककोशिकीय जीव शामिल हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र की आधारभूत कड़ी हैं)।
- **ऐनिमेलिया (Animalia):** 3,339 प्रजातियां (इसमें स्पंज, कोरल, केकड़े, मछलियाँ और समुद्री स्तनधारी जैसे बहुकोशिकीय

जीव शामिल हैं)।

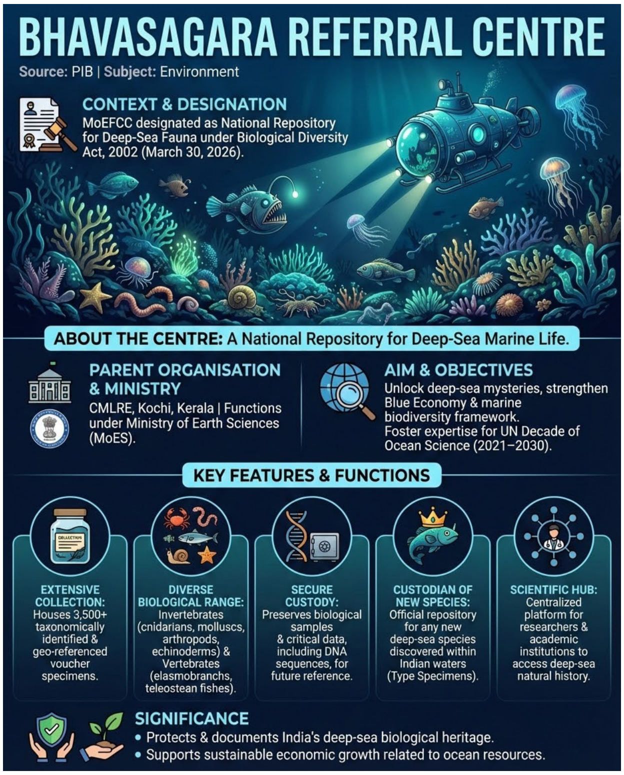

भारत के लिए महत्व:

- **गहरे समुद्र मिशन (Deep Ocean Mission) को गति:** भारत सरकार का 'डीप ओशन मिशन' नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) का एक प्रमुख स्तंभ है। 'भवसागर' को राष्ट्रीय भंडार घोषित करने से समुद्र के अप्रयुक्त संसाधनों के वैज्ञानिक अन्वेषण और उनके सतत उपयोग के लिए एक ठोस आधार मिलेगा।
- **समुद्री जैव विविधता का संरक्षण:** गहरा समुद्र (200 मीटर से अधिक गहरा) पृथ्वी के सबसे कम खोजे गए क्षेत्रों में से एक है। एक समर्पित राष्ट्रीय भंडार होने से लुप्तप्राय समुद्री प्रजातियों की पहचान करने और उनके संरक्षण के लिए प्रभावी नीतियां बनाने में मदद मिलेगी।
- **अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं:** यह पहल 'सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान के संयुक्त राष्ट्र दशक (2021-2030)' के लक्ष्यों के अनुरूप है। यह वैश्विक मंच पर समुद्री संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, विशेष रूप से 'राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर की जैव विविधता' (BBNJ) संधि के संदर्भ में।
- **अनुसंधान और नवाचार:** यह केंद्र शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं के लिए एक ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करेगा। यह न केवल नई प्रजातियों की खोज को सुगम बनाएगा, बल्कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने में भी मदद करेगा।

निष्कर्ष:

'भवसागर' को राष्ट्रीय भंडार के रूप में नामित करना केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है, बल्कि यह भारत की वैज्ञानिक संप्रभुता और समुद्री संसाधनों के प्रति जिम्मेदारी का प्रतीक है। जैसे-जैसे भारत एक 'प्रमुख समुद्री शक्ति' बनने की ओर अग्रसर है, ऐसे संस्थान समुद्री संसाधनों के 'उपयोग' और 'संरक्षण' के बीच संतुलन बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएंगे।

भारत में जल संकट: सूखती नदियाँ और घटते जलाशय

सन्दर्भ:

हाल ही जारी केंद्रीय जल आयोग (CWC) के आंकड़ों ने भारत में जल संकट की गंभीरता को दर्शाया है। देश के 166 प्रमुख जलाशयों में जल भंडारण उनकी कुल क्षमता के लगभग आधे स्तर तक सिमट गया है। गर्मियों की शुरुआत से पहले ही यह स्थिति संकेत देती है कि आने वाले महीनों में जल संकट और गहरा सकता है।

वर्तमान स्थिति का विश्लेषण:

- भारत के जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता लगभग 178.78 बिलियन क्यूबिक मीटर (BCM) है। केंद्रीय जल आयोग (CWC) के अनुसार, देश के प्रमुख जलाशयों में कुल जल भंडारण लगभग 56–57% के आसपास है, जबकि कई क्षेत्रों में यह स्तर 50% से भी नीचे चला गया है। विशेष रूप से दक्षिण भारत में स्थिति अधिक चिंताजनक है, जहाँ जलाशयों का भंडारण लगभग 47% तक सीमित रह गया है।
- इसके विपरीत, पश्चिमी और मध्य भारत में जल भंडारण अपेक्षाकृत बेहतर है, किंतु वहाँ भी गिरावट का रुझान स्पष्ट है। बिहार, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर के कुछ जलाशयों में जल स्तर सामान्य से काफी कम दर्ज किया गया है, जो स्थानीय जल आपूर्ति और कृषि के लिए खतरे का संकेत है।

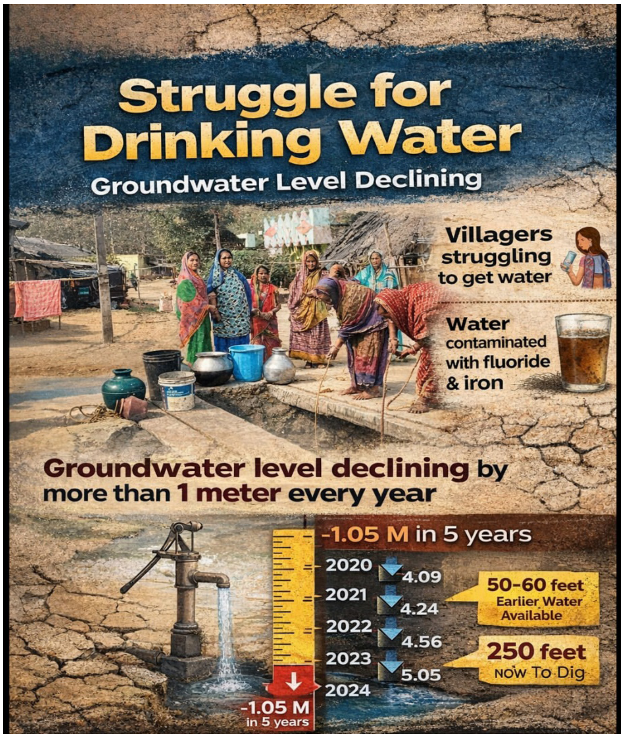

जल संकट के प्रमुख कारण:

- **वर्षा में कमी:** इस वर्ष देश के लगभग 70% हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा हुई है। मार्च के बाद अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा का अभाव रहा, जिससे जलाशयों का पुनर्भरण (recharge) नहीं हो पाया।
- **मौसमी प्रभाव:** मार्च से जून के बीच का समय स्वाभाविक रूप से जल स्तर में गिरावट का होता है। इस दौरान तापमान बढ़ने से वाष्पीकरण अधिक होता है और जल की मांग भी बढ़ जाती है।
- **नदियों का सूखना:** पेरियार, कावेरी और कृष्णा जैसी बड़ी नदियों के बेसिन में जल प्रवाह कम हुआ है, जिससे 'वॉटर स्ट्रेस' बढ़ गया है। बिहार का चंदन बांध पूरी तरह से सूख चुका है।
- **बढ़ती जल मांग:** कृषि, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण जल की मांग लगातार बढ़ रही है। विशेषकर सिंचाई के लिए जलाशयों पर निर्भरता अधिक होने से जल स्तर तेजी से घटता है।

संभावित प्रभाव:

- **पेयजल संकट:** दक्षिण भारत और कुछ शहरी क्षेत्रों में गर्मियों के दौरान पेयजल संकट गहरा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और गंभीर हो सकती है।
- **कृषि पर असर:** रबी फसलों और गर्मी की फसलों की सिंचाई प्रभावित हो सकती है, जिससे उत्पादन में कमी आने की आशंका है।
- **ऊर्जा उत्पादन:** जलविद्युत परियोजनाओं में उत्पादन घट सकता है, जिससे ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव बढ़ेगा।
- **पर्यावरणीय प्रभाव:** नदियों के सूखने और जल स्तर घटने से जलीय पारिस्थितिकी (aquatic ecosystem) पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

आगे की राह:

- भारत को जल संकट से निपटने हेतु समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। समेकित जल संसाधन प्रबंधन (IWRM) को बढ़ावा देते हुए जल उपयोग में संतुलन स्थापित करना आवश्यक है। साथ ही, ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों का विस्तार कर कृषि में जल की खपत कम की जानी चाहिए।
- जलाशयों का नियमित डिसिल्टेशन और पुनर्भरण जरूरी है। इसके अलावा, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देकर कम पानी वाली फसलों को अपनाना होगा। वर्षा जल संचयन और स्थानीय जल संरक्षण उपायों को मजबूत करने के साथ, डेटा आधारित नीति निर्माण से जल प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

निष्कर्ष:

भारत की जल समस्या केवल मौसमी नहीं, बल्कि संरचनात्मक (structural) भी है। देश की जल प्रणाली मानसून पर अत्यधिक निर्भर है, जबकि जल प्रबंधन की नीतियाँ अभी भी पर्याप्त प्रभावी नहीं हैं। क्षेत्रीय असंतुलन भी एक बड़ी समस्या है जहाँ दक्षिण भारत अधिक प्रभावित होता है, वहीं कुछ अन्य क्षेत्रों में अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति रहती है। इसके अलावा, भूजल का अत्यधिक दोहन और जलाशयों की क्षमता में कमी (जैसे सिल्ट जमाव) भी इस संकट को बढ़ाते हैं। यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो यह संकट न केवल जल आपूर्ति, बल्कि खाद्य सुरक्षा और आर्थिक विकास को भी प्रभावित कर सकता है। अतः आवश्यक है कि जल प्रबंधन को प्राथमिकता देते हुए सतत और समग्र रणनीति अपनाई जाए।

भारत में 2027 के बाद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFC) के उत्पादन पर प्रतिबंध

संदर्भ:

हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFC) के उत्पादन के संबंध में एक

महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। इसके तहत 31 दिसंबर 2027 के बाद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFC) के उत्पादन के लिए कोई भी नई 'पर्यावरण मंजूरी' (Environmental Clearance - EC) नहीं दी जाएगी। यह कदम भारत द्वारा किगाली संशोधन के तहत की गई अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा रणनीतिक निर्णय है।

भारत के लिए 2027 की समयसीमा का महत्व:

- भारत ने किगाली संशोधन के तहत 'ग्रुप 2' देशों में शामिल होने का विकल्प चुना है। भारत के लिए 2028 "फ्रीज वर्ष" है। इसका अर्थ है कि 2028 में भारत का हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFC) उत्पादन और खपत एक निश्चित स्तर (2024-26 के औसत) पर स्थिर हो जाना चाहिए।
- 2027 का यह नया निर्देश इसी "फ्रीज" को लागू करने का एक साधन है। 2027 के बाद नई फैक्टरियों को मंजूरी न देकर, सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि उत्पादन क्षमता उस आधार रेखा (Baseline) से ऊपर न जाए। साथ ही, मौजूदा परियोजनाओं को यह शपथ पत्र देना होगा कि वे 2027 के अंत तक पूरी तरह चालू हो जाएंगी।

हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में:

- हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFC) का मुद्दा सीधे तौर पर 'मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल' (1987) से जुड़ा है। मूल रूप से, यह संधि ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFC) को खत्म करने के लिए थी। जब CFC पर प्रतिबंध लगा, तो उद्योगों ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFC) को अपनाया क्योंकि ये ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुँचाते थे।
- हालाँकि, बाद में यह पाया गया कि HFC अत्यधिक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसें हैं। इनकी 'ग्लोबल वार्मिंग क्षमता' (GWP) कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में हजारों गुना अधिक है। इस कारण, 2016 में किगाली संशोधन लाया गया, जिसका उद्देश्य HFC के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से कम करना है ताकि सदी के अंत तक वैश्विक तापमान में 0.5°C की वृद्धि को रोका जा सके।

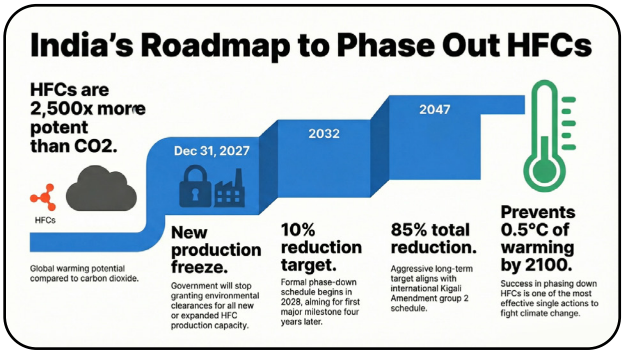

किगाली संशोधन के बारे में:

- वर्ष 2016 में रवांडा की राजधानी किगाली में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एक संशोधन किया गया:
  - » **उद्देश्य:** 2040 के दशक के अंत तक HFC के उत्पादन और खपत में 80% से अधिक की कटौती करना।
  - » **भारत की भूमिका:** विकासशील देशों के 'समूह 2' में होने के कारण भारत को अपनी HFC खपत को भविष्य में एक निश्चित स्तर पर स्थिर (Freeze) करना है।

चुनौतियां और भारत की रणनीति:

- भारत जैसे गर्म जलवायु वाले देश के लिए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFC) को हटाना चुनौतीपूर्ण है क्योंकि यहाँ एसी और रेफ्रिजरेशन में कूलिंग के लिए इसकी मांग बढ़ रही है।
  - » **इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान (ICAP):** भारत 2019 में व्यापक कूलिंग योजना शुरू करने वाला पहला देश था।

इसका लक्ष्य 2037-38 तक रेफ्रिजरेंट की मांग को 25-30% तक कम करना है।

» **हरित विकल्प:** भारत अब 'लो-वैश्विक तापन क्षमता (Global Warming Potential)' विकल्पों की ओर बढ़ रहा है:
 ➢ **प्राकृतिक रेफ्रिजरेंट:** अमोनिया, प्रोपेन और कार्बन डाईऑक्साइड।
 ➢ **HFOs (हाइड्रोफ्लोरोओलेफिन):** ये ओजोन के लिए सुरक्षित हैं और इनकी ग्लोबल वार्मिंग क्षमता बहुत कम है।

» **आर्थिक प्रभाव:** भारत का 70% HFC उत्पादन गुजरात और महाराष्ट्र में होता है। इस बदलाव के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को नई तकनीक अपनाने के लिए निवेश की आवश्यकता होगी।

निष्कर्ष:

2027 की समयसीमा भारत के 'नेट जीरो' (2070) लक्ष्य की ओर एक ठोस कदम है। यह न केवल उत्सर्जन कम करेगा, बल्कि भारतीय उद्योगों को भविष्य की हरित तकनीकों (Green Technologies) में नवाचार करने के लिए प्रेरित भी करेगा।

चंबल नदी के प्रवाह में कमी और डॉल्फिन का यमुना की ओर स्थानांतरण

संदर्भ:

भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) की एक हालिया रिपोर्ट ने चंबल नदी के प्रवाह में तेज गिरावट को उजागर किया है, जिससे गंभीर पारिस्थितिक प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं। एक प्रमुख निष्कर्ष यह है कि गंगा नदी डॉल्फिन का प्रवाह नीचे की ओर बढ़कर चंबल–यमुना संगम क्षेत्र की ओर स्थानांतरित हो गया है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु:

- रिपोर्ट में पिछले तीन दशकों में चंबल नदी के प्रवाह में तेज गिरावट को उजागर किया गया है, जो महत्वपूर्ण जलवैज्ञानिक तनाव को दर्शाता है। प्रवाह आँकड़े बताते हैं कि 1990 में यह लगभग 75 घन मीटर प्रति सेकंड (cumec) था, जो 2022 में शुष्क मौसम के दौरान घटकर लगभग 25 cumec रह गया।
- यह गिरावट मुख्यतः सहायक नदियों से बढ़ते जल दोहन तथा बड़े बांधों और बैराजों द्वारा प्रवाह के नियमन के कारण है, जिनमें गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज शामिल हैं।
- इसके परिणामस्वरूप नदी में उच्च पारिस्थितिक तनाव उत्पन्न हो रहा है, जिससे जैव विविधता हानि और नीचे की ओर नदी के सूखने की आशंका बढ़ रही है। इसका एक प्रमुख प्रभाव जलीय जीवन पर पड़ा है, विशेषकर गंगा नदी डॉल्फिन पर, जो नीचे की ओर स्थानांतरित होकर अब चंबल–यमुना संगम क्षेत्र के पास केंद्रित हो रही है, जहाँ अपेक्षाकृत गहरा पानी उपलब्ध है।

चंबल नदी प्रवाह में कमी के पारिस्थितिक प्रभाव:

- **गंगा नदी डॉल्फिन:** जीवित रहने के लिए न्यूनतम लगभग 3 मीटर जल गहराई आवश्यक होती है। कम गहराई गति, भोजन और प्रजनन आवास को सीमित करती है। आवास संकुचन से स्थानीय समूह बनते हैं, जिससे संवेदनशीलता बढ़ती है।
- **घड़ियाल और मगरमच्छ:** घड़ियाल को आयु के अनुसार 1–4 मीटर गहराई की आवश्यकता होती है। मगरमच्छ गहरे और शांत जल को पसंद करते हैं। कम प्रवाह, प्रजनन और धूप सेंकने के आवास को बाधित करता है।
- **नदी किनारे पक्षी:** कम प्रवाह से बालू टापू और नदी द्वीप उजागर होते हैं, जो इंडियन स्किमर और ब्लैक-बेलिड टर्न जैसे पक्षियों के घोंसले बनाने के स्थान हैं। भूमि मार्ग बनने से कुत्ते, सियार और पशु जैसे शिकारी घोंसलों तक पहुँच जाते हैं, जिससे मृत्यु दर बढ़ती है।
- **जलवैज्ञानिक चिंताएँ:** शुष्क मौसम में नदी की चौड़ाई लगभग 150 मीटर होती है। आवश्यक पारिस्थितिक प्रवाह: 3 मीटर गहराई के लिए ~368.46 m^3/s और 5 मीटर गहराई के लिए ~848.79 m^3/s। वर्तमान प्रवाह इससे काफी कम है, जो जल असंतुलन को दर्शाता है।

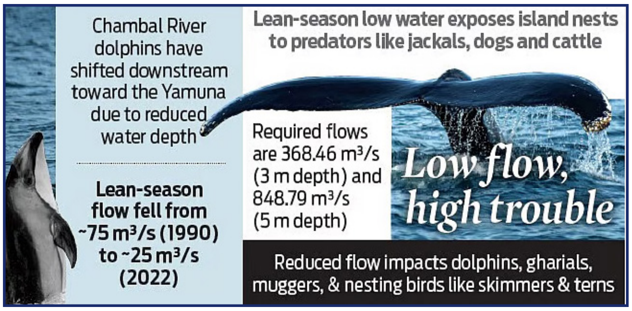

गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में:

- गंगा डॉल्फिन ("गंगा का टाइगर") की खोज वर्ष 1801 में हुई। यह

भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव (2009) और असम का राज्य जलीय जीव है तथा नदी पारिस्थितिकी तंत्र का सूचक है।

» **आवास:** गंगा–ब्रह्मपुत्र–मेघना तथा कर्णफुली–सांगू नदी तंत्र (भारत, नेपाल, बांग्लादेश)। अब कई क्षेत्रों से विलुप्त।
» **विशेषताएँ:** स्वच्छ जल की प्रजाति, लगभग अंधी, शिकार हेतु अल्ट्रासोनिक इकोलोकेशन पर निर्भर। सामान्यतः अकेली या माँ–संतान जोड़ी में पाई जाती है। "सुसु" नाम श्वसन ध्वनि से मिला।
» **जनसंख्या:** प्रोजेक्ट डॉल्फिन (2020) के अनुसार भारत में लगभग 6,327 डॉल्फिन। 1957 के बाद से 50% से अधिक गिरावट।
» **खतरे:** प्रदूषण (EDCs, भारी धातु, कीटनाशक), औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि अपवाह, जाल में फंसना, अवैध शिकार, बांधों से आवास हानि, जहाजों का शोर।

संरक्षण स्थिति:

- **IUCN:** लुप्तप्राय (Endangered)
- **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972:** अनुसूची ।
- **CITES:** परिशिष्ट ।
- **CMS:** परिशिष्ट ।

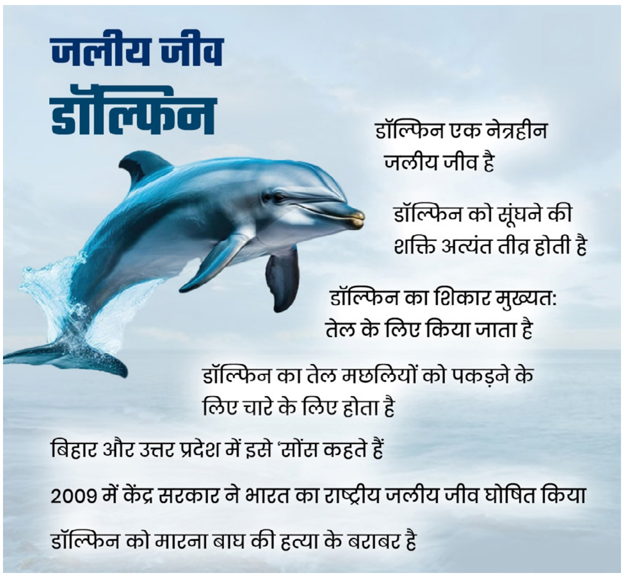

चंबल नदी के बारे में:

- चंबल नदी एक 1,024 किमी लंबी स्थायी नदी है, जो मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत से निकलती है और राजस्थान व उत्तर प्रदेश से होकर यमुना नदी में मिलती है। यह भारत की सबसे स्वच्छ नदियों में से एक है और राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में घड़ियाल, गंगा नदी डॉल्फिन और मगरमच्छ जैसे संकटग्रस्त जीवों का समर्थन करती है।

निष्कर्ष:

चंबल नदी के प्रवाह में गिरावट एक गंभीर पारिस्थितिक संकट है, जो गंगा डॉल्फिन और घड़ियाल जैसी प्रजातियों को प्रभावित कर रही है। डॉल्फिन का यमुना की ओर स्थानांतरण पर्यावरणीय प्रवाह नियमन और बेसिन-स्तरीय संरक्षण की आवश्यकता को दर्शाता है। सतत जल प्रबंधन और मजबूत संरक्षण उपाय चंबल–यमुना नदी पारिस्थितिकी तंत्र और इसकी जैव विविधता की रक्षा के लिए आवश्यक हैं।

भारत में चमगादड़ों की स्थिति रिपोर्ट

संदर्भ:

हाल ही में स्टेट ऑफ इंडिया'स बैट्स (SoIBats) 2024-25 रिपोर्ट जारी की गई, जो भारत में चमगादड़ों की विविधता का पहला राष्ट्रीय आकलन है। इसे नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने बैट कंजर्वेशन इंटरनेशनल के सहयोग से तैयार किया है। यह रिपोर्ट अनुसंधान में बड़े अंतराल, संरक्षण संबंधी चिंताओं और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में चमगादड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती है।

चमगादड़ों के बारे में:

- चमगादड़ दुनिया के एकमात्र उड़ने वाले स्तनधारी हैं।
- ये रात्रिचर जीव होते हैं और दिशा-निर्धारण के लिए इकोलोकेशन का उपयोग करते हैं।
- चमगादड़ों के दो मुख्य प्रकार होते हैं:
  » **मेगाबैट्स:** फल खाने वाले चमगादड़
  » **माइक्रोबैट्स:** कीट खाने वाले चमगादड़, जो इकोलोकेशन का उपयोग करते हैं

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

- **प्रजाति विविधता:** भारत में लगभग 135 चमगादड़ प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिससे यह देश में स्तनधारियों का सबसे बड़ा समूह बनता है।
- **स्थानिक (Endemism) प्रजातियाँ:** लगभग 16 प्रजातियाँ केवल भारत में पाई जाती हैं, जो मुख्यतः पश्चिमी घाट और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में केंद्रित हैं।
- **संकटग्रस्त प्रजातियाँ:** 7 प्रजातियाँ IUCN (अंतरराष्ट्रीय प्रकृति

संरक्षण संघ) की संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल हैं।

- **डेटा की कमी:** लगभग 35 प्रजातियों का या तो मूल्यांकन नहीं हुआ है या उनके बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है।
- **भौगोलिक वितरण:** पश्चिम बंगाल और मेघालय में उच्च विविधता पाई जाती है, जबकि उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में आवास सीमाओं के कारण विविधता कम है।
- **आश्रय (Roosting) पैटर्न:** चमगादड़ आमतौर पर गुफाओं, पेड़ों और पुरानी इमारतों व स्मारकों जैसी मानव-निर्मित संरचनाओं में रहते हैं।

रिपोर्ट में पहचानी गई प्रमुख समस्याएँ:

- **विशेष शोध ढांचे का अभाव:** भारत में चमगादड़ों पर केंद्रित शोध संस्थानों की कमी है, जबकि वे पारिस्थितिकी में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
- **डेटा की कमी:** कई प्रजातियाँ अब तक पर्याप्त रूप से अध्ययनित नहीं हैं, जिससे संरक्षण स्थिति स्पष्ट नहीं है।
- **क्षेत्रीय पक्षपात:** अधिकांश शोध पश्चिमी घाट जैसे जैव विविधता क्षेत्रों तक सीमित है, अन्य क्षेत्र उपेक्षित हैं।
- **वर्गीकरण और पारिस्थितिक अनिश्चितता:** कुछ संकटग्रस्त प्रजातियाँ अभी तक संरक्षण ढांचे में सही तरीके से वर्गीकृत नहीं हैं।

संरक्षण संबंधी चिंताएँ:

- **आवास हानि:** वनों की कटाई, खनन और शहरीकरण से प्राकृतिक आश्रय स्थल नष्ट हो रहे हैं।
- **मानव-जनित खतरे:** अंधविश्वास और भय के कारण चमगादड़ों का शिकार और उनके आवास का विनाश होता है।
- **जलवायु परिवर्तन:** आवास और भोजन की उपलब्धता प्रभावित होती है।
- **रोस्टिंग स्थलों में व्यवधान:** विशेषकर गुफाएँ और पुरानी संरचनाएँ प्रभावित होती हैं।

पारिस्थितिक और आर्थिक महत्व:

- चमगादड़ महत्वपूर्ण पारिस्थितिक सेवाएँ प्रदान करते हैं:
  - » पौधों का परागण
  - » बीजों का प्रसार (वन पुनर्जनन में मदद)
  - » कीट नियंत्रण, जिससे कीटनाशकों पर निर्भरता कम होती है
- ये सेवाएँ कृषि और जैव विविधता संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

नीति और शासन पर प्रभाव:

- **जैव विविधता संरक्षण:** चमगादड़ों को संरक्षण नीति में शामिल करने की आवश्यकता।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य:** आवासीय विघटन से जूनोटिक (zoonotic) रोगों का खतरा बढ़ सकता है, जिससे वन हेल्थ दृष्टिकोण आवश्यक है।
- **शहरी नियोजन:** शहरों में भी चमगादड़ संरक्षण रणनीतियाँ जरूरी हैं।
- **वैज्ञानिक अनुसंधान:** वित्तपोषण, निगरानी और संस्थागत समर्थन की तत्काल आवश्यकता।

निष्कर्ष:

स्टेट ऑफ इंडिया'स बैट्स (SoIBats) 2024–25 नीति निर्माताओं और संरक्षण विशेषज्ञों के लिए एक चेतावनी है। अनुसंधान अंतराल को भरना, संरक्षण ढांचे को मजबूत करना और जन-जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। चमगादड़ों के संरक्षण को भारत की समग्र पर्यावरणीय नीतियों में

शामिल करना सतत विकास और जैव विविधता सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

ओडिशा बना समुद्री स्थानिक योजना लागू करने वाला पहला राज्य

संदर्भ:

हाल ही में, ओडिशा सरकार ने 16 अप्रैल 2026 को आधिकारिक रूप से समुद्री स्थानिक योजना (MSP) को लागू किया। इससे पहले इसके पायलट प्रोजेक्ट पुडुचेरी और लक्षद्वीप जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किए गए थे, लेकिन अब ओडिशा भारत की सतत महासागर योजना के दूसरे चरण में इसे अपनाने और लागू करने वाला पहला पूर्ण राज्य बन गया है।

समुद्री स्थानिक योजना के बारे में:

- समुद्री स्थानिक योजना एक वैज्ञानिक और समेकित ढांचा है, जिसका उद्देश्य महासागर और तटीय क्षेत्रों का प्रबंधन करना है ताकि समुद्री संसाधनों का संतुलित और सतत उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
- यह निम्नलिखित क्षेत्रों के विकास को समर्थन देती है:
  - » मत्स्य पालन और जलीय कृषि
  - » बंदरगाह और शिपिंग अवसंरचना
  - » समुद्री पर्यटन
  - » महासागरीय ऊर्जा परियोजनाएं
  - » तटीय जैव विविधता का संरक्षण
- समुद्री स्थानिक योजना (MSP) भारत की ब्लू इकोनॉमी और सतत समुद्री शासन पर केंद्रित व्यापक रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

मुख्य उद्देश्य एवं क्रियान्वयन:

- **वैज्ञानिक ज़ोनिंग:** समुद्री स्थानिक योजना (MSP) में उन्नत तकनीकों जैसे बेंथिक मैपिंग (समुद्र तल का मानचित्रण) और भू-स्थानिक (geospatial) डेटा का उपयोग किया जाता है, जिससे मत्स्य पालन, शिपिंग, पर्यटन और जलीय कृषि जैसी विभिन्न गतिविधियों के लिए समुद्री क्षेत्रों का निर्धारण किया जा सके, साथ ही पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा सुनिश्चित हो।
- **क्रियान्वयन भागीदार:** इस योजना को ओडिशा सरकार और राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया जा रहा है, जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
- **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** यह पहल भारत और नॉर्वे के बीच 2019 में हुए समझौता ज्ञापन (MoU) पर आधारित इंडो-नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सतत समुद्री प्रबंधन को बढ़ावा देना है।

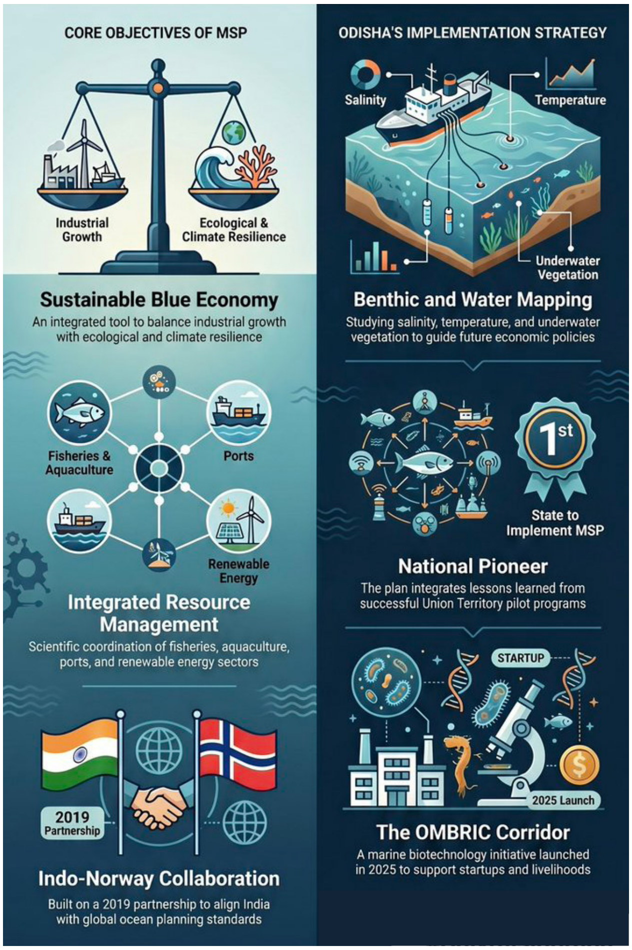

ओडिशा के लिए महत्व:

- ओडिशा के पास 550 किमी से अधिक लंबी तटरेखा है, जिसमें मैंग्रोव, मुहाने (estuaries) और लैगून जैसे समृद्ध पारिस्थितिक तंत्र शामिल हैं। ये क्षेत्र मत्स्य पालन, पर्यटन और आजीविका का आधार हैं, लेकिन बढ़ते विकास और जलवायु जोखिमों के कारण इन पर दबाव बढ़ता जा रहा है।
- यह ओडिशा के तटीय क्षेत्र में आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करेगा।
- समुद्री क्षेत्रों के स्पष्ट निर्धारण से विभिन्न क्षेत्रों के बीच टकराव

कम होगा, जैसे बंदरगाह विस्तार और पारंपरिक मत्स्य पालन के अधिकारों के बीच संतुलन बनाना।

- यह योजना मैंग्रोव और मुहानों (estuaries) जैसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों की सुरक्षा को मजबूत करती है, जो तटीय कटाव, तूफानों और चरम मौसम घटनाओं से प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करते हैं।

व्यापक महत्व:

- भारत की ब्लू इकोनॉमी रणनीति को मजबूत करता है।
- विज्ञान-आधारित तटीय शासन को बढ़ावा देता है।
- समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करता है।
- आर्थिक विकास और पारिस्थितिकी संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करता है।
- तटीय क्षेत्रों में दीर्घकालिक जलवायु अनुकूलन को सुदृढ़ करता है।

निष्कर्ष:

ओडिशा द्वारा समुद्री स्थानिक योजना (MSP) को अपनाना भारत के महासागरीय शासन ढांचे में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वैज्ञानिक मानचित्रण, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सतत विकास के सिद्धांतों के संयोजन से यह पहल समुद्री संसाधनों के संतुलित उपयोग को सुनिश्चित करती है, साथ ही नाजुक तटीय पारिस्थितिक तंत्रों की सुरक्षा भी करती है।

नई सर्प प्रजाति कैलामरिया गारोएन्सिस की खोज

संदर्भ:

हाल ही में, कैलामरिया गारोएन्सिस (Calamaria garoensis) नामक एक नई सर्प प्रजाति की खोज मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में की गई है।

कैलामरिया गारोएन्सिस के बारे में:

- कैलामरिया गारोएन्सिस (Calamaria garoensis), कैलामरिया वंश से संबंधित है, जिन्हें सामान्यतः “रीड स्नेक्स” (Reed Snakes) कहा जाता है। ये सर्प:
  - आकार में छोटे, विषहीन तथा स्वभाव से अत्यंत गुप्त (secretive) होते हैं।
  - प्रायः भूमि के भीतर या पत्तियों की परत (leaf litter) में पाए जाते हैं।
  - अपने छिपे हुए (cryptic) एवं भूमिगत (fossorial) जीवन-शैली के कारण आसानी से दिखाई नहीं देते।
- इस प्रजाति की पहचान घने वन पारिस्थितिकी तंत्र में किए गए विस्तृत क्षेत्रीय सर्वेक्षणों के बाद गहन वर्गीकरणीय (taxonomic) विश्लेषण के माध्यम से की गई।
- इसकी खोज कई संस्थानों के संयुक्त प्रयास से संभव हुई, जिनमें भारतीय प्राणी सर्वेक्षण और हेल्प अर्थ शामिल हैं। यह जैव विविधता अनुसंधान में अंतःविषय (interdisciplinary) सहयोग के महत्व को रेखांकित करता है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जो पारिस्थितिक रूप से समृद्ध लेकिन अभी भी कम अन्वेषित हैं।

गारो हिल्स के बारे में:

- गारो हिल्स, भारत-बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट का एक हिस्सा है, जो विश्व के सबसे जैव-विविध क्षेत्रों में से एक है। इस क्षेत्र की विशेषताएँ हैं:
  - घने उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय वन
  - सरीसृपों एवं उभयचरों (herpetofauna) की उच्च विविधता
  - अनेक अन्वेषित एवं कम अध्ययन किए गए आवास (habitats)
- यह खोज संकेत देती है कि पूर्वोत्तर भारत में अभी भी अनेक प्रजातियाँ दस्तावेजीकृत नहीं हैं।

खोज का महत्व:

- भारत की जैव विविधता की वैज्ञानिक समझ को समृद्ध करता है।
- पूर्वोत्तर भारत की पारिस्थितिक समृद्धि को उजागर करता है।
- वन एवं वन्यजीव संरक्षण के लिए मजबूत आधार प्रदान करता है।
- कम ज्ञात प्रजातियों एवं नाजुक आवासों की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित करता है।

निष्कर्ष:

कैलामरिया गारोएन्सिस (Calamaria garoensis) की खोज पूर्वोत्तर भारत की विशाल किंतु अभी तक कम अन्वेषित जैव विविधता को रेखांकित करती है। यह निरंतर अनुसंधान, सुदृढ़ संरक्षण प्रयासों तथा नाजुक पारिस्थितिक तंत्रों के सतत प्रबंधन की आवश्यकता को उजागर करती है, ताकि भारत की समृद्ध प्राकृतिक विरासत का संरक्षण किया जा सके।

शेखा झील रामसर साइट घोषित

संदर्भ:

हाल ही में, भारत ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित शेखा झील पक्षी विहार को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया है, जिससे देश में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व वाली आर्द्रभूमियों (वेटलैंड्स) की संख्या बढ़कर 99 हो गई है।

शेखा झील पक्षी विहार के बारे में:

- शेखा झील अलीगढ़ जिले में स्थित एक मीठे पानी की आर्द्रभूमि (फ्रेशवॉटर वेटलैंड) है, जो शहर से लगभग 17 किलोमीटर दूर और लगभग 25 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है।
- यह एक मानव-निर्मित आर्द्रभूमि है, जो 1852 में ऊपरी गंगा नहर से रिसाव के कारण बनी थी, लेकिन समय के साथ यह एक समृद्ध पारिस्थितिक आवास (इकोलॉजिकल हैबिटैट) के रूप में विकसित हो गई है।
- यह मध्य एशियाई फ्लाईवे (Central Asian Flyway) पर एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जहाँ हर साल लगभग 20,000 प्रवासी पक्षी आते हैं। यह आर्द्रभूमि लगभग 249 पक्षी प्रजातियों को आश्रय देती है, जिनमें 60 से अधिक आर्द्रभूमि-निर्भर प्रजातियाँ शामिल हैं, जैसे बार-हेडेड गूज, पेंटेड स्टॉर्क, विभिन्न प्रकार की बत्तखें, और उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस क्रेन।
- इसके अलावा, यह क्षेत्र नीलगाय, काला हिरण और नेवले जैसे स्थलीय जीवों को भी समर्थन देता है, जो इसकी जैव विविधता को दर्शाता है।

रामसर कन्वेंशन के बारे में:

- रामसर कन्वेंशन एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, जिसे 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था। इसका उद्देश्य आर्द्रभूमियों (वेटलैंड्स) का संरक्षण और उनका सतत उपयोग सुनिश्चित करना है।
- इसका मुख्य सिद्धांत "सतत उपयोग" (Wise Use) है, जिसके तहत पर्यावरणीय संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाए रखते हुए आर्द्रभूमियों का उपयोग किया जाता है। इस कन्वेंशन के अंतर्गत प्राकृतिक और मानव-निर्मित दोनों प्रकार की आर्द्रभूमियाँ शामिल होती हैं, चाहे वे स्थायी हों या अस्थायी, मीठे पानी की हों या खारे पानी की, और यहाँ तक कि ज्वार के समय छह मीटर गहराई तक के तटीय समुद्री क्षेत्र भी इसमें शामिल होते हैं।
- हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस (World Wetlands Day) मनाया जाता है ताकि लोगों में आर्द्रभूमियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके।

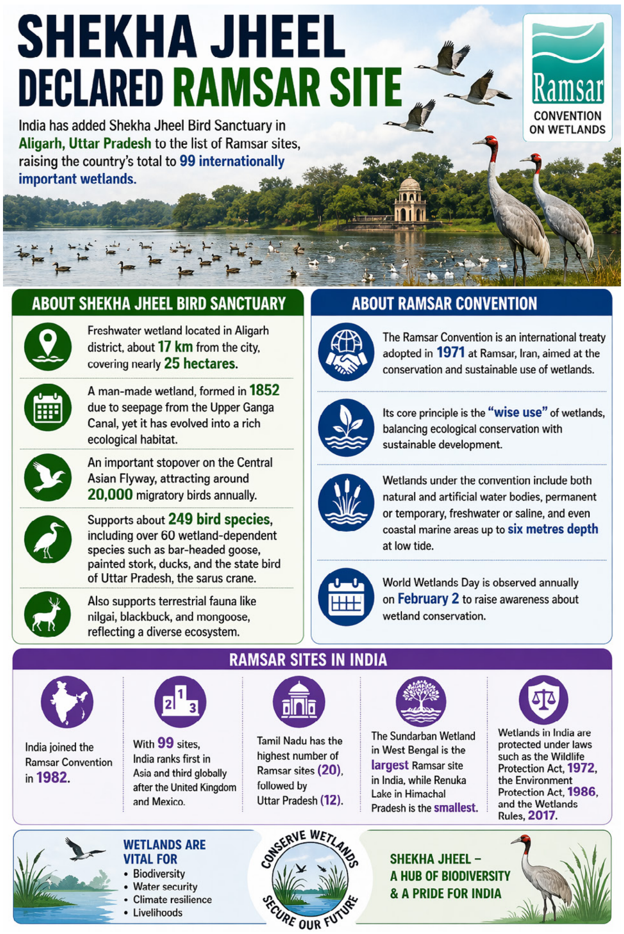

भारत में रामसर साइट्स:

- भारत, 1982 में रामसर कन्वेंशन में शामिल हुआ।
- 99 साइटों के साथ भारत एशिया में प्रथम और विश्व स्तर पर

यूनाइटेड किंगडम और मैक्सिको के बाद तीसरे स्थान पर है।

- तमिलनाडु में सबसे अधिक रामसर साइट्स (20) हैं, इसके बाद उत्तर प्रदेश (12) का स्थान है।
- पश्चिम बंगाल का सुंदरबन वेटलैंड भारत का सबसे बड़ा, जबकि हिमाचल प्रदेश की रेणुका झील सबसे छोटी रामसर स्थल है।
- भारत में आर्द्रभूमियों का संरक्षण विभिन्न कानूनों के तहत किया जाता है, जैसे- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972; पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986; और आर्द्रभूमि नियम, 2017

निष्कर्ष:

शेखा झील को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया जाना भारत की आर्द्रभूमि संरक्षण और जैव विविधता सुरक्षा के प्रति बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह पारिस्थितिक सुरक्षा को मजबूत करता है, वैश्विक प्रवासी पक्षी मार्गों (flyways) के संरक्षण में मदद करता है और विकास तथा पर्यावरणीय संतुलन के प्रति भारत के दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है।

चरम मौसम घटनाओं पर अध्ययन

संदर्भ:

नेचर इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन्स में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार, जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चरम मौसम घटनाएँ आने वाले दशकों में वैश्विक जैव विविधता पर गंभीर प्रभाव डाल सकती हैं। शोध में बताया गया है कि यदि वैश्विक उत्सर्जन उच्च स्तर पर जारी रहा, तो 2085 तक लगभग 36% स्थलीय पशु आवास कई प्रकार की चरम जलवायु घटनाओं के संपर्क में आ सकते हैं।

चरम मौसम घटनाओं के बारे में:

- अत्यधिक जलवायु घटनाएँ दुर्लभ और उच्च तीव्रता वाली मौसमीय घटनाएँ होती हैं, जो सामान्य ऐतिहासिक पैटर्न से कहीं अधिक होती हैं। इनमें हीटवेव और कोल्ड वेव, बाढ़ और भारी वर्षा, सूखा, जंगल की आग, तथा चक्रवात और तूफान शामिल हैं।
- ये घटनाएँ मानव-जनित जलवायु परिवर्तन के कारण, विशेषकर वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों की बढ़ती मात्रा के कारण, अधिक बार और अधिक गंभीर होती जा रही हैं।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष:

- पोट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च के इस अध्ययन में लगभग 34,000 कशेरुकी प्रजातियों और 794 पारिस्थितिक तंत्रों का विश्लेषण किया गया। अध्ययन के अनुसार, आवासों पर चरम मौसम घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ रहा है। 2050 तक लगभग 74% क्षेत्रों में हीटवेव, 16% में जंगल की आग, 8% में सूखा और 3% में बाढ़ का प्रभाव देखा जा सकता है।
- 2085 तक लगभग एक-तिहाई स्थलीय आवास एक साथ कई चरम घटनाओं का सामना कर सकते हैं। अमेज़न, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया जैसे जैव विविधता हॉटस्पॉट सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है, जहाँ बढ़ती गर्मी, सूखा और आग पारिस्थितिक तंत्रों को खतरे में डाल रहे हैं।

यह अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है?

- यह अध्ययन बताता है कि जलवायु परिवर्तन केवल धीरे-धीरे बढ़ने वाला तापमान नहीं है, बल्कि यह चरम मौसम घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता को भी बढ़ा रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर प्रजातियों की मृत्यु और पारिस्थितिक तंत्र का विनाश हो सकता है।
    - » उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलिया में 2019–20 की हीटवेव में 72,000 से अधिक फ्लाइंग फॉक्स मारे गए, जबकि पैंटानल क्षेत्र की आग में लगभग 1.7 करोड़ कशेरुकी जीव प्रभावित हुए।
- अध्ययन यह भी बताता है कि यदि समय रहते उत्सर्जन को तेजी से घटाकर 'नेट ज़ीरो' की दिशा में बढ़ा जाए, तो इन खतरों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। यह वैश्विक स्तर पर त्वरित जलवायु कार्रवाई की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

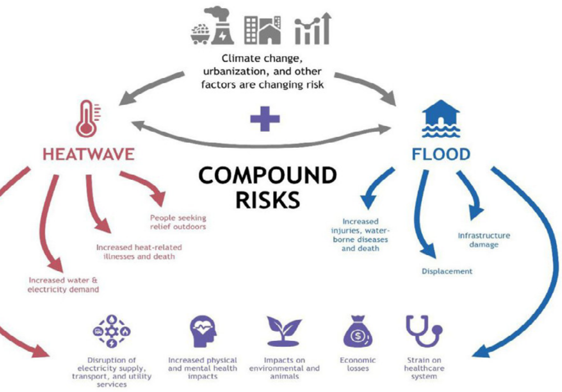

Compound extreme heat and flood events have widespread impacts – natural, social, human, financial, and physical – calling for holistic resilience strategies.

भारत और विश्व के लिए प्रभाव:

- **जैव विविधता हानि:** भारत एक मेगा-विविधता वाला देश है, इसलिए पश्चिमी घाट, हिमालय और तटीय क्षेत्रों जैसे पारिस्थितिक तंत्रों पर खतरा बढ़ सकता है।
- **आपदा जोखिम में वृद्धि:** हीटवेव, बाढ़ और वनाग्नि की बढ़ती घटनाएँ आपदा प्रबंधन को और चुनौतीपूर्ण बनाएंगी।
- **जलवायु-सहिष्णु योजना की आवश्यकता:** संरक्षण रणनीतियों में केवल धीरे-धीरे होने वाले जलवायु परिवर्तन ही नहीं, बल्कि चरम मौसम घटनाओं के लिए तैयारी भी शामिल करनी होगी।

आगे की राह:

- वैश्विक स्तर पर नेट-ज़ीरो उत्सर्जन की दिशा में तेजी लाना
- पारिस्थितिकी-आधारित अनुकूलन (ecosystem-based adaptation) को मजबूत करना
- चरम मौसम घटनाओं के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (early warning systems) में सुधार
- जैव विविधता संरक्षण योजनाओं में जलवायु जोखिम को शामिल करना
- जलवायु शमन (mitigation) के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना

निष्कर्ष:

अध्ययन स्पष्ट करता है कि जलवायु परिवर्तन केवल औसत तापमान ही नहीं बढ़ा रहा, बल्कि चरम मौसम घटनाओं को भी तीव्र बना रहा है, जो वैश्विक जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा हैं। यदि उत्सर्जन में तत्काल कमी नहीं की गई, तो सदी के अंत तक एक-तिहाई से अधिक स्थलीय पशु आवास गंभीर और एक साथ कई जलवायु संकट का सामना कर सकते हैं।

तमिलनाडु और मेघालय में जैव विविधता शासन को मजबूत करने के लिए पाँच वर्षीय परियोजना

संदर्भ:

हाल ही में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) के सहयोग से "जैव विविधता संरक्षण प्रतिबद्धताओं को सुनिश्चित करने हेतु संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करना" नामक पाँच वर्षीय परियोजना शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय विकास योजना में संरक्षण को एकीकृत करके और समुदाय-आधारित संस्थानों को सशक्त बनाकर जमीनी स्तर पर जैव विविधता शासन को मजबूत करना है।

पृष्ठभूमि:

- इस परियोजना को वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) का समर्थन प्राप्त है। इसके तहत 2025 से 2030 तक के लिए 4.88 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान दिया गया है।
- यह अंतरराष्ट्रीय सहयोग जैव विविधता संरक्षण के वैश्विक महत्व और समावेशी तथा समुदाय-आधारित पर्यावरणीय शासन को आगे बढ़ाने में भारत की भूमिका को दर्शाता है।

परियोजना के उद्देश्य:

- **जैव विविधता का स्थानीय शासन में मुख्यधारा में समावेशन:**
  - ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDPs) में जैव विविधता से जुड़े मुद्दों का एकीकरण।
  - पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) और जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMCs) को सशक्त बनाना।
  - सरकार के विभागों, निर्वाचित प्रतिनिधियों और नागरिक समाज को शामिल करते हुए बहु-हितधारक मंचों का विकास।
- **संरक्षण के लिए नवाचारपूर्ण वित्तीय व्यवस्था:**
  - एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग (ABS) ढांचे का क्रियान्वयन।
  - कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंडिंग का उपयोग।
  - संरक्षण से जुड़े सतत आजीविका के लिए हरित सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा।
- **ज्ञान प्रबंधन और क्षमता निर्माण:**
  - सर्वोत्तम प्रथाओं (best practices) का दस्तावेजीकरण और विस्तार।
  - NBA और MoEFCC की संस्थागत क्षमता को मजबूत करना।
  - महिलाओं, अनुसूचित जातियों और जनजातीय समुदायों की जैव विविधता शासन में भागीदारी बढ़ाना।

केंद्रित क्षेत्र:

- **तमिलनाडु – सथ्यमंगलम परिदृश्य:**
  - पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के संगम पर स्थित।
  - इसमें मुदुमलाई टाइगर रिजर्व और सथ्यमंगलम टाइगर रिजर्व शामिल हैं।
  - वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले समुदाय संरक्षण के लिए

पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान का योगदान देते हैं।

- **मेघालय – गारो हिल्स परिदृश्य:**
  - नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, बलपाक्रम राष्ट्रीय उद्यान और सिजू वन्यजीव अभयारण्य शामिल।
  - ग्राम रोजगार परिषद (VECs) जैसी सामुदायिक संस्थाएँ सहभागी संरक्षण योजना का समर्थन करती हैं।

शासन ढांचा:

- पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) के नेतृत्व में नीचे से ऊपर (Bottom-up) शासन प्रणाली।
- स्थानीय योजनाओं में जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMCs) का एकीकरण।
- समावेशी कार्यान्वयन के लिए "संपूर्ण सरकार" (Whole-of-Government) और "संपूर्ण समाज" (Whole-of-Society) दृष्टिकोण को अपनाना।

नीतिगत ढाँचों के साथ समन्वय:

यह परियोजना निम्नलिखित ढाँचों के साथ समन्वित है:

- **राष्ट्रीय ढाँचे**
  - राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति एवं कार्य योजना (NBSAP 2024–2030)
  - तमिलनाडु विज़न 2030 और मेघालय विज़न 2030
  - विकेन्द्रित ग्रामीण शासन (Decentralised rural governance) से जुड़ी पहलें
- **वैश्विक ढाँचे**
  - कुनमिंग–मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढाँचा (30x30 लक्ष्य)
  - पेरिस समझौता – राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs)

महत्व:

- विकेन्द्रित पर्यावरणीय शासन को सुदृढ़ करता है।
- समुदाय-आधारित संरक्षण मॉडल को बढ़ावा देता है।
- जैव विविधता को आजीविका सृजन और ग्रामीण विकास के साथ एकीकृत करता है।
- स्थिरता के लिए नवाचारपूर्ण वित्तीय तंत्रों को प्रोत्साहित करता है।
- वैश्विक जैव विविधता लक्ष्यों में भारत के योगदान को बढ़ाता है।

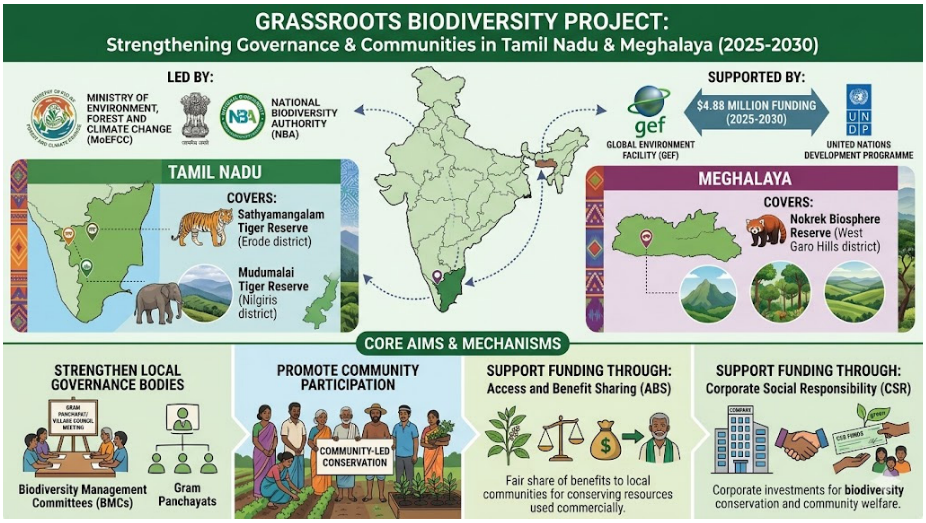

निष्कर्ष:

यह पहल जैव विविधता शासन का एक दूरदर्शी मॉडल प्रस्तुत करती है, जो वैश्विक पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं को स्थानीय कार्रवाई से जोड़ती है। जमीनी स्तर की संस्थाओं और समुदायों को सशक्त बनाकर यह परियोजना सुनिश्चित करना चाहती है कि संरक्षण सतत और समावेशी विकास का अभिन्न हिस्सा बने।

5 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

भारत का परमाणु विज़न: सीमित संसाधन से तकनीकी आत्मनिर्भरता तक

सन्दर्भ:

हाल ही में तमिलनाडु के कल्पक्कम स्थित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) द्वारा 6 अप्रैल 2026 को पहली बार "क्रिटिकैलिटी" प्राप्त करना भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में एक ऐतिहासिक एवं संरचनात्मक परिवर्तन का प्रमाण है। यह उपलब्धि न केवल एक वैज्ञानिक सफलता है, बल्कि भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति के क्रियान्वयन की दिशा में एक निर्णायक प्रगति भी है। इस घटना से भारत, औपचारिक रूप से तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे चरण में प्रवेश कर चुका है जो ऊर्जा आत्मनिर्भरता, संसाधन दक्षता और तकनीकी संप्रभुता के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है।यह विकास उस व्यापक वैश्विक संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए, जहाँ ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण प्रमुख नीति-प्रेरक तत्व बन चुके हैं। भारत जैसे तीव्र गति से विकसित होते राष्ट्र के लिए, जहाँ ऊर्जा मांग निरंतर बढ़ रही है, परमाणु ऊर्जा एक विश्वसनीय, निम्न-कार्बन और स्थिर विकल्प के रूप में उभरती है।

क्रिटिकैलिटी और उसका महत्व:

- "क्रिटिकैलिटी" परमाणु रिएक्टर के जीवनचक्र का वह चरण है, जहाँ नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया स्व-संचालित एवं नियंत्रित रूप में स्थापित हो जाती है। इस अवस्था में उत्पन्न न्यूट्रॉनों की संख्या प्रणाली में अवशोषित या रिसाव के कारण खोए गए न्यूट्रॉनों के बराबर होती है, जिससे एक स्थिर और निरंतर ऊर्जा उत्पादन संभव होता है। यह पूर्ण विद्युत उत्पादन की शुरुआत नहीं है, लेकिन रिएक्टर के सुरक्षा और संचालन के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है।

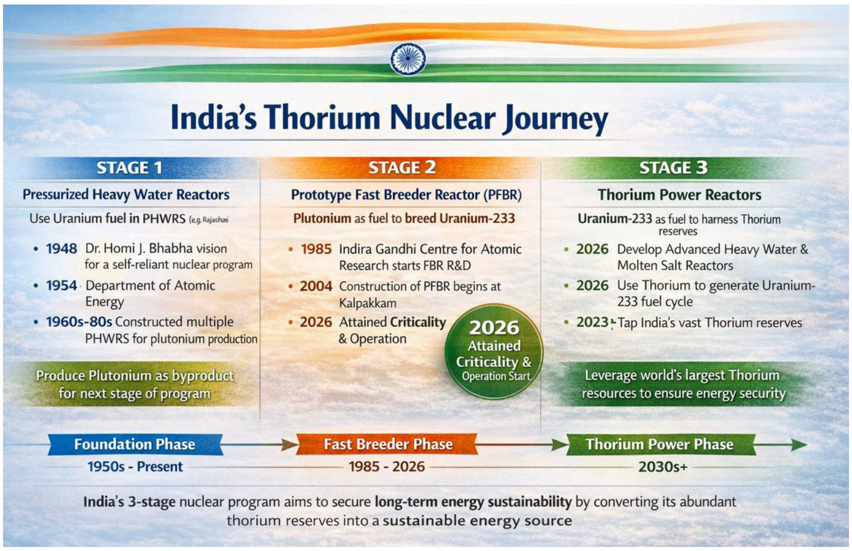

- प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) की क्रिटिकैलिटी यह संकेत देती है कि रिएक्टर अब निर्माण और परीक्षण की अवस्था से आगे बढ़कर संचालन की दिशा में अग्रसर है। यह उपलब्धि परमाणु ऊर्जा विभाग तथा इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जैसे संस्थानों द्वारा दशकों से किए जा रहे अनुसंधान, अभियांत्रिकी और तकनीकी

नवाचार का परिणाम है।

भारत का तीन-चरणीय परमाणु कार्यक्रम:

- भारत के परमाणु कार्यक्रम की वैचारिक आधारशिला होमी जहांगीर भाभा द्वारा रखी गई थी। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य देश के सीमित यूरेनियम संसाधनों और प्रचुर थोरियम भंडार का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना है। यह कार्यक्रम "बंद ईंधन चक्र" (Closed Fuel Cycle) की अवधारणा पर आधारित है, जिसमें प्रयुक्त ईंधन का पुनर्संसाधन कर पुनः उपयोग किया जाता है।
  - » **चरण 1: दाबित भारी जल रिएक्टर (PHWR):** इस चरण में प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग कर विद्युत उत्पादन किया जाता है। इस प्रक्रिया में प्लूटोनियम-239 उत्पन्न होता है, जो अगले चरण के लिए ईंधन का कार्य करता है।
  - » **चरण 2: फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (FBR):** PFBR इसी चरण का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें प्लूटोनियम-आधारित मिश्रित ऑक्साइड (MOX) ईंधन का उपयोग किया जाता है। यह रिएक्टर "ब्रीडिंग" क्षमता रखता है, अर्थात् यह जितना ईंधन उपभोग करता है उससे अधिक उत्पन्न करता है। यूरेनियम-238 को प्लूटोनियम-239 में परिवर्तित कर यह ईंधन की उपलब्धता को गुणात्मक रूप से बढ़ाता है।
  - » **चरण 3: थोरियम-आधारित रिएक्टर:** अंतिम चरण में थोरियम-232 को यूरेनियम-233 में परिवर्तित कर ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा। यह चरण भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा का आधार माना जाता है, क्योंकि थोरियम के भंडार देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं।
- प्रत्येक चरण अगले चरण को पोषित करता है। यह त्रिस्तरीय ढाँचा भारत को न केवल ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करता है, बल्कि उसे वैश्विक परमाणु ऊर्जा परिदृश्य में एक विशिष्ट स्थान भी प्रदान करता है।

PFBR : तकनीकी विशेषताएँ और महत्व:

- PFBR, जिसे भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड (BHAVINI) द्वारा विकसित किया गया है, 500 मेगावाट क्षमता वाला एक उन्नत रिएक्टर है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
  - » **MOX ईंधन का उपयोग:** यह यूरेनियम और प्लूटोनियम के मिश्रित ऑक्साइड से बना होता है, जो पुनर्संसाधित ईंधन से प्राप्त किया जाता है।
  - » **फास्ट न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रम:** यह रिएक्टर धीमे न्यूट्रॉनों के बजाय तीव्र न्यूट्रॉनों का उपयोग करता है, जिससे ब्रीडिंग दक्षता बढ़ती है।
  - » **यूरेनियम-238 ब्लैंकेट:** यह अतिरिक्त प्लूटोनियम उत्पादन में सहायक होता है।
  - » **बंद ईंधन चक्र:** प्रयुक्त ईंधन का पुनः उपयोग कर अपशिष्ट को न्यूनतम किया जाता है।

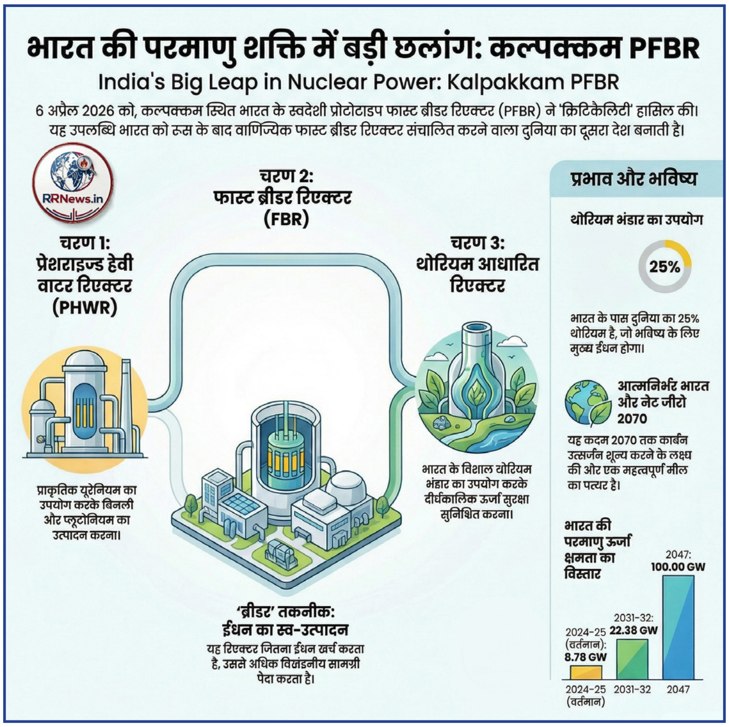

- PFBR का सफल संचालन भारत को रूस के बाद उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में ला सकता है, जो वाणिज्यिक स्तर पर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर संचालित करते हैं।

परमाणु ऊर्जा परिदृश्य और संभावनाएँ:

- भारत की वर्तमान परमाणु ऊर्जा क्षमता लगभग 8.78 गीगावाट है, जो कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 3% योगदान देती है। यद्यपि यह प्रतिशत सीमित प्रतीत होता है, किंतु इसकी स्थिरता और बेस-लोड

क्षमता इसे ऊर्जा मिश्रण में अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है।

- सरकार ने वर्ष 2031–32 तक इसे बढ़ाकर 22.38 गीगावाट करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए स्वदेशी 700 मेगावाट रिएक्टरों तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग से विकसित 1000 मेगावाट रिएक्टरों की योजना बनाई गई है। इसके अतिरिक्त, भारत ने कई देशों के साथ नागरिक परमाणु सहयोग समझौते किए हैं, जो इस क्षेत्र में वैश्विक विश्वास को दर्शाते हैं।
- वर्तमान में विश्व के कई देश, विशेषकर चीन और रूस, परमाणु ऊर्जा में निवेश बढ़ा रहे हैं। ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए परमाणु ऊर्जा को पुनः महत्व मिल रहा है।
- भारत का थोरियम-आधारित मॉडल वैश्विक स्तर पर एक वैकल्पिक और नवाचारी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यदि यह सफल होता है, तो भारत न केवल ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्राप्त करेगा, बल्कि परमाणु प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका भी निभा सकता है।

जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा की भूमिका:

- वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन की चुनौती ने स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता को अत्यंत महत्वपूर्ण बना दिया है। पेरिस समझौता के तहत भारत ने अपने उत्सर्जन को नियंत्रित करने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने का संकल्प लिया है।
- भारत द्वारा घोषित 2070 तक "नेट-ज़ीरो" लक्ष्य इस दिशा में भारत की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- परमाणु ऊर्जा इस लक्ष्य की प्राप्ति में निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है:
  - निम्न जीवनचक्र उत्सर्जन
  - निरंतर और विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति
  - उच्च ऊर्जा घनत्व
  - भूमि उपयोग की न्यूनतम आवश्यकता
- नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की अनियमितता के बीच परमाणु ऊर्जा एक स्थिर पूरक के रूप में कार्य करती है।

नीति पहल और नवाचार:

- भारत सरकार ने बजट 2025–26 में "परमाणु ऊर्जा मिशन" की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य 2047 तक 100 गीगावाट क्षमता प्राप्त करना है। इस दिशा में कई महत्वपूर्ण पहलें की जा रही हैं:
  - **स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR):** एसएमआर कम लागत, उच्च सुरक्षा और लचीलापन प्रदान करते हैं। इन्हें दूरस्थ क्षेत्रों तथा औद्योगिक क्लस्टरों में स्थापित किया जा सकता है। कम से कम पाँच स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए एसएमआर साल 2033 तक संचालन में लाए जाएंगे, जिससे भारत का स्वच्छ और विश्वसनीय ऊर्जा रोडमैप सुदृढ़ होगा।
  - **अनुसंधान एवं विकास:** भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) उन्नत रिएक्टर डिजाइनों, जैसे उच्च-ताप गैस-शीतित रिएक्टर और हाइड्रोजन उत्पादन आधारित प्रणालियों पर कार्य कर रहा है।
  - **SHANTI अधिनियम, 2025:** यह अधिनियम परमाणु क्षेत्र में सीमित निजी भागीदारी को सक्षम बनाता है, जिससे निवेश और नवाचार को बढ़ावा मिलता है।

प्रमुख चुनौतियाँ:

- परमाणु ऊर्जा के अनेक लाभ हैं, तथापि इसके विस्तार में कुछ संरचनात्मक और सामाजिक चुनौतियाँ भी हैं:
  - उच्च पूंजी लागत और दीर्घ निर्माण अवधि
  - रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रबंधन
  - सुरक्षा और दुर्घटना जोखिम की आशंकाएँ
  - जन-स्वीकृति की कमी
  - थोरियम चक्र की तकनीकी जटिलता
- इन चुनौतियों के समाधान के लिए सुदृढ़ विनियामक ढाँचा, पारदर्शिता और वैज्ञानिक जागरूकता आवश्यक है।

निष्कर्ष:

कल्पक्कम स्थित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में क्रिटिकैलिटी की प्राप्ति भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए एक उपलब्धि है। यह उपलब्धि न केवल वैज्ञानिक क्षमता का प्रमाण है, बल्कि नीति, अनुसंधान और दीर्घकालिक दृष्टि के सफल समन्वय का परिणाम भी है। भारत का तीन-चरणीय परमाणु कार्यक्रम अब सिद्धांत से व्यवहार की दिशा में अग्रसर है। यदि इसे प्रभावी रूप से लागू किया जाता है, तो यह देश को ऊर्जा आत्मनिर्भरता, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और वैश्विक तकनीकी नेतृत्व की दिशा में अग्रसर करेगा।

मित्र मिशन: गगनयान के लिए इसरो का अंतरिक्ष एनालॉग अध्ययन

सन्दर्भ:

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने 2-9 अप्रैल 2026 तक लद्दाख के लेह में मित्र मिशन (MITRA -Mapping of Interoperable Traits and Response Assessment) का संचालन किया। मिशन का उद्देश्य मानव अंतरिक्ष मिशनों में चालक दल की सुरक्षा, प्रदर्शन और टीमवर्क को समझना था। लेह की लगभग 3,500 मीटर ऊंचाई वाली स्थितियां, हाइपोक्सिया (कम ऑक्सीजन), ठंड और अलगाव, अंतरिक्ष जैसी परिस्थितियों का अनुभव कराती हैं। इस कारण इसे मानव अंतरिक्ष उड़ान का प्राकृतिक अनुकरण (analogue) माना गया।

मिशन का मुख्य उद्देश्य:

- क्रू और ग्राउंड टीम के बीच संवाद और समन्वय का अध्ययन।
- तनाव और अलगाव के दौरान निर्णय लेने और टीमवर्क की क्षमता का मूल्यांकन।
- भविष्य के गगनयान मिशनों में मानव कारकों (human factors) के आधार पर प्रशिक्षण और रणनीति विकसित करना।

सहयोग और आयोजन:

- मित्र मिशन, इसरो और भारतीय वायु सेना के इंस्टिट्यूट ऑफ़ एयरोस्पेस मेडिसिन ने मिलकर डिज़ाइन किया। इसका उद्घाटन 2 अप्रैल 2026 को ISRO अध्यक्ष डॉ. वी. नारायणन ने वर्चुअल माध्यम से किया।

गगनयान कार्यक्रम में महत्त्व:

- गगनयान मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किमी की कक्षा में 3 दिनों के लिए भेजना और उन्हें सुरक्षित वापस लाना है। यह मिशन 2026 से पहले लॉन्च होने की संभावना है, जिसमें LVM3 रॉकेट का उपयोग किया जाएगा। भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बनेगा।
- MITRA मिशन इसके लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करता है:
  - अलगाव और तनाव में मानव अनुकूलन
  - शारीरिक और मानसिक प्रदर्शन
  - टीमवर्क और निर्णय क्षमता
- इस डेटा का उपयोग सिमुलेशन प्रशिक्षण, क्रू संरचना और कर्तव्यों के आवंटन में किया जाएगा, जिससे मिशन की सफलता और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के बारे में:

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को डॉ. विक्रम साराभाई ने की थी।
- बेंगलुरु (कर्नाटक) में मुख्यालय, इसरो का उद्देश्य अंतरिक्ष तकनीक विकसित करना और राष्ट्रीय विकास के लिए उपग्रह, प्रक्षेपण यान (PSLV, GSLV) व मिशन (चंद्रयान, गगनयान, शुक्रयान) संचालित करना है।

निष्कर्ष:

मित्र (MITRA) मिशन भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान की तैयारी में एक रणनीतिक पहल है। चरम और अलगाव वाले वातावरण में मानव और टीमों की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करके, इसरो सुनिश्चित करना चाहता है कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष की कठिनाइयों के लिए पूरी तरह तैयार हों। यह मिशन बहु-विषयक सहयोग का उदाहरण है, जो अंतरिक्ष विज्ञान, रक्षा विशेषज्ञता और चिकित्सा अनुसंधान को जोड़ता है और भारत के गगनयान कार्यक्रम और भविष्य के मानव अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों का समर्थन करता है।

आर्टेमिस 2 मिशन

सन्दर्भः

हाल ही में नासा (NASA) के 'आर्टेमिस मिशन' के दूसरे चरण, आर्टेमिस 2 (Artemis II), को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह 1972 के बाद चंद्रमा के लिए पहला मानवयुक्त मिशन है, जिसमें चार अंतरिक्ष यात्री, रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैनसेन, ओरियन कैप्सूल यान में 10-दिवसीय यात्रा करके सफलतापूर्वक, पृथ्वी पर वापस आ गए हैं।

मिशन का मुख्य उद्देश्य:

- आर्टेमिस 2 का प्राथमिक लक्ष्य 'ओरियन' (Orion) अंतरिक्ष यान और 'स्पेस लॉन्च सिस्टम' (SLS) रॉकेट की क्षमताओं का परीक्षण करना था।
- यह एक "लूनर फ्लाईबी" (Lunar Flyby) मिशन था, जिसका अर्थ है कि अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे नहीं, बल्कि उसके चारों ओर चक्कर लगाकर वापस आएंगे।
- इस मिशन के जरिए नासा यह सुनिश्चित करना चाहता था कि गहरे अंतरिक्ष (Deep Space) में जीवन रक्षक प्रणालियाँ सही ढंग से काम कर रही हैं, ताकि भविष्य के आर्टेमिस 3 मिशन में मनुष्यों को सुरक्षित रूप से चांद की सतह पर उतारा जा सके।

प्रमुख उपलब्धियाँ और घटनाएँ:

- **लूनर फ्लाईबाय पूर्ण हुआ:** मिशन की टीम ने चंद्रमा के दूरस्थ भाग के पास से सफलतापूर्वक उड़ान भरी।
- **दूरी का नया रिकॉर्ड:** मिशन ने 252,756 मील की दूरी तय कर पिछले अपोलो 13 रिकॉर्ड को तोड़ा जो यह मानव द्वारा अब तक की सबसे दूर की यात्रा है।
- **संवाद बाधा:** जैसे ही ओरियन यान चंद्रमा के पीछे गया, लगभग 40 मिनट की संचार अवरोध (blackout) का सामना किया गया, जो की अपेक्षित और परीक्षण रूप से महत्वपूर्ण था।
- **बृहद डेटा संग्रह:** मिशन ने चंद्रमा के ऊपर से पृथ्वी का अर्थराइज़ (Earthrise) देखा और इस दौरान सौर ग्रहण तथा लूनर सतह के कई महत्वपूर्ण अवलोकन किए।

चुनौतियाँ:

- आर्टेमिस 2 के माध्यम से वैज्ञानिक यह समझ रहे हैं कि विकिरण (Radiation) और संचार की बाधाओं से गहरे अंतरिक्ष में कैसे निपटा जाए।
- इस सफल मिशन के बाद नासा 2027-28 तक 'आर्टेमिस 3' लॉन्च करेगा, जिसमें पहली बार एक महिला और एक व्यक्ति चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखेंगे।

आर्टेमिस कार्यक्रम के बारे में:

- आर्टेमिस कार्यक्रम नासा के नेतृत्व में चंद्रमा अन्वेषण का प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे 2017 में अंतरिक्ष नीति निर्देश 1 के तहत शुरू किया गया।
- इसका उद्देश्य 2028 तक अपोलो 17 के बाद पहली बार चंद्रमा पर मानव भेजना और 2030 के दशक में वहाँ स्थायी आधार स्थापित करना है, जो गहरे अंतरिक्ष में मानव मिशनों की तैयारी के लिए प्रारंभिक कदम होगा।
- कार्यक्रम में स्पेस लॉन्च सिस्टम (SLS) का कोर स्टेज, RS-25 इंजन, सॉलिड रॉकेट बूस्टर, ओरियन अंतरिक्ष यान और निजी कंपनियों द्वारा विकसित ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम (HLS) शामिल हैं। इसमें

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आर्टेमिस समझौते के तहत होता है।

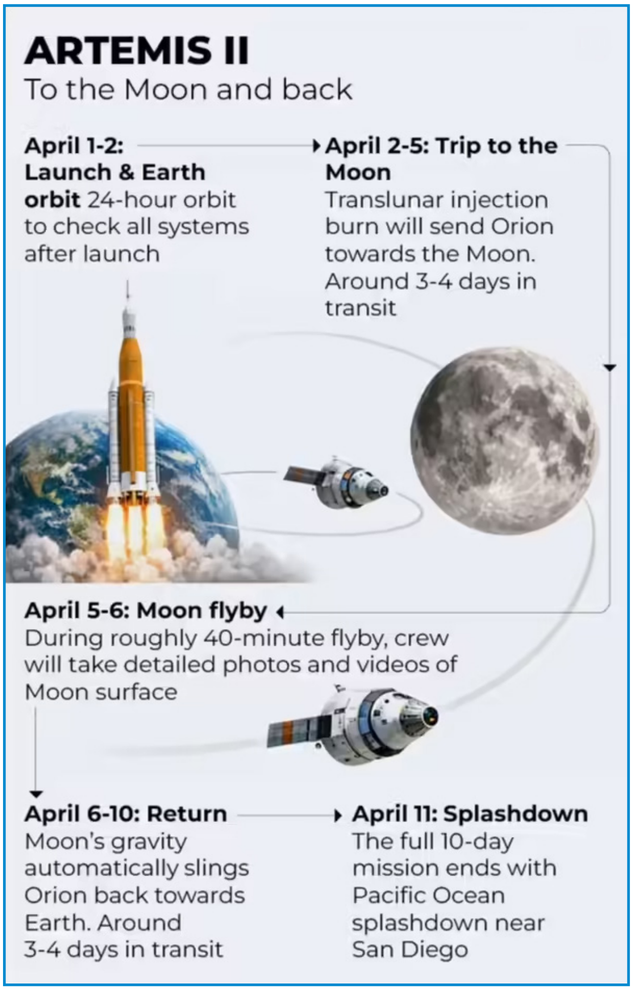

निष्कर्ष:

यह मिशन न केवल चंद्रमा की परिक्रमा के माध्यम से तकनीकी क्षमताओं का परीक्षण करता है, बल्कि गहरे अंतरिक्ष में मानव मिशनों की चुनौतियों, जैसे विकिरण, संचार बाधा और जीवन-रक्षक प्रणालियों को समझने में भी सहायक है। इसकी सफलता से दीर्घकालिक अंतरिक्ष अन्वेषण और भविष्य के मंगल मिशनों की आधारशिला मजबूत होगी।

युवावस्था में ल्यूकेमिया पर अध्ययन

संदर्भ:

हाल ही में अमेरिका में तीव्र लिम्फाब्लास्टिक ल्यूकेमिया (ALL) जो एक तेज़ी से बढ़ने वाला रक्त कैंसर है, पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि TP53 जीन परिवर्तन रोगियों की उपचार प्रतिक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खोज, यह समझने में मदद करता है कि वयस्कों में ALL का इलाज बच्चों की तुलना में क्यों कठिन है और यह अक्सर उपचार के बाद फिर क्यों हो जाता है?

ल्यूकेमिया के बारे में:

- तीव्र लिम्फाब्लास्टिक ल्यूकेमिया (ALL) एक तेज़ी से बढ़ने वाला रक्त कैंसर है जो श्वेत रक्त कोशिकाओं और अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। यह सबसे सामान्य बाल कैंसर है, लेकिन वयस्क ALL में विशेष चुनौतियाँ होती हैं, जैसे उच्च पुनरावृत्ति दर और कम दीर्घकालिक जीवित रहने की संभावना।
- यह रोग अपरिपक्व लिम्फोसाइट्स के अनियंत्रित प्रसार द्वारा होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता और सामान्य रक्त कार्य को प्रभावित करता है।

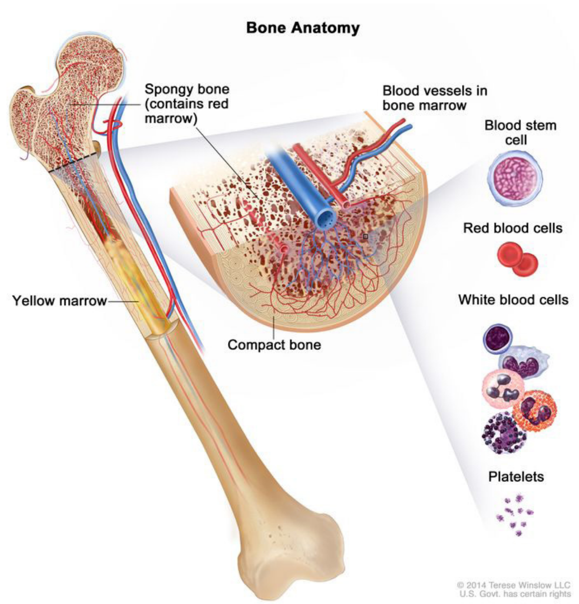

TP53 और इसकी भूमिका:

- TP53, जिसे अक्सर "जीनोम का संरक्षक" कहा जाता है, डीएनए की मरम्मत और अपोप्टोसिस (कोशिका मृत्यु) को नियंत्रित करता है। स्वस्थ कोशिकाओं में, TP53 DNA मरम्मत के लिए कोशिका विभाजन को रोक सकता है या जब क्षति अपरिवर्तनीय हो, तो प्रोग्राम्ड सेल डेथ शुरू कर सकता है।
- TP53 में परिवर्तन इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है, जिससे

जिनेटिक त्रुटियों वाली कोशिकाएँ अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं, और अंततः कैंसर विकसित होता है।

- वयस्क ALL में, TP53 उत्परिवर्तन वृद्धि संकेतों को बढ़ाते और अपोप्टोसिस को बाधित करते हैं, जिससे मानक कीमोथेरेपी कम प्रभावी होती है और पुनरावृत्ति की दर अधिक होती है।

अध्ययन के निष्कर्ष:

- लगभग 10% वयस्क ALL रोगियों में TP53 उत्परिवर्तन पाया गया।
- TP53-म्यूटेंट कोशिकाओं में वृद्धि संकेत बढ़े और अपोप्टोसिस दोषपूर्ण था, जिससे कीमोथेरेपी कम प्रभावी हुई।
- TP53 उत्परिवर्तन वाले रोगियों में पुनरावृत्ति अधिक और दीर्घकालिक जीवित रहने की दर कम थी।
- अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण से जीवन अवधि बढ़ी, हालांकि पुनरावृत्ति सामान्य रही।
- पुनरावृत्ति के बाद इम्यूनोथेरपी की प्रभावकारिता कम हो गई क्योंकि TP53-म्यूटेंट कोशिकाओं पर सतही मार्कर खो गए।

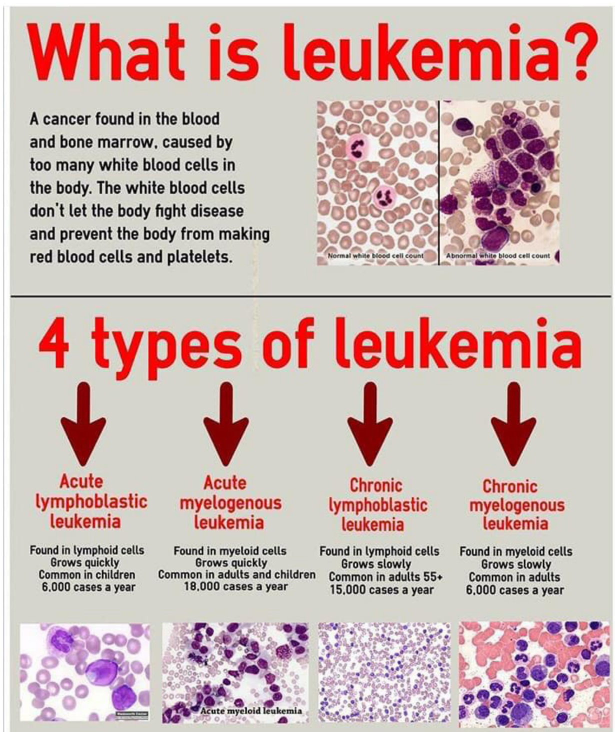

निहितार्थ:

- वयस्क ALL के लिए जीन आधारित उपचारों की आवश्यकता को उजागर करता है।
- TP53-म्यूटेंट रोगियों के लिए प्रारंभिक इम्यूनोथेरपी और उसके बाद अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण का सुझाव देता है।
- पारंपरिक उपचार विधियाँ उच्च-जोखिम वाले जीन समूहों के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती।
- कैंसर पुनरावृत्ति और दवा प्रतिरोध की जैविकी की समझ देता है, जो भविष्य के उपचार विकास को मार्गदर्शन कर सकता है।

भारत के सन्दर्भ में:

- TP53 उत्परिवर्तन भारत में उच्च भार वाले कैंसरों में आम हैं, जैसे ओरल, स्तन, फेफड़े, और पित्ताशय कैंसर के कैंसर।
- इसकी क्लिनिकल महत्ता के बावजूद, भारत में TP53 का नियमित रूप से जोखिम वर्गीकरण या उपचार निर्णयों में उपयोग नहीं होता।
- TP53 परीक्षण को भारतीय ऑन्कोलॉजी प्रथाओं में शामिल करने से व्यक्तिगत उपचार, रोग का पूर्वानुमान और रोगी परिणाम सुधर सकते हैं।
- यह भारत में जीनोमिक अनुसंधान और व्यावहारिक अनुप्रयोग के बीच के अंतर को कम करता है।

निष्कर्ष:

अध्ययन ने यह स्पष्ट किया कि वयस्क ALL आक्रामक और मानक उपचारों के प्रति प्रतिरोधी क्यों है। TP53 को एक मुख्य जीन ड्राइवर के रूप में पहचानकर, यह प्रिसिजन मेडिसिन जैसे प्रारंभिक इम्यूनोथेरपी और अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण के मार्ग खोलता है। भारत में इस जीनोमिक ज्ञान को क्लिनिकल अभ्यास में शामिल करने से उपचार प्रभावकारिता, जीवित रहने की दर और समग्र कैंसर प्रबंधन रणनीतियाँ बेहतर हो सकती हैं।

पल्सर आधारित दूरी मापन की नई विधि

संदर्भ:

हाल ही में, आईआईटी कानपुर (IIT Kanpur) और नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स (NCRA), पुणे के खगोलविदों ने एक नई वैज्ञानिक विधि विकसित की है, जिसके माध्यम से पल्सर (Pulsars) के संकेतों का उपयोग करके गहरे अंतरिक्ष में दूरियों को अधिक सटीकता से मापा जा सकता है।

प्रमुख बिंदु:

- इस नई विधि में पल्सर से आने वाले रेडियो संकेतों (radio signals) के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जब ये संकेत अंतरिक्ष में मौजूद गैस और प्लाज़्मा से गुजरते हैं, तो उनमें बदलाव

(dispersion और scattering) होता है। इन बदलावों का विश्लेषण करके दूरी का अनुमान लगाया जाता है।

- यह विधि अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की बढ़ती क्षमता को दर्शाता है और खगोल भौतिकी (Astrophysics) के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति माना जा रहा है। इस तकनीक से आकाशगंगा (Milky Way) के संरचनात्मक अध्ययन में अधिक सटीकता आने की संभावना है।

पल्सर के बारे में:

- पल्सर अत्यंत घने और तेज़ गति से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे (Neutron Stars) होते हैं, जो नियमित अंतराल पर रेडियो तरंगों के रूप में संकेत भेजते हैं। इन्हें "कॉस्मिक लाइटहाउस" भी कहा जाता है।
- इनकी खोज 1967 में हुई थी और तब से यह खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण उपकरण बन चुके हैं, क्योंकि इनका समय (timing) अत्यंत सटीक होता है।

पल्सर की कार्यप्रणाली:

- पल्सर अपने ध्रुवों से रेडियो तरंगें उत्सर्जित करते हैं।
- जब ये तरंगें पृथ्वी की दिशा में आती हैं तो नियमित पल्स (pulse) के रूप में दिखाई देती हैं।
- इनकी घूर्णन गति अत्यंत स्थिर होती है, जिससे ये ब्रह्मांडीय घड़ी (cosmic clock) की तरह काम करते हैं।

नई विधि का वैज्ञानिक आधार:

- परंपरागत रूप से अंतरिक्ष की दूरी मापने के लिए फैलाव मापन (Dispersion Measure- DM) का उपयोग किया जाता था, जिसमें संकेतों के समय विलंब का अध्ययन किया जाता है।
- नई विधि में दो प्रभावों का संयुक्त उपयोग किया गया है:
  - » संकेतों का समय विलंब (Dispersion)
  - » संकेतों का फैलाव (Scattering)
- इन दोनों को मिलाकर दूरी मापन अधिक सटीक हो जाता है क्योंकि यह अंतरिक्षीय प्लाज़्मा के प्रभावों को भी शामिल करता है।

इस विधि का महत्व:

- अंतरिक्ष में दूरी मापन, खगोल विज्ञान की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रहा है। इस विधि के प्रयोग से अत्यंत सटीक दूरी नापी जा सकती है।

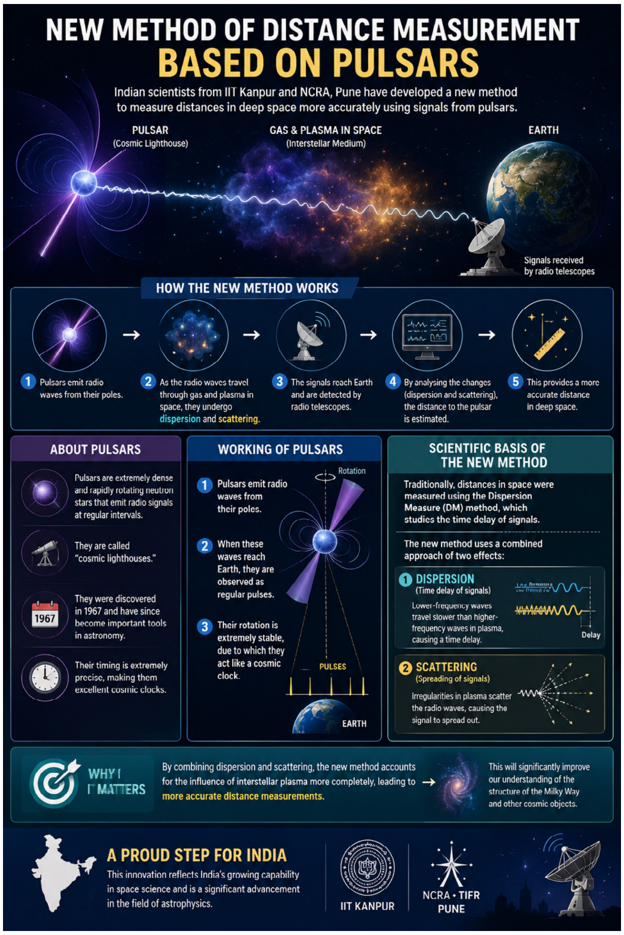

मुख्य पारंपरिक विधियाँ:

- » त्रिकोणमितीय पारलैक्स (Trigonometric Parallax)
- » वर्णक्रमीय विधियाँ (Spectroscopic Methods)
- » प्रकीर्णन-आधारित रेडियो खगोलिकी (Dispersion-based Radio Astronomy)

- इन सभी विधियों की सीमाएँ हैं, विशेषकर जब दूरी बहुत अधिक हो। इसलिए पल्सर आधारित विधि एक उन्नत विकल्प प्रदान करती है।

निष्कर्ष:

यह नई विधि न केवल अंतरिक्ष की दूरियों को अधिक सटीक बनाएगी, बल्कि आकाशगंगा की संरचना और विकास को समझने में भी मदद करेगी। हालिया उपलब्धि भारत को वैश्विक खगोल विज्ञान अनुसंधान में एक मजबूत स्थिति प्रदान करती है और यह दर्शाती है कि भारतीय वैज्ञानिक अंतरिक्ष अनुसंधान (ISRO) लगातार नई सीमाएँ (frontiers) छू रहे हैं।

राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि

संदर्भ:

हाल ही में, भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM) ने अपनी शुरुआत के मात्र तीन वर्षों के भीतर 1,000 किलोमीटर लंबा सुरक्षित क्वांटम संचार नेटवर्क सफलतापूर्वक विकसित करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यह उपलब्धि भारत को उभरती हुई क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक मजबूत वैश्विक स्थिति में स्थापित करती है।

मुख्य उपलब्धि:

- NQM ने अपनी निर्धारित समय-सीमा से काफी पहले 1,000 किमी का क्वांटम संचार नेटवर्क प्रदर्शित किया।
- यह नेटवर्क विश्व के सबसे लंबे सुरक्षित क्वांटम संचार नेटवर्क में से एक माना जाता है।
- यह भारत की तेजी से बढ़ती वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता को दर्शाता है।

इस उपलब्धि का महत्व:

- **राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना:** यह तकनीक अत्यंत सुरक्षित संचार सुनिश्चित करती है:
  - रक्षा (Defence)
  - खुफिया (Intelligence)
  - महत्वपूर्ण सरकारी प्रणालियाँ
- **साइबर सुरक्षा में क्रांति:** क्वांटम संचार पारंपरिक एन्क्रिप्शन की तुलना में अधिक सुरक्षित है, जिससे डिजिटल सुरक्षा ढांचा काफी मजबूत होता है।
- **आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम:** यह उपलब्धि भारत की स्वदेशी तकनीकी क्षमता और डीप-टेक क्षेत्रों में बढ़ती आत्मनिर्भरता को दर्शाती है।
- **वैश्विक नेतृत्व की ओर कदम:** इस सफलता के साथ, भारत क्वांटम प्रौद्योगिकी विकास में एक अग्रणी देश के रूप में उभर रहा है।

क्वांटम संचार नेटवर्क के बारे में:

- यह तकनीक मुख्य रूप से क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन (Quantum Key Distribution - QKD) पर आधारित है।
- क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन (QKD) एक सुरक्षित संचार तकनीक है जो क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करके दो पक्षों के बीच एक साझा गुप्त कोड उत्पन्न करती है।

- **कार्य प्रणाली:**
  - यह डेटा को फोटॉन (प्रकाश के कण) के माध्यम से भेजता है।
  - क्वांटम भौतिकी के नो-क्लोनिंग प्रमेय (no-cloning theorem) के अनुसार, किसी अज्ञात क्वांटम अवस्था की पूरी तरह नकल नहीं की जा सकती।
- **अभेद्य सुरक्षा:**
  - यदि कोई हैकर संचार को रोकने या मापने की कोशिश करता है, तो फोटॉन की क्वांटम अवस्था तुरंत बदल जाती है।
  - यह तुरंत संचार करने वाले पक्षों को चेतावनी देता है कि छेड़छाड़ हुई है और कुंजी अमान्य हो जाती है।
- **महत्व:**
  - पारंपरिक एन्क्रिप्शन गणितीय समस्याओं पर आधारित होता है, जिन्हें भविष्य के क्वांटम कंप्यूटर तोड़ सकते हैं।
  - QKD भौतिकी के नियमों पर आधारित है, इसलिए सिद्धांततः यह लगभग अभेद्य (unbreakable) है।

राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के विषय में:

- भारत सरकार ने इस मिशन को अप्रैल 2023 में ₹6,003.65 करोड़ के बजट के साथ मंजूरी दी थी, और इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा लागू किया जा रहा है।
- **चार प्रमुख विषय क्षेत्र:**
  - » **क्वांटम कंप्यूटिंग:** 8 वर्षों में 50 से 1,000 क्यूबिट्स वाले मध्यम-स्तरीय क्वांटम कंप्यूटरों का विकास
  - » **क्वांटम संचार:** भारत भर में सुरक्षित स्थलीय और उपग्रह आधारित संचार नेटवर्क की स्थापना
  - » **क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी:** अत्यंत संवेदनशील सेंसर और परमाणु घड़ियों का विकास
  - » **क्वांटम सामग्री और उपकरण:** क्वांटम सूचना प्रसंस्करण के लिए नए पदार्थों का निर्माण

निष्कर्ष:

1,000 किमी का क्वांटम संचार उपलब्धि केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। यह भविष्य के क्वांटम इंटरनेट की नींव रखता है, जो भारत की डिजिटल संप्रभुता और सुरक्षित संचार अवसंरचना को मजबूत करेगा।

अमरावती में भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्टिंग फैसिलिटी

सन्दर्भ:

हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती स्थित एसआरएम विश्वविद्यालय में भारत की पहली स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्टिंग फैसिलिटी और 'अमरावती क्वांटम वैली' (AQV) का शुभारंभ किया।

अमरावती क्वांटम वैली के बारे में:

- अमरावती क्वांटम वैली आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित भारत का पहला समर्पित क्वांटम प्रौद्योगिकी केंद्र है।
- यह 6,000 करोड़ रुपये के नेशनल क्वांटम मिशन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक तकनीकी शक्ति बनाना है।
- IBM और TCS जैसी कंपनियों के साथ, यह 156-qubit (शुरुआती लक्ष्य) क्वांटम सिस्टम के साथ अनुसंधान, नवाचार और उच्च-स्तरीय प्रशिक्षण (AI, साइबर सुरक्षा) को बढ़ावा देगा।

अमरावती क्वांटम वैली के मुख्य पहलू:

- **उद्देश्य:** भारत को क्वांटम अनुसंधान में आत्मनिर्भर बनाना और चीन-अमेरिका के साथ तकनीकी प्रतिस्पर्धा करना।
- **स्थान और बुनियादी ढांचा:** यह SRM यूनिवर्सिटी और गन्नवरम के मेधा टावर्स में स्थित है, जहाँ स्वदेशी 'क्वांटम संदर्भ सुविधाएं' स्थापित की जा रही हैं।
- **प्रमुख साझेदारी:** टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR), भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के साथ मिल कर इसे विकसित किया जा रहा है।
- **विशेषता:** यह एक पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र (कौशल, अनुसंधान, स्टार्टअप) विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जो बोस्टन और म्यूनिख जैसे वैश्विक केंद्रों की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है।

क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में:

- क्वांटम कंप्यूटिंग, शास्त्रीय (Classical) कंप्यूटरों की तुलना में क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करके जटिल समस्याओं को तीव्र गति से हल करती है।
  - » **कुबिट्स (Qubits):** जहां साधारण कंप्यूटर 0 या 1 (Bits) का उपयोग करते हैं, वहीं क्वांटम कंप्यूटर 'कुबिट्स' का उपयोग करते हैं, जो एक साथ 0 और 1 दोनों अवस्थाओं में रह सकते हैं।
- **सुपरपोजिशन (Superposition):** यह कुबिट्स को एक साथ कई गणनाएं करने की अनुमति देता है, जिससे प्रसंस्करण शक्ति तेजी से बढ़ती है।
- **एंटैंगलमेंट (Entanglement):** इसमें एक कुबिट की स्थिति दूसरे को तुरंत प्रभावित करती है, चाहे वे कितनी भी दूर हों। यह डेटा ट्रांसमिशन और गणना को गति प्रदान करता है।

भारत के लिए महत्व:

- **सुरक्षा और क्रिप्टोग्राफी:** क्वांटम कंप्यूटर वर्तमान एन्क्रिप्शन विधियों को चुनौती दे सकते हैं। स्वदेशी टेस्टिंग फैसिलिटी होने से भारत 'पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी' विकसित करने में आत्मनिर्भर बनेगा।
- **ड्रग डिस्कवरी और स्वास्थ्य:** आणविक स्तर पर सिमुलेशन के माध्यम से नई दवाओं और टीकों की खोज में लगने वाला समय वर्षों से घटकर महीनों में रह जाएगा।
- **लॉजिस्टिक्स और डेटा:** यह जटिल वित्तीय प्रणालियों और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन (Supply Chain Management) को अनुकूलित करने में मदद करेगा।

चुनौतियां:

- वर्तमान में भारत NISQ (Noisy Intermediate-Scale Quantum) युग में हैं। इसका अर्थ है कि हमारे पास क्वांटम कंप्यूटर तो हैं, लेकिन वे बाहरी शोर और पर्यावरणीय गड़बड़ी के कारण त्रुटियों (Decoherence) के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। इन त्रुटियों को नियंत्रित करना और कुबिट्स की संख्या बढ़ाना वर्तमान में सबसे बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है।

राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM) के बारे में:

- अमरावती की यह उपलब्धि भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM) का हिस्सा है, जिसे केंद्र सरकार ने अप्रैल 2023 में ₹6003.65 करोड़ के बजट के साथ मंजूरी दी थी।
- **लक्ष्य (2023–2031):** इसका मुख्य उद्देश्य 8 वर्षों में 50 से 1,000 भौतिक कुबिट की क्षमता वाले मध्यवर्ती स्तर के क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना है।
- **चार विषयगत हब (T-Hubs):** यह मिशन चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है:
  - » क्वांटम कंप्यूटिंग
  - » क्वांटम संचार (Communication)
  - » क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी
  - » क्वांटम सामग्री और उपकरण (Materials & Devices)
- **प्रमुख उपलब्धियां:** भारत ने पहले ही 1,000 किमी लंबी सुरक्षित क्वांटम संचार लिंक जैसी उपलब्धि हासिल की है। मिशन का लक्ष्य 2027 तक 2,000 किमी लंबी अंतर-शहरी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन (QKD) नेटवर्क स्थापित करना है।

निष्कर्ष:

अमरावती में इस टेस्टिंग फैसिलिटी का शुभारंभ केवल एक राज्य की उपलब्धि नहीं, बल्कि 'आत्मनिर्भर भारत' की एक नई पहचान है। यह शिक्षा, उद्योग और सरकार के त्रिकोणीय संगम का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो आने वाले समय में भारत को चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने में सक्षम बनाएगा।

6 आर्थिक मुद्दे

औद्योगिक अशांति: विकास और श्रम संकट के मध्य संरचनात्मक चुनौतियाँ और सुधार की आवश्यकता

संदर्भ:

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR), जिसमें दिल्ली तथा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर जैसे औद्योगिक केंद्र शामिल हैं, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र का एक प्रमुख केंद्र है, जो रोजगार और औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। हाल के समय में यहां बार-बार औद्योगिक अशांति की घटनाएं देखने को मिली हैं, जिनमें हड़ताल, विरोध प्रदर्शन और हिंसा शामिल हैं, विशेषकर विनिर्माण और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में। अप्रैल 2026 में मजदूरी असमानता, लंबी कार्य अवधि, खराब कार्य परिस्थितियों और कमजोर शिकायत निवारण तंत्र के कारण अशांति और बढ़ गई। नोएडा और मानेसर में श्रमिकों ने उचित वेतन और बेहतर सुरक्षा की मांग की, जिससे उत्पादन में बाधा आई और निवेशकों के विश्वास पर भी असर पड़ा, जो श्रम संबंधों में गहरी संरचनात्मक समस्याओं को उजागर करता है।

औद्योगिक अशांति के प्रमुख कारण:

- **पड़ोसी राज्यों की तुलना में वेतन अंतर:** मुख्य कारण नोएडा के श्रमिकों (लगभग ₹13,000–₹15,000 कमाई) और हरियाणा के गुरुग्राम श्रमिकों के बीच बढ़ता वेतन अंतर था, जहाँ हरियाणा में 35% न्यूनतम वेतन वृद्धि के बाद वेतन लगभग ₹19,000 हो गया, जिससे गंभीर असंतोष उत्पन्न हुआ।
- **बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की लागत:** कम वेतन के साथ बढ़ते किराए और घरेलू खर्चों के कारण जीवन यापन में कठिनाई होना।
- **खराब कार्य परिस्थितियाँ और शोषण:** रिपोर्टों में 12 घंटे की शिफ्ट, साप्ताहिक अवकाश की कमी और ओवरटाइम का भुगतान न होना या अनुचित भुगतान जैसी व्यापक शिकायतें सामने आईं, जिससे बेहतर श्रम कानून लागू करने की मांग बढ़ी।

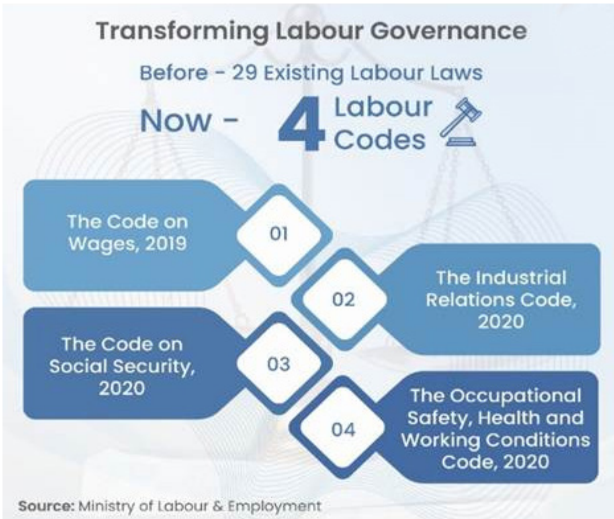

- **विफल वार्ता और प्रशासन की धीमी प्रतिक्रिया:** शुरुआती शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन नियोक्ताओं या श्रम विभाग के साथ समाधान तक नहीं पहुँच पाए, जिससे असंतोष बढ़कर हिंसा में बदल गया।
- **भ्रामक जानकारी और उकसावा:** पुलिस ने पाया कि व्हाट्सएप्प समूहों और सोशल मीडिया का उपयोग गलत जानकारी फैलाने के लिए किया गया (जैसे मृत्यु की झूठी खबरें) और 50 से अधिक बॉट अकाउंट्स व बाहरी तत्वों ने हिंसा भड़काने की कोशिश की।
- **संगठित क्षेत्र का अनौपचारिककरण:** 80% से अधिक श्रमिक

अभी भी अनौपचारिक (informal) हैं, यहाँ तक कि औपचारिक क्षेत्रों में भी। ठेकेदारी (contractualization) बढ़ने से श्रमिकों को स्थायी कर्मचारियों जैसे लाभ और सुरक्षा नहीं मिलती।

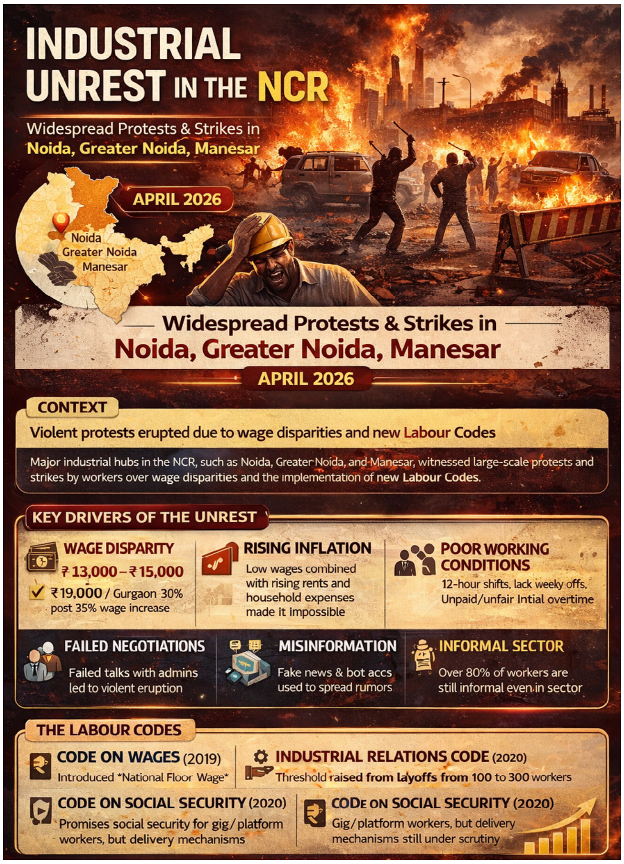

नए श्रम संहिताओं (Labour Codes) में अस्पष्टता:

- 2026 की अशांति नवंबर 2025 में नए श्रम संहिताओं की अधिसूचना से गहराई से जुड़ी हुई है:
  - **वेतन संहिता (2019):** इसमें "राष्ट्रीय फ्लोर वेज" (National Floor Wage) का प्रावधान है, लेकिन आलोचकों के अनुसार स्पष्ट निर्धारण पद्धति न होने से हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में वेतन असमानता बढ़ी है।
  - **औद्योगिक संबंध संहिता (2020):** इसने छंटनी (layoffs) के लिए सरकारी अनुमति की सीमा 100 से बढ़ाकर 300 श्रमिक कर दी। श्रमिक संगठनों का मानना है कि इससे नौकरी सुरक्षा कमजोर हुई है।
  - **सामाजिक सुरक्षा संहिता (2020):** यह गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को लाभ देने का वादा करता है, लेकिन इसके वास्तविक क्रियान्वयन तंत्र अभी भी जांच के दायरे में हैं।

भारत में औद्योगिक अशांति का इतिहास:

- औद्योगिक अशांति से तात्पर्य नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच उत्पन्न उस संघर्ष या तनाव की स्थिति से है, जो सामान्य औद्योगिक कार्यों को बाधित करती है। यह आमतौर पर हड़ताल, विरोध प्रदर्शन, कार्य बंद या तालाबंदी के रूप में सामने आती है और वेतन विवाद, असुरक्षित या शोषणकारी कार्य परिस्थितियां, रोजगार असुरक्षा, वेतन भुगतान में देरी और कमजोर सामूहिक सौदेबाजी अधिकार जैसे मुद्दों के कारण उत्पन्न होती है।
- भारत में औद्योगिक अशांति कोई नई घटना नहीं है। इसकी जड़ें औपनिवेशिक काल से जुड़ी है, जब औद्योगिकीकरण के कारण वस्त्र, रेलवे और खनन क्षेत्रों में वेतन श्रम का उदय हुआ। खराब कार्य परिस्थितियां, लंबे कार्य घंटे और कम वेतन के कारण बार-बार हड़तालें होती थीं।
- स्वतंत्रता के बाद, औद्योगिक संबंध कल्याणकारी राज्य की एक प्रमुख चिंता बन गए। सरकार ने औद्योगिक विकास और श्रमिक कल्याण के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया, जिसके परिणामस्वरूप विवाद समाधान के संरचित तंत्र विकसित किए गए।
- इस दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर 1947 का औद्योगिक विवाद अधिनियम था, जिसने सुलह, मध्यस्थता और न्यायनिर्णयन के माध्यम से विवादों के समाधान की एक औपचारिक प्रणाली स्थापित की।
- यह अधिनियम औद्योगिक शांति और सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य पर आधारित था, साथ ही श्रमिकों के सामूहिक सौदेबाजी और कानूनी रूप से हड़ताल करने के अधिकार को सुनिश्चित करता था।
- हालांकि, समय के साथ तीव्र औद्योगिकीकरण, वैश्वीकरण और श्रम के अनौपचारिकीकरण ने श्रम संघर्ष के नए रूप उत्पन्न किए, जिनसे पारंपरिक कानूनी ढांचा प्रभावी ढंग से निपटने में संघर्ष करता रहा।

भारत में श्रम अशांति का विधिक ढांचा:

- भारत में औद्योगिक संबंधों को नियंत्रित करने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा मौजूद है, जिसमें 1947 का औद्योगिक विवाद अधिनियम प्रमुख कानून है। यह विवादों की जांच और समाधान, हड़ताल और तालाबंदी के नियमन तथा छंटनी, पुनर्नियोजन और उद्योग बंद करने की प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है।
- यह अधिनियम श्रम न्यायालयों और औद्योगिक न्यायाधिकरणों की

स्थापना भी करता है और सुनिश्चित करता है कि आवश्यक सेवाओं में हड़ताल कानूनी प्रक्रियाओं, जैसे पूर्व सूचना और सुलह प्रयासों के तहत ही हो, ताकि औद्योगिक सौहार्द बना रहे।

- इसके अलावा, 2019 का वेतन संहिता राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन लागू करने और सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने का प्रयास करता है, जिससे क्षेत्रीय वेतन असमानताओं को कम किया जा सके।
- 2020 की औद्योगिक संबंध संहिता व्यापार संघों, विवाद समाधान और छंटनी से संबंधित कानूनों को समेकित करती है, साथ ही छंटनी की सीमा में बदलाव और ट्रेड यूनियनों की औपचारिक मान्यता को मजबूत करती है।
- 2020 की व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियां संहिता कार्यस्थल सुरक्षा में सुधार, कार्य समय का विनियमन और कारखानों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।
- इन कानूनी प्रावधानों के बावजूद, उनके क्रियान्वयन और प्रवर्तन में चुनौतियां बनी हुई हैं, जो अक्सर श्रमिक असंतोष और विवादों का कारण बनती हैं।

आगे की राह:

- हाल की श्रमिक अशांति को दूर करने के लिए सरकार को अल्पकालिक उपायों जैसे अस्थायी वेतन वृद्धि से आगे बढ़कर संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान देना होगा। एक महत्वपूर्ण कदम है श्रमबल का अनिवार्य औपचारिकीकरण, जिसके तहत सभी श्रमिकों, विशेषकर संविदा श्रमिकों को डिजिटल नियुक्ति पत्र और वेतन पर्ची (Pay Slip) प्रदान की जाए। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेही मजबूत होगी और श्रमिकों के अधिकारों का दस्तावेजी प्रमाण मिलेगा।
- श्रम संहिताओं का प्रभावी क्रियान्वयन भी एकीकृत और आधुनिक श्रम ढांचा बनाने के लिए आवश्यक है। वेतन संहिता और सामाजिक सुरक्षा संहिता के क्रियान्वयन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि असंगठित और गिग श्रमिकों को मजबूत सुरक्षा जाल मिल सके।
- इसके साथ ही, न्यूनतम मजदूरी को नियमित रूप से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) से जोड़कर संशोधित किया जाना चाहिए, बेहतर होगा कि यह संशोधन हर छह महीने में किया जाए, ताकि मजदूरी महंगाई और बढ़ती जीवन लागत के अनुरूप बनी रहे।
- अंततः, शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना और श्रमिक कल्याण अवसंरचना में सुधार करना दीर्घकालिक स्थिरता के लिए आवश्यक है। श्रम विभागों का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए और औद्योगिक क्षेत्रों में संयुक्त सुलह समितियों जैसे संस्थागत तंत्र विकसित किए जाने चाहिए, ताकि विवादों का त्वरित समाधान हो सके।
- इसके अतिरिक्त, सरकारी सहायता प्राप्त किराया योजनाओं के माध्यम से सस्ती और सुलभ श्रमिक आवास को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे जीवन-यापन की लागत का बोझ कम हो और उद्योगों पर अत्यधिक दबाव न पड़े।

निष्कर्ष:

एनसीआर में औद्योगिक अशांति अलग-अलग घटनाओं का परिणाम नहीं है, बल्कि यह भारत के श्रम पारिस्थितिकी तंत्र में गहरी संरचनात्मक समस्याओं का प्रतिबिंब है। हालांकि भारत के पास 1947 का औद्योगिक विवाद अधिनियम और नई श्रम संहिताओं जैसे व्यापक कानूनी प्रावधान मौजूद हैं, फिर भी कानून और उसके क्रियान्वयन के बीच का अंतर काफी बड़ा है। सतत औद्योगिक शांति के लिए भारत को केवल कानूनी सुधारों पर ही नहीं, बल्कि प्रभावी क्रियान्वयन, उचित मजदूरी और समावेशी औद्योगिक संबंधों पर भी ध्यान देना होगा।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) मौद्रिक नीति समीक्षा

संदर्भ:

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की अपनी पहली द्विमासिक बैठक के निर्णय घोषित किए। वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और घरेलू मुद्रास्फीति के दबाव को ध्यान में रखते हुए, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली समिति ने 'तटस्थ' (Neutral) नीति रुख अपनाया और रेपो रेट को 5.25% पर स्थिर रखने का निर्णय लिया।

मुख्य नीतिगत दरें:

दर का नाम	वर्तमान स्थिति
रेपो रेट (Repo Rate)	5.25% (अपरिवर्तित)
रिवर्स रेपो रेट (SDF)	5.00%
बैंक दर (Bank Rate)	5.50%
नकद आरक्षित अनुपात (CRR)	3.00%
वैधानिक तरलता अनुपात (SLR)	18.00%

प्रमुख आर्थिक अनुमान:

- **विकास दर (GDP Growth Forecast):** आरबीआई ने वित्त वर्ष 2027 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.9% लगाया है। हालांकि यह पिछले वर्ष (7.6%) की तुलना में कम है, लेकिन वैश्विक मंदी के संकेतों के बावजूद भारत अभी भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। विकास दर में इस कमी का मुख्य कारण पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष (अमेरिका-ईरान तनाव) के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आया व्यवधान है।
- **मुद्रास्फीति (Inflation - CPI):** वित्त वर्ष 2027 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित मुद्रास्फीति का अनुमान 4.6% रखा गया है।
  - » **चुनौतियां:** कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता और खाद्य कीमतों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव।
  - » **रणनीति:** आरबीआई का लक्ष्य मुद्रास्फीति को 4% के मध्यम अवधि के लक्ष्य के करीब लाना है, जबकि विकास को भी समर्थन देना है।

प्रमुख नीतिगत सुधार:

- **व्यापार सुगमता (Ease of Doing Business):** आरबीआई ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए कार्यशील पूंजी तक पहुंच आसान बनाने के लिए TReDS (Trade Receivables Discounting System) पर उचित सावधानी (Due Diligence) की आवश्यकता को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया है। यह कदम छोटे उद्यमियों को नकदी के संकट से उबारने में मदद करेगा।
- **वित्तीय बाजार में समावेश:** अब गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) और आवास वित्त कंपनियों (HFCs) को 'टर्म मनी मार्केट' में भाग लेने की अनुमति दी गई है। इससे वित्तीय प्रणाली में तरलता (Liquidity) बढ़ेगी और ऋण वितरण की प्रक्रिया मजबूत होगी।
- **बैंकिंग सुधार:** बैंकों के बोर्डों को अब दैनिक कार्यों के बजाय नीतिगत मामलों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी गई है। साथ ही, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व (IFR) को बनाए रखने की अनिवार्यता को हटाने का प्रस्ताव है, जिससे बैंकों के पास परिचालन के लिए अधिक पूंजी उपलब्ध होगी।

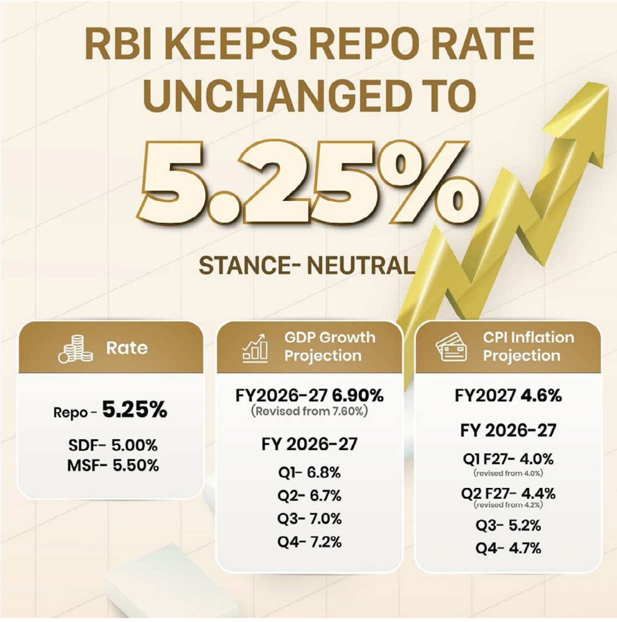

मौद्रिक नीति समिति के बारे में:

- मौद्रिक नीति समिति (MPC), भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) का 6-सदस्यीय वैधानिक निकाय है, जो मुद्रास्फीति नियंत्रण और आर्थिक विकास संतुलन के लिए रेपो जैसी नीतिगत दरें तय करता है। 2016 में गठित, यह वर्ष में कम से कम चार बार बैठक करती है।
  - » **गठन:** 6 सदस्य- 3 RBI (गवर्नर सहित), 3 भारत सरकार द्वारा नियुक्त।

- **अध्यक्ष:** RBI गवर्नर।
- **मुख्य कार्य:** 4% (±2% सहनशीलता) मुद्रास्फीति प्राप्त करने के लिए नीतिगत दरें निर्धारित करना।
- **निर्णय प्रक्रिया:** प्रत्येक सदस्य का 1 वोट; टाई होने पर गवर्नर का निर्णायक वोट।
- **महत्व:** MPC भारत में मौद्रिक नीति में पारदर्शिता, जवाबदेही और स्थिरता सुनिश्चित करती है।

निष्कर्ष:

आरबीआई का 'तटस्थ' रुख यह दर्शाता है कि केंद्रीय बैंक अब केवल मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह आर्थिक विकास की गति को भी बनाए रखना चाहता है। भविष्य की मौद्रिक नीति पूरी तरह से आने वाले डेटा और वैश्विक शांति की स्थिति पर निर्भर करेगी।

तेलंगाना, आरबीआई की नई ऋण रणनीति में शामिल

सन्दर्भ:

हाल ही में, तेलंगाना उन नौ राज्यों (आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित) के समूह में शामिल हो गया है, जिन्होंने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा शुरू की गई 'बेंचमार्क इश्यूएंस स्ट्रैटेजी' (BIS) को अपनाया है। अप्रैल-जून 2026 की तिमाही के लिए पायलट आधार पर शुरू किया गया यह सुधार राज्य विकास ऋण (State Development Loans - SDL) के बाजार में पारदर्शिता और तरलता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

बेंचमार्क इश्यूएंस स्ट्रैटेजी (BIS) क्या है?

- अब तक, राज्यों की उधारी प्रक्रिया अक्सर असंगठित रहती थी, जिससे निवेशकों के लिए द्वितीयक बाजार (Secondary Market) में तरलता की कमी रहती थी। नई रणनीति के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
  - **मानकीकृत परिपक्वता अवधि (Standardized Tenors):** राज्य अब 5 वर्ष, 10 वर्ष और 15 वर्ष जैसे विशिष्ट 'बेंचमार्क बकेट' में प्रतिभूतियां जारी करेंगे।
  - **पूर्व-निर्धारित कैलेंडर:** केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों (G-Secs) की तर्ज पर, राज्य एक निश्चित कैलेंडर का पालन करेंगे, जिससे निवेशकों को भविष्य की आपूर्ति के बारे में स्पष्टता मिलेगी।
  - **तरलता में वृद्धि:** बड़े और मानक आकार के बॉन्ड जारी करने से बाजार में उनकी खरीद-बिक्री आसान होगी, जिससे राज्यों के लिए उधार लेने की लागत (Yield) कम हो सकती है।

तेलंगाना के लिए इसका महत्व:

- तेलंगाना के लिए इस सुधार का समय अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य वर्तमान में ऋण प्रबंधन की गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है:
  - **ऋण का पुनर्गठन (Debt Restructuring):** तेलंगाना ने हाल के वर्षों में 10-12% की उच्च ब्याज दर वाले पुराने ऋणों को चुकाने के लिए RBI तंत्र का उपयोग किया है और उन्हें 7% से 7.5% की कम दर वाले नए ऋणों से बदला है।
  - **ऋण का बोझ:** वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में, तेलंगाना ने लगभग ₹48,000 करोड़ जुटाए। हालांकि, इस राशि का एक बड़ा हिस्सा (लगभग ₹32,303 करोड़) पिछले ऋणों के पुनर्भुगतान और कालेश्वरम जैसी बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के ब्याज भुगतान में चला गया।
  - **CAG की चिंताएं:** नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्टों ने संकेत दिया है कि राज्य अपनी दैनिक परिचालन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए 'विशेष आहरण सुविधा' (SDF) और 'अर्थोपाय अग्रिम' (Ways and Means Advances - WMA) जैसे अल्पकालिक ऋणों पर अत्यधिक निर्भर रहा है।

इस सुधार के संभावित लाभ:

- **ब्याज बोझ में कमी:** लंबी अवधि (30 वर्ष तक) और कम ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त होने से राज्य के खजाने पर तत्काल वित्तीय दबाव कम होगा।
- **निवेशक आधार का विस्तार:** मानक बॉन्ड होने से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) और पेंशन फंड जैसे बड़े संस्थान राज्यों के ऋण में निवेश करने के लिए अधिक प्रोत्साहित होंगे।
- **वित्तीय अनुशासन:** RBI की इस सख्त और पारदर्शी रणनीति से राज्यों में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अनुशासन बढ़ेगा।

चुनौतियां:

- यद्यपि यह रणनीति उधारी तंत्र को आधुनिक बनाती है, लेकिन यह राज्यों की बुनियादी वित्तीय समस्याओं (जैसे बढ़ता राजस्व घाटा) का समाधान नहीं है। तेलंगाना जैसे राज्यों के लिए केवल ऋण की

संरचना बदलना पर्याप्त नहीं है; उन्हें अपने स्वयं के कर राजस्व (SOTR) को बढ़ाने और गैर-उत्पादक व्यय को नियंत्रित करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

RBI की 'बेंचमार्क इश्यूएंस स्ट्रैटेजी' सहकारी संघवाद का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहाँ केंद्रीय बैंक राज्यों को उनके ऋण प्रबंधन में पेशेवर विशेषज्ञता प्रदान कर रहा है। तेलंगाना का इसमें शामिल होना राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य को सुधारने की दिशा में एक रणनीतिक बदलाव है, जो भविष्य में अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल बन सकता है।

सोलहवीं वित्त आयोग और इसका राजकोषीय संघवाद पर प्रभाव

संदर्भ:

हाल ही में, भारत सरकार ने सोलहवीं वित्त आयोग (16वीं एफसी) के 2026–31 की अवधि के लिए सिफारिशों को स्वीकार किया, जिससे राजकोषीय संघवाद और केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संतुलन के भविष्य को लेकर गंभीर चिंताएं उत्पन्न हुई हैं।

सोलहवीं वित्त आयोग के बारे में:

- 16वीं वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जिसे नवंबर 2023 में भारत सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत गठित किया गया था। इसके अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनागारिया हैं।
- आयोग 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक की पांच वर्षीय अवधि के लिए केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करता है।

16वीं वित्त आयोग की मुख्य सिफारिशें और राजकोषीय संघवाद पर प्रभाव:

- **ऊर्ध्वाधर वितरण (Vertical Devolution)**
  - » राज्यों का केंद्र करों में हिस्सा 41% पर रखा गया है।
  - » यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है, हालांकि कई राज्यों ने बढ़ती जिम्मेदारियों के कारण इसे 50% करने की मांग की थी।
- **क्षैतिज वितरण मानदंडों में बदलाव (Changes in Horizontal Distribution Criteria)**
  - » 16वीं एफसी ने क्षैतिज वितरण सूत्र में बदलाव किया है, जिसमें जीडीपी योगदान (10%) को शामिल किया गया और "कर प्रयास" मानदंड को हटा दिया गया।
  - » यह बदलाव आवंटन को समानता-आधारित पुनर्वितरण से दक्षता और प्रदर्शन-आधारित आवंटन की ओर ले जाता है। जबकि आय अंतर अभी भी प्रमुख है, नया ढांचा आर्थिक रूप से मजबूत राज्यों को लाभ पहुंचाता है, जिससे पुनर्वितरण न्याय कम हो सकता है।

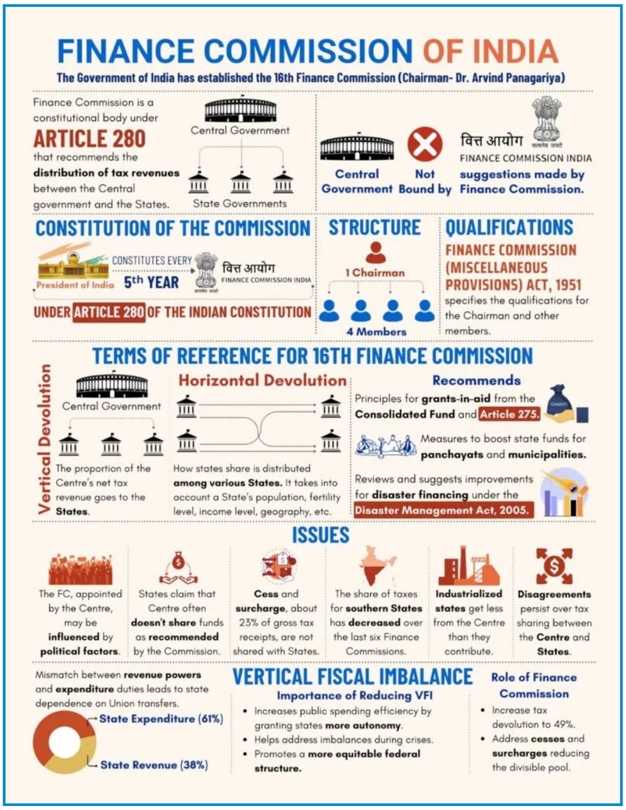

- **सांविधिक अनुदानों का बंद होना (Discontinuation of Statutory Grants)**
  - » प्रमुख बदलाव राजस्व घाटा अनुदान और क्षेत्र-विशिष्ट अनुदानों को बंद करना है।
  - » इससे कमजोर राज्यों को पूर्वानुमानित वित्तीय समर्थन कम मिलता है और उनकी निर्भरता सशर्त या विवेकाधीन अनुदानों पर बढ़ती है, जिस पर केंद्र का अधिक नियंत्रण होता है।
- **विभाज्य कोष का सिकुड़ना (Shrinking Divisible Pool)**
  - » राज्यों का हिस्सा 41% बना हुआ है, लेकिन बढ़ते सेस और अधिभार के उपयोग के कारण प्रभावी विभाज्य कोष सिकुड़

रहा है, जिन्हें राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता।
   - इससे वास्तविक हस्तांतरण कम हो जाते हैं, जो राजकोषीय संघवाद की भावना को कमजोर करता है।
- **विवेकाधीन हस्तांतरणों का बढ़ता प्रभाव**
   - अनबाधित (untied) हस्तांतरणों में कमी और सशर्त अनुदानों में वृद्धि के साथ, केंद्र को राज्यों की नीतियों को प्रभावित करने में अधिक प्रभाव मिलता है।
   - यह नियम-आधारित राजकोषीय संघवाद से विवेक-आधारित नियंत्रण की ओर बदलाव को दर्शाता है।

राजकोषीय संघवाद के समक्ष चुनौतियाँ:

- **क्षेत्रीय असंतुलन:** प्रदर्शन-आधारित मानदंड आर्थिक रूप से उन्नत दक्षिणी राज्यों को लाभ पहुंचा सकते हैं जबकि गरीब राज्यों के लिए वित्तीय अंतर बढ़ सकता है।
- **वित्तीय स्वायत्तता में गिरावट:** सख्त उधार सीमा और सशर्त अनुदान राज्यों की कल्याणकारी योजनाओं के लिए अनबाधित फंड तक पहुंच को कम करते हैं।
- **सहकारी संघवाद पर दबाव:** बढ़ते सेस और बढ़ा हुआ बजटीय नियंत्रण केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों में तनाव पैदा कर रहा है।

वित्त आयोग के बारे में:

- वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत एक प्रमुख संवैधानिक संस्था है, जिसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का न्यायसंगत और संतुलित वितरण सुनिश्चित करना है। इसे हर पाँच साल में या आवश्यकता अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है।
- **मुख्य कार्यों में शामिल हैं:**
   - राज्यों के हिस्से का निर्धारण (ऊर्ध्वाधर वितरण)
   - राज्यों के बीच संसाधनों का आवंटन (क्षैतिज वितरण)
   - राज्यों को अनुदान-सुझाव (grants-in-aid) देना
   - यह पंचायती राज और नगरपालिकाओं को वित्तीय समर्थन की सिफारिश भी करता है, जिससे स्थानीय स्तर पर विकास को बढ़ावा मिलता है।

निष्कर्ष:

वित्त आयोग राजकोषीय संघवाद का "संतुलन चक्र" है, जो केंद्र और राज्यों के बीच न्याय सुनिश्चित करता है। जीएसटी लागू होने और उभरती वित्तीय चुनौतियों के साथ, इसका कार्य जटिल, प्रदर्शन-उन्मुख और डेटा-आधारित होता जा रहा है।

इंडिया डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट 2026

सन्दर्भ:

हाल ही में, विश्व बैंक ने अपनी अप्रैल 2026 की 'इंडिया डेवलपमेंट अपडेट' रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। हालांकि यह FY26 के 7.6% के अनुमान से कम है, लेकिन विश्व बैंक ने जनवरी के अपने पिछले अनुमान (6.5%) में 0.1% का सुधार किया है। यह रिपोर्ट दर्शाती है कि पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी आंतरिक मजबूती के कारण दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बनी हुई है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:

- विश्व बैंक का 6.6% का अनुमान मुख्य रूप से पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न "ऊर्जा झटके" (Energy Shock) पर आधारित है। आंकड़ों के अनुसार:
   - **कच्चा तेल:** रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2027 के लिए कच्चे तेल की औसत कीमत $90-$100 प्रति बैरल रहने का अनुमान लगाया गया है।
   - **विकास दर पर प्रभाव:** ऐतिहासिक रूप से, तेल की कीमतों में हर 10% की वृद्धि भारत की जीडीपी वृद्धि को 0.3% कम कर देती है।
   - **महंगाई (CPI):** FY27 में खुदरा मुद्रास्फीति 4.5% से 4.8% के बीच रहने का अनुमान है, जो RBI के 2-6% के लक्ष्य दायरे के भीतर है।

वैश्विक संस्थानों के तुलनात्मक आंकड़े:

भारत की विकास दर को लेकर विभिन्न वैश्विक और घरेलू संस्थानों के अनुमानों में भिन्नता है, जो बाहरी जोखिमों के प्रति उनके दृष्टिकोण को दर्शाते हैं:

संस्थान	वित्त वर्ष 2026-27 विकास दर अनुमान
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)	6.9%
एशियाई विकास बैंक (ADB)	6.9%
विश्व बैंक	6.6%
OECD	6.1%

मूडीज रेटिंग्स (Moody's)	6.0%

राजकोषीय चुनौतियां और व्यापार घाटा:

- पश्चिम एशिया संकट के कारण भारत के राजकोषीय गणित पर सीधा असर पड़ने की संभावना है:
    - » **सब्सिडी का बोझ:** बढ़ती ऊर्जा कीमतों के प्रभाव से जनता को बचाने के लिए सरकार को रसोई गैस और उर्वरक सब्सिडी में वृद्धि करनी पड़ सकती है।
    - » **चालू खाता घाटा (CAD):** तेल और सोने के बढ़ते आयात बिल के कारण भारत का CAD, जो FY26 में 1.2% था, FY27 में बढ़कर जीडीपी का 1.6% होने का अनुमान है।
    - » **निर्यात की स्थिति:** वैश्विक मांग में कमी के बावजूद, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ हुए नए मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) ने भारत की तरजीही बाजार पहुंच को वैश्विक जीडीपी के 32% तक बढ़ा दिया है।

भारत के आर्थिक सुरक्षा कवच:

- रिपोर्ट के अनुसार, भारत इन चुनौतियों से उबरने के लिए "पूरी तरह सक्षम" है, जिसके पीछे निम्नलिखित सांख्यिकीय ताकत है:
    - » **विदेशी मुद्रा भंडार:** अप्रैल 2026 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 697.1 बिलियन डॉलर के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है, जो 11 महीने से अधिक के आयात के लिए पर्याप्त है।
    - » **बैंकिंग क्षेत्र की सेहत:** बैंकों का सकल एनपीए (GNPA) घटकर 2.3% के बहु-वर्षीय निचले स्तर पर आ गया है, जिससे निजी निवेश को बढ़ावा मिल रहा है।

आलोचनात्मक विश्लेषण:

- भारत की वृद्धि में कमी वैश्विक कारकों का परिणाम है, न कि आंतरिक कमजोरी का।
- **सकारात्मक पक्ष:**
    - » मजबूत मैक्रो-आर्थिक प्रबंधन
    - » विविधीकृत अर्थव्यवस्था
    - » नीतिगत लचीलापन
- **चुनौतियाँ:**
    - » निजी निवेश को बढ़ाना
    - » बाहरी जोखिमों का प्रबंधन
    - » बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन

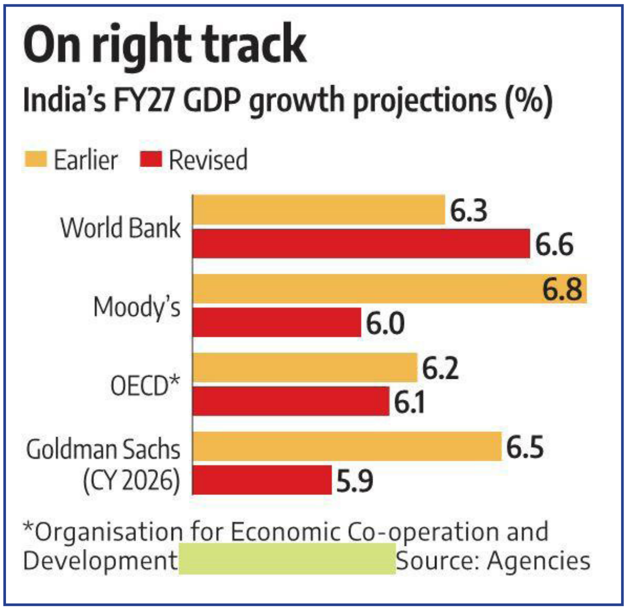

निष्कर्ष:

विश्व बैंक की यह रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि यद्यपि पश्चिम एशिया का युद्ध भारत की रफ्तार को 1% तक धीमा कर सकता है, लेकिन मजबूत घरेलू खपत और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में निवेश भारत को एक "ब्राइट स्पॉट" बनाए रखेगा। 6.6% की यह वृद्धि दर वैश्विक मंदी के माहौल में भारत की आर्थिक लचीलापन (Resilience) का प्रमाण है।

भारत में पेटेंट वृद्धि 2026

सन्दर्भ:

भारत में वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान पेटेंट आवेदनों में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है। इस अवधि में कुल 1,43,729 पेटेंट आवेदन प्राप्त हुए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 30.2% अधिक हैं। यह भारत के इतिहास में अब तक का सर्वाधिक स्तर है। इस वृद्धि के साथ भारत वैश्विक स्तर पर छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बन गया है।

घरेलू नवाचार:

- कुल आवेदनों में से लगभग 69% पेटेंट घरेलू आवेदकों द्वारा दाखिल किए गए, जो स्वदेशी नवाचार क्षमता में वृद्धि का संकेत है।
- **राज्यवार प्रदर्शन:**
    - » तमिलनाडु शीर्ष पर
    - » कर्नाटक दूसरे स्थान पर

» महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर

- यह दर्शाता है कि भारत में नवाचार मुख्यतः औद्योगिक, तकनीकी और स्टार्टअप केंद्रित राज्यों में केंद्रित है।
- पिछले पाँच वर्षों में पेटेंट फाइलिंग में लगभग 146% वृद्धि दर्ज की गई है, जो "मेड इन इंडिया" से "इनवेंटेड इन इंडिया" की ओर संरचनात्मक परिवर्तन को पुष्ट करती है।

पेटेंट के बारे में:

- पेटेंट एक कानूनी अधिकार है, जो किसी आविष्कारक को उसके नए आविष्कार पर दिया जाता है। इसके तहत वह व्यक्ति/संस्था निर्धारित अवधि (आमतौर पर 20 वर्ष) तक अपने आविष्कार का विशेष उपयोग, निर्माण और बिक्री अधिकार रखता है।
- **पेटेंट का उद्देश्य:**
  - » नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहन देना
  - » बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) की सुरक्षा करना
  - » तकनीकी विकास को बढ़ावा देना
  - » आविष्कारकों को व्यावसायिक लाभ प्रदान करना

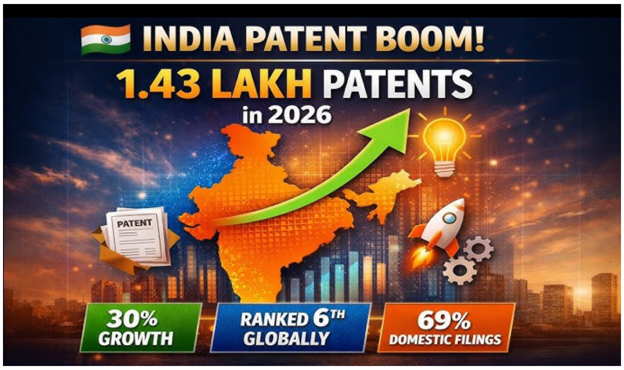

भारत में पेटेंट के लिए कानूनी ढांचा:

- भारत में पेटेंट प्रणाली पेटेंट अधिनियम, 1970 द्वारा शासित है, जिसे 2005 में TRIPS समझौते के अनुरूप संशोधित किया गया। यह भारत की अंतरराष्ट्रीय व्यापार और IPR प्रतिबद्धताओं को दर्शाता है।
- **संस्थागत संरचना:**
  - » **पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक (CGPDTM):** वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत प्रमुख संस्था
  - » **राष्ट्रीय IPR नीति, 2016:** "रचनात्मक भारत, अभिनव भारत" के लक्ष्य के साथ नवाचार को प्रोत्साहन

सरकारी प्रोत्साहन एवं सुधार:

- स्टार्टअप्स, MSMEs और महिला उद्यमियों के लिए 80% तक शुल्क छूट
- त्वरित परीक्षण (Expedited Examination) के माध्यम से तेज पेटेंट जांच प्रक्रिया
- लगभग 95% पेटेंट आवेदन डिजिटल माध्यम से दाखिल
- SIPP (Start-up Intellectual Property Protection) योजना के तहत कानूनी सहायता

आर्थिक महत्व:

- भारत की वैश्विक रैंकिंग: छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर
- मजबूत IPR व्यवस्था से FDI आकर्षण में वृद्धि
- भारत का सेवा-आधारित अर्थव्यवस्था से ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था (Knowledge Economy) की ओर परिवर्तन
- नवाचार आधारित उद्योगों और स्टार्टअप्स को बढ़ावा

प्रमुख चुनौतियाँ:

- **R&D व्यय कम:** GDP का लगभग 0.7% (अमेरिका ~3.5%, चीन ~2.4%)
- **व्यावसायीकरण की कमी:** केवल 10–15% पेटेंट ही उत्पादों में परिवर्तित होते हैं
- **मानव संसाधन की कमी:** पेटेंट परीक्षकों की संख्या अपर्याप्त, जिससे लंबित मामलों में वृद्धि

आगे की राह:

भारत को अपने अनुसंधान एवं विकास (R&D) निवेश को बढ़ाकर जीडीपी के 2% तक ले जाने पर विशेष ध्यान देना होगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाले नवाचार को प्रोत्साहन मिल सके। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों और उद्योगों के बीच सहयोग को सुदृढ़ करना आवश्यक है, ताकि शोध को व्यावहारिक उत्पादों और तकनीकों में परिवर्तित किया जा सके। पेटेंट के प्रभावी व्यावसायीकरण (commercialization) हेतु एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना भी महत्वपूर्ण होगा, जिससे आविष्कार आर्थिक मूल्य में बदल सकें। इसके अतिरिक्त, IPR प्रशासन में डिजिटल तकनीकों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उपयोग को बढ़ाकर प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी, तेज और कुशल बनाया जा सकता है।

निष्कर्ष:

वित्त वर्ष 2025–26 के पेटेंट आंकड़े केवल सांख्यिकीय वृद्धि नहीं हैं, बल्कि यह भारत की बदलती वैज्ञानिक और नवाचार मानसिकता का प्रतिबिंब हैं। यदि भारत R&D निवेश बढ़ाता है, पेटेंट गुणवत्ता सुधारता है और व्यावसायीकरण को मजबूत करता है, तो यह 2047 के "विकसित

भारत" के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है।

विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट 2026

सन्दर्भ:

हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा जारी 'वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक' (WEO) रिपोर्ट में, वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.5% कर दिया है। यह संशोधन जनवरी के अनुमान से 10 आधार अंकों की वृद्धि दर्शाता है, जिससे भारत, पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और बढ़ते संरक्षणवाद के कारण बिगड़ते वैश्विक परिदृश्य के बावजूद, दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो गया है।

भारत की आर्थिक उन्नति के कारक:

- भारत के अनुमान में वृद्धि घरेलू मजबूती और रणनीतिक व्यापार परिवर्तनों के कारण हुई है, जिन्होंने बाहरी झटकों से अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखा है।
    - **अमेरिका के साथ व्यापार टैरिफ में कमी:** एक महत्वपूर्ण कारक अमेरिकी टैरिफ में उल्लेखनीय कमी है जो 50% के उच्च स्तर से घटकर 10% हो गया है। इससे वस्त्र और आभूषण जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बहाल हुई है।
    - **मजबूत कैरीओवर गति:** भारत ने FY26 में 7.6% की उत्कृष्ट वृद्धि दर्ज की, जिससे एक मजबूत सांख्यिकीय आधार और निरंतर आंतरिक मांग बनी, जो वर्तमान वित्त वर्ष में भी जारी है।
    - **लचीली घरेलू मांग:** जहां वैश्विक बाजार संघर्ष कर रहे हैं, वहीं भारत की आंतरिक खपत मजबूत बनी हुई है, जिसे बढ़ती कार्यशील आयु जनसंख्या और बेहतर ग्रामीण मांग का समर्थन मिल रहा है।

वैश्विक तुलना:

- **वैश्विक वृद्धि में गिरावट (Global Growth Downgrade):** IMF ने 2026 के लिए वैश्विक वृद्धि का अनुमान घटाकर 3.1% कर दिया है (जो जनवरी में 3.3% था)।
- **पश्चिम एशिया संकट (West Asia Crisis):** मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव ने ऊर्जा कीमतों में वृद्धि की है और होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से शिपिंग को बाधित किया है, जो भारत के लगभग आधे कच्चे तेल आयात के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है।
- **मुद्रास्फीति का दबाव (Inflationary Pressure):** 2026 में वैश्विक मुद्रास्फीति 4.4% तक बढ़ने का अनुमान है, जिसका कारण बढ़ती कमोडिटी कीमतें हैं।

वृद्धि अनुमानों की तुलना:

हालांकि IMF की प्रवत्ती आशावादी है, लेकिन यह घरेलू और अन्य बहुपक्षीय संस्थानों की तुलना में थोड़ा अधिक सतर्क है।

संस्था	FY27 GDP अनुमान (%)
एशियाई विकास बैंक (ADB)	6.9%
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)	6.6%–6.9%
विश्व बैंक	6.6%
IMF	6.5%

प्रमुख चुनौतियाँ:

- **ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security):** मध्य पूर्व पर भारत की निर्भरता इसे "तेल झटकों" के प्रति संवेदनशील बनाती है। IMF चेतावनी देता है कि यदि ब्रेंट कच्चा तेल $100+ प्रति बैरल से ऊपर जाता है, तो चालू खाता घाटा (CAD) बढ़ सकता है।
- **मानसून जोखिम (Monsoon Risks):** IMD ने 2026 के लिए सामान्य से कम मानसून (दीर्घकालिक औसत का 92%) की चेतावनी दी है, जिससे ग्रामीण सुधार धीमा हो सकता है और खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ सकती है।
- **राजकोषीय संतुलन (Fiscal Consolidation):** IMF ने देशों को भविष्य के झटकों से निपटने के लिए "राजकोषीय बफर" पुनर्निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया है, जो भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह FY26 तक 4.5% राजकोषीय घाटा लक्ष्य कर रहा है।

निष्कर्ष:

भारत की 6.5% वृद्धि दर एक कठिन वैश्विक स्थिति में "सॉफ्ट लैंडिंग" को दर्शाती है। जबकि घरेलू मांग और कम व्यापार बाधाएं सुरक्षा प्रदान करती हैं, भू-राजनीतिक अस्थिरता और जलवायु-जनित कृषि झटकों के दोहरे जोखिम इस गति को बनाए रखने में मुख्य बाधाएं बने हुए हैं।

भारत में MLFF टोलिंग प्रणाली

संदर्भ:

हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने FASTag जारी करने वाले बैंकों को FASTag से जुड़े वाहन पंजीकरण नंबर (VRN) की जांच और सत्यापन करने का निर्देश दिया है। यह कदम FASTag विवरण और वास्तविक नंबर प्लेट के बीच असंगतियों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच उठाया गया है। बैंकों को अवैध FASTag को ब्लैकलिस्ट करने के भी निर्देश दिए गए हैं। यह कदम आगामी मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) टोलिंग प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है, जिसका उद्देश्य भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध और बिना बाधा टोल संग्रह सुनिश्चित करना है।

MLFF टोलिंग के बारे में:

- मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) टोलिंग एक उन्नत इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है, जिसमें वाहन राजमार्ग टोल प्वाइंट्स से बिना रुके या धीमे हुए गुजर सकते हैं।
- यह भौतिक बैरियर को समाप्त करती है और RFID आधारित FASTag प्रणाली, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे तथा GNSS-आधारित ट्रैकिंग के संयोजन का उपयोग करती है, जिससे वाहन की पहचान होती है और टोल शुल्क स्वतः कट जाता है।

MLFF कैसे काम करता है?

- यह प्रणाली राजमार्गों पर लगे ओवरहेड गैन्ट्री के नेटवर्क के माध्यम से काम करती है। इन गैन्ट्री में FASTag से जुड़े RFID रीडर और उच्च-रिज़ॉल्यूशन ANPR कैमरे लगे होते हैं जो वाहन की नंबर प्लेट को स्कैन करते हैं।
- सिस्टम FASTag डेटा को वाहन पंजीकरण विवरण से मिलाता है और स्वचालित रूप से टोल शुल्क काट लेता है। पारंपरिक टोल प्लाजा के विपरीत, MLFF में बैरियर या मैनुअल हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती, जिससे यातायात निर्बाध रहता है।

MLFF टोलिंग के लाभ:

- MLFF राजमार्ग दक्षता में उल्लेखनीय सुधार करता है, क्योंकि इससे 100 किमी/घंटा से अधिक गति पर भी निर्बाध यात्रा संभव होती है।
- यह टोल प्लाजा पर भीड़भाड़ को कम करता है, प्रतीक्षा समय समाप्त करता है और ईंधन दक्षता बढ़ाता है।
- यात्रियों और माल परिवहन संचालकों के लिए यह तेज़ यात्रा, कम समय और बेहतर लॉजिस्टिक्स दक्षता सुनिश्चित करता है, जिससे परिचालन लागत घटती है।

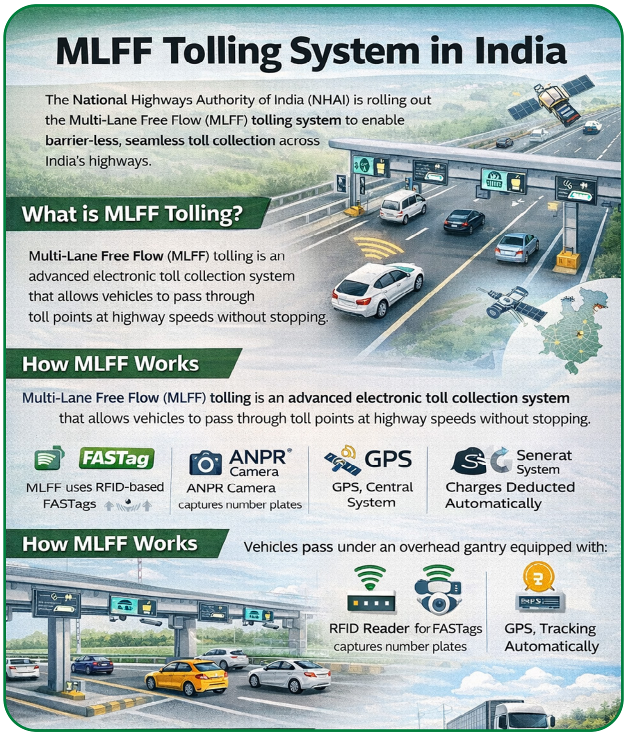

चुनौतियाँ:

- MLFF की सफलता काफी हद तक FASTag और वाहन पंजीकरण के सही मिलान पर निर्भर करती है। डेटा में असंगति से राजस्व हानि और प्रवर्तन संबंधी चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा, VAHAN डेटाबेस के एकीकरण से पहले जारी किए गए पुराने FASTag में मैनुअल सत्यापन के कारण कई असंगतियाँ मौजूद हैं। इसलिए प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अद्यतन और सत्यापित डेटा आवश्यक है।

भारत में MLFF का विस्तार:

- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने विभिन्न राज्यों के 16 टोल प्लाज़ाओं के लिए टेंडर जारी करके MLFF का चरणबद्ध कार्यान्वयन शुरू किया है, जिनमें हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल हैं।

निष्कर्ष:

MLFF टोलिंग की शुरुआत भारत में पूर्णतः डिजिटल और बाधारहित राजमार्ग पारिस्थितिकी तंत्र की दिशा में एक बड़ा कदम है। FASTag ढांचे के साथ उन्नत तकनीकों के एकीकरण से यह प्रणाली भीड़ कम करने, दक्षता बढ़ाने और टोल संग्रह को आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखती है। हालांकि, इसकी सफलता डेटा की सटीकता, मजबूत प्रवर्तन तंत्र और

राज्यों के बीच सुचारु तकनीकी एकीकरण पर निर्भर करेगी।

आईएमएफ रैंकिंग में भारत की गिरावट

सन्दर्भ:

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा जारी 'वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक' के अनुसार, भारत नॉमिनल जीडीपी के मामले में विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से छठे स्थान पर आ गया है। भारत अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान और ब्रिटेन के बाद छठे स्थान पर है। हालांकि, यह गिरावट भारतीय अर्थव्यवस्था की मौलिक कमजोरी से अधिक 'सांख्यिकीय समायोजन' और 'मुद्रा विनिमय दरों' का परिणाम है।

गिरावट के प्रमुख कारक:

- **मुद्रा विनिमय दर और रुपये का अवमूल्यन:** चूँकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) अर्थव्यवस्थाओं की तुलना 'अमेरिकी डॉलर' के नॉमिनल मूल्यों पर करता है, इसलिए विनिमय दर (Exchange Rate) निर्णायक भूमिका निभाती है। डॉलर के मुकाबले रुपये के मूल्य में आई भारी गिरावट ने वैश्विक बाजार में भारतीय जीडीपी के 'डॉलर मूल्य' को कम कर दिया, जिससे रैंकिंग प्रभावित हुई।
- **आधार वर्ष संशोधन:** फरवरी 2026 में भारत ने जीडीपी गणना का आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर 2022-23 किया। आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया में यह आवश्यक था ताकि डेटा वर्तमान उपभोग और उत्पादन पैटर्न को दर्शा सके। हालांकि, इस सांख्यिकीय बदलाव के कारण नॉमिनल जीडीपी के अनुमानों में लगभग 3.5% का 'डाउनवर्ड करेक्शन' देखा गया, जिसने तात्कालिक रूप से रैंकिंग को नीचे किया।
- **वैश्विक मांग और मुद्रास्फीति का प्रभाव:** विकसित देशों (विशेषकर यूके और जर्मनी) में मुद्रास्फीति के ऊंचे स्तर ने उनकी नॉमिनल जीडीपी को कृत्रिम रूप से बढ़ाया है, जबकि भारत ने अपनी मुद्रास्फीति को तुलनात्मक रूप से नियंत्रित रखा है। नॉमिनल जीडीपी में महंगाई शामिल होती है, जिसका लाभ इस बार यूरोपीय देशों को मिला।
- **वैश्विक आर्थिक मंदी:** वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन की बाधाओं और भू-राजनीतिक तनाव (जैसे यूक्रेन या पश्चिम एशिया संकट) के कारण कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हुई, जिससे भारत के राजकोषीय घाटे और मुद्रास्फीति पर दबाव पड़ा।

India has slipped to the position of the world's 6th-largest economy

#	Country	GDP
1.	United States	$32.38 Trillion
2.	China	$20.85 Trillion
3.	Germany	$5.45 Trillion
4.	Japan	$4.38 Trillion
5.	United Kingdom	$4.26 Trillion
6.	India	$4.15 Trillion
7.	France	$3.6 Trillion
8.	Italy	$2.74 Trillion
9.	Russia	$2.66 Trillion
10	Brazil	$2.64 Trillion

Source: IMF

भारतीय अर्थव्यवस्था की लचीली संरचना (Resilience Structure):

- रैंकिंग में गिरावट के बावजूद, भारत के पास कई सकारात्मक पहलू हैं जो इसे 'ग्लोबल ब्राइट स्पॉट' बनाए रखते हैं:
  - **विकास दर:** भारत 6.5% की विकास दर के साथ अब भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
  - **क्रय शक्ति समता (PPP):** यदि जीडीपी की तुलना क्रय शक्ति समता (Purchasing Power Parity- PPP) के आधार पर की जाए, तो भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है।
  - **बुनियादी ढांचा और डिजिटल सुधार:** 'गति शक्ति' और 'डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे' (DPI) में निवेश ने उत्पादन लागत को कम करने और दक्षता बढ़ाने में मदद की है।

आगे की राह:

- भारत को अपनी रैंकिंग सुधारने और सतत विकास के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना होगा:
  - **रुपये की स्थिरता:** विदेशी मुद्रा भंडार का प्रभावी प्रबंधन और

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) को आकर्षित करना।

» **निर्यात संवर्धन:** केवल घरेलू उपभोग पर निर्भर रहने के बजाय निर्यात-उन्मुख विकास (Export-led growth) को बढ़ावा देना।

» **विनिर्माण क्षेत्र (PLI Scheme):** विनिर्माण क्षेत्र की जीडीपी में हिस्सेदारी को 25% तक ले जाना।

» **कौशल विकास:** जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) का लाभ उठाने के लिए युवाओं को कुशल बनाना।

निष्कर्ष:

IMF रैंकिंग में गिरावट वास्तविक आर्थिक कमजोरी का संकेत नहीं, बल्कि विनिमय दर और सांख्यिकीय मापन से उत्पन्न प्रभाव का परिणाम है।। आईएमएफ के अनुमान स्वयं बताते हैं कि भारत 2027 तक पुन: चौथे और 2031 तक तीसरे स्थान पर पहुँच जाएगा। भारत का लक्ष्य केवल जीडीपी की दौड़ में आगे निकलना नहीं, बल्कि समावेशी विकास और $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को धरातल पर उतारना है।

आरबीआई का प्रस्तावित “यूनिवर्सल किल स्विच”

संदर्भ:

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अप्रैल 2026 के अपने चर्चा पत्र में डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय प्रस्तावित किए। इन प्रस्तावों का मुख्य केंद्र “यूनिवर्सल किल स्विच” है, जिसका उद्देश्य ग्राहकों को बढ़ते साइबर अपराधों से सशक्त बनाना है।

यूनिवर्सल किल स्विच के बारे में:

- यह एक एकीकृत (Unified) आपातकालीन प्रणाली है, जो बैंक ग्राहकों को एक ही कार्रवाई के माध्यम से सभी डिजिटल भुगतान माध्यमों जैसे- UPI, NEFT/IMPS, मोबाइल बैंकिंग, और डेबिट/क्रेडिट कार्ड, को तुरंत बंद (Disable) करने की सुविधा प्रदान करती है।
- **उद्देश्य:** जब किसी उपयोगकर्ता को संदेह हो कि उसका खाता हैक हो गया है या वह अधिकृत पुश भुगतान फ्रॉड (Authorized Push Payment- APP) (जिसमें व्यक्ति को धोखे से स्वयं पैसे भेजने के लिए प्रेरित किया जाता है) का शिकार हो गया है, तब यह एक “इमरजेंसी ब्रेक” की तरह कार्य करेगा।
- **वन-स्टॉप समाधान:** वर्तमान में उपयोगकर्ताओं को अलग-अलग सेवाओं को अलग-अलग माध्यमों से ब्लॉक करना पड़ता है। किल स्विच इस प्रक्रिया को केंद्रीकृत (Centralized) बनाता है।
- **पुनः सक्रियण प्रक्रिया (Reactivation Process):** सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सेवाओं को पुनः चालू करने हेतु उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी, जैसे बैंक शाखा में जाना या उन्नत बायोमेट्रिक सत्यापन, ताकि धोखेबाज इस ब्लॉक को हटाने में सफल न हो सकें।

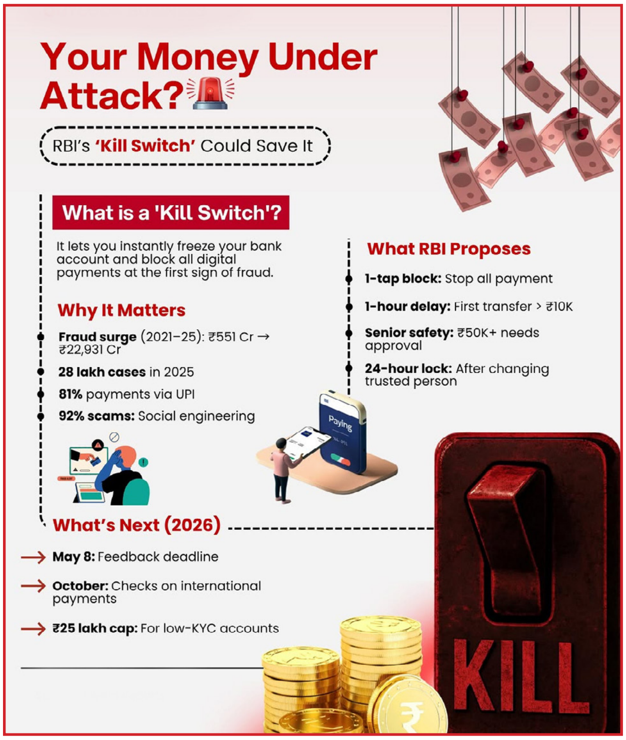

ऐसे उपायों की आवश्यकता:

- **डिजिटल विस्तार:** भारत का डिजिटल भुगतान तंत्र दुनिया में सबसे बड़ा बन चुका है, जिससे यह साइबर हमलों का प्रमुख लक्ष्य बन गया है।
- **जटिल धोखाधड़ी:** डीपफेक, AI आधारित वॉयस क्लोनिंग और उन्नत फ़िशिंग तकनीकों ने पारंपरिक सुरक्षा उपायों को कमजोर कर दिया है।
- **संवेदनशील वर्ग की सुरक्षा:** वरिष्ठ नागरिक और डिजिटल रूप से

कम जागरूक लोग "म्यूल अकाउंट" और पहचान की धोखाधड़ी के प्रमुख लक्ष्य होते हैं।

चर्चा पत्र के अन्य प्रमुख प्रस्ताव:

- **विलंबित लेनदेन (Lagged Credits):** नए लाभार्थी को पहली बार पैसे भेजने या ₹10,000 से अधिक के लेनदेन पर 1 घंटे की अनिवार्य देरी।
- **"विश्वसनीय व्यक्ति" मॉडल:** वरिष्ठ नागरिकों द्वारा ₹50,000 से अधिक के लेनदेन के लिए पूर्व-निर्धारित विश्वसनीय व्यक्ति की स्वीकृति आवश्यक करना।
- **म्यूल अकाउंट सीमा:** संदिग्ध खातों के लिए वार्षिक लेनदेन सीमा (जैसे ₹25 लाख) निर्धारित करना।

चुनौतियां:

- **उपयोगकर्ता असुविधा (User Friction):** तत्काल भुगतान प्रणाली भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। देरी या जटिल प्रक्रियाएं सुविधा को प्रभावित कर सकती हैं।
- **तकनीकी जटिलता:** आरबीआई ने सुझाव दिया है कि नियमित भुगतान (जैसे EMI, बिल) प्रभावित न हों, जिसके लिए उन्नत तकनीकी प्रणाली की आवश्यकता होगी।

निष्कर्ष:

यह प्रस्ताव बैंकिंग सुरक्षा को "प्रतिक्रियात्मक" (Reactive) से "सक्रिय" (Proactive) दृष्टिकोण की ओर ले जाता है। हालांकि इससे डिजिटल लेनदेन में थोड़ी जटिलता बढ़ सकती है, लेकिन बढ़ते साइबर धोखाधड़ी के दौर में यह वित्तीय सुरक्षा और डिजिटल प्रणाली में विश्वास बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक कदम है।

भारत में डिज़ाइनर चावल विकसित

संदर्भ:

हाल ही में, वैज्ञानिकों ने CSIR - नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी (NIIST), तिरुवनंतपुरम में उन्नत खाद्य-प्रसंस्करण तकनीक (जैनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं) का उपयोग करके "डिज़ाइनर चावल" विकसित किया है।

डिज़ाइनर चावल के बारे में:

- डिज़ाइनर चावल एक पुनः-इंजीनियर्ड (re-engineered) मुख्य खाद्य पदार्थ है, जिसे आनुवंशिक संशोधन के बजाय खाद्य प्रसंस्करण विज्ञान की मदद से बनाया जाता है।
- इसे टूटे हुए चावल के दानों (मिलिंग का उप-उत्पाद) को आटे में बदलकर, उसमें पोषक तत्व मिलाकर और फिर उसे चावल जैसे दानों के रूप में पुनः तैयार करके बनाया जाता है। यह दिखने, स्वाद और पकाने में सामान्य चावल जैसा होता है, लेकिन अधिक पौष्टिक होता है।

प्रक्रिया:

- टूटे हुए चावल के दानों को एकत्र किया जाता है और उन्हें पीसकर आटा बनाया जाता है, फिर उसमें प्रोटीन, आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 जैसे पोषक तत्व मिलाए जाते हैं।
- उन्नत प्रसंस्करण तकनीक की मदद से इस आटे को फिर से चावल के दानों के रूप में ढाला जाता है। यह प्रक्रिया खाद्य अपशिष्ट का प्रभावी उपयोग करके सर्कुलर इकोनॉमी (चक्रीय अर्थव्यवस्था) को भी बढ़ावा देती है।

मुख्य विशेषताएँ:

- इसमें 20% से अधिक प्रोटीन होता है (जबकि सामान्य चावल में 6–8% होता है)। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम (<55) होता है, जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद करता है।
- इसमें आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 जैसे आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व भी समृद्ध मात्रा में होते हैं, जिससे एनीमिया और "हिडन हंगर" जैसी समस्याओं को कम करने में मदद मिलती है।

स्वास्थ्य और पोषण संबंधी महत्व:

- डिज़ाइनर चावल "हिडन हंगर" यानी छिपी हुई भूख की समस्या को दूर करने में मदद करता है, क्योंकि यह एक सामान्य मुख्य भोजन के माध्यम से आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है।
- इसका कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसे मधुमेह रोगियों के लिए उपयुक्त बनाता है, क्योंकि यह रक्त में ग्लूकोज़ के धीमे रिलीज और बेहतर नियंत्रण को सुनिश्चित करता है।
- यह उन आबादी के लिए पोषण की उपलब्धता भी बढ़ाता है जो मुख्य रूप से चावल पर निर्भर हैं, बिना उनके आहार में बड़े बदलाव किए।

सर्कुलर अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण:

- यह पहल सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है, क्योंकि यह टूटे हुए चावल (broken rice) जैसे कम मूल्य वाले उप-उत्पाद को उच्च मूल्य वाले पौष्टिक खाद्य पदार्थ में बदल देती है।

- इससे खाद्य अपशिष्ट (food waste) में कमी आती है और कृषि मूल्य श्रृंखला की दक्षता बढ़ती है, जिससे किसानों और प्रोसेसर दोनों को लाभ होता है।

भारत में चावल उत्पादन:

- भारत दुनिया के सबसे बड़े चावल उत्पादकों में से एक है। चावल गर्म जलवायु (20°C–37.5°C) में अच्छी तरह उगता है, इसे भरपूर पानी की आवश्यकता होती है और यह जलोढ़ (alluvial) मिट्टी में अच्छी तरह विकसित होता है। इसकी खेती मुख्य रूप से खरीफ और रबी मौसम में की जाती है, जिससे यह देश का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुख्य खाद्य फसल बन जाता है।

फोर्टिफाइड चावल बनाम डिज़ाइनर चावल:

विशेषता	फोर्टिफाइड चावल	डिज़ाइनर चावल
विधि	सूक्ष्म पोषक तत्वों का मिश्रण	चावल की संरचना का पुनः-डिज़ाइन
तकनीक	एक्सट्रूज़न, कोटिंग	खाद्य प्रसंस्करण पुनः-इंजीनियरिंग
प्रोटीन स्तर	सामान्य	उच्च (20%+)
नवाचार का प्रकार	पोषक तत्वों का जोड़	पोषक तत्व + संरचना परिवर्तन

निष्कर्ष:

डिज़ाइनर चावल भारत में खाद्य नवाचार की नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो विज्ञान, स्थिरता और पोषण को एक साथ जोड़ता है। यह मुख्य खाद्य पदार्थ को उच्च-प्रोटीन, मधुमेह-अनुकूल और फोर्टिफाइड उत्पाद में बदलकर कुपोषण और चयापचय संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं दोनों का समाधान प्रस्तुत करता है, जिससे यह खाद्य और पोषण सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बन जाता है।

7 आंतरिक सुरक्षा

भारत का बढ़ता रक्षा निर्यात: आर्थिक उपलब्धि से रणनीतिक परिवर्तन तक

संदर्भ:

हाल ही में भारतीय रक्षा उद्योग ने अपनी विकास यात्रा में एक नया स्वर्णिम अध्याय जोड़ते हुए वित्त वर्ष 2025-26 में ₹38,424 करोड़ का सर्वकालिक उच्च निर्यात स्तर हासिल किया है। पिछले वर्ष के ₹23,622 करोड़ की तुलना में 62.66% की वृद्धि इस बात को दर्शाती है कि भारत अब पारंपरिक "रक्षा आयातक" की छवि से बाहर निकलकर एक उभरते "रक्षा निर्यातक" के रूप में वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है।

पृष्ठभूमि: आयातक से निर्यातक तक की यात्रा

- स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक भारत अपनी रक्षा आवश्यकताओं के लिए विदेशी देशों, जैसे रूस, अमेरिका, फ्रांस और इज़राइल पर निर्भर रहा। उच्च तकनीक, सीमित घरेलू उत्पादन और अनुसंधान की कमी ने इस निर्भरता को बनाए रखा।
- हालाँकि, पिछले एक दशक में स्थिति तेजी से बदली है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसे अभियानों ने रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को गति दी है। इन पहलों के माध्यम से सरकार ने घरेलू उद्योग को प्रोत्साहन, विदेशी निवेश को आकर्षण और तकनीकी विकास को प्राथमिकता दी।
- आज भारत 80 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है और निर्यातकों की संख्या 128 से बढ़कर 145 हो गई है, जो रक्षा क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और क्षमता का स्पष्ट संकेत है।

प्रमुख आँकड़े और प्रवृत्तियाँ:

- वित्त वर्ष 2025–26 के आँकड़े भारत के रक्षा क्षेत्र में हो रहे संरचनात्मक परिवर्तन को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। इस अवधि में कुल रक्षा निर्यात ₹38,424 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 62.66% की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। यह वृद्धि न केवल मात्रा में बल्कि गुणवत्ता और विविधता में भी सुधार को इंगित करती है।

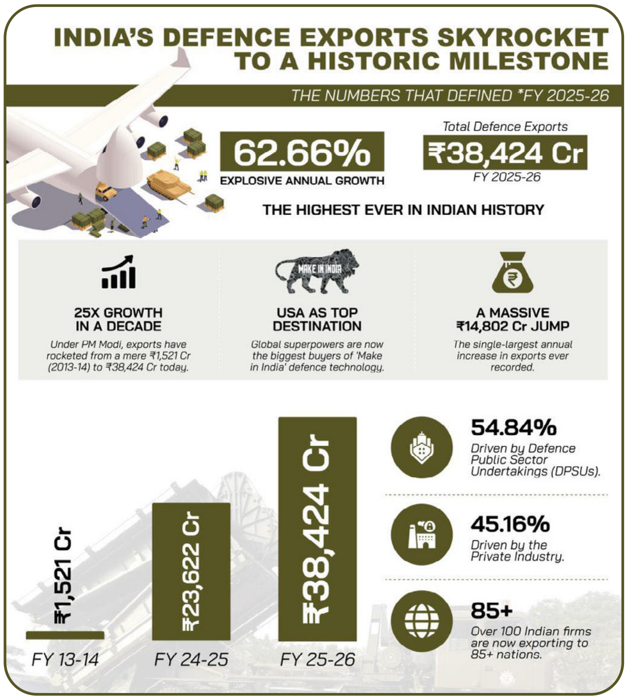

- रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (DPSUs) का योगदान ₹21,071 करोड़ (54.84%) रहा, जबकि निजी क्षेत्र ने ₹17,353 करोड़ (45.16%) का योगदान दिया। विशेष रूप से, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (DPSUs) की 151% की वृद्धि दर इस बात का संकेत है कि पारंपरिक सरकारी संस्थान अब अधिक प्रतिस्पर्धी, दक्ष और

निर्यातोन्मुखी बन रहे हैं। वहीं, निजी क्षेत्र नवाचार, तकनीकी दक्षता और लागत-प्रभावशीलता के माध्यम से तेजी से अपनी भूमिका मजबूत कर रहा है।

- भारत अब 80 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है, जो उसके बढ़ते वैश्विक विश्वास और रणनीतिक पहुंच को दर्शाता है। कुल मिलाकर, ये प्रवृत्तियाँ बताती हैं कि भारत का रक्षा निर्यात अब संतुलित, प्रतिस्पर्धी और भविष्य-उन्मुख दिशा में आगे बढ़ रहा है।
- रक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों ही समान रूप से योगदान दे रहे हैं। DPSUs की उच्च वृद्धि दर यह दर्शाती है कि पारंपरिक सरकारी संस्थान भी अब प्रतिस्पर्धी और निर्यातोन्मुखी बन रहे हैं, जबकि निजी क्षेत्र नवाचार और दक्षता के माध्यम से तेजी से उभर रहा है।

वृद्धि के प्रमुख कारक:

- **नीतिगत सुधार:**
  - » भारत सरकार द्वारा रक्षा क्षेत्र में किए गए सुधार इस सफलता के मूल में हैं। विशेष रूप से रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 (DAP 2020) ने पारदर्शिता, दक्षता और स्वदेशीकरण को बढ़ावा दिया।
    - ➢ निर्यात अनुमति प्रक्रिया को सरल बनाया गया
    - ➢ ऑनलाइन निर्यात पोर्टल की शुरुआत
    - ➢ “नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट” के माध्यम से आयात प्रतिबंध
  - » इन सुधारों ने घरेलू उद्योग को आत्मविश्वास और अवसर दोनों प्रदान किए।
- **आत्मनिर्भरता की नीति:**
  - » आत्मनिर्भरता की नीति के तहत सरकार ने रक्षा उत्पादन में स्वदेशीकरण को प्राथमिकता दी। परिणामस्वरूप:
    - ➢ आयात पर निर्भरता में कमी आई
    - ➢ घरेलू उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई
    - ➢ तकनीकी विकास को बढ़ावा मिला
  - » आज लगभग 65% रक्षा उपकरण भारत में ही निर्मित हो रहे हैं, जो एक बड़ी उपलब्धि है।
- **निजी क्षेत्र की भागीदारी:**
  - » पहले रक्षा क्षेत्र मुख्यतः सार्वजनिक उपक्रमों तक सीमित था, लेकिन अब निजी कंपनियों, स्टार्टअप्स और एमएसएमई की सक्रिय भागीदारी ने इस क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार किया है।
    - ➢ DPSUs और निजी कंपनियों के बीच साझेदारी
    - ➢ नवाचार आधारित स्टार्टअप्स का प्रवेश
    - ➢ रक्षा उत्पादन में प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता में सुधार
  - » यह परिवर्तन भारत को एक “डायनेमिक डिफेंस इकोसिस्टम” की ओर ले जा रहा है।

प्रमुख निर्यात उत्पाद:

- भारत अब केवल छोटे उपकरणों तक सीमित नहीं है, बल्कि उच्च तकनीक वाले विविध रक्षा उत्पादों का निर्यात कर रहा है:
  - » वरुणास्त्र टॉरपीडो जैसे उन्नत टॉरपीडो का निर्यात भारत की नौसैनिक युद्धक क्षमता और स्वदेशी अनुसंधान का प्रमाण है।
  - » AEW&C (Airborne Early Warning & Control) सिस्टम- अत्याधुनिक हवाई निगरानी और कमांड-एंड-कंट्रोल क्षमता प्रदान करते हैं, जो किसी भी आधुनिक वायुसेना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं।
  - » T-90 टैंकों के पुर्जे का निर्यात यह दर्शाता है कि भारत न केवल पूर्ण प्लेटफॉर्म बल्कि उनके सपोर्ट और मेंटेनेंस इकोसिस्टम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
  - » रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स और सबसिस्टम जैसे रडार, संचार उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, उच्च तकनीकी विशेषज्ञता और नवाचार क्षमता को दर्शाते हैं।
- इन विविध उत्पादों का निर्यात यह स्पष्ट करता है कि भारत अब वैश्विक रक्षा बाजार में “वैल्यू-एडेड” और तकनीकी रूप से सक्षम आपूर्तिकर्ता के रूप में उभर रहा है। यह न केवल देश की उत्पादन दक्षता को दर्शाता है, बल्कि अनुसंधान एवं विकास (R&D) में बढ़ती आत्मनिर्भरता का भी संकेत है।

स्वदेशी रक्षा उत्पादन में विस्तार:

भारत में वर्तमान में लगभग 65% रक्षा उपकरणों का निर्माण देश के भीतर हो रहा है:

- **एयरोस्पेस प्लेटफॉर्म:**
  - » तेजस लड़ाकू विमान
  - » ध्रुव हेलीकॉप्टर
  - » लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर (LUH)
  - » डोर्नियर-228
- **मिसाइल और रक्षा प्रणाली:**
  - » आकाश मिसाइल

- » अग्नि-V
- » ब्रह्मोस
- » नाग ATGM
- **नौसेना एवं थल प्लेटफॉर्म:**
  - » आईएनएस विक्रांत
  - » आईएनएस अरिहंत
  - » अर्जुन टैंक
  - » पिनाका रॉकेट सिस्टम
- **रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स और उभरती तकनीक:**
  - » स्वाति रडार
  - » सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो
  - » इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली
  - » UCAV और AVIRAL ड्रोन
- इन उत्पादों की सफलता यह दर्शाती है कि भारत अब केवल "लो-एंड" उत्पादक नहीं बल्कि "हाई-टेक डिफेंस निर्माता" के रूप में उभर रहा है।

रणनीतिक और आर्थिक महत्त्व:

- **रणनीतिक सशक्तिकरण:**
  - » रक्षा निर्यात भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत करता है। यह "रक्षा कूटनीति" का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है, जिसके माध्यम से भारत अन्य देशों के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ करता है।
    - ➢ मित्र देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी
    - ➢ क्षेत्रीय प्रभाव में वृद्धि
    - ➢ भू-राजनीतिक स्थिति में मजबूती
- **आर्थिक लाभ:**
  - » रक्षा उद्योग एक उच्च तकनीकी और पूंजी-गहन क्षेत्र है, जो अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है:
    - ➢ रोजगार सृजन
    - ➢ विदेशी मुद्रा अर्जन
    - ➢ औद्योगिक विकास
  - » यह क्षेत्र "मल्टीप्लायर इफेक्ट" के माध्यम से अन्य उद्योगों को भी प्रोत्साहित करता है।
- **आत्मनिर्भरता:**
  - » स्वदेशी उत्पादन से भारत की आयात निर्भरता कम होती है, जिससे:
    - ➢ रणनीतिक स्वायत्तता बढ़ती है
    - ➢ विदेशी दबाव कम होता है
    - ➢ संकट के समय आपूर्ति सुनिश्चित रहती है
- **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भूमिका:**
  - » भारत अब वैश्विक रक्षा आपूर्ति श्रृंखला में एक विश्वसनीय भागीदार बनता जा रहा है। यह न केवल निर्यात बढ़ाता है, बल्कि विदेशी निवेश और तकनीकी सहयोग को भी आकर्षित करता है।

प्रमुख चुनौतियाँ:

हालाँकि भारत ने रक्षा निर्यात के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, फिर भी कई संरचनात्मक और रणनीतिक चुनौतियाँ इसकी गति को प्रभावित कर सकती हैं:

- **अनुसंधान एवं विकास (R&D) में सीमाएँ:** उच्च तकनीक वाले क्षेत्रों जैसे उन्नत सेमीकंडक्टर, इंजन तकनीक, साइबर युद्ध प्रणाली और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रक्षा उपकरणों में भारत अभी भी पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं है। स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास (R&D) में निवेश अपेक्षाकृत कम रहा है, जिसके कारण कई महत्वपूर्ण प्रणालियों के लिए विदेशी तकनीक या सहयोग पर निर्भरता बनी रहती है। इससे लागत बढ़ती है और तकनीकी संप्रभुता सीमित होती है।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धा:** अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश दशकों से रक्षा निर्यात के क्षेत्र में स्थापित खिलाड़ी हैं। इनके पास उन्नत तकनीक, व्यापक बाजार नेटवर्क और मजबूत कूटनीतिक समर्थन होता है। ऐसे में भारत के लिए नए बाजारों में प्रवेश करना और प्रतिस्पर्धी मूल्य व गुणवत्ता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
- **गुणवत्ता और प्रमाणन:** अंतरराष्ट्रीय रक्षा बाजार में प्रवेश के लिए उत्पादों को कठोर गुणवत्ता मानकों और प्रमाणन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। भारत के लिए इन वैश्विक मानकों (जैसे NATO मानक) को लगातार बनाए रखना, समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करना और विश्वसनीयता स्थापित करना एक बड़ी चुनौती है।
- **राजनीतिक अनिश्चितता:** रक्षा निर्यात पूरी तरह से भू-राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर होता है। अंतरराष्ट्रीय संघर्ष, प्रतिबंध (sanctions) या सरकारों में बदलाव से निर्यात अनुबंध प्रभावित हो सकते हैं। इससे बाजारों में अनिश्चितता बनी रहती है और

दीर्घकालिक रणनीति बनाना कठिन हो जाता है।

आगे की राह:

- भारत को रक्षा निर्यात में निरंतर वृद्धि के लिए उच्च तकनीक एवं उच्च मूल्य वाले उत्पादों पर विशेष ध्यान देना होगा। इसके लिए अनुसंधान एवं विकास (R&D) में निवेश बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि अत्याधुनिक और प्रतिस्पर्धी उत्पाद विकसित किए जा सकें।
- साथ ही, निजी क्षेत्र, स्टार्टअप्स और MSMEs की भागीदारी को प्रोत्साहित कर एक मजबूत रक्षा इकोसिस्टम तैयार करने की आवश्यकता है। नए वैश्विक बाजारों की पहचान और विस्तार पर भी ध्यान देना जरूरी है। इसके अतिरिक्त, सरल, पारदर्शी और स्थिर नीतिगत ढांचा सुनिश्चित करते हुए अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना भारत की स्थिति को और मजबूत करेगा।

निष्कर्ष:

वित्त वर्ष 2025–26 में रक्षा निर्यात का यह रिकॉर्ड भारत के लिए केवल आर्थिक उपलब्धि नहीं, बल्कि एक रणनीतिक परिवर्तन (Strategic Transformation) का संकेत है। यदि भारत नवाचार, गुणवत्ता और वैश्विक सहयोग पर निरंतर ध्यान बनाए रखता है, तो वह निकट भविष्य में विश्व के प्रमुख रक्षा निर्यातकों में अपनी स्थायी पहचान स्थापित कर सकता है।

संक्षिप्त मुद्दे

आईएनएस अरिदमन: भारत की परमाणु पनडुब्बी और द्वितीय-प्रहार क्षमता

सन्दर्भ:

हाल ही में INS अरिदमन (INS Aridhaman) भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है जो तीसरी स्वदेशी परमाणु-संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी (SSBN) है। यह भारत की "सेकंड-स्ट्राइक" क्षमता को मजबूत करती है, जिससे हिंद महासागर में चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता (Nuclear Deterrence) काफी बढ़ गई है।

आईएनएस अरिदमन की प्रमुख विशेषताएँ:

- आईएनएस अरिदमन अपने पूर्ववर्तियों (आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात) की तुलना में अधिक उन्नत और शक्तिशाली है:
  - **विस्थापन और आकार:** लगभग 7,000 टन विस्थापन क्षमता के साथ, यह अरिहंत श्रेणी की पिछली पनडुब्बियों से बड़ी है।
  - **मारक क्षमता:** इसमें 8 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब (VLS) हैं, जो पिछली पनडुब्बियों (4 ट्यूब) की तुलना में दोगुनी हैं। यह 24 के-15 (सागरिका) मिसाइलें (750 किमी रेंज) या 8 के-4 मिसाइलें (3,500 किमी रेंज) ले जाने में सक्षम है।
  - **स्वदेशी तकनीक:** इसका निर्माण 'उन्नत प्रौद्योगिकी पोत' (ATV) परियोजना के तहत किया गया है, जिसमें स्वदेशी सोनार प्रणाली और उन्नत स्टील्थ (Stealth) तकनीक का उपयोग किया गया है।
  - **प्रणोदन:** यह 83 मेगावाट के प्रेशराइज्ड लाइट वाटर रिएक्टर (PWR) द्वारा संचालित है, जो इसे हफ्तों तक पानी के भीतर रहने की शक्ति देता है।

सामरिक महत्व:

- **विश्वसनीय द्वितीय प्रहार क्षमता:** भारत की परमाणु नीति 'नो फर्स्ट यूज़' (No First Use) पर आधारित है। ऐसे में, यदि देश पर परमाणु हमला होता है, तो समुद्र की गहराई में छिपी परमाणु पनडुब्बी जवाबी कार्रवाई के लिए सबसे सुरक्षित और घातक विकल्प होती है। अरिदमन भारत की इस 'सेकंड-स्ट्राइक' क्षमता को सुनिश्चित करता है।
- **परमाणु त्रय का सुदृढ़ीकरण:** परमाणु त्रय का अर्थ है भूमि, वायु और समुद्र से परमाणु हमला करने की क्षमता। आईएनएस अरिदमन के साथ, भारत का समुद्री घटक अब पहले से कहीं अधिक प्रभावी हो गया है, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में शक्ति संतुलन भारत के पक्ष में झुकता है।

- **चीन-पाक की बढ़ती चुनौती:** हिंद महासागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति और पाकिस्तान द्वारा अपनी नौसेना के आधुनिकीकरण के बीच, अरिदमन एक शक्तिशाली निवारक (Deterrent) के रूप में कार्य करेगा।
- **'आत्मनिर्भर भारत' और रक्षा स्वदेशीकरण:** आईएनएस अरिदमन का सफल कमीशनिंग भारत की 'मेक इन इंडिया' पहल की सफलता का प्रमाण है। यह जटिल रक्षा प्लेटफार्मों के निर्माण में भारत की बढ़ती इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक विशेषज्ञता को दर्शाता है। इससे न केवल विदेशी निर्भरता कम हुई है, बल्कि रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) भी बढ़ी है।

चुनौतियाँ:

- हालाँकि अरिदमन एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन भारत के सामने अभी भी कुछ चुनौतियाँ हैं:
  - **संख्यात्मक अंतर:** चीन की विशाल नौसेना के मुकाबले भारत को अपनी SSBN की संख्या और बढ़ाने की आवश्यकता है।
  - **मिसाइल रेंज:** हालांकि के-4 मिसाइल की रेंज 3,500 किमी है, लेकिन वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए 5,000 किमी से ज्यादा रेंज वाली के-5 मिसाइलों का परीक्षण और एकीकरण अनिवार्य है।
  - **SSN परियोजना:** बैलिस्टिक मिसाइल (SSBN) के साथ-साथ भारत को अपनी SSN (परमाणु संचालित हमलावर पनडुब्बियों) के निर्माण में भी तेजी लानी होगी ताकि विमान वाहक पोतों की सुरक्षा और समुद्र में प्रभुत्व सुनिश्चित किया जा सके।

निष्कर्ष:

आईएनएस अरिदमन का कमीशनिंग केवल एक युद्धपोत को बेड़े में शामिल करना नहीं है, बल्कि यह एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक है। यह हिंद महासागर में "शुद्ध सुरक्षा प्रदाता" (Net Security Provider) के रूप में भारत की भूमिका को पुख्ता करता है और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने में योगदान देता है।

आईएनएस तारागिरी की कमीशनिंग

संदर्भ:

हाल ही में भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में उन्नत स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस तारागिरी को कमीशन किया। यह उपलब्धि समुद्री क्षेत्र में बढ़ती जटिलताओं के बीच नौसेना के आधुनिकीकरण और रक्षा आत्मनिर्भरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है तथा परिचालन तत्परता को सुदृढ़ करती है।

आईएनएस तारागिरी के बारे में:

- आईएनएस तारागिरी, प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत विकसित नीलगिरी-श्रेणी के स्टेल्थ फ्रिगेट्स का हिस्सा है, जिसे वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है और देश में ही निर्मित किया गया है।
- यह शिवालिक-श्रेणी के फ्रिगेट्स का उन्नत संस्करण है, जिसमें आधुनिक स्टेल्थ तकनीक, हथियार, सेंसर तथा युद्ध प्रबंधन प्रणालियों का समावेश किया गया है।
- प्रोजेक्ट 17A के तहत सात फ्रिगेट्स का निर्माण मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) और कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) द्वारा किया जा रहा है, जो भारत के बढ़ते रक्षा औद्योगिक तंत्र को दर्शाता है।

तकनीकी एवं परिचालन क्षमताएँ:

- 6,670 टन के विस्थापन वाला आईएनएस तारागिरी (पेनेंट F41) एक बहु-भूमिका वाला फ्रिगेट है, जिसमें 75% से अधिक

स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक एमएसएमई तथा हजारों रोजगार जुड़े हुए हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

» **स्टेल्थ और सर्वाइवेबिलिटी:** कम दृश्यता वाला डिजाइन इसे पहचान से बचाता है।

» **प्रणोदन और सहनशीलता:** संयुक्त डीजल या गैस (CODOG) प्रणोदन प्रणाली कुशल क्रूज़िंग और तीव्र संचालन की सुविधा प्रदान करती है।

» **उन्नत युद्ध प्रणालियाँ:** आधुनिक रडार, सोनार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली तथा कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम सतह, वायु और पनडुब्बी खतरों के विरुद्ध समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करते हैं।

» **हथियार प्रणाली:** ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलें, मध्यम दूरी की सतह से वायु मिसाइलें, टॉरपीडो, पनडुब्बी रोधी रॉकेट तथा डिकॉय मजबूत आक्रामक और रक्षात्मक क्षमता प्रदान करते हैं।

परिचालन भूमिकाएँ:

- आईएनएस तारागिरी निम्नलिखित भूमिकाओं का निर्वहन करता है:
  » **युद्धक क्षमता और प्रतिरोधकता:** भारत की समुद्री शक्ति प्रक्षेपण और प्रतिरोधक क्षमता को सुदृढ़ करता है।
  » **समुद्री सुरक्षा:** विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) और समुद्री संचार रेखाओं की सुरक्षा तथा समुद्री डकैती-रोधी गश्त करता है।
  » **मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR):** हिंद-प्रशांत क्षेत्र में राहत और बचाव अभियानों को सक्षम बनाता है।

रणनीतिक निहितार्थ:

- **स्वदेशी रक्षा और आत्मनिर्भरता:** "आत्मनिर्भर भारत" के दृष्टिकोण के अनुरूप, विदेशी आयात पर निर्भरता को कम करता है।
- **सुदृढ़ समुद्री स्थिति:** हिंद महासागर और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की उपस्थिति को मजबूत करता है।
- **क्षेत्रीय संकेत:** भारत को एक 'नेट सुरक्षा प्रदाता' के रूप में स्थापित करता है, जो सहयोगात्मक सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता को समर्थन देता है।

निष्कर्ष:

आईएनएस तारागिरी तकनीक, स्वदेशी क्षमता और रणनीतिक दूरदर्शिता का समन्वित उदाहरण है। यह केवल नौसेना की शक्ति में वृद्धि नहीं करता, बल्कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की प्रतिरोधक क्षमता, सहयोगात्मक सुरक्षा भूमिका और एक जिम्मेदार समुद्री शक्ति के रूप में उसकी विश्वसनीयता को भी सुदृढ़ करता है।

भारतीय नौसेना की समुद्री शक्ति में नया विस्तार: ASW SWC 'मालवन'

संदर्भ:

हाल ही में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) द्वारा निर्मित आठ एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट (ASW SWC) श्रृंखला के दूसरे पोत 'मालवन' को आधिकारिक रूप से भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। यह स्वदेशी रक्षा निर्माण के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।

पृष्ठभूमि:

- इस श्रेणी का पहला पोत 'माहे' (Mahe) अक्टूबर 2025 में नौसेना को सौंपा गया था। ये जहाज पुराने हो रहे 'अभय' (Abhay) श्रेणी के कार्वेट्स का स्थान लेंगे।
- 'मालवन' का नाम महाराष्ट्र के ऐतिहासिक तटीय शहर मालवन के नाम पर रखा गया है, जो मराठा नौसेना और छत्रपति शिवाजी महाराज की समुद्री विरासत का प्रतीक है। यह इस नाम का दूसरा पोत है; इससे पहले 'आईएनएस मालवन' एक माइन्सवीपर के रूप

में वर्ष 2003 तक नौसेना में सेवा दे चुका है।

तकनीकी विशिष्टताएँ:

- **निर्माण:** इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) द्वारा किया गया है।
- **स्वदेशी सामग्री:** 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरणों का उपयोग किया गया है।
- **आकार और विस्थापन:** इसकी लंबाई लगभग 80 मीटर है तथा इसका विस्थापन लगभग 1,100 टन है।
- **प्रणोदन (Propulsion):** यह जहाज अत्यधिक फुर्तीले वॉटरजेट प्रोपल्शन सिस्टम से लैस है, जो इसे उथले तटीय जल (Shallow Waters) में तेज गति और बेहतर गतिशीलता प्रदान करता है।

उद्देश्य:

'मालवन' को विशेष रूप से निम्नलिखित कार्यों के लिए डिज़ाइन किया गया है:

- **पनडुब्बी रोधी युद्ध (ASW):** तटीय जल में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाना और उन्हें निष्क्रिय करना।
- **निगरानी:** समुद्र के भीतर (Subsurface) निरंतर निगरानी रखना।
- **एलआईएमओ (LIMO):** कम तीव्रता वाले समुद्री संचालन (Low Intensity Maritime Operations) को अंजाम देना।
- **माइन वारफेयर:** समुद्री सुरंगों (Mines) को बिछाने और नष्ट करने की क्षमता।
- **हथियार प्रणाली:** यह हल्के टॉरपीडो, एंटी-सबमरीन रॉकेट तथा उन्नत सेंसर से सुसज्जित है।

सामरिक महत्व:

- भारत की लंबी तटरेखा और हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में बढ़ती भू-राजनीतिक चुनौतियों के संदर्भ में ASW SWC जहाजों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है:
  - **तटीय सुरक्षा:** भारत के पास 7,500 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा है। 'मालवन' जैसे जहाज उथले जल क्षेत्रों में सुरक्षा को मजबूत करते हैं, जहाँ बड़ी पनडुब्बियों का पता लगाना कठिन होता है।
  - **हिंद महासागर में संतुलन:** हिंद महासागर में विदेशी पनडुब्बियों की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए, ये 'साइलेंट हंटर्स' भारत की रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करते हैं।
  - **आत्मनिर्भरता:** रक्षा निर्माण में विदेशी निर्भरता को कम करना भारत की सामरिक स्वायत्तता के लिए आवश्यक है।

निष्कर्ष:

'मालवन' की डिलीवरी भारत के 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' विजन की सफलता को दर्शाती है। यह न केवल भारतीय नौसेना की परिचालन क्षमता को बढ़ाता है, बल्कि भविष्य के समुद्री युद्ध के लिए भारत की तैयारियों को भी सशक्त बनाता है।

प्रमुख चर्चित स्थल

उमियाम झील

हाल ही में मेघालय सरकार ने पर्यावरण समूहों और स्थानीय समुदायों द्वारा संभावित पारिस्थितिकीय क्षति को लेकर किए गए विरोध के बाद से लुम्पोंगदेंग द्वीप के उमियाम झील पर प्रस्तावित ताज लक्ज़री रिज़ॉर्ट परियोजना को बाहर करने का निर्णय लिया है।

उमियाम झील के बारे में:

- उमियाम झील, जिसे लोकप्रिय रूप से बारापानी तथा स्थानीय रूप से डैम साइट (Dam Sait) कहा जाता है, मेघालय में शिलांग से लगभग 15 किमी उत्तर में स्थित एक सुंदर मानव-निर्मित जलाशय है।

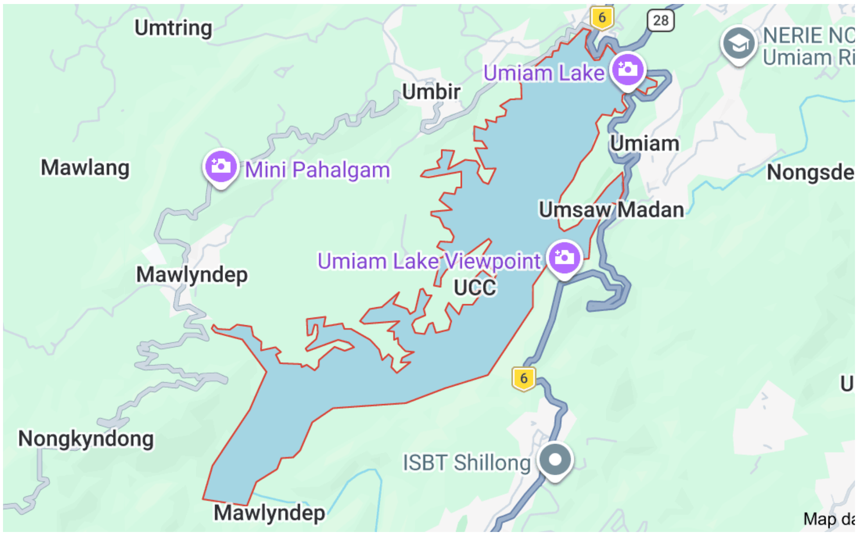

- इसका निर्माण 1960 के दशक की शुरुआत में उमियाम नदी पर बाँध बनाकर उमियाम-उमट्रू जलविद्युत परियोजना के अंतर्गत किया गया था।
- इस परियोजना का विकास असम राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा जलविद्युत उत्पादन के उद्देश्य से किया गया था।
- उमियाम स्टेज-I पावरहाउस (4×9 मेगावाट) का संचालन वर्ष 1965 में शुरू हुआ, जो पूर्वोत्तर भारत की पहली जलाशय-आधारित जलविद्युत परियोजना बनी।
- पूर्वी खासी पहाड़ियों से घिरी यह झील गुवाहाटी–शिलांग मार्ग पर स्थित है और वर्तमान में एक प्रमुख पर्यटन एवं जल क्रीड़ा केंद्र के रूप में विकसित हो चुकी है।
- राष्ट्रीय जलमार्ग-106 के अंतर्गत उमियाम झील तथा उमंगोट नदी पर अंतर्देशीय जल परिवहन (Inland Water Transport-IWT) अवसंरचना विकसित करने हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार किए जा रहे हैं। इसके पूर्ण होने पर यह मेघालय का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग बनेगा।

फॉकलैंड द्वीपसमूह

हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा फॉकलैंड द्वीपसमूह मुद्दे पर अपनी नीति की संभावित समीक्षा की खबरों के बीच यूनाइटेड किंगडम ने पुनः स्पष्ट किया कि फॉकलैंड द्वीपसमूह पर संप्रभुता उसी के पास है। ब्रिटेन ने "आत्मनिर्णय के सिद्धांत" (Principle of Self-Determination) पर बल देते हुए कहा कि द्वीपों के अधिकांश निवासी ब्रिटिश ओवरसीज़ टेरिटरी के रूप में बने रहना चाहते हैं। वहीं, अर्जेंटीना ने द्वीपों पर अपना दावा दोहराते हुए द्विपक्षीय वार्ता की मांग की है।

फॉकलैंड द्वीपसमूह के बारे में:

- फॉकलैंड द्वीपसमूह, जिन्हें माल्विनास (Malvinas) भी कहा जाता है, दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित एक स्व-शासित ब्रिटिश ओवरसीज़ टेरिटरी है। यह दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी तट से लगभग 300 मील पूर्व में स्थित है।
- इस क्षेत्र में दो प्रमुख द्वीप, ईस्ट फॉकलैंड और वेस्ट फॉकलैंड तथा सैकड़ों छोटे द्वीप और टापू शामिल हैं।
- वर्ष 1833 से ये द्वीप ब्रिटिश नियंत्रण में हैं, केवल 1982 के फॉकलैंड युद्ध के दौरान कुछ समय के लिए अर्जेंटीना ने इन पर कब्जा किया था।
- अर्जेंटीना अब भी इन द्वीपों पर ब्रिटेन की संप्रभुता को चुनौती देता है।

- वर्ष 2013 में आयोजित जनमत-संग्रह (Referendum) में द्वीपों के भारी बहुमत ने ब्रिटिश ओवरसीज़ टेरिटरी बने रहने के पक्ष में मतदान किया था, जिससे आत्मनिर्णय के सिद्धांत पर आधारित ब्रिटेन के तर्क को मजबूती मिली।

तूती द्वीप

सूडान का कभी एक शांत कृषि बस्ती के रूप में प्रसिद्ध तूती द्वीप, वर्तमान में सूडानी सशस्त्र बलों (SAF) और रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (RSF) के बीच जारी गृहयुद्ध का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। इसका प्रमुख कारण इसकी सामरिक स्थिति तथा लंबे समय से जारी नाकेबंदी है, जिसने आधुनिक युद्ध में शहरी घेराबंदी रणनीतियों और मानवीय संकटों को उजागर किया है।

तूती द्वीप के बारे में:

- तूती द्वीप लगभग 8 वर्ग किमी क्षेत्रफल वाला अर्धचंद्राकार द्वीप है, जो खार्तूम में श्वेत नील (White Nile) और नीली नील (Blue Nile) नदियों के संगम पर स्थित है, जहाँ दोनों नदियाँ मिलकर मुख्य नील नदी का निर्माण करती हैं।
  - » यह सूडान के त्रि-नगर (Tri-city) महानगरीय क्षेत्र के भौगोलिक केंद्र में स्थित है, जिसमें शामिल हैं-
  - » खार्तूम- राजनीतिक राजधानी

» ओमदुरमान- सबसे बड़ा शहर
» खार्तूम नॉर्थ/बहरी- औद्योगिक केंद्र

- यह द्वीप नील नदी की बाढ़ चक्रों से बने जलोढ़ निक्षेपों (Alluvial Deposits) से पूरी तरह निर्मित है, जिससे इसकी मिट्टी अत्यंत उपजाऊ बन गई है।
- राजधानी को ताज़ी सब्जियाँ और कृषि उत्पाद उपलब्ध कराने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण इसे पारंपरिक रुप से "खार्तूम का उद्यान" कहा जाता है।
- 15वीं शताब्दी से यहाँ मुख्य रुप से महास जनजाति निवास करती है, जिसने पारंपरिक कृषि पद्धतियों तथा बाढ़ चेतावनी प्रणाली "अल-ताया प्रणाली" (al-Taya System) को संरक्षित रखा है।
- संघर्ष के दौरान "HEART परियोजना" (Heritage Empowered Action for Risk in Tuti) शुरु की गई, जिसका उद्देश्य इस स्वदेशी ज्ञान प्रणाली को संरक्षित करना है, जो वर्तमान में विस्थापन और युद्ध के प्रभावों के कारण संकट में है।

घदामेस बेसिन

ऑयल इंडिया लिमिटेड (Oil India Limited) ने लीबिया के स्थलीय क्षेत्र (Onshore) के एरिया 95/96 ब्लॉक में स्थित घदामेस बेसिन में तेल और गैस की नई खोज की सूचना दी है। यह खोज कंपनी की विदेशी हाइड्रोकार्बन परिसंपत्तियों में निरंतर विस्तार को दर्शाती है। लीबिया की राष्ट्रीय तेल निगम (National Oil Corporation-NOC) द्वारा घोषित यह खोज इस ब्लॉक में पाँचवीं हाइड्रोकार्बन खोज है, जो क्षेत्र में संसाधनों की प्रचुर संभावनाओं तथा वर्ष 2023 में फोर्स मेज्योर (Force Majeure) हटाए जाने के बाद पुनः आरंभ हुई अन्वेषण गतिविधियों को रेखांकित करती है।

लीबिया और घदामेस बेसिन के बारे में:

- **लीबिया**
  » लीबिया उत्तरी अफ्रीका का एक देश है, जो भूमध्य सागर (Mediterranean Sea) के तट पर स्थित है। इसकी सीमाएँ मिस्र, सूडान, चाड, नाइजर, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया से मिलती हैं।
  » अफ्रीका में सबसे बड़े सिद्ध तेल भंडार (Proven Oil Reserves) लीबिया में पाए जाते हैं, जिससे यह वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक महत्वपूर्ण देश बनता है।
  » देश लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहा है, जिसके कारण तेल अन्वेषण और उत्पादन गतिविधियाँ बार-बार बाधित होती रही हैं।

- **घदामेस बेसिन**
  » घदामेस बेसिन पश्चिमी लीबिया में स्थित एक प्रमुख हाइड्रोकार्बन-समृद्ध अवसादी बेसिन (Sedimentary Basin) है।
  » यह उत्तरी अफ्रीका के सबसे महत्वपूर्ण तेल और गैस उत्पादक क्षेत्रों में से एक माना जाता है।
  » सुरक्षा संबंधी चुनौतियों और विभिन्न तेल ब्लॉकों में फोर्स मेज्योर की स्थितियों के कारण इस बेसिन में अन्वेषण गतिविधियाँ समय-समय पर प्रभावित होती रही हैं।

पावर पैक्ड न्यूज

नीति आयोग का पुनर्गठन

- हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत के प्रमुख थिंक टैंक, नीति आयोग (NITI Aayog) का पुनर्गठन किया है। प्रख्यात अर्थशास्त्री और पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार श्री अशोक कुमार लाहिड़ी को नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे श्री सुमन के. बेरी का स्थान लेंगे।
- सरकार ने पांच नए पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति की है:
  - » श्री राजीव गौबा: पूर्व कैबिनेट सचिव।
  - » प्रो. के.वी. राजू: अर्थशास्त्री और कृषि नीति विशेषज्ञ।
  - » प्रो. गोबर्धन दास: प्रख्यात आणविक वैज्ञानिक।
  - » प्रो. अभय करंदीकर: भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव।
  - » डॉ. एम. श्रीनिवास: एम्स (AIIMS) दिल्ली के निदेशक।

- नए सदस्यों के चयन से अब नीति निर्माण में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्वास्थ्य क्षेत्रों को अधिक प्राथमिकता दी जाने की संभावनाएं हैं। आयोग का ध्यान केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से नागरिकों के 'जीवन को सुगम' (Ease of Living) बनाने पर रहेगा।
- नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 (योजना आयोग के स्थान पर) को की गयी थी जिसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री (पदेन) होते है।

नदी बेसिन प्रबंधन योजना 2031 तक बढ़ाई गई

- हाल ही में, जल शक्ति मंत्रालय ने नदी बेसिन प्रबंधन (RBM) योजना को 2031 तक बढ़ा दिया है, जिसमें ₹2,183 करोड़ का बढ़ा हुआ प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य भारत में सतही जल और भूजल संसाधनों के सतत उपयोग, संरक्षण और विकास के लिए बेसिन-स्तरीय नियोजन को मजबूत करना है।
- नदी बेसिन प्रबंधन (RBM) योजना जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय क्षेत्र (Central Sector) योजना है, जो नदी बेसिनों के समेकित (integrated) नियोजन पर केंद्रित है ताकि जल संसाधनों का वैज्ञानिक और सतत प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। यह सतही जल, भूजल, सिंचाई प्रणालियों, जलविद्युत क्षमता और बाढ़ प्रबंधन के समन्वित विकास को बढ़ावा देती है, जिससे जल संसाधनों का समग्र और संतुलित प्रबंधन सुनिश्चित हो सके।
- विस्तारित RBM योजना (2026–2031) का कुल वित्तीय प्रावधान ₹2,183 करोड़ है, जो पहले चरण (2021–26) के ₹1,276 करोड़ से अधिक है। इस योजना में बेसिन-स्तरीय एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसमें आधुनिक तकनीकों जैसे भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS), रिमोट सेंसिंग, LiDAR (Light Detection and Ranging) और ड्रोन आधारित सर्वेक्षणों का व्यापक उपयोग किया जाता है, जिससे डेटा की सटीकता बढ़ती है और जल परियोजनाओं की बेहतर योजना व क्रियान्वयन संभव होता है।
- इस योजना में रणनीतिक और पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण नदी बेसिनों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिनमें ब्रह्मपुत्र, बराक, तीस्ता और सिंधु बेसिन शामिल हैं। ये बेसिन अपनी पारिस्थितिक संवेदनशीलता, बाढ़ की आशंका और भू-राजनीतिक महत्व के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इनका सतत और प्रभावी प्रबंधन दीर्घकालिक जल सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए आवश्यक है।

पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 24 अप्रैल, 2026 को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (Banking Regulation Act) की धारा 22(4) के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद, PPBL को बैंकिंग व्यवसाय करने से पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।
- RBI के अनुसार, बैंक के काम करने का तरीका जमाकर्ताओं के हितों के खिलाफ था और बैंक "निरंतर गैर-अनुपालन" (persistent non-compliance) और प्रबंधन संबंधी कमियों के लिए दोषी पाया गया।
- आरबीआई ने बैंक को बंद करने (Winding up) की प्रक्रिया शुरु करने के लिए हाई कोर्ट में आवेदन करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि PPBL के पास अपने सभी जमाकर्ताओं का पैसा लौटाने के लिए पर्याप्त नकदी (Liquidity) उपलब्ध है, इसलिए ग्राहकों का पैसा सुरक्षित है।
- यह कार्रवाई मार्च 2022 में नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक और जनवरी 2024 में डिपॉजिट्स स्वीकार करने पर लगाए गए प्रतिबंधों की अगली कड़ी है। इस कार्रवाई का असर मुख्य पेटीएम ऐप (One97 Communications) पर नहीं पड़ेगा। पेटीएम के UPI, QR और साउंडबॉक्स जैसी सेवाएँ अन्य पार्टनर बैंकों के माध्यम से सुचारु रुप से चलती रहेंगी।
- यह निर्णय भारत के फिनटेक (Fintech) क्षेत्र में नियामक अनुपालन (Regulatory Compliance) के महत्व को रेखांकित करता है।

भारत 'श्रेणी ए' (Category A) डोपिंग सूची में शामिल

- हाल ही में अप्रैल में एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट (AIU) ने भारत को डोपिंग के "अत्यंत उच्च जोखिम" वाले देशों की 'श्रेणी ए' में स्थान दिया है। 20 अप्रैल 2026 से प्रभावी यह निर्णय भारत में डोपिंग के बढ़ते मामलों और कमजोर एंटी-डोपिंग निगरानी के कारण लिया गया है।
- भारत अब रुस, केन्या और इथियोपिया जैसे देशों के साथ इस सूची में शामिल हो गया है। भारत 2024 (71 मामले) और 2025 (अब तक 30 मामले) में डोपिंग नियमों के उल्लंघन (ADRV) में विश्व स्तर पर पहले स्थान पर रहा है।
- 'श्रेणी ए' में होने के कारण, अब किसी भी भारतीय एथलीट को विश्व चैंपियनशिप या ओलंपिक जैसी बड़ी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कम से कम तीन बिना सूचना वाले (Out-of-competition) परीक्षणों से गुजरना होगा। ये टेस्ट प्रतियोगिता से 10 महीने पहले की अवधि में होने अनिवार्य हैं।
- AIU के अध्यक्ष डेविड हॉमन के अनुसार, भारत का घरेलू एंटी-डोपिंग कार्यक्रम बढ़ते जोखिमों से निपटने में विफल रहा है। यह दर्जा न केवल भारतीय एथलेटिक्स की साख को वैश्विक स्तर पर प्रभावित करता है, बल्कि एथलीटों पर कड़े परीक्षणों का बोझ भी बढ़ाता है।

गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026

- अप्रैल 2026 में, सैन फ्रांसिस्को (अमेरिका) में आयोजित एक समारोह में प्रतिष्ठित 'गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026' के विजेताओं की घोषणा की गई। इस वर्ष का संस्करण ऐतिहासिक रहा क्योंकि पुरस्कार के 37 वर्षों के इतिहास में पहली बार सभी छह विजेता महिलाएं हैं।
  - **थियोनिला रोका मटबोब (पापुआ न्यू गिनी):** खनन कंपनी रियो टिंटो को दशकों पुराने पर्यावरणीय नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया।
  - **बोरिम किम (दक्षिण कोरिया):** एशिया का पहला युवा-नेतृत्व वाला संवैधानिक जलवायु मुकदमा जीता, जिससे सरकार को सख्त उत्सर्जन लक्ष्य तय करने पड़े।
  - **इरोरो तांशी (नाइजीरिया):** लुप्तप्राय 'शॉर्ट-टेल्ड' चमगादड़ों और वर्षावनों को बचाने के लिए सामुदायिक सुरक्षा नेटवर्क बनाया।
  - **सारा फिंच (यूनाइटेड किंगडम):** जीवाश्म ईंधन परियोजनाओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक कानूनी जीत दर्ज की।
  - **अलाना अकाक हर्ले (अमेरिका):** अलास्का में विश्व की सबसे बड़ी प्रस्तावित सोने की खदान 'पेबल माइन' को रोकने के लिए स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया।

» **युवेलिस मोरालेस ब्लैंको (कोलंबिया):** कोलंबिया में फ्रैकिंग (Fracking) प्रथा को समाप्त करने और जल निकायों की रक्षा के लिए सफल अभियान चलाया।

- गोल्डमैन पुरस्कार 1989 में रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन द्वारा स्थापित किया गया था। यह जमीनी स्तर (Grassroots) पर काम करने वाले पर्यावरण कार्यकर्ताओं को दिया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान है। विजेताओं को $200,000 की राशि प्रदान की जाती है। इस पुरस्कार को अक्सर "ग्रीन नोबेल" के रूप में जाना जाता है।

विशाखापट्टनम में गूगल एआई डेटा हब

- हाल ही में, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने विशाखापत्तनम के पास गूगल के प्रस्तावित 15 अरब डॉलर के एआई डेटा सेंटर हब की आधारशिला रखी। यह परियोजना भारत के डिजिटल अवसंरचना क्षेत्र में सबसे बड़े विदेशी निवेशों में से एक मानी जा रही है।
- इस एआई हब में गीगावाट स्तर के हाइपरस्केल डेटा सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित सेवाओं और क्लाउड कंप्यूटिंग को सशक्त बनाएंगे। इस हब से भारत को वैश्विक एआई पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण स्थान मिलने की उम्मीद है। साथ ही, यह परियोजना रोजगार सृजन, डिजिटल नवाचार और डेटा प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि करेगी।
- गूगल एआई डेटा हब भारत की डिजिटल यात्रा में एक परिवर्तनकारी कदम है, जो बड़े पैमाने के अवसंरचना को उन्नत एआई क्षमताओं के साथ जोड़ता है।

महान बास्केटबॉल खिलाड़ी ऑस्कर श्मिट का निधन

- विश्व बास्केटबॉल के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक, ब्राजील के ऑस्कर श्मिट (Oscar Schmidt) का 17 अप्रैल, 2026 को 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे पिछले 15 वर्षों से 'ब्रेन ट्यूमर' (Brain Tumor) बीमारी से जूझ रहे थे। उन्हें बास्केटबॉल की दुनिया में "होली हैंड" (Mão Santa) के नाम से जाना जाता था।

- श्मिट को बास्केटबॉल इतिहास के सबसे शानदार स्कोरर के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने अपने 29 साल लंबे करियर में कुल 49,737 अंक बनाए, जो दशकों तक एक विश्व रिकॉर्ड रहा। उन्होंने लगातार 5 ओलंपिक खेलों (1980 से 1996) में ब्राजील का प्रतिनिधित्व किया। उनके नाम ओलंपिक इतिहास में सर्वाधिक 1,093 अंक बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है।
- 1984 में न्यू जर्सी नेट्स द्वारा ड्राफ्ट किए जाने के बावजूद, ऑस्कर श्मिट ने NBA में खेलने से मना कर दिया क्योंकि उस समय के नियमों के अनुसार NBA खिलाड़ी अपनी राष्ट्रीय टीम का हिस्सा नहीं बन सकते थे। उन्होंने देश की जर्सी को पेशेवर करियर से ऊपर रखा। उन्हें 2010 में 'FIBA हॉल ऑफ फेम' और 2013 में 'नेस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम' में शामिल कर सम्मानित किया गया था।

9वां प्रो. एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार

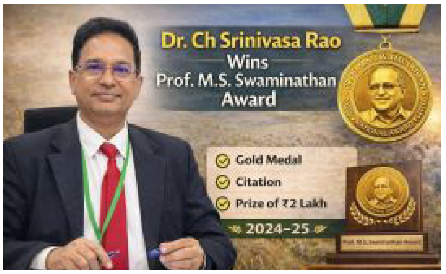

- भारतीय कृषि जगत के प्रतिष्ठित 9वें प्रो. एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार (2024-25) से सुप्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉ. सी. श्रीनिवास राव को सम्मानित किया गया है। वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) के निदेशक और कुलपति के रूप में कार्यरत डॉ. राव को यह सम्मान हैदराबाद में आयोजित एक भव्य समारोह में दिया गया।
- यह पुरस्कार पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू और तेलंगाना के कृषि मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव द्वारा प्रदान किया गया। इस पुरस्कार के तहत 2 लाख रुपये का नकद

पुरस्कार, एक पदक और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।

- डॉ. राव को विशेष रुप से जलवायु-अनुकूल कृषि (Climate-Resilient Agriculture) और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन में उनके क्रांतिकारी कार्यों के लिए चुना गया है। उनके नेतृत्व में विकसित 'वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए आकस्मिक योजनाओं' (Contingency Plans) को भारत के 650 से अधिक जिलों में लागू किया गया है, जिससे लाखों किसानों को जलवायु परिवर्तन के खतरों से लड़ने में मदद मिली है।
- प्रो. एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार की स्थापना 2004 में 'सेवानिवृत्त आईसीएआर कर्मचारी संघ' (RICAREA) द्वारा की गई थी। यह कृषि अनुसंधान और विकास में उत्कृष्ट योगदान देने वाले वैज्ञानिकों को द्विवार्षिक रूप से दिया जाने वाला देश के सर्वोच्च कृषि सम्मानों में से एक है।

खासी और गारो मेघालय राज्य की आधिकारिक भाषा घोषित

- अप्रैल 2026 में मेघालय सरकार ने राज्य की भाषाई पहचान को मजबूत करने के लिए खासी (Khasi) और गारो (Garo) भाषाओं को राज्य की पूर्ण आधिकारिक भाषा (Official Language) के रूप में मान्यता प्रदान की है।
- राज्यपाल चंद्रशेखर एच. विजयशंकर की सहमति के बाद 'मेघालय राजभाषा अध्यादेश, 2026' लागू किया गया। इसने वर्ष 2005 के पुराने अधिनियम को निरस्त कर दिया है। अब तक अंग्रेजी राज्य की एकमात्र आधिकारिक भाषा थी, जबकि खासी और गारो केवल 'सहयोगी' भाषाएं थीं। अब ये दोनों अंग्रेजी के बराबर स्तर पर कार्य करेंगी।
- खासी और जयंतिया हिल्स में अंग्रेजी के साथ खासी, जबकि गारो हिल्स में अंग्रेजी के साथ गारो भाषा का प्रशासनिक कार्यों में उपयोग अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के अनुसार, यह कदम इन भाषाओं को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कराने के प्रयासों को कानूनी आधार प्रदान करेगा।
- राज्य सरकार 1980 के अधिनियम में संशोधन कर विधायकों को सदन में इन भाषाओं में बहस करने की अनुमति देगी। यह निर्णय न केवल मेघालय की जनजातीय विरासत को संरक्षित करेगा, बल्कि आम नागरिकों को सरकारी प्रक्रियाओं में अपनी मातृभाषा का उपयोग करने में सक्षम बनाएगा।

फिलीपींस 'पैक्स सिलिका' पहल में शामिल

- 16 अप्रैल, 2026 को फिलीपींस आधिकारिक तौर पर अमेरिका के नेतृत्व वाली पैक्स सिलिका (Pax Silica) पहल का हिस्सा बन गया है। इस समझौते का उद्देश्य वैश्विक सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) को सुरक्षित और मजबूत करना है। फिलीपींस इस महत्वपूर्ण रणनीतिक गठबंधन में शामिल होने वाला 13वां देश है। भारत इस पहल का संस्थापक सदस्य रहा है।
- समझौते के केंद्र में फिलीपींस के 'लूज़ोन' द्वीप पर 4,000 एकड़ में फैला एक विशाल औद्योगिक केंद्र विकसित करना है। इसे एक विशेष 'आर्थिक सुरक्षा क्षेत्र' के रूप में डिजाइन किया जाएगा।
- फिलीपींस अपने विशाल निकेल, कोबाल्ट और तांबे के भंडार के माध्यम से एआई हार्डवेयर और चिप निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। यह कदम तकनीकी क्षेत्र में चीन पर निर्भरता कम करने और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में एक वैकल्पिक, सुरक्षित डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार करने के अमेरिकी प्रयासों का हिस्सा है।

आईटीसी को फार्म सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट (FSA) 3.0 प्रमाणन मिला

- अप्रैल 2026 में, आईटीसी लिमिटेड (ITC Limited) गेहूं और धान (चावल) के लिए प्रतिष्ठित फार्म सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट (FSA) 3.0 प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। यह वैश्विक मान्यता टिकाऊ खेती और जिम्मेदार सोर्सिंग के क्षेत्र में भारतीय

कृषि के लिए एक उपलब्धि है। FSA को 'सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म' (SAI Platform) द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जो दुनिया भर में टिकाऊ खेती का पैमाना माना जाता है।

- आईटीसी ने 'सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इनिशिएटिव (SAI) प्लेटफॉर्म' द्वारा प्रबंधित FSA 3.0 का सिल्वर बेंचमार्क हासिल किया है। यह प्रमाणन उत्तर प्रदेश और बिहार के 22,000 से अधिक एकड़ क्षेत्र में फैला है, जिसमें 70 से अधिक किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के माध्यम से लगभग 3,500 किसान जुड़े हैं। इस उपलब्धि में आईटीसी के 'ITCMAARS' (सुपर ऐप) ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे खेतों की 'जियो-फेंसिंग' और 'एंड-टू-एंड ट्रेसेबिलिटी' सुनिश्चित की गई।
- यह प्रमाणन यूरोपीय संघ (EU) जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय कृषि उत्पादों की विश्वसनीयता बढ़ाएगा, जहाँ कड़े पर्यावरण और श्रम मानकों का पालन अनिवार्य है। यह मिट्टी के स्वास्थ्य, जल संरक्षण, जैव विविधता और कार्बन उत्सर्जन में कमी जैसे 30 से अधिक मानकों पर आधारित है।
- इसके तहत किसानों को 'डायरेक्ट सीडेड राइस' (DSR) और 'जीरो टिलेज' जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे उनकी लागत घटती है और आय बढ़ती है।

दहेज देने वाले अपराधी नहीं बल्कि पीड़ित: सुप्रीम कोर्ट

- हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 7(3) की एक महत्वपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दहेज उत्पीड़न की शिकायत करने वाले पक्ष (अक्सर वधू पक्ष) पर दहेज देने के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की यह व्याख्या कानूनी जटिलताओं को कम करती है और पीड़ितों के अधिकारों को सशक्त बनाती है।
  - **धारा 7(3) का संरक्षण:** न्यायालय ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति दहेज की मांग के खिलाफ शिकायत दर्ज कराता है, तो उसके द्वारा दिए गए बयानों का उपयोग उसी के विरुद्ध 'दहेज देने' के अपराध के लिए नहीं किया जा सकता। यह पीड़ितों को बिना किसी डर के शिकायत दर्ज करने का साहस देता है।
  - **सामाजिक अनिवार्यता बनाम अपराध:** कोर्ट ने स्वीकार किया कि भारतीय समाज में कई बार वधू पक्ष को सामाजिक दबाव या विवशता में दहेज देना पड़ता है। ऐसे में उन्हें 'अपराधी' के बजाय 'पीड़ित' (Victim) की श्रेणी में रखा जाना चाहिए।
  - **राज्यों को निर्देश:** न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को समर्पित 'दहेज निषेध अधिकारी' नियुक्त करने का आदेश दिया है, ताकि जमीनी स्तर पर इस कानून का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।
  - **दुरुपयोग पर नियंत्रण:** कोर्ट ने यह भी दोहराया कि आईपीसी की धारा 498A (दहेज उत्पीड़न) का उपयोग निर्दोष रिश्तेदारों को परेशान करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

वैश्विक अरबपति सूची 2026 में भारत तीसरे स्थान पर

- हाल ही में फोर्ब्स (Forbes) द्वारा जारी 2026 की वैश्विक अरबपति सूची में देशों के अनुसार अरबपतियों की संख्या का आकलन किया गया है। वर्ष 2026 में विश्वभर में कुल 3,428 अरबपति दर्ज किए गए, जो 80 देशों से हैं। इनमें से लगभग 51% अरबपति केवल तीन देशों अमेरिका, चीन और भारत में केंद्रित हैं।
- यूनाइटेड स्टेट्स 989 अरबपतियों के साथ प्रथम स्थान पर बना हुआ है, जबकि चीन 539 अरबपतियों के साथ दूसरे स्थान पर है। भारत 229 अरबपतियों के साथ तीसरे स्थान पर है, जो भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति को दर्शाता है। भारत के अरबपतियों की कुल संपत्ति पहली बार 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो गई है, जो पूंजी बाजार के विस्तार और आर्थिक वृद्धि का संकेत है।
- एलोन मस्क $839 बिलियन की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। वे $800 बिलियन का आंकड़ा पार करने वाले पहले व्यक्ति हैं। मुकेश अंबानी ($99.7 बिलियन) के साथ एशिया और भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल हैं।

- पिछले साल के मुकाबले 400 नए लोगों का इस सूची में जुड़ना यह बताता है कि संपत्ति का निर्माण अब पहले से कहीं अधिक तेज गति से हो रहा है। इस वृद्धि का मुख्य कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में आई तेजी, शेयर बाजारों में उछाल और अनुकूल वित्तीय नीतियों को दिया गया है।

'सरल एआई' (SARAL AI)

- केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने हाल ही में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) द्वारा विकसित किए जा रहे 'सरल एआई' (SARAL AI) की घोषणा की है।
- यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मंच जटिल वैज्ञानिक शोधों को सरल आम भाषा में प्रस्तुत करने का काम करेगा। यह प्लेटफॉर्म जटिल शोध पत्रों को 18 भारतीय भाषाओं में अनुवादित करेगा, जिससे वैज्ञानिक ज्ञान के प्रसार में भाषा की बाधा समाप्त होगी।
- 'सरल एआई' बड़े और जटिल तकनीकी शोध प्रकाशनों को आसानी से समझ में आने वाली सोशल मीडिया सामग्री (जैसे छोटे सारांश और इन्फोग्राफिक्स) में बदल देगा। इसका उद्देश्य छात्रों, किसानों और आम जनता तक उनकी मातृभाषा में शोध पहुँचाना है, ताकि देश में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा मिल सके।
- 'सरल एआई' पहल 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य शोध पारिस्थितिकी तंत्र को सरल बनाना और विज्ञान को समावेशी बनाना है। यह कदम न केवल देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण (Scientific Temper) को बढ़ावा देगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि भारत के प्रयोगशालाओं में होने वाले शोध का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे।

सम्राट चौधरी बने बिहार के पहले भाजपा मुख्यमंत्री

- 15 अप्रैल 2026 को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी ने बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। वह बिहार के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने वाले भाजपा के पहले राजनेता हैं। तात्कालिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद, उन्होंने 14 अप्रैल 2026 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद एनडीए विधायक दल ने सम्राट चौधरी को अपना नेता चुना।

- पटना के लोक भवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ जेडीयू के विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव ने मंत्रियों के रूप में शपथ ली।
- सम्राट चौधरी वर्तमान में तारापुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले वे बिहार के उपमुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में रहे हैं।
- बिहार की राजनीति में करीब दो दशकों तक नीतीश कुमार के नेतृत्व के बाद यह एक बड़े बदलाव का संकेत है। सम्राट चौधरी ने पदभार संभालते ही राज्य में विकास और कानून-व्यवस्था को अपनी प्राथमिकता बताया है।

ऑस्ट्रेलिया में पहली महिला सेना प्रमुख की नियुक्ति

- हाल ही में अप्रैल 2026 में, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए लेफ्टिनेंट जनरल सुसान कोयल (Susan Coyle) को देश की पहली महिला सेना प्रमुख (Chief of Army) नियुक्त किया है। यह ऑस्ट्रेलियाई सेना के 125 वर्षों के इतिहास में पहली बार है जब किसी महिला को इस सर्वोच्च कमान के लिए चुना गया है।
- जनरल सुसान कोयल जुलाई 2026 में अपना नया कार्यभार संभालेंगी। वे वर्तमान सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट का स्थान लेंगी। जनरल कोयल का सैन्य करियर लगभग 40 वर्षों का है। उन्होंने अफगानिस्तान और मध्य पूर्व जैसे संघर्ष क्षेत्रों में महत्वपूर्ण नेतृत्व भूमिकाएँ निभाई हैं। वर्तमान में, वे 'चीफ ऑफ जॉइंट कैपेबिलिटीज' के रूप में कार्यरत हैं।

- यह नियुक्ति ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल (ADF) में बड़े नेतृत्व परिवर्तन का हिस्सा है। इसी फेरबदल के तहत वाइस एडमिरल मार्क हैमंड को ADF का नया प्रमुख (Chief of the Defence Force) नियुक्त किया गया है।
- यह फैसला न केवल ऑस्ट्रेलिया बल्कि वैश्विक स्तर पर सैन्य नेतृत्व में लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम है।

सिंधी भाषा में भारतीय संविधान के संस्करण का विमोचन

- हाल ही में, भारत के उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने 'सिंधी भाषा दिवस' (10 अप्रैल, 2026) के उपलक्ष्य में नई दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में भारतीय संविधान के सिंधी अनुवाद के नवीनतम संस्करण को जारी किया। यह पहल भारतीय भाषाई विरासत के संरक्षण और संवैधानिक मूल्यों के प्रसार की दिशा में एक बड़ा कदम है।
- पहली बार संविधान को सिंधी भाषा की दो लिपियों, देवनागरी और फ़ारसी में एक साथ उपलब्ध कराया गया है। स्वतंत्रता के बाद यह पहला अवसर है जब संविधान का सिंधी संस्करण देवनागरी लिपि में प्रकाशित हुआ है।
- सिंधी भाषा संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। इसे 1967 में 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था।
- सिंधी भाषा में भारतीय संविधान के संस्करण का लक्ष्य सिंधी भाषी समुदाय, विशेषकर युवाओं को उनकी मातृभाषा में देश के मूल कानूनों और अधिकारों से अवगत कराना है।
- इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने सिंधी को 'वेदांत और सूफी' परंपराओं का संगम बताया।

संयुक्त सैन्य अभ्यास 'दुस्तलिक' (DUSTLIK)

- भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 'दुस्तलिक' (DUSTLIK) का 7वां संस्करण 12 से 25 अप्रैल, 2026 तक उज्बेकिस्तान के नमंगन स्थित गुरुमसराय फील्ड ट्रेनिंग एरिया में आयोजित किया गया।
- यह एक वार्षिक अभ्यास है जो बारी-बारी से दोनों देशों में आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य अर्ध-पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए परिचालन क्षमता (interoperability) को बढ़ाना है।
- भारत और उज्बेकिस्तान दोनों की ओर से पैदल सेना (Infantry) की टुकड़ियां इसमें हिस्सा लिया। 14 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में शारीरिक प्रशिक्षण, सामरिक अभ्यास और संयुक्त अभियान शामिल थे। इसमें 'घेराबंदी और तलाशी' (Cordon and Search) तथा आपदा राहत कार्यों का भी अभ्यास किया गया।
- 'दुस्तलिक' मध्य एशियाई क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए भारत और उज्बेकिस्तान के बीच साझा प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।

महान पार्श्व गायिका आशा भोसले का निधन

- भारत की महान पार्श्व गायिका आशा भोसले जी का 12 अप्रैल, 2026 को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें सीने में संक्रमण और थकान की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ मुंबई के शिवाजी पार्क में किया गया।
- 8 सितंबर 1933 को जन्मी आशा भोसले का करियर आठ दशकों से अधिक लंबा रहा, जिसकी शुरुआत उन्होंने 1943 में मराठी फिल्म 'माझा बाळ' से की थी। आशा जी प्रसिद्ध 'मंगेशकर परिवार' से थीं। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक शास्त्रीय गायक थे। उनकी चार बहनें (लता, मीना, उषा) और एक भाई (हृदयनाथ) भी संगीत जगत से जुड़े रहे। उन्होंने 20 से अधिक भारतीय और विदेशी भाषाओं में 12,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए हैं। उन्हें उनके कैबरे, शास्त्रीय, ग़ज़ल और पॉप गीतों के लिए जाना जाता है।

- वर्ष 2008 में भारत सरकार ने आशा भोसले को देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। इसके अतिरिक्त, उन्हें सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार (2000) से भी नवाजा गया था। 2011 में उन्हें संगीत इतिहास में सबसे अधिक गाने रिकॉर्ड करने वाली गायिका के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता मिली थी।

विभोर जैन ONDC के नए CEO नियुक्त

- ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) ने आधिकारिक तौर पर विभोर जैन को अपना नया प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया है। उन्होंने 7 अप्रैल 2026 को कार्यभार ग्रहण किया।
- विभोर जैन ने थम्पी कोशी का स्थान लिया है, जिन्होंने अप्रैल 2025 में अपना कार्यकाल पूरा किया था। स्थायी नियुक्ति से पहले, वे ONDC में 'कार्यवाहक सीईओ' और 'मुख्य परिचालन अधिकारी' (COO) के रूप में कार्य कर रहे थे। विभोर जैन को डिजिटल कॉमर्स और ऑपरेशंस का व्यापक अनुभव है। उनके नेतृत्व में ONDC ने अपनी तकनीकी और व्यावसायिक क्षमताओं का विस्तार किया है।

- विभोर जैन के साथ ही ONDC ने रोहित लोहिया को चीफ बिजनेस ऑफिसर (CBO) और मनोज ठाकुर को चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर (CTO) नियुक्त कर अपनी कोर टीम को मजबूत किया है।
- ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य ई-कॉमर्स बाज़ार को लोकतांत्रिक बनाना है। विभोर जैन के नेतृत्व में नेटवर्क का लक्ष्य छोटे विक्रेताओं, स्थानीय किराना स्टोर और किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर समान अवसर प्रदान करना और नेटवर्क की पहुँच को और व्यापक बनाना है।

तेलंगाना राज्य नक्सल मुक्त घोषित

- हाल ही में तेलंगाना पुलिस के सामने 42 माओवादियों (नक्सलियों) द्वारा सरेंडर करने के बाद, डीजीपी बी. शिवधर रेड्डी ने अप्रैल 2026 में तेलंगाना राज्य को सशस्त्र माओवादी गतिविधियों से पूरी तरह मुक्त (Naxal-free) घोषित कर दिया है। यह समर्पण दक्षिण बस्तर क्षेत्र में नक्सलियों की अंतिम मुख्य टुकड़ी थी।
- PLGA (पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी) के कुख्यात कमांडर सोढ़ी मल्ला (Sodi Malla) सहित 42 कैडरों ने सरेंडर किया। सरेंडर करने वाले नक्सलियों के पास से 5 एके-47 राइफलें, 4 एसएलआर राइफलें, 2 देसी ग्रेनेड, 1,000 से अधिक कारतूस और 800 ग्राम सोना बरामद किया गया।
- 2024 से 2026 के बीच, 761 माओवादियों ने 302 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया है, जो राज्य में नक्सलवाद के अंत का कारण बना। सरेंडर करने वाले नक्सलियों की मदद से पुलिस उन इलाकों में लगे IED (विस्फोटक) को हटा रही है। आत्मसमर्पण करने वाले 42 कैडरों को 1.93 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि दी गई है।

अरुणाचल प्रदेश की कलाई-II जलविद्युत परियोजना को ₹14,105.83 करोड़ की मंजूरी

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने अरुणाचल प्रदेश के अंजॉ (Anjaw) जिले में स्थित कलाई-II जलविद्युत परियोजना के लिए ₹14,105.83 करोड़ के निवेश को स्वीकृति दी है।
- यह परियोजना लोहित नदी (ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी) पर बनाई जाएगी। इसकी कुल क्षमता 1200 मेगावाट (MW) है। इसे THDC इंडिया लिमिटेड और अरुणाचल प्रदेश सरकार के संयुक्त उद्यम द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा।
- इस परियोजना के पूरा होने पर प्रतिवर्ष लगभग 4,852.95 मिलियन यूनिट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन होने की उम्मीद है। परियोजना को पूरा

करने का लक्ष्य 78 महीने (साढ़े छह वर्ष) रखा गया है।

- कलाई-II जलविद्युत परियोजना वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के करीब स्थित होने के कारण, सीमावर्ती बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी। यह भारत के 'नेट जीरो' उत्सर्जन लक्ष्यों और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की प्रतिबद्धता में योगदान देगी।
- परियोजना से अरुणाचल प्रदेश को 12% मुफ्त बिजली मिलेगी। साथ ही, केंद्र सरकार राज्य की हिस्सेदारी के लिए ₹750 करोड़ और बुनियादी ढांचे (सड़क/पुल) के लिए ₹599.88 करोड़ की अतिरिक्त सहायता देगी। निर्माण कार्य से क्षेत्र में रोजगार के हजारों अवसर पैदा होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

उत्तर प्रदेश की GeM खरीद में ऐतिहासिक उपलब्धि

- उत्तर प्रदेश ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल के माध्यम से ₹22,337 करोड़ की रिकॉर्ड खरीद कर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
- राज्य ने 'रिवर्स ऑक्शन' पद्धति के माध्यम से लगभग ₹9,700 करोड़ की बचत की है। यह उत्तर प्रदेश के $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे सरकारी खरीद में मानवीय हस्तक्षेप कम हुआ है जिससे भ्रष्टाचार कम हुआ है।
- कुल खरीद में MSMEs, महिला उद्यमियों और स्टार्टअप्स की भागीदारी बढ़ी है। ₹12,000 करोड़ से अधिक की खरीद सीधे स्थानीय MSMEs से की गई है।
- केंद्र सरकार ने यूपी की 'जेम क्रय नीति' को आदर्श मॉडल घोषित करते हुए अन्य राज्यों को भी इसे अपनाने की सलाह दी है।
- गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया एक ऑनलाइन सार्वजनिक खरीद पोर्टल है, जो सरकारी विभागों के लिए वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को 'पेपरलेस' और 'कैशलेस' बनाता है।

संयुक्त अभ्यास 'साइक्लोन-IV'

- संयुक्त अभ्यास 'साइक्लोन-IV' (Exercise Cyclone-IV) भारत और मिस्र (Egypt) की विशिष्ट सेनाओं के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने वाला एक महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास है। इस अभ्यास का चौथा संस्करण 9 से 17 अप्रैल 2026 तक मिस्र के अंशास (Anshas) में आयोजित किया गया।

- भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेज के 25 कर्मियों के दल ने मिस्र के अपने समकक्षों के साथ प्रशिक्षण में भाग लिया। यह अभ्यास शहरी और अर्ध-शहरी वातावरण में आतंकवाद विरोधी अभियानों, विशेष अभियानों के लिए रणनीतियों और प्रक्रियाओं (TTPs) पर केंद्रित था।
- इसका मुख्य लक्ष्य दोनों सेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी (Interoperability), संयुक्त मिशन योजना और सर्वोत्तम सैन्य प्रथाओं को साझा करना है। यह अभ्यास 'रेगिस्तानी और अर्ध-रेगिस्तानी' इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों, सर्जिकल स्ट्राइक और स्नाइपर ऑपरेशंस पर केंद्रित था।
- 'एक्सरसाइज साइक्लोन' की शुरुआत 2023 में हुई थी और इसे दोनों देशों में बारी-बारी से (रोटेशनल आधार पर) आयोजित किया जाता है। यह अभ्यास भारत की 'पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका' (WANA) क्षेत्र में रक्षा कूटनीति के विस्तार का एक प्रमुख हिस्सा है।

भारत की प्रथम 'ओपनली क्वियर' सांसद: मेनका गुरुस्वामी

- अप्रैल 2026 में, प्रसिद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सदस्य (TMC) के रूप में शपथ ली। वे भारत की

पहली घोषित क्वियर (Openly Queer) संसद सदस्य बन गई हैं, जो भारतीय संसदीय इतिहास में समावेशिता का एक नया अध्याय है।

- मेनका गुरुस्वामी ने धारा 377 को रद्द करने (नवतेज सिंह जौहर मामला) और समलैंगिक विवाह जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अग्रणी भूमिका निभाई है। उनकी संसद में उपस्थिति LGBTQ+ समुदाय के विधायी प्रतिनिधित्व और उनके अधिकारों की वकालत को एक मजबूत मंच प्रदान करती है। यह भारतीय लोकतंत्र के विकासवादी चरित्र को दर्शाता है।
- वर्ष 2019 में TIME मैगजीन ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया था। वे ऑक्सफोर्ड (रोड्स स्कॉलर) और हार्वर्ड जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से शिक्षित हैं। मेनका गुरुस्वामी का चयन 'संवैधानिक नैतिकता' (Constitutional Morality) और समाज के हाशिए पर स्थित वर्गों के राजनीतिक सशक्तिकरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

नेशनल हाउसहोल्ड सर्वे 2024

- हाल ही में केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा जारी 'मार्केट फॉर टेक्सटाइल एंड क्लोदिंग: नेशनल हाउसहोल्ड सर्वे 2024' के अनुसार, भारत का घरेलू कपड़ा बाजार 2010 के ₹4.89 लाख करोड़ से बढ़कर 2024 में ₹14.95 लाख करोड़ हो गया है, जो 8.3% की वार्षिक दर (CAGR) को दर्शाता है।
- प्रति व्यक्ति वस्त्र व्यय ₹2,119 (2010) से बढ़कर ₹6,066 (2024) हो गया है, जो बढ़ती आय और बदलती जीवनशैली का प्रतीक है। मैन-मेड फाइबर (MMF) और मिश्रित फाइबर की हिस्सेदारी बढ़कर 52.2% हो गई है, जिसने पारंपरिक कपास (41.2%) को पीछे छोड़ दिया है। कुल बाजार में घरेलू खपत का योगदान ₹8.77 लाख करोड़ है।
- मास्क, सैनिटरी नैपकिन और ऑटोमोबाइल सीट कवर जैसे उत्पादों की मांग में ग्रामीण क्षेत्रों (58% हिस्सेदारी) का दबदबा बढ़ा है। 'सस्टेनेबल टेक्सटाइल्स' का बाजार ₹37,000 करोड़ तक पहुंच गया है।
- वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों से वैश्विक प्रतिस्पर्धा, खंडित (fragmented) आपूर्ति श्रृंखला और कच्चे माल की उच्च लागत इस क्षेत्र की मुख्य बाधाएं हैं। पीएम मित्र पार्क और पीएलआई योजना के माध्यम से भारत का लक्ष्य 2030 तक इस बाजार को $350 बिलियन तक पहुंचाना है।

भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति

- हाल ही में जारी वर्ल्डलाइन की वार्षिक रिपोर्ट (2025) के अनुसार, भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) ने वर्ष 2025 में 228.5 बिलियन लेनदेन का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 33% की वृद्धि दर्शाता है।
- वर्ष 2025 के दौरान कुल लेनदेन का मूल्य ₹299.74 ट्रिलियन (लगभग 300 लाख करोड़) रहा। यूपीआई की औसत टिकट साइज (ATS) में 9% की गिरावट आई है, जो दर्शाती है कि अब छोटे दैनिक खर्चों (Micro-transactions) के लिए भी नकद के बजाय डिजिटल भुगतान को प्राथमिकता दी जा रही है।
- भारत वर्तमान में विश्व के कुल रीयल-टाइम डिजिटल भुगतान का लगभग 49% अकेले संचालित कर रहा है। यूपीआई अब सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, मॉरीशस और कतर जैसे देशों में भी स्वीकार्य है।
- बजट 2025-26 में यूपीआई बुनियादी ढांचे के लिए ₹10,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिसका लक्ष्य 2026 तक 200 बिलियन से अधिक वार्षिक लेनदेन सुनिश्चित करना है।
- यूपीआई केवल एक भुगतान विकल्प नहीं, बल्कि भारत के 'डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे' (DPI) की वैश्विक सफलता का प्रतीक बन चुका है। यह 'औपचारिक अर्थव्यवस्था' को सशक्त बनाने और वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने में निर्णायक भूमिका निभा रहा है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 11 वर्ष पूर्ण

- हाल ही में 8 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने अपने 11 वर्ष पूरे किए, जो भारत में वित्तीय समावेशन और उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 2015 में शुरु की गई यह योजना सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बिना गारंटी के ऋण प्रदान करती है, जिससे उन व्यवसायों को सहायता मिली है जिनकी औपचारिक बैंकिंग प्रणाली तक सीमित पहुँच थी।
- इस योजना ने ऋण प्रक्रिया को सरल बनाकर जमीनी स्तर पर उद्यमिता को प्रोत्साहित किया है। अब तक लगभग 58 करोड़ ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनका कुल मूल्य ₹40 लाख करोड़ से अधिक है। लाभार्थियों में लगभग दो-तिहाई महिलाएं हैं, जो महिला सशक्तिकरण को भी दर्शाता है।
- ऋणों को शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जो व्यवसाय के विभिन्न चरणों के अनुरुप हैं। लाभार्थियों में से लगभग एक-पांचवां हिस्सा ऐसे उद्यमी हैं जो पहली बार अपना व्यवसाय शुरु कर रहे हैं। यह योजना 20 लाख रुपये तक का बिना गारंटी वाला ऋण प्रदान करती है।

मिन आंग ह्लाइंग

- वरिष्ठ जनरल मिन आंग ह्लाइंग ने हाल ही में म्यांमार के राष्ट्रपति के रुप में पदभार संभाला है। 1 फरवरी 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद से वे म्यांमार के वास्तविक शासक रहे हैं। अप्रैल 2026 में सैन्य समर्थित संसद द्वारा उन्हें राष्ट्रपति चुना गया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन बताया है।

- म्यांमार में 2008 के संविधान के तहत सेना को विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिसका उपयोग कर ह्लाइंग ने सत्ता पर नियंत्रण बनाए रखा है। उनके राष्ट्रपति बनने को सैन्य शासन को नागरिक वैधता देने के प्रयास के रुप में देखा जा रहा है।
- जनरल मिन आंग ह्लाइंग पर रोहिंग्या संकट और गृहयुद्ध के दौरान 'मानवता के खिलाफ अपराध' के गंभीर आरोप हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) ने उनके खिलाफ वारंट जारी करने की प्रक्रिया शुरु की है।
- **भारत के लिए रणनीतिक महत्व:**
  - पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद को नियंत्रित करने के लिए म्यांमार का सहयोग अनिवार्य है।
  - 'कलादान मल्टी-मॉडल प्रोजेक्ट' और 'भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग' भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति के लिए महत्वपूर्ण हैं।
  - म्यांमार में जारी गृहयुद्ध के कारण मिजोरम और मणिपुर में शरणार्थियों का संकट बढ़ा है।
- भारत के लिए म्यांमार में स्थिरता और लोकतंत्र की बहाली क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक हितों के लिए आवश्यक है।

कोयला उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि

- भारत ने वित्त वर्ष 2025–26 में 210.46 मिलियन टन कोयला उत्पादन हासिल कर ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 10.22% की वृद्धि को दर्शाता है। इसी अवधि में कोयले की आपूर्ति भी 7.35% बढ़कर 204.61 मिलियन टन तक पहुंच गई। इस प्रगति का मुख्य कारण परिचालन दक्षता में सुधार, बेहतर लॉजिस्टिक्स और खनन क्षमता का विस्तार है।
- वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान 12 नए कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों को चालू किया गया, जिससे 86 मिलियन टन अतिरिक्त वार्षिक उत्पादन क्षमता जुड़ी। त्वरित परियोजना क्रियान्वयन और सरलीकृत अनुमोदन प्रक्रियाओं ने इस वृद्धि को गति दी है।
- यह उपलब्धि 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य आयात निर्भरता कम करना और घरेलू ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना

है। कुल मिलाकर, कोयला क्षेत्र देश की बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने में अधिक सक्षम हुआ है।

‘कर साथी’ पोर्टल और कर सुधार

- आयकर विभाग ने कर प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से ‘कर साथी’ नामक नई वेबसाइट शुरू की है। यह प्लेटफॉर्म प्रत्यक्ष करों से जुड़ी सभी जानकारी को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है, जिससे करदाताओं के लिए फाइलिंग प्रक्रिया आसान हो जाती है। इसके साथ ही ‘कर साथी’ नामक एआई-संचालित सहायक भी लॉन्च किया गया है, जो 24×7 उपलब्ध रहकर उपयोगकर्ताओं को कर संबंधी प्रश्नों और प्रक्रियाओं में मार्गदर्शन प्रदान करता है।
- यह पहल कर प्रशासन के आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी-आधारित सेवाओं को बढ़ावा देने का हिस्सा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष रवि अग्रवाल ने ‘प्रारंभ’ कार्यक्रम के तहत इन सुधारों की जानकारी दी। यह कार्यक्रम ‘आयकर अधिनियम, 2025’ के संक्रमण को सहज बनाने पर केंद्रित है। सुधारों के तहत नियमों और प्रपत्रों की संख्या में उल्लेखनीय कमी कर अनुपालन को अधिक सरल और प्रभावी बनाएगी।

न्याम-ओसोर उचराल मंगोलिया के 33वें प्रधानमंत्री

- हाल ही में न्याम-ओसोर उचराल (Nyam-Osoryn Uchral) ने मंगोलिया के 33वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। वे सत्तारुढ़ ‘मंगोलियाई पीपुल्स पार्टी’ (MPP) के अध्यक्ष हैं और एक गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं।
- राजनीति में आने से पहले उचराल एक लोकप्रिय हिप-हॉप कलाकार (टिमोन) थे। प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने डिजिटल विकास और संचार मंत्री तथा संसद के अध्यक्ष (स्पीकर) के रूप में कार्य किया है।

- उन्हें मंगोलिया में ‘डिजिटल क्रांति’ का जनक माना जाता है। उन्होंने ‘e-Mongolia’ प्लेटफॉर्म के जरिए सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता लाकर भ्रष्टाचार को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- उचराल की सरकार एक व्यापक गठबंधन है, जिसका उद्देश्य आर्थिक स्थिरता और खनन क्षेत्र (विशेषकर तांबा और कोयला) में सुधार करना है।
- **भारत-मंगोलिया संबंध:**
  - मंगोलिया, रूस और चीन के बीच लैंडलॉक्ड देश होने के कारण भारत को अपना ‘तीसरा पड़ोसी’ और ‘आध्यात्मिक पड़ोसी’ मानता है।
  - भारत मंगोलिया में पहली तेल रिफाइनरी का निर्माण कर रहा है। उचराल के नेतृत्व में डिजिटल सहयोग और साइबर सुरक्षा के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों के और मजबूत होने की संभावना है।
  - नोमैडिक एलीफेंट’ (Nomadic Elephant) सैन्य अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच एक द्विपक्षीय वार्षिक सैन्य अभ्यास है, जो 2006 से बारी-बारी से दोनों देशों में आयोजित किया जा रहा है।

आईएनएस मालवान

- हाल ही में, भारतीय नौसेना ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) द्वारा निर्मित अपने दूसरे एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट (ASW SWC), ‘मालवान’ (INS Malvan) को शामिल किया है। यह ‘माहे’ श्रेणी के आठ जहाजों की श्रृंखला का दूसरा पोत है।
- ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान के तहत निर्मित इस जलयान में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। यह लगभग 78 मीटर लंबा है, जिसका विस्थापन (displacement) 900 टन है। यह अधिकतम 25 समुद्री मील (Knots) की गति प्राप्त कर सकता है। यह

उन्नत सोनार, टॉरपीडो, एंटी-सबमरीन रॉकेट और अत्याधुनिक रडार प्रणालियों से लैस है।

- इसे विशेष रूप से तटीय जल में पनडुब्बी रोधी अभियानों, कम तीव्रता वाले समुद्री कार्यों और खदान बिछाने (Mine Laying) के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह पुराने 'अभय' श्रेणी के जहाजों की जगह लेगा, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में भारत की निगरानी क्षमता बढ़ेगी। इसका नाम महाराष्ट्र के ऐतिहासिक तटीय शहर 'मालवण' के नाम पर रखा गया है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की समुद्री विरासत का प्रतीक है।
- मालवान का शामिल होना समुद्री सुरक्षा के प्रति भारत की बढ़ती तकनीकी आत्मनिर्भरता और हिंद महासागर में अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

"टाइड्स ऑफ टाइम" पुस्तक का विमोचन

- हाल ही में, भारत के उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने नई दिल्ली के संविधान सदन में सुधा मूर्ति द्वारा लिखित पुस्तक "टाइड्स ऑफ टाइम: भारत का इतिहास संसद भित्ति चित्रों के माध्यम से" का विमोचन किया।
- लोकसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक भारत की 5,000 वर्षों की सभ्यतागत यात्रा को संसद भवन की दीवारों पर अंकित ऐतिहासिक भित्ति चित्रों (Murals) के माध्यम से प्रस्तुत करती है।
- यह पुस्तक सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर 1947 के स्वतंत्रता संग्राम तक के क्रमिक विकास को दर्शाती है, जो कला और इतिहास के अंतर्संबंधों को समझने में सहायक है। इस पुस्तक में संसद के 75 भित्ति चित्र भारतीय चित्रकला और स्थापत्य कला के जीवंत साक्ष्य हैं। यह पुस्तक लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत की प्राचीन लोकतांत्रिक परंपराओं (जैसे- सभा और समिति) को रेखांकित करती है।

त्रिपुरा की पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार 2025

- हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा घोषित दीन दयाल उपाध्याय और नानाजी देशमुख पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 में त्रिपुरा की तीन पंचायतों ने देश भर में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।
- सेपाहिजाला जिला पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत (प्रथम स्थान) के रूप में चुना गया है। कंचनबारी ग्राम पंचायत ने 'स्वस्थ पंचायत' श्रेणी में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। बैकुंठपुर ग्राम पंचायत को 'महिला-अनुकूल पंचायत' श्रेणी में देश भर में तीसरा स्थान मिला है।
- ये पुरस्कार 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने के लिए 9 स्थानीय विषयों (Themes) पर आधारित हैं। त्रिपुरा की सफलता यह दर्शाती है कि जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य (SDG 3) और लैंगिक समानता (SDG 5) जैसे लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।
- पुरस्कार के साथ वित्तीय प्रोत्साहन (सेपाहिजाला को ₹5 करोड़, कंचनबारी को ₹1 करोड़ और बैकुंठपुर को ₹50 लाख) पंचायती राज संस्थानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक कदम है। ऐसे राष्ट्रीय पुरस्कार राज्यों और उनकी पंचायतों के बीच बेहतर प्रदर्शन के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं।

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

1. भारत में जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. जनगणना एक वैधानिक प्रक्रिया है।
2. यह प्रत्येक 10 वर्ष में आयोजित की जाती है।
3. यह राज्य सरकारों द्वारा संचालित होती है।

सही उत्तर चुनिए:

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2 और 3
C: केवल 1 और 3
D: 1, 2 और 3

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. एक्सरसाइज 'द्वीप शक्ति' एक त्रि-सेवा सैन्य अभ्यास है।
2. इसमें उभयचर अभियानों को शामिल किया गया है।

सही उत्तर चुनिए:

A: दोनों कथन सही हैं
B: केवल कथन 1 सही है
C: केवल कथन 2 सही है
D: दोनों कथन गलत हैं

3. निम्नलिखित कथन (A) तथा कारण (R) पर विचार कीजिए:

कथन (A): नागोया प्रोटोकॉल जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

कारण (R): यह आनुवंशिक संसाधनों (genetic resources) के उपयोग से प्राप्त लाभों के न्यायसंगत एवं समान वितरण को सुनिश्चित करता है।

सही उत्तर चुनिए:

A: A और R दोनों सही हैं, तथा R, A की सही व्याख्या है।
B: A और R दोनों सही हैं, परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
C: A सही है, परंतु R गलत है।
D: A गलत है, परंतु R सही है।

4. निम्नलिखित कथन तथा कारण पर विचार कीजिए:

कथन (A): सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक 31 सप्ताह की गर्भवती नाबालिग को गर्भपात की अनुमति देते हुए कहा कि उसे गर्भधारण जारी रखने के लिए बाध्य करना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है।

कारण (R): भारतीय संविधान के तहत Article 21 में निहित जीवन के अधिकार में प्रजनन स्वायत्तता और शारीरिक स्वतंत्रता भी शामिल है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए:

A: A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है।
B: A और R दोनों सही हैं, परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं करता।
C: A सही है, परंतु R गलत है।
D: A गलत है, परंतु R सही है।

5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. जैनिक सिनर ने मियामी ओपन 2026 जीता।
2. उन्होंने जिरी लेहेका को फाइनल में हराया।
3. उन्होंने यह टूर्नामेंट क्ले कोर्ट (clay court) पर जीता।

सही उत्तर चुनिए:

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2 और 3
C: केवल 1 और 3
D: 1, 2 और 3

6. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. राज्यपाल क्षमादान (pardon), स्थगन (reprieve), राहत (respite), दण्ड-लघुकरण (remission), निलंबन (suspension) या दण्ड-परिवर्तन (commutation) प्रदान कर सकता है।
2. राज्यपाल मृत्युदण्ड को क्षमा (pardon) कर सकता है।
3. राज्यपाल की शक्ति उन अपराधों तक सीमित है जो राज्य के कार्यपालिका क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

7. हाल ही में कमीशन किया गया आईएनएस तारागिरी, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के युद्धपोतों से संबंधित है?

A: कोलकाता-श्रेणी के विध्वंसक

B: शिवालिक-श्रेणी के फ्रिगेट

C: प्रोजेक्ट 17A नीलगिरि-श्रेणी के फ्रिगेट

D: तलवार-श्रेणी के फ्रिगेट

8. आईएनएस तारागिरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है।
2. यह परमाणु प्रणोदन प्रणाली (nuclear propulsion) से संचालित है।
3. यह बहु-आयामी (surface, air, subsurface) अभियानों में सक्षम है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

9. आईएनएस अरिदमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसमें 8 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब (VLS) हैं।
2. यह K-4 बैलिस्टिक मिसाइल ले जा सकता है।
3. यह गैस टर्बाइन इंजन से संचालित है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

10. भारत में आर्द्रभूमियों (Wetlands) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अधिसूचित आर्द्रभूमियों में स्थायी संरचनाओं का निर्माण आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 के अंतर्गत प्रतिबंधित है।
2. आर्द्रभूमियाँ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत कानूनी रूप से संरक्षित हैं।
3. भारत की सभी आर्द्रभूमियों का प्रबंधन सीधे केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

11. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
2. भारत ने बांग्लादेश को 8 बिलियन क्रेडिट की लाइन (Lines of Credit – LoC) प्रदान की हैं।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1

B: केवल 2

C: 1 व 2 दोनों

D: कोई नहीं

12. टार बॉल्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ये समुद्र के पानी में कच्चे तेल के मौसमीय परिवर्तन (weathering) के कारण बनते हैं।
2. ये मुख्यतः हल्के हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं।
3. ये रेत और समुद्री अवशेषों के साथ मिलकर ठोस गुठलियाँ बना सकते हैं।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

13. मित्र मिशन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह अंतरिक्ष मलबे (space debris) का मानचित्रण करने के लिए लॉन्च किया गया एक उपग्रह-आधारित मिशन है।
2. यह सिमुलेटेड अंतरिक्ष परिस्थितियों में मानव व्यवहार और टीमवर्क का अध्ययन करता है।
3. यह लेह, लद्दाख में संचालित किया जा रहा है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

14. गगनयान मिशन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसका उद्देश्य तीन अंतरिक्ष यात्रियों को निम्न पृथ्वी कक्षा (Low

Earth Orbit) में भेजना है।

2. मिशन की अवधि लगभग तीन दिनों की है।
3. इसमें PSLV प्रक्षेपण यान का उपयोग किया जाएगा।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

15. प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह कलपक्कम, तमिलनाडु में स्थित है।
2. यह ईंधन के रूप में समृद्ध यूरेनियम (enriched uranium) का उपयोग करता है।
3. यह शीतलक (coolant) के रूप में तरल सोडियम का उपयोग करता है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 1 और 3
D: 1, 2, और 3

16. निम्नलिखित में से कौन-सा वर्तमान नीति दर संरचना का सही प्रतिनिधित्व करता है?

1. रेपो दर – 5.25%
2. रिवर्स रेपो दर (SDF) – 5.00%
3. बैंक दर – 6.00%
4. नकद आरक्षित अनुपात (CRR) – 3.00%

सही उत्तर का चयन कीजिए:

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1,2 और 4
C: केवल 1,2 और 3
D: 1, 2, 3 और 4

17. मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसका गठन वर्ष 2016 में किया गया था।
2. इसमें 5 सदस्य होते हैं।
3. बराबरी की स्थिति (टाई) होने पर गवर्नर के पास निर्णायक मत (casting vote) होता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 1 और 3
D: 1, 2, और 3

18. सोलहवाँ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया था।
2. इसकी अध्यक्षता डॉ. अरविंद पनगारिया करते हैं।
3. यह 10 वर्ष की अवधि के लिए वित्तीय वितरण की सिफारिश करता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

19. हाल ही में अधिसूचित नामित भंडार (Designated Repositories) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इन्हें जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 39 के तहत अधिसूचित किया जाता है।
2. ये जैविक संसाधनों और उनसे संबंधित डेटा के संरक्षण के लिए उत्तरदायी होते हैं।
3. केवल निजी संस्थानों को ही भंडार के रूप में नामित किया जा सकता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

20. हाल ही में वर्ल्ड इनक्वालिटी लैब की रिपोर्ट के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ग्रामीण परिवारों के शीर्ष 10% के पास कुल भूमि का 40% से अधिक स्वामित्व है।
2. शीर्ष 1% के पास कुल भूमि का 10% से कम स्वामित्व है।
3. भारत में लगभग आधे ग्रामीण परिवार भूमिहीन हैं।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

21. नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करता है।
2. इस आरक्षण में अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1

B: केवल 2

C: 1 व 2 दोनों

D: कोई नहीं

22. भारत में परिसीमन (Delimitation) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण को संदर्भित करता है।
2. इसे स्वतंत्र रूप से भारत के निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) द्वारा किया जाता है।
3. यह राज्यों के बीच सीटों के वितरण को प्रभावित करता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

23. भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (National Quantum Mission-NQM) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे 2023 में मंजूरी दी गई थी और इसका कार्यान्वयन एजेंसी अंतरिक्ष विभाग (Department of Space) है।
2. इसके प्रमुख उद्देश्यों में 1,000 क्यूबिट तक के क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना शामिल है।
3. इसमें क्वांटम की वितरण (Quantum Key Distribution - QKD) पर आधारित क्वांटम संचार नेटवर्क का विकास शामिल है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

24. भारत की नवीकरणीय ऊर्जा स्थिति (2026) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है।
2. परमाणु ऊर्जा और बड़े जलविद्युत को शामिल करने पर भारत की कुल गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता 300 GW से अधिक है।
3. भारत ने यूएसए को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

25. हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (Hydrofluorocarbons - HFCs) पर भारत के चरणबद्ध प्रतिबंध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने 31 दिसंबर 2027 के बाद HFC उत्पादन के लिए नई पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) देने पर रोक लगा दी है।
2. किगाली संशोधन (Kigali Amendment) के अंतर्गत भारत का HFC फ्रिज वर्ष 2028 है।
3. किगाली संशोधन के अंतर्गत भारत समूह 1 (Group 1) देशों में शामिल है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

26. भारत में त्रि-भाषा सूत्र के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रस्तुत किया गया था।
2. यह अनिवार्य करता है कि सभी तीन भाषाएँ भारतीय भाषाएँ ही हों।
3. इसका उद्देश्य बहुभाषावाद और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 3

C: केवल 1 और 3

D: 1, 2 और 3

27. भारतीय संविधान में भाषा संबंधी प्रावधानों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अनुच्छेद 343 संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी घोषित करता है।
2. अनुच्छेद 351 संघ को हिंदी के प्रसार को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।
3. राज्यों के पास शिक्षा नीति पर कोई अधिकार नहीं है क्योंकि यह संघ सूची में है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2 और 3

C: केवल 1 और 3

D: 1, 2 और 3

28. किगाली संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे 2016 में रवांडा में अपनाया गया था।
2. यह सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है।
3. इसका उद्देश्य 2030 तक HFCs को पूरी तरह समाप्त करना है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2 और 3

C: केवल 1 और 3

D: 1, 2 और 3

29. हाल ही में ओडिशा के सिजिमाली पहाड़ियों में बॉक्साइट खनन के खिलाफ हुए विरोध के संदर्भ में, भारत में जनजातीय अधिकारों और खनन शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संविधान की पाँचवीं अनुसूची के तहत, राज्य के राज्यपाल के पास जनजातीय से गैर-जनजातीय संस्थाओं को भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करने की विशेष शक्तियाँ होती हैं।
2. पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम (PESA), 1996, अनुसूचित क्षेत्रों में लघु खनिजों के लिए खनन पट्टे प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की सिफारिश को अनिवार्य बनाता है।
3. वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006, सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देता है, जिससे जनजातियाँ अपने पारंपरिक आवासों के विनाश को रोक सकती हैं।

उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

30. भारत में जल संकट के संबंध में, केंद्रीय जल आयोग (CWC) द्वारा वर्ष 2026 जारी रिपोर्ट के अनुसार, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. CWC द्वारा निगरानी किए गए 166 प्रमुख जलाशयों में जल भंडारण उनकी कुल जीवित भंडारण क्षमता के 50% से नीचे गिर गया है।
2. स्थिति उत्तर भारत में सबसे अधिक गंभीर है, जहाँ जलाशयों का भंडारण क्षमता के लगभग 33% तक गिर गया है।
3. बिहार का चंदन बाँध पूरी तरह सूख गया है, जिसमें शून्य भंडारण दर्ज किया गया है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

31. पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए

1. पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद एक अंतरराष्ट्रीय मंत्री-स्तरीय मंच है, जिसका उद्देश्य UN जलवायु सम्मेलनों (COP) की तैयारी करना है।
2. वर्ष 2026 में आयोजित 17वें संस्करण में लगभग 40 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
3. इस संवाद का मुख्य उद्देश्य केवल विकसित देशों के बीच जलवायु सहयोग को बढ़ाना है।
4. इस मंच में वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5°C तक सीमित करने हेतु अंतरराष्ट्रीय सहयोग के उपायों पर चर्चा की जाती है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1, 2 और 4

B: केवल 2 और 3

C: केवल 1 और 3

D: 1, 2, 3 और 4

32. भारत में पेटेंट पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारतीय पेटेंट प्रणाली का संचालन पेटेंट अधिनियम, 1970 द्वारा

किया जाता है, जिसे 2005 में TRIPS समझौते के अनुरूप संशोधित किया गया था।

2. "स्टार्ट-अप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन (SIPP)" योजना के तहत पेटेंट दाखिल करने के लिए स्टार्टअप, एमएसएमई और महिला उद्यमियों को 80% तक शुल्क छूट प्रदान की जाती है।
3. भारत वर्तमान में वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 पेटेंट दाखिल करने वाले देशों में शामिल है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

33. गंगा नदी डॉल्फिन (Platanista gangetica) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय जलीय जीव है तथा असम का राज्य जलीय जीव भी है।
2. यह पूर्णतः मीठे पानी की प्रजाति है, जो कार्यात्मक रूप से अंधी होती है और नेविगेशन तथा शिकार के लिए पूरी तरह अल्ट्रासोनिक इकोलोकेशन पर निर्भर करती है।
3. इसका प्राकृतिक आवास केवल भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र तक ही सीमित है।
4. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत इसे अनुसूची I में सूचीबद्ध किया गया है, जो इसे सर्वोच्च स्तर का कानूनी संरक्षण प्रदान करता है।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1,3 और 4
C: केवल 1,2 और 4
D: 1, 2, 3 और 4

34. डॉ. बी. आर. अंबेडकर के योगदानों और उनके द्वारा संचालित आंदोलनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 1927 का महाड़ सत्याग्रह हाशिए पर पड़े समुदायों को सार्वजनिक जल संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आयोजित किया गया था।
2. डॉ. आंबेडकर ने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी (ILP) की स्थापना केवल दलित समुदाय के राजनीतिक हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए की थी।
3. 1932 का पूना पैक्ट डॉ. आंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता था, जिसने पृथक निर्वाचक मंडलों की मांग के स्थान पर दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की व्यवस्था की।
4. "मूकनायक" डॉ. आंबेडकर द्वारा 1920 में शुरू किया गया पहला पत्र था, जिसका उद्देश्य वंचित वर्गों के अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना था।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1,3 और 4
C: केवल 1,2 और 3
D: 1, 2, 3 और 4

35. संयुक्त राष्ट्र महासचिव (UNSG) की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. महासचिव की नियुक्ति महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर की जाती है।
2. इस पद के लिए सिफारिश हेतु सुरक्षा परिषद में कम से कम 9 मतों की आवश्यकता होती है, जिसमें पाँचों स्थायी सदस्यों के सहमति मत शामिल होते हैं।
3. संयुक्त राष्ट्र चार्टर महासचिव के चयन के लिए क्षेत्रीय समूहों के बीच भौगोलिक घूर्णन (रोटेशन) की व्यवस्था को स्पष्ट रूप से अनिवार्य करता है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

36. संयुक्त राष्ट्र महासचिव की भूमिका और महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत महासचिव को मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (Chief Administrative Officer) के रूप में वर्णित किया गया है।
2. महासचिव के पास सदस्य देशों पर सीधे प्रतिबंध (sanctions) लगाने का अधिकार होता है।
3. महासचिव अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा पहुँचाने वाले मामलों को सुरक्षा परिषद के समक्ष ला सकता है।
4. महासचिव अक्सर जलवायु परिवर्तन और असमानता जैसे मुद्दों पर वैश्विक प्रवक्ता (spokesperson) के रूप में कार्य करता है।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1,3 और 4

C: केवल 2,3 और 4

D: 1, 2, 3 और 4

37. कांडला में भारत के पहले ग्रीन मेथनॉल संयंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह भारत का पहला संयंत्र है जो प्रोसोपिस जुलिफ्लोरा (Prosopis juliflora) नामक एक आक्रामक झाड़ी को कच्चे माल (फीडस्टॉक) के रूप में उपयोग करके मेथनॉल का उत्पादन करता है।
2. इस तकनीक में बायोमास को सिंगैस (syngas) में परिवर्तित किया जाता है, जो दहन (combustion) और पाइरोलिसिस (pyrolysis) के बीच की प्रक्रिया है।
3. यह परियोजना दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण और असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड की संयुक्त पहल है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

38. ग्रीन मेथनॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक कम-कार्बन तरल ईंधन है, जिसे बायोमास या ग्रीन हाइड्रोजन तथा अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड के संयोजन से बनाया जा सकता है।
2. यह पारंपरिक ईंधनों की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को 95% तक कम कर सकता है।
3. इसमें अम्ल (acid) की मात्रा अधिक होती है, जिससे इसे संग्रहित करना कठिन होता है, जबकि जीवाश्म मेथनॉल में ऐसा नहीं होता।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

39. आईएमएफ की अप्रैल 2026 की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के संदर्भ में, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2026–27 (FY27) के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.5% कर दिया है।
2. इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण अमेरिकी टैरिफ में महत्वपूर्ण कमी है, जो भारतीय वस्तुओं पर अधिकतम 50% से घटकर लगभग 10–18% रह गया है।
3. भारत के लिए आईएमएफ का वृद्धि अनुमान (FY27 में 6.5%) एशियाई विकास बैंक (ADB) और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से अधिक है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

40. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट (Specialized) एजेंसी है।
2. इसे पूरी तरह से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के अनिवार्य (assessed) योगदान से वित्तपोषित किया जाता है।
3. यह 1990 से वार्षिक मानव विकास रिपोर्ट (HDR) प्रकाशित करता है।
4. इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में स्थित है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 3

C: केवल 2,3 और 4

D: 1, 2, 3 और 4

41. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (NBCFDC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
2. यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में कार्य करता है।
3. इसका उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EBC) और विमुक्त जनजातियों को रियायती वित्त प्रदान करना है।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

42. वित्त वर्ष 2025–26 में भारत के बाह्य व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा, जिसने

चार वर्षों के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ दिया।
2. भारत ने अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष बनाए रखा, लेकिन यह अधिशेष पिछले वित्त वर्ष की तुलना में कम हो गया।
3. चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुँच गया, जो 100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया।
4. सेवाओं के निर्यात ने 200 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का अधिशेष उत्पन्न करके भारत के कुल व्यापार घाटे को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1,3 और 4
C: केवल 1,2 और 3
D: 1, 2, 3 और 4

43. भारत में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. WPI थोक बिक्री के प्रथम बिंदु पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों की कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है।
2. 'निर्मित उत्पाद' समूह का सूचकांक बास्केट में सबसे अधिक भार है, जो 60% से अधिक है।
3. इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा मासिक आधार पर संकलित और जारी किया जाता है।
4. WPI में महत्वपूर्ण वृद्धि समय के साथ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में "कॉस्ट-पुश" मुद्रास्फीति का कारण बन सकती है।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 2 और4
B: केवल 1,2 और 4
C: केवल 1,2 और 3
D: 1, 2, 3 और 4

44. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा वर्ष 2026 में प्रस्तावित "यूनिवर्सल किल स्विच" के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह केवल यूपीआई आधारित लेनदेन को ही संदिग्ध धोखाधड़ी की स्थिति में तुरंत फ्रीज़ करने के लिए बनाया गया है।
2. एक बार सक्रिय होने पर, किल स्विच खाताधारक द्वारा निर्धारित सभी मौजूदा लेनदेन कॉन्फ़िगरेशन को निरस्त कर देता है।
3. किल स्विच सक्रिय करने के बाद सेवाओं को पुनः चालू करने के लिए केवल बैंक शाखा में भौतिक रूप से जाना आवश्यक है, कोई डिजिटल विकल्प उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

45. हाल ही में इसरो द्वारा घोषित प्रस्तावित G20 सैटेलाइट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इस सैटेलाइट को वर्ष 2027 में भारत के नेतृत्व में लॉन्च किया जाना निर्धारित है।
2. इसका मुख्य उद्देश्य G20 देशों के बीच वास्तविक समय (real-time) सैन्य निगरानी को सक्षम बनाना है।
3. इस मिशन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन की निगरानी, प्रदूषण ट्रैकिंग और मौसम पूर्वानुमान को बेहतर बनाना है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 1 और 3
D: 1, 2, और 3

46. भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसे लेह, लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है।
2. यह ज़ांस्कर नदी के किनारे स्थित है।
3. इसका उद्देश्य विभिन्न स्थलों से प्राचीन शैल-चित्रों (rock carvings) का संरक्षण करना है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

47. "पेट्रोग्लिफ" शब्द का अर्थ है:

A: गुफा की दीवारों पर प्राकृतिक रंगों से बनाई गई पेंटिंग
B: चट्टानों की सतह पर की गई नक्काशी या उत्कीर्णन
C: पौधों और जानवरों के जीवाश्म अवशेष
D: पत्थर की पट्टिकाओं पर लिखी गई प्राचीन पांडुलिपियाँ

48. नदी बेसिन प्रबंधन (RBM) योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे राज्यों के साथ मिलकर लागू किया जाता है।
2. यह सतही जल और भूजल संसाधनों दोनों के समेकित नियोजन पर केंद्रित है।
3. इसे जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत लागू किया जाता है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

49. गारो हिल्स, जो हाल ही में एक नई सरीसृप प्रजाति की खोज के कारण चर्चा में हैं, निम्नलिखित में से किन पारिस्थितिक विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं?

1. यह इंडो-बर्मा जैव-विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है।
2. इसमें मुख्यतः घने उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं।
3. यह हर्पेटोफौना (सरीसृप और उभयचर) की उच्च विविधता के लिए जाना जाता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

50. सीएसआईआर – नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित "डिज़ाइनर चावल" के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसे प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए जेनेटिक मॉडिफिकेशन (आनुवंशिक संशोधन) का उपयोग करके विकसित किया गया है।
2. इसमें चावल से स्टार्च की मात्रा कम करके और प्रोटीन तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों को शामिल करके चावल की संरचना को पुनर्गठित करना शामिल है।
3. यह तकनीक टूटे हुए चावल का उपयोग कच्चे माल के रूप में करती है, जिससे सर्कुलर इकॉनमी (चक्रीय अर्थव्यवस्था) को बढ़ावा मिलता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

उत्तर

1	A	11	C	21	C	31	A	41	C
2	A	12	B	22	B	32	D	42	D
3	A	13	C	23	C	33	C	43	A
4	A	14	A	24	A	34	B	44	B
5	A	15	C	25	A	35	A	45	C
6	B	16	B	26	B	36	B	46	B
7	C	17	C	27	A	37	A	47	B
8	B	18	A	28	A	38	A	48	C
9	A	19	A	29	D	39	A	49	D
10	A	20	B	30	B	40	B	50	C

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

UDAAN
A journey to success

12th के बाद Graduation के साथ करें IAS/PCS की तैयारी

IAS OLYMPIAD 2026

14th JUNE 2026

12:30 to 3:30 PM

★ Admission to Udaan Batch is subject to selection in IAS Olympiad

LUCKNOW

☎ 9506256789	☎ 7570009003	☎ 8853467068
ALIGANJ	GOMTI NAGAR	PRAYAGRAJ

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

लक्ष्यभेद

"The more we sweat in peace, the less we bleed in war"

UPPCS

PRELIMS TEST SERIES 2026

31 May | 9:30 AM

ONLINE Mode OFFLINE

REGISTRATION
OPEN
Mode: Online/Offline

SCAN QR

LUCKNOW

☎7619903300 ALIGANJ | ☎7570009003 GOMTI NAGAR | ☎8853467068 PRAYAGRAJ